राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ३] चतुर्थ विधान सभा के तृतीय सत्र का १५वां दिवस [संख्या ११

सोमवार, दिनांक ६ सितम्बर, १९६८

विधान सभा की बैठक म० पू० ११.०५ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[राजस्व, सिंचाई, वन, पंचायत, श्रम, चिकित्सा, वित्त, आबकारी, खाद्य एवं विकास विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री रामानन्द अग्रवाल !

सीलिंग कानून के अन्तर्गत उठाये गये कदम

२६३. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) कृषि भूमि पर अधिकतम जोत (सीलिंग) कानून को लागू करने के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो कब-कब और क्या-क्या ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(२) सीलिंग से अधिक भूमि वाले खातेदारों को अपनी रिटर्न्स देने के लिये क्या राज्य सरकार ने कोई अवधि नियत की थी ? यदि हां, तो कब की थी ? क्या इस अवधि में कोई बढ़ोतरी की गई है ?

(३) अभी तक कितने लोगों ने सीलिंग से अधिक जमीन होने की रिटर्न्स दाखिल की हैं ? इन रिटर्न्स के आधार पर कितनी सरप्लस भूमि सीलिंग के ऊपर निकलती है ? कृपया रिटर्न्स और भूमि के क्षेत्रफल के आंकड़े जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(४) जिन लोगों ने सीलिंग से अधिक जमीन होते हुए रिटर्न्स नहीं दी हैं अथवा अनुचित बेचान या झूठे बंटवारे के आधार पर सीलिंग से कम जमीन होने का बहाना करते हुए रिटर्न्स नहीं दी हैं उन लोगों की जांच पड़ताल करने या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने के क्या राज्य सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ?

(५) क्या इन रिटर्न्स के आधार पर जो भूमि सरप्लस मान ली गई है उसको अपने कब्जे में लेने के लिये राज्य सरकार ने कोई कदम उठाये हैं ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों नहीं ?

(६) अभी तक कितनी-कितनी भूमि किस-किस जिले में राज्य सरकार ने इस कानून के तहत अपने कब्जे में ली है और कितनी-कितनी भूमि का उन जिलों में भूमिहीन किसानों में बंटवारा किया गया है ?

Page No. 2

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में सभी जिलों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जितने भी प्रश्न मैंने इस सत्र में मूव किये हैं, अभी तक एक का भी उत्तर दिया नहीं जा रहा है। स्थगित कराये जा रहे हैं।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास): साधारण प्रश्न पूछते तो जवाब देते।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न बड़ा लम्बा है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसी सेशन में इसका उत्तर दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रयास किया जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : उत्तर प्राप्त नहीं हो सकेंगे, काफी लम्बा है।

श्री अध्यक्ष : अगले सत्र में देख लेंगे।

श्री भैरोंसिंह : उत्तर तो कुछ तो दिलाना ही चाहिये कि सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं।

श्री रामकिशोर व्यास : सैकड़ों-हजारों आदमियों पर इसका असर पड़ सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जितनी भी सूचना सरकार के पास हो इस सेशन में ही वह दे सकती है। बाकी की सूचना नेक्स्ट सेशन में दे।

श्री दौलतराम सारण : डिटेल्स में न दें यह ही बता दें कि कितनी भूमि सीलिंग से निकलने वाली है, कितनी दरख्वास्तें आ चुकी हैं? संख्या तो बता दें।

श्री रामकिशोर व्यास : वह सब ही तथ्य आ जाने दें पहले।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री गंगासहाय !

पापड़ा बंध के रेजिंग एवं इम्प्रूवमेन्ट का ठेका

२६४. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०): क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि पापड़ा बंध (कामां पहाड़ी) के रेजिंग एवं इम्प्रूवमेन्ट का ठेका देने के लिये टेन्डर आमन्त्रित किये गये थे जो ५ प्रतिशत अधिक थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि ठेकेदार पर २ प्रतिशत की पेनाल्टी लगाई तथा ठेके को रद्द कर दिया गया ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य का ठेका १५ प्रतिशत अधिक पर दिया गया है ?

राज्य मंत्री (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) रिवाइज्ड शिड्यूल के आधार पर वर्क ऑर्डर के जरिये काम कराया गया।

श्री गंगासहाय : यह कितने प्रतिशत अबाऊ पर कराया गया ?

श्री मनफूलसिंह : १५ पर्सेन्ट।

Page No. 3

श्री गंगासहाय : पहले यह ५ पर्सेन्ट एबव पर क्यों नहीं कराया गया ?

श्री मनफूलसिंह : यह वर्केबल नहीं था और काम डिले होता दिखाई दिया उसने कहा कि यह काम नहीं कर सकता इसलिये २ पर्सेन्ट पेनेल्टी लगा कर १५ पर्सेन्ट कर दिया।

श्री गंगासहाय : फिर उस ठेकेदार पर पैनेल्टी इम्पोज क्यों नहीं की गई जो दूसरों पर की गयी ?

श्री मनफूलसिंह : उसने काम करने से इन्कार कर दिया और काम कराना था इसलिये २ पर्सेन्ट पैनेल्टी इम्पोज की गई।

श्री भैरोंसिंह : यह १५ पर्सेन्ट एबव शिड्यूल दिया गया तो क्या नैगोशियेसन्स उससे उसी बेसिस पर किये गये ?

श्री मनफूलसिंह : दो और टेन्डरार थे। एक २३ पर्सेन्ट और दूसरा २६ पर्सेन्ट इसलिये शिड्यूल्ड रेट पर १५ पर्सेन्ट एबव कहा गया वह तैयार हो गया तो उसको दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : जिस व्यक्ति ने कान्ट्रेक्ट के अनुसार काम नहीं किया रूल्स के अनुसार उसी से पूरा काम कराया जाकर उस पर जो कोस्ट आती है वह सारी की सारी क्या उस कान्ट्रेक्टर से वसूल करनी होती है ? यदि हां, तो उससे यह काम क्यों नहीं कराया गया ?

श्री मनफूलसिंह : २ पर्सेन्ट पेनेल्टी लगाई गई।

श्री भैरोंसिंह : सारे काम की कोस्ट का सवाल था। २ पर्सेन्ट पैनेल्टी देकर छोड़ कर चला गया। ओरिजिनल कान्ट्रेक्ट कर लिया उसके अनुसार काम नहीं किया तो रूल्स यह कहते हैं कि गवर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टली एग्जीक्यूट करा लें और जितनी कोस्ट आती है उससे वसूल करें। यह वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की ?

श्री मनफूलसिंह : वह मौके पर देखा जाता है। जो ठेकेदार कमजोर होता है, लोअर ठेका दे देता है और गवर्नमेन्ट के काम को डिले करता है तो यह देख लिया जाता है कि यह ठेकेदार काम नहीं कर सकता है डिले हो जावेगी इसलिये यह उचित समझा।

सिंचाई मन्त्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर चाहते तो माननीय सदस्य जैसा कहते हैं वैसा भी कर सकते थे और कानून में करने का प्रावधान भी है। मौके की परिस्थितियों को देखते हुए और एक सहकारी समिति का मामला समझते हुए केवल दो पर्सेन्ट पैनेल्टी लगा कर उस मामले को समाप्त कर दिया। २३ पर्सेन्ट और २६ पर्सेन्ट वाला था इसलिये उन परिस्थितियों को देखते हुए एग्जीक्यूटिव इन्जिनीयर्स ने ऐसे आदेश दिये।

श्री कृष्णकुमार गोयल : इस बांध के निर्माण के लिये टेन्डर्स इन्वाइट किये गये तो कुल कितने टेन्डरार्स थे जिन्होंने टेन्डर्स पेश किये ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : तीन थे। एक सहकारी समिति और दूसरे दो थे, एक २३ पर्सेन्ट और दूसरा २६ पर्सेन्ट का और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह भी निवेदन कर दूं कि यह बहुत बड़ा काम नहीं था। केवल २१ हजार का काम था और २१ हजार के काम को जब सहकारी

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

समिति ने टेन्डर के वक्त ही इन्कार कर दिया तो २ पर्सेन्ट पैनेल्टी लगा कर नैगोसियेशन से १५ पर्सेन्ट एबव पर दिया और ८०८-९०० का फर्क पड़ता था वह वसूल कर लिया।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल !

गांव जाश्मां में घास बीड़ का ठेका

२६५. **श्री शंकरलाल** (कपासन) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि दिनांक-२१-७-६८ को अतिरिक्त जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने गांव जाश्मां, तहसील कपासन का घास बीड़ का ठेका सन् १९६८ का पंचायत जाश्मां को रु. १४२६) में केवल घास का ठेका दे दिया था ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि ग्राम पंचायत जाश्मां ने उपरोक्त रकम १४२६) रु. उप-जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ के आदेश से राजकीय कोष में जमा करा दी थी ? यदि हां, तो वापिस दुबारा किसके आदेश से और किस दिनांक को पंचायत समिति, भूपालसागर को बीड़ दिया गया ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : (१) जी नहीं। वन विभाग से राजस्व विभाग को हस्तान्तरित बीड़ की भूमि के आवंटन में देरी हो जाने से तहसील की रिपोर्ट पर आवंटन होने तक अस्थाई व्यवस्था के रूप में इस वर्ष का घास ग्राम पंचायत जाश्मां द्वारा वन विभाग के तीन साला बीड़ की आय के अनुरूप राशि पर देने के आदेश जिलाधीश कार्यालय से दिनांक-२२-७-६८ को हुए।

(२) जी नहीं। जिलाधीश के आदेश दिनांक २२-७-६८ के अधीन तहसीलदार ने वन विभाग से तीन साला औसत रकम ठेका मालूम करने व रकम जमा कराने बाबत ग्राम पंचायत, जाश्मां से सम्पर्क कायम किया परन्तु जिलाधीश द्वारा उपरोक्त आदेश निरस्त कर दिये जाने से ग्राम पंचायत, जाश्मां द्वारा प्रस्तुत राशि आय बीड़ खाते खजाने में जमा नहीं हो सकी। ग्राम पंचायत के द्वारा रकम वापस नहीं ले जाने से तहसील में उदरत जमा है।

श्री रोशनलाल शर्मा (सलूम्बर) : क्या जिलाधीश ने....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री शंकरलाल : जिलाधीश महोदय ने वापिस दुबारा आॅर्डर किस तारीख को दिया है ?

श्री गंगाराम चौधरी : आदेश जुलाई में दिया है। जिलाधीश द्वारा दुबारा आॅर्डर दिनांक २२-७-६८ को दिया गया है।

श्री शंकरलाल : जो राशि जमा हुई है, वह तारीख २३-७-६८ को जमा हुई है। आदेश निरस्त करने के क्या कारण थे ?

श्री गंगाराम चौधरी : कृषि विभाग ने सिफारिश की थी कि इस भूमि को पंचायत समिति को फार्म स्थापित करने हेतु आवंटित कर दिया जाय। पंचायत समिति को यह भूमि आवंटित करने का प्रार्थना-पत्र, प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री रोशनलाल शर्मा : जो ठेका घास का दिया गया था, वह पंचायत को दिया गया था और बाद में पंचायत समिति को दिया गया। यह जमीन देने का, रद्दोबदल करने का सवाल नहीं है। जब पंचायत को घास का ठेका दिया गया था तो पंचायत समिति को देने का क्या कारण है ?

श्री गंगाराम चौधरी : घास का ठेका देते वक्त यह शर्त थी कि भूमि न आवंटित हो जाय तब तक घास का ठेका दिया जाय ? चूंकि आवंटन विचाराधीन है पंचायत समिति को देने के लिये इसलिये यह ठेका रद्द किया गया।

श्री शंकरलाल : जिस पंचायत क्षेत्र में जो भूमि है, वह आवंटित की जाती है, उस वक्त उस क्षेत्र में रहने वाले भूमिहीन काश्तकारों या अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, उनको आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाती है और उसके बाद बचती है तो दूसरों को दी जाती है। क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता मिलती है लेकिन पंचायत समिति के लिये कृषि विभाग ने सिफारिश की है, इसलिये उसको आवंटन करने के लिये प्रार्थना-पत्र विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : क्या पंचायत समिति को जो भूमि दी गई है, वह नियमानुकूल नहीं है ?

श्री गंगाराम चौधरी : पंचायत समिति को देने का प्रस्ताव जिलाधीश का है। वह राज्य सरकार के समक्ष अन्तिम रूप से निर्णय के लिये विचाराधीन है।

श्री दौलतराम सारण : पंचायत इस जमीन को चरागाह के लिये रखना चाहती है और उस गांव में चरागाह के लिये कोई पर्याप्त भूमि नहीं है ...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

अगला प्रश्न। श्री केदारनाथ !

तहसील हनुमानगढ़ में वन लगाने पर व्यय

२९९. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सरकार ने तहसील हनुमानगढ़ में वन लगाने के लिये कुल कितना रकबा (जमीन) रिजर्व किया ?

(२) वन लगाने में सरकार का कुल कितना खर्चा हुआ ?

(३) कितनी भूमि पर वन लगाया गया और कितनी भूमि खाली पड़ी है ?

(४) सरकार ने कितने पौधे लगाये और कितने जीवित हैं ?

वन मन्त्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) :

(१) तहसील हनुमानगढ़ में निम्नलिखित रकबा वन लगाने के लिये रिजर्व किया गया है:—

(१) कोहला ब्लॉक	५,१९९	एकड़
(२) वहलोत नगर	१,२५०	एकड़
योग ...	६,४४९	एकड़

(२) इन दो ब्लॉकों में वन लगाने के लिये १२,५८,०२५ रु० ३१ मार्च, १९६८ तक खर्च हुए हैं।

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

(३) जिस क्षेत्र पर वन लगाया गया एवं भूमि खाली पड़ी, उसका विवरण निम्न प्रकार हैः–

नाम ब्लॉक	कुल रकबा	वन लगाया क्षेत्रफल	रकबा जिस पर वन नहीं लगाया गया, खाली है
१. कोहला ब्लॉक	५,१९९ ए.	५,१७२ ए.	२४ ए.
२. वहलोत-नगर ब्लॉक	१,२५० ए.	७७० ए.	४८० ए.
योग....	६,४४९	५९४२	५०४ ए.

(४) लगभग २३ लाख पौधे लगाये जिसमें अनुमानित ५० प्रतिशत पौधे जीवित हैं।

श्री केदारनाथ : जो पौधे ड्राय आउट रह गये थे, उनका क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : कई पौधे जो मर गये, उनके कई कारण थे। पहला कारण यह था कि अन-कमाण्ड एरिया उनमें काफी था। दूसरा उड़ते हुए बालू के टीबे वहां पर अधिक होने के कारण, तीसरा कारण इरेगुलर इरिगेशन भी रहा इस अर्से के दौरान चौथा कारण भी मैं निवेदन कर दूं, डेजर्ट रिक्लेमेशन के अन्दर जो तकनीकी ज्ञान जिस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, उस तरह से उसमें सफलता प्राप्त होती जा रही है, लेकिन इसकी इसमें कमी रही इसके कारण पौधे मर गये।

श्री केदारनाथ : ५०४ एकड़ रकबा में आपने पौधे क्यों नहीं लगाये ? इसका क्या कारण है ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : ५०४ एकड़ रकबा में पौधे नहीं लगा सके। यह विचार था कि इसमें घास लगायेंगे। दूसरी तरह से इसको सक्षम बनायेंगे।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : २३ लाख पौधे जीवित हैं, यह संख्या आपने कैसे काउण्ट की ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : माननीय सदस्य, मैंने ५० पर्सेन्ट पौधे जीवित नहीं है, ऐसा कहा है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम): क्या जो पौधे लगाये उन पर एक-एक रुपया खर्चा आया ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : इसी में आता है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : जो पौधे वहां लगाये गये है, वे प्राकृतिक रूप से वहां पैदा होते हैं। सड़क की तरफ शीशम के पेड़ लगाये गये हैं बाकी वहां पर कोई पौधे नहीं लगाये हैं।

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न। श्री कृष्णकुमार गोयल !

सीपेज वाटर लोगिंग से क्षति

२६७. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चम्बल की मुख्य बांई नहर की बूंदी ब्रांच नहर के सीपेज व वाटर लोगिंग के कारण सन् ६१-६२ में ग्राम

Page No. 7

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

नान्ता, तहसील लाड़पुरा में कई किसानों के खेतो व बागों में खड़े फलदार वृक्ष, जैसे नींबू अमरूद, नारंगी व पपीते के पेड़ नष्ट हो गये थे ? अगर हां तो कितने किसानों का कितना नुक्सान हुआ ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है ? अगर हां तो कितनी-कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड से इस मुआवजे की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है ? अगर हां तो कब व कितनी ?

(४) क्या यह सही है कि किसानों को अभी तक मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ ? अगर हां, तो क्यों ?

श्री रामचन्द्र आर्य : भूमि सिंचित है, उसके अन्दर फसल क्यों नहीं उगायी...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर आॅर्डर माननीय सदस्य ! श्री सिंचाई मन्त्री !

राज्य मन्त्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां, करीबन ३५ काश्तकारों को ६,५८६ वृक्षों का नुक्सान हुआ है।

(२) जी हां, कुल मुआवजे की रकम करीब ८० हजार रुपये आंकी गयी है।

(३) जी नहीं।

(४) जी हां, चम्बल नियंत्रण मण्डल से तखमीना स्वीकृत नहीं हुआ है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के बारे में, मुआवजा तैयार करके, उसका एस्टीमेट बनाकर सरकार को भेज दिया गया है ?

श्री मनफूलसिंह : यह तो मैंने अभी कहा है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : फिर क्या कारण है कि सन् ६१-६२ में जो पेड़ नष्ट हो गये थे जिससे किसानों को लगभग ७०, ८० हजार रुपयों का नुक्सान हुआ था, जिसका आपने एस्टीमेट बनाकर भी भेज दिया किन्तु ६८ तक उनको मुआवजा स्वीकार नहीं किया है ?

श्री मनफूलसिंह : इसमें चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड को इरिगेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से लिखा जा चुका है लेकिन चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने इसको नहीं माना है कि यह ८० हजार रुपये का तखमीना सही नहीं है। वे मुआवजा नहीं देते हैं। इसको रिजेक्ट कर दिया है। हमने फिर लिखा है। इसकी कार्यवाही चल रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड इस प्रकार के पेड़ों का नुक्सान देने को तैयार नहीं है ? जो फलदार पेड़ हैं, उनसे जो नुक्सान किसानों को हुआ है, चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड क्या इस प्रकार के नुक्सान को भी देने को तैयार नहीं है ?

श्री मनफूलसिंह : मैंने यह स्वीकार किया है कि चम्बल कन्ट्रोल बोर्ड ने बिल्कुल इन्कार कर दिया है कि वे इस तरह का नुक्सान देने को तैयार नहीं हैं। फिर भी हमने आरगुमेन्ट देकर इस केस को मूव किया है। वहां केस चल रहा है।

जिला जैसलमेर में समरी सेटलमेन्ट एवं पक्की पैमाइश कार्य

२६८. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है, कि जिला जैसलमेर में समरी सेटलमेन्ट पहले हुआ और बाद में पक्की पैमाइश की गई और पक्की पैमाइश के समय कहीं पर समरी सेटलमेन्ट को आधार माना और कहीं पर कब्जा आधार माना गया ?

(२) क्या यह सही है, कि उपरोक्त दोहरी व्यवस्था से पक्की पैमाइश में बहुत अनियमिततायें बर्ती गई हैं और गरीब जनता को कानूनी झगड़ों में डाल दिया गया है ? अगर हां तो क्या सरकार पक्की पैमाइश को वापिस दुबारा करा कर उपरोक्त अनियमितताओं का समाधान करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों जब कि जैसलमेर कलेक्टर की भी यही राय है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : इस संबन्ध में सेटलमेन्ट विभाग से सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया।

प्रश्न संख्या २६९

श्री रामप्रसाद बोहरा !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री बीरबल !

खातेदारी भूमि में जंगलात लगाने की योजना

२७०. श्री बीरबल (संगरिया-सु०) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राजस्थान फीडर व राजस्थान नहर के साथ-साथ किसानों की खातेदारी भूमि में जंगलात लगाने की योजना को स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है ? यदि हां, तो कब से ?

(२) राजस्थान फीडर व राजस्थान नहर के साथ-साथ किसानों की खातेदारी भूमि के कितने कितने क्षेत्र में पेड़ लगे हैं और कितना व्यय हुआ है ? दोनों का ब्योरा अलग-अलग बताया जावे।

(३) क्या यह सही है कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि बिना अवाप्त किये नियम विरुद्ध किसानों की खातेदारी भूमि में पेड़ लगाये गये हैं व लगाये जा रहे हैं ? यदि हां तो सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध नियम की अवहेलना करके इतनी धनराशि अपव्यय करने के दोष में क्या कार्यवाही करेगी ?

वन मंत्री (श्री नारायणसिंह मसूदा) : (१) जी नहीं। किसानों की खातेदारी भूमि में जंगलात लगाने की कोई योजना नहीं है। केवल नहर के साथ-साथ मिट्टी खोदे जाने से हुए गड्ढों (बारोपिट्स) की भूमि में वृक्ष लगाने की योजना है। यह १९६५-६६ से चल रही है।

(२) किसानों की खातेदारी भूमि में वृक्ष लगाने की सूचना उक्त क्षेत्र में सर्वे पूर्ण होने पर ही मालूम हो सकेगी। बारोपिट्स में १९६५-६६ से अब तक ६६६ हैक्टर्स में वृक्ष लगाये गये हैं जिन पर ४.५७ लाख रुपया व्यय हुआ है।

(३) वन विभाग द्वारा केवल राजस्थान नहर के किनारों पर राज्य द्वारा अवाप्त की गई भूमि पर स्थिति बारोपिट्स के क्षेत्र में ही वन वृक्षावलि लगाई गई है। अतः

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

खातेदारी की भूमि में वृक्ष लगाने या अधिकारियों द्वारा नियमों की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बीरबल : क्या यह सही है, कि वन विभाग के अधिकारियों द्वारा भूमि बिना अवाप्त किये ही किसानों की खातेदारी भूमि में पेड़ लगाये गये हैं और उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री विजयसिंह : माननीय सदस्य ऐसे बोल रहे हैं ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मटकी में बोल रहे हों।

श्री नारायणसिंह मसूदा : भूमि जो अवाप्त की गई उसका डिमार्केशन वन विभाग द्वारा नहीं हुआ है बोरोपिट्स में वृक्ष लगाने की कार्यवाही की गई है। कुछ में नाजायज कब्जे नजर आये हैं और कुछ में दूसरी प्रकार के कब्जे हैं अभी जो कैनाल को-आर्डिनेशन कमिटी की मीटिंग हुई उसमें यह फेक्ट्स बताये गये हैं। जब कोलोनाइजेशन विभाग की तरफ से सर्वे हो जायगी तब मालूम पड़ सकेगा कि खातेदारी की जमीन आती है या नहीं। बिना डिमार्केशन के ठीक तरह से नहीं कहा जा सकता कि बोरोपिट्स में जहां वृक्ष लगाये गये हैं वह किस तरह की भूमि है। वह अवाप्त शुदा भूमि में बोरोपिट्स में ही पेड़ लगाये गये थे।

श्री बीरबल : क्या यह सही है कि खड़ी फसल को उखाड़ कर वृक्ष लगाये गये हैं ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : इस प्रकार की जानकारी विभाग को नहीं है। अगर इस प्रकार की भूमि वृक्ष लगाने के अन्दर आती है तो उसका मुआवजा दिया जायगा। जब वह बाकायदा सेटलमेन्ट कर दिया जायगा तभी पता चल सकेगा।

श्री बीरबल : पहले रकबा मिलना चाहिये उसके बाद वृक्ष लगाये जाने चाहियें ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : राजस्थान कैनाल जब बन रही थी तब यह भूमि अवाप्त की गई है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि काश्तकारों की भूमि एक्वायर किये बगैर पेड़ नहीं लगाये जा सकते। विभाग की ओर से जबरदस्ती पेड़ लगाये गये हैं बदले में उनको मुआवजा तक नहीं दिया जाता है। इस प्रकार की अन्धेरगर्दी नहीं होनी चाहिये जिनकी जमीन में पेड़ लगाये उनको मुआवजा दिया जाना चाहिये।

श्री नारायणसिंह मसूदा : मैं निवेदन कर चुका हूं इस प्रकार की जमीन का जब सेटलमेन्ट इंगित होगा जरूर मुआवजा दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनको फसल जो उखाड़ी गई तो उसका मुआवजा दिया जायगा ?

श्री नारायणसिंह मसूदा : अगर ऐसा हुआ है तो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री नन्दलाल बैरवा।

ग्राम उतराना की चरागाह भूमि

२७१. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन-सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि ग्राम उतराना, तहसील पाटन, जिला बून्दी के खसरा नं० १०२, १०३, १०४ रकबा १०० बीघा चरागाह है ?

(श्री नन्दलाल बैरवा)

(२) क्या यह सही है कि यह चरागाह भूमि ए० सी० सी० सीमेन्ट कम्पनी को दे दी गई है ?

(३) क्या यह सही है कि यह चरागाह गांव वालों की थी ? यदि हां, तो ए० सी० सी० को देते समय गांव का कोई एतराज था या नहीं ?

(४) यदि गांव की चरागाह ए० सी० सी० को दी गई है तो मवेशियों के चराने की कोई व्यवस्था की गई या नहीं ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी):

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

(४) चरागाह बदस्तूर कायम है ।

श्री नन्दलाल बैरवा : क्या यह सही है मवेशियों को चरागाह पर चराने नहीं दिया जाता है, मवेशी जाते हैं तो उनको बन्द कर दिया जाता है और जुर्माना लिया जाता है ?

श्री गंगाराम चौधरी : यह जमीन खसरा नं० १०२, १०३, १०४ यह भूमि उनकी नहीं है उनका तो कन्वीक्शन भूमि खसरा नंबर १५५२, ५५.५६, १२७५-७६, ६८ और ९७ है ।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा-सु.) : चरागाह की जो भूमि थी उसका परिवर्तन कर लिया गया और उसके बाद आपने दे दी ?

श्री अध्यक्ष : हाइपोथिटिकल ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय मंत्री महोदय ने जो खसरा नम्बर बताये वे सुनाई नहीं दिये, कृपया दुबारा पढ़ दें ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : पंचायतों को गोचर-भूमि सुपुर्द कर दी जाती है फिर उनको बगैर पूछे उसी जमीन को काश्त के लिये अलोट कर देते हैं ?

श्री गंगाराम चौधरी : ऐसा कभी नहीं होता है ।

उसका खसरा नंबर है १५५२, ५५-५६, १२७५, ७६, ६८, ९७ है ।

श्री भैरोंसिंह : इन खसरा नम्बरों की कुल भूमि कितनी है ?

श्री गंगाराम चौधरी : १३ बीघा १२ बिस्वा ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री रामकुमार नन्दवाना ।

बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ द्वारा कर्मचारियों को ओवरटाइम का चुकारा

२७२. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ बिड़ला सीमेन्ट वर्क्स द्वारा पिछले डेढ़ वर्ष से समस्त कर्मचारियों को सिंगल ओवर टाइम का पेमेन्ट किया गया है जिससे श्रमिकों को करीब १ लाख रुपया नहीं मिला है ?

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसके पेमेन्ट की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

(२) क्या यह सही है कि मई, ६७ में यह फैक्टरी चली है तभी से श्रमिक तीनों शिफ्ट में पूरे माह में काम करते हैं जिनको माह में चार दिन का वेतन कम दिया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश से क्यों वंचित रखा जाता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि फैक्ट्री के श्रमिक जो माइन्स में कार्य करते हैं, उन्हें प्रोविडेन्ट फण्ड और बोनस आदि से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि बोनस दिया गया है तो किस साल में कितना ? सालवाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि मजदूरों के वेतन फिक्सेशन में अनुचित अनैतिक नीतियां चल रही हैं ? यदि हां, तो क्यों तथा वेज बोर्ड के निर्णयानुसार अन्तरिम राहत की जो रकम ५.४६ पैसे प्रति माह आम कर्मचारी को दी जानी चाहिये वह क्यों नहीं दी गई है ?

श्रम मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : यह सही नहीं है। जहां तक इस विभाग को ज्ञात है बिरला सीमेन्ट वर्क्स, चित्तौड़गढ़ द्वारा ओवरटाइम का भुगतान पिछले डेढ वर्ष से नियमानुसार किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर महामन्त्री, सीमेन्ट फैक्ट्री, मजदूर संघ, चित्तौड़गढ़ को यह राय दी गई थी कि वे ऐसे श्रमिकों की सूची पेश करें अथवा वेतन अदायगी अधिनियम, १९३६ के तहत क्लेम दायर करें जिन्हें ओवरटाइम नियमानुसार नहीं दिया गया है। संघ द्वारा अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है।

(२) श्रमिक पूरे माह तीनों शिफ्टों में कार्य करते हैं, श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश रोटेशन से दिया जाता है तथा वेतन भी नियमानुसार दिया जाता है।

(३) माइन्स पर कार्य करने वाले श्रमिकों को बोनस दिलाने की जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के श्रम विभाग की है। प्रोविडेन्ट फण्ड एक्ट माइन्स पर कार्य करने वाले श्रमिकों पर १-७-६८ से लागू हुआ है। फैक्ट्री के श्रमिकों को भी अभी तक कोई बोनस नहीं दिया गया। क्योंकि इस फैक्ट्री को चालू हुए ५ साल से कम हुए हैं और इसमें अभी तक कोई मुनाफा नहीं हुआ है।

(४) वेतन फिक्सेशन आदि के संबन्ध में दोनों पक्षों में समझौता हो चुका है। यह सही नहीं है कि अन्तरिम राहत ५.४६ का भुगतान नियोजक द्वारा नहीं किया गया है। नियोजक ने मई ६७ से ५.४६ का ७५ प्रतिशत नई संस्थान होने के कारण मंहगाई भत्ता जोड़कर चुकारा करना शुरू कर दिया है और जब इस कार्यालय को सूचना मिली कि राहत का शत-प्रतिशत चुकारा किया जाना अनिवार्य है तो बकाया २५ प्रतिशत का एरियर का भुगतान मई, ६७ से मार्च, ६८ तक का भी चुकारा किया।

श्री रामकुमार नन्दवाना : प्रश्न के भाग (२) का आपने बतलाया महीनों में साप्ताहिक घंटों के पैसे दिये गये है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह सही नहीं है। साप्ताहिक अवकाश का वेतन नहीं दिया जाता

Page No. 12

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
है खास तौर से सीमेन्ट फैक्टरी में नहीं दिया जाता है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय सदस्य को समझना चाहिये महीने में २६ दिन काम होता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फैक्टरीज एक्ट के अन्तर्गत ओवरटाइम का डबल न देने पर जुर्म है?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जुर्म है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तो फैक्टरी के व्यवस्थापकों के खिलाफ इस जुर्म के खिलाफ मुकदमा क्यों नही चलाया गया?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यूनियन को यह सलाह दे दी गई थी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कि ओवरटाइम नहीं दिया गया है।

बोरावड़ पंचायत का ऑडिट

२७३. **श्री विजयसिंह (मकराना) :** क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत बोरावड़, पंचायत समिति मकराना, जिला नागौर का आज दिन तक ऑडिट हुआ है? अगर हां, तो किन-किन तारीखों पर? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

(२) क्या सरपंच बोरावड़ को अयोग्य घोषित करने की कोई कार्यवाही राज्य सरकार के समक्ष है? अगर हां, तो सरकार ने आज दिन तक क्या कदम उठाया है?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्रीमती प्रभा-मिश्रा) : (१) ऑडिट निम्न तारीखों में हुआ:—

लेखे का वर्ष	ऑडिट को तारीख
१९५६-५७ १९५८-५९ १९५९-६०	२३-३-६१
१९६०-६१	१८-३-६२
१९६४-६५	२८-११-६५
१९६१-६२ १९६२-६३ १९६३-६४ १९६५-६६ १९६६-६७	ऑडिट नहीं हुआ।

(२) सरपंच बोरावड़ का पद राज्य सरकार द्वारा श्री भंवरलाल को हटा कर दिनांक १-१२-६५ को रिक्त घोषित कर दिया गया। यह आदेश उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गये।

श्री विजयसिंह : जो पहले ऑडिट हुआ उसके अन्दर श्री भंवरलाल के बारे में क्या बताया गया, क्या वह संक्षेप में बता सकते हैं?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऑडिट रिपोर्ट तो मेरे पास है नहीं इस वक्त।

श्री विजयसिंह : क्या ऑडिट रिपोर्ट सदन के समक्ष रखी जायगी?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट!

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : किस आरोप में उनको अयोग्य घोषित किया गया था?

श्री परसराम मदेरणा : राज्य सेवा में रहते हुए रेजिग्नेशन नहीं दिया और इलेक्शन लड़े इसलिये उनको अयोग्य घोषित किया गया था, क्योंकि राज्य सेवा में रहते हुए चुनाव लड़ना यह गैर कानूनी है। इस चार्ज पर वे रिमूव किये गये।

श्री भैरोंसिंह : क्या उनको राज्य सेवा से बरखास्त नहीं किया गया ?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने एक रिट पिटीशन हाई कोर्ट में दी और हाई कोर्ट ने यह फैसला किया कि उनका जो इस्तिफा था वो राज्य सरकार ने कंडीशनल स्वीकार किया था और वह कंडीशन यह थी कि यदि उनके खिलाफ कोई सरकारी रकम बकाया निकलती होगी तो उनका इस्तिफा स्वीकार नहीं माना जायेगा। अब क्योंकि उनके खिलाफ कोई रकम बकाया नहीं थी, इसलिये ऐसी किसी कंडीशन को नहीं रखा जा सकता था। इसलिये हाई कोर्ट ने उनके इस्तिफे को मान लिया और उनको री-इन-स्टेट कर दिया।

श्री भैरोंसिंह : इस वक्त उनकी क्या पोजीशन है ?

श्री परसराम मदेरणा : उन्होंने इस्तिफा दे दिया।

श्री भैरोंसिंह : आज कहां है ?

श्री परसराम मदेरणा : अब राज्य सेवा में नहीं है।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि वह पुलिस का हिस्टरी शीटर है और राज्य सरकार के पास कलेक्टर द्वारा भी सिफारिश भेजी गई थी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिये ? क्या यह सही है कि उनके खिलाफ एस. डी. एम. कोर्ट, मुन्सफी कोर्ट और सेशन्स कोर्ट के अन्दर दफा ३२३, ३२४, ३२५, १४७ और १४८ के तहत बीसों मुकदमे दर्ज हैं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, उनके लिये बदमाशी करना कहूं, चोरी करना कहूं तो....

श्री अध्यक्ष : तो अच्छा नहीं लगेगा।

श्री विजयसिंह : ऐसे आदमी को, ऐसे प्रगतिशील आदमी को हटाने के लिये कलेक्टर महोदय ने लिखा, उनकी ज्यादतियां हद से ज्यादा हो गई थी, दो साल पहले पंचायत मन्त्री महोदय के समक्ष सिफारिश की गई कि इनको हटाया जाये लेकिन आपके मित्र श्री मथुरादास माथुर के दबाव की वजह से कुछ नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, नैक्स्ट।

श्री भैरोंसिंह : यह जो पिछले चार साल का अभी तक ऑडिट नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री परसराम मदेरणा : ऑडिट तो पंचायत समिति के हेड क्वार्टर्स पर होता है और सरपंच को वहां जाकर ऑडिट करवाना पड़ता है, दी हुई तारीख पर। अब यह सूचना मेरे पास नहीं है कि ऑडिट वालों ने कोई उनको तारीख दी या नहीं, और दी तो उस दिन सरपंच वहां पहुँचा या नहीं या ऑडिट वाले खुद वहां पर मिले या नहीं। यह सारी जानकारी इस वक्त मेरे पास नहीं है। लेकिन ऑडिट के जो भी ऐतराजात होते हैं उन पर एक्शन कलेक्टर लेता है,

Page No. 14

(श्री परसराम मदेरणा)

राज्य सरकार नहीं लेती। कलेक्टर ही कार्यवाही करता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत समय पर ऑडिट नहीं करवाई जाय तो सरपंच के विरुद्ध ऐक्शन लेना पड़ता है और कार्यवाही करनी पड़ती है ?

श्री परसराम मदेरणा : जैसा कि मैंने निवेदन किया, यह जानकारी मेरे पास नहीं है कि उन्होंने ऑडिट करवाया या नहीं, या ऑडिट पार्टी वहां पहुंची या नहीं। अगर ऑडिट पार्टी पहुंची है और उन्होंने ऑडिट करवाने में टालमटोल किया है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी।

श्री विजयसिंह : क्या यह सही है कि श्री भंवरलाल ने एक भी मीटिंग नहीं बुलवाई और जो पंच उनके खिलाफ वोट करते हैं उनसे वह एक दिन में बीस-बीस रुपये जुर्माना वसूल करता है ? मेरे पास उनकी दी हुई रसीदें हैं।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री जयनारायण सालोदिया !

गांव चांदराना में बांध का सर्वे

२७४. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गांव चांदराना, तहसील दौसा, जिला जयपुर में बांध बांधने के लिये सर्वे किया गया था ? यदि हां, तो कब और सर्वे कार्य में कुल कितना खर्चा हुआ था ? क्या डाकवेल काट कर मुटाम भी बना दिये थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस बांध के खर्चे का एस्टीमेट बना दिया था और रकम भी मन्जूर हो गई थी जो बाद में लेप्स हो गई ? यदि हां, तो एस्टीमेट कितने का बना था और रकम कितनी कब मंजूर की गई थी और वह लेप्स क्यों हो गई ?

(३) इस बांध के निर्माण में कितने बीघो में सिंचाई होने का अनुमान था ? अब इस बांध का निर्माण कार्य कब से शुरू होने की सम्भावना है ?

राज्य मंत्री, सिंचाई (श्री मनफूलसिंह) : (१) जी हां, इसकी सर्वे १९६४-६५ में हुई थी एवं सर्वे कार्य मे कुल ९९६४.४४ रुपये का खर्च हुआ था। सर्वेक्षण के समय डाकवेल काट कर मुटाम बनाये गये थे।

(२) जी नहीं।

(३) करीब १००० बीघा सिंचित होने का अनुमान है। इस योजना की तकनीकी दृष्टि से जांच-पड़ताल की जा रही है। अभी निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि निर्माण कार्य कब से शुरू होगा।

श्री जयनारायण सालोदिया : अब तक आप क्या कर रहे थे ? १९६४ में जांच करवाई, अब तक क्या कर रहे थे ? या तो हां कहिये या ना कहिये।

श्री मनफूलसिंह : सर्वे हो चुका है, एस्टीमेट बनने के लिये विचाराधीन है। जब अर्थ व्यवस्था हो जायेगी, और टेक्नीकल दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से यह योजना सफल समझी जायेगी तो उस पर काम शुरू होगा।

Page No. 15

श्री जयनारायण सालोदिया : यह जो आपने १९६४ में सर्वे करवाया, क्या उससे मालूम नहीं हुआ कि आर्थिक दृष्टि से सही है या नहीं ?

श्री मनफूलसिंह : यह जरूरी नहीं है कि काम एक दम हाथ में लिया जाये। जहां कोई बांध बनवाना होता है वहां सर्वे हो जाता है, उसके बाद दो-तीन साल लग जाते हैं। सर्वे के एक दम बाद काम शुरू हो यह जरूरी नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा सु०) : इस बांध का बजट एस्टीमेट कितने का बनाया था ?

श्री जयनारायण सालोदिया : कितनी लागत लगनी थी ?

श्री मनफूलसिंह : इसकी लागत १५ लाख ८० हजार थी।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या यह सही है कि १५ लाख की राशि इसके लिये स्वीकृत हो चुकी थी ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, नैक्स्ट।

(प्रश्न संख्या २७५)

श्री जुझारसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस बांध के लिये......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, दूसरा प्रश्न लिया गया।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या यह सही है......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि बांध के बारे में....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न और हैं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : सप्लीमेंटरी पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर !

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री डूंगाराम राजोरिया : मुझे एक सप्लीमेंटरी की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या २७६।

श्री डूंगाराम राजोरिया : एक सप्लीमेंटरी की इजाजत दीजिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, दूसरा सवाल ले लिया गया है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय,

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य, मेरी समझ में नहीं आता.....

Page No. 16

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या उस जमीन.... ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : जमीन पर....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकरलाल।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि जब तक कोई....

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया : प्रश्न तो यह है.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य।

(प्रश्न संख्या २७६)

श्री शंकरलाल !

राजस्व मंत्री !

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने प्रश्न संख्या २६३ के उतर में कहा है...

श्री परसराम मदेरणा :(पंचायत मंत्री) : मेम्बर इज एब्सेंट सर।

श्री अध्यक्ष : मेम्बर ऐब्सेंट है।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

मेडिकल कॉलेज, उदयपुर की सीमा में धर्मशाला

२७७. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवा महल, जयपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर मेडिकल कालेज के अहाते में जो धर्मशाला है, उसका निर्माण किसने और कब किया ?

(२) उक्त धर्मशाला में कितनी दुकानों पर किराएदार हैं और कब से हैं तथा क्या क्या किराये पर हैं ?

(३) यह किराये की रकम कौन वसूल करता है और इस धर्मशाला की व्यवस्था किसके हाथ में है ? इसका मालिक कौन है तथा टूट-फूट आदि की मरम्मत कराने का उत्तरदायित्व किस पर है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): (१) उदयपुर सामान्य चिकित्सालय के अहाते में जो धर्मशाला है उसका निर्माण स्वर्गीय सेठ श्री रामेश्वरलालजी सहारिया द्वारा किया गया जिसका कार्य सन् १९६३ में पूर्ण हुआ।

(२) उक्त धर्मशाला में ४ दुकानें हैं वे अभी भी किसी को किराये पर नहीं दे रखी हैं। शेष प्रश्न नहीं उठता।

(३) दुकानों का किराया वसूल करने का प्रश्न नहीं उठता। धर्मशाला का मालिक अभी तक कोई नहीं है तथा इसकी टूट-फूट की मरम्मत नहीं होती है। इस विषय में स्थानीय सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा गया जो इसकी मरम्मत आदि करने में असमर्थता प्रकट करते हैं क्योंकि स्वर्गीय सेठ रामेश्वरलालजी की धर्मपत्नी ने अभी तक

(श्रीमती सुमित्रा)

गिफ्ट डीड सरकार को लिख कर नहीं दिया जिसके लिये उन्हें बार-बार स्मरण-पत्र दिये जा रहे हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : क्या यह सच है, कि इस धर्मशाला का निर्माण जब हुआ तो राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं ली गई ?

श्रीमती सुमित्रा : जी नहीं, यह अलग से प्रश्न है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : वर्तमान में इस धर्मशाला में मरीजों वगैरह के रहने की व्यवस्था किस प्रकार से की जाती है ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : मरीजों की व्यवस्था नहीं होती, अटेन्डेन्ट्स आते हैं वे ठहर जाते है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अटेन्डेन्ट्स की व्यवस्था कौन करता है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : वे वहां से सर्टीफिकेट लेकर रह जाते हैं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : इसके नीचे कुल कितनी दुकानें हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : चार।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : कौन-कौन किरायेदार हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : किरायेदार कोई नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह बात सही है, मैंने देखा है और आप भी मानते हैं, कि इसमें चार दुकानें बनी हुई हैं और उनमें वर्तमान में भी किरायेदार रह रहे हैं पर किसी से एक पैसा किराये का वसूल नहीं किया जाता ? मौके पर जाने से मालूम होगा कि उनमें दवाइयों की दुकानें लगी हुई हैं। मन्त्री सदन के प्रांगण पर इन्कार कर रहे हैं। पर क्या इनके लिये उनकी आत्मा गवाही दे रही है ? मेडीकल हॉस्पीटल कम्पाउन्ड में धर्मशाला बनी है। लाखों रुपया लगा कर सेठ ने धर्मशाला बनाई है। आप उसकी टूट-फूट की व्यवस्था नहीं कर सकते। किराया वसूल नहीं कर चार-छः सालों से किरायेदार रह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या किरायेदार रहते हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक हमारी सूचना है किरायेदार नहीं रहते न किराया वसूल होता है। इसके अन्दर कई कमरे हैं वे एक रुपया रोज के हिसाब से अस्पताल में देकर रह जाते हैं और वह किराया सरकार में जमा हो जाता है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अब तो मेडिकल स्टोर्स उसमें खुले हुए हैं और वे बराबर चल रहे हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, सहकारी समिति बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग ही वह चलाती, पर किराया देते है या नहीं इसकी सूचना हमारे पास नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : समिति को कब्जा उन दुकानों का किसने दिया ? यह मामूली प्रश्न नहीं है। बड़ा अहम सवाल है।

श्री अध्यक्ष : इसकी छान-बीन कर लेंगे मन्त्री महोदय।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्न देने का मतलब तो यह नहीं होता कि जैसा-तैसा टालमटोल जवाब दे दें। सरकार को

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

जानकारी करनी चाहिये और प्रश्नों का ठीक तरह से निराकरण करना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद ही देख कर आया हूं उस धर्मशाला को। हमने सहकारियाजी की पत्नी को लिखा है। अभी यह सरकारी प्रोपर्टी नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : जब कभी इन्फोर्मेशन आपके पास डिटेल में आये तो आपको सूचना दे दें। आपसे सम्पर्क कर लें।

श्री भैरोंसिंह : कहां आपके चेम्बर में ?

श्री अध्यक्ष : बाहर भी कर सकते हैं। नैक्स्ट।

(प्रश्न संख्या २७८)

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा !

उप-मन्त्री (श्री बृजप्रकाश गोयल) : इस सम्बन्ध में जानकारी नहीं प्राप्त हो सकी है। फिर सदस्य महोदय भी हाजिर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : सदस्य नहीं हैं ?

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

नैक्स्ट श्री पृथ्वीसिंह !

पंचायत समिति, सुमेरपुर के गोदाम में बीज की चोरी

२७९. **श्री पृथ्वीसिंह (बाली)** : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति, सुमेरपुर के गोदाम में जो १७१ बोरी बीज की चोरी हुई थी, उसकी जांच करने हेतु पंचायत समिति ने कभी समिति के सदस्यों की जांच कमेटी बनाई थी ?

(२) अगर हां, तो जांच कमेटी के सदस्य कौन-कौन थे और जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट किस तारीख को पेश की ? कृपया जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) पंचायत समिति ने जांच कमेटी की रिपोर्ट पर एवं उसमें दिये गये सुझावों के आधार पर आज दिन तक क्या कार्यवाही की।

(४) अगर कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों और अब कब तक क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

उप-मन्त्री पंचायत (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) जी हां।

(२) जांच समिति में पंचायत समिति के तीन सदस्य सर्व श्री चूनाराम, सुखराज तथा ग्रामकरण थे। समिति ने अपना प्रतिवेदन ३-९-९७ को पेश किया।

(३) जांच प्रतिवेदन पर पंचायत समिति के निर्णय के अनुसार विकास अधिकारी व अन्य अधिकारीगण दोषी पाये गये। अधिकारियों से नुकसान की पूर्ति कराने के लिये राज्य सरकार को लिखा और ग्राम सेवक को निलम्बित कर दिया।

(४) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री पृथ्वीसिंह : अध्यक्ष महोदय, जांच कमेटी की रिपोर्ट मांगी है उसकी प्रति सदन की मेज पर नहीं रखी, इसका क्या कारण है ?

पंचायत मन्त्री (श्री परसराम मदेरणा): इन्टरनल मामले हैं इनकी जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखना उचित नहीं समझते, इसलिये रखी नहीं जा सकती।

श्री पृथ्वीसिंह : ए. ई. ओ., विकास अधिकारी, चौकीदार और स्टोर कीपर चार को दोषी पाया है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : मैंने उत्तर में बताया है। अन्य अधिकारियों में सब अधिकारी आ गये हैं।

श्री पृथ्वीसिंह : जिन अधिकारियों को दोषी पाया गया उनसे रिकवरी के लिये तो लिख दिया गया। पर राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की ? स्पष्ट बताइये रिकवरी की जावेगी कि नहीं और दोषी अधिकारियों को दण्ड दिया जावेगा कि नहीं ?

श्री परसराम मदेरणा : ऐसा अधिकारी अगर अपनी ड्यूटी के परफोर्मेन्स में गलती करता है तो जिलाधीश सक्षम हैं और इसलिये हमने उनको लिखा है कि वहां कार्यवाही की जा सकती है कलेक्टर सक्षम है।

श्री पृथ्वीसिंह : जिलाधीश ने क्या कार्यवाही की ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना राज्य सरकार के पास नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : सूचना चाही गई तब आपको देनी चाहिये ना ?

श्री परसराम मदेरणा : यह सूचना आपने नहीं मांगी है। जांच के बाद में आगे की कार्यवाही का प्रश्न है तो यह तो आप एनविसेज कर सकते थे।

श्री पृथ्वीसिंह : मैंने अपने प्रश्न में स्पष्ट पूछा है कि अगर कोई कार्यवाही नहीं की तो क्यों और अब कब तक क्या कार्यवाही करने का इरादा है ?

श्री अध्यक्ष : जिलाधीश को कार्यवाही करने को लिखा है।

श्री पृथ्वीसिंह : जिलाधीश ने अब तक क्या किया है ?

श्री परसराम मदेरणा : जांच कमेटी की जांच रिपोर्ट पर राज्य सरकार का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही करने के लिये कलेक्टर स्वयं सक्षम है और राज्य सरकार ने विकास अधिकारी को कहा है कि कलेक्टर से सम्पर्क स्थापित करें। वे कार्यवाही करेंगे।

श्री पृथ्वीसिंह : राज्य सरकार के कर्मचारी सक्षम हैं तो पंचायत समिति को कार्यवाही क्यों सौंपी गई ?

श्री अध्यक्ष : यह अलग से प्रश्न है।

स्थगित प्रश्न, श्री ललितसिंह !

श्री विजयसिंह (मकराना) : जब तक राज्य सरकार इस पर कार्यवाही करेगी तब तक हमारे मंत्री महोदय १७२ बोरी अरोग जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ! श्री नत्थीसिंह !

श्री विजयसिंह : डंडा कुत्ता मारे नहीं, बिल्ली चूहा खावे नहीं। यह क्या पॉलिसी है राज्य सरकार की ?

श्री पृथ्वीसिंह : विकास अधिकारी को ही कहा जावे कि जिलाधीश के यहां काम करवाये

Page No. 20

(श्री पृथ्वीसिंह)

यह कैसे सम्भव है ? राज्य सरकार को निर्णय करना चाहिये था। यह तो दोषी को ही कहा जा रहा है कि वह खुद को ही दण्ड दे।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार सदस्य की भावनाओं को समझे।

श्री परसराम मदेरणा : पंचायत समिति ऑटोनोमस बॉडी है। कलेक्टर के साथ सम्पर्क स्थापित करके कार्यवाही करानी चाहिये।

श्री पृथ्वीसिंह : उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! ऑर्डर !

श्री पृथ्वीसिंह : राजस्थान सरकार को लिखना........

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री पृथ्वीसिंह : विकास अधिकारी होने के नाते वह कैसे कहेगा कि मेरे खिलाफ जांच की जाय.......

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट स्थगित प्रश्न।

प्रश्न संख्या ८

श्री ललितसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ९

श्री नत्थीसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल !

प्रश्न संख्या १४ ।

स्थगित प्रश्न

(२७-८-६८)

निलम्बित डॉक्टर की नियुक्ति

१८. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि डॉ. टी. पी. भारद्वाज जो इस समय प्रोफेसर पैथोलोजी के पद पर सरदार पटेल मेडिकल कालेज, बीकानेर में कार्य कर रहे हैं एक फौजदारी के केस में मुल्जिम हैं और उसके कारण इस पुनः नियुक्ति से पूर्व निलम्बित थे ?

(२) क्या यह सही है कि सरकार ने अपनी आज्ञा संख्या एफ. १ (३७)एपॉ. ए iv ६४, दिनांक ३-३-१९६६ द्वारा यह आदेश दिया था कि जब तक उनके खिलाफ कोर्ट में केस चलेगा तब तक वह निलम्बित रहेंगे ?

(३) क्या यह सही है कि डॉ० टी० पी० भारद्वाज के खिलाफ अभी तक वह फौजदारी केस चल रहा है ? यदि हां, तो उसको पुनः नियुक्त करने के क्या कारण हैं ?

(४) क्या यह सही है कि सरकार डॉ० भारद्वाज के खिलाफ चल रहे फौजदारी मुकदमें को भी वापिस ले रही है ?

राज्य मंत्री चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा): **(१)** जी हां, डॉ० टी०पी० भारद्वाज, प्रोफेसर पैथोलोजी को उनके...

श्री रामानन्द अग्रवाल : सुनाई नहीं दिया साहब।

श्री अध्यक्ष : ऊंचे स्वर से बोलें।

श्रीमती सुमित्रा : आप ध्यान से सुनिये।

श्री अध्यक्ष : फिर से पढ़ दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : (१) जी हां। डॉ० टी.पी. भारद्वाज, प्रोफेसर पैथोलोजी को उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु, जब वे सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज, जयपुर में थे, राज्य सरकार द्वारा निलम्बित किये गये थे न कि फौजदारी केस में।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। वे पुनः प्रस्थापित किये गये हैं न कि पुनः नियुक्त।

(४) यह केस राज्य सरकार द्वारा वापिस ले लिया गया है।

(विराम)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि डॉ० टी० पी० भारद्वाज वास्तव में शुरू में अपॉइन्ट हुये, वह दरअसल बम्बई कॉर्पोरेशन के डिसमिस्ड सर्वेन्ट थे ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : अलग से प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्रीमती सुमित्रा : यह सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फौजदारी केस चल रहा था इसको वापिस लेने का क्या कारण है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह मामूली सा केस है। पढ़ाई में विद्वान हैं। दूसरे स्टाफ में काफी आपस में रंजिश बढ़ गई थी इसलिये वातावरण को ठीक करने के लिये यह किया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि दूसरे केस में इस डॉक्टर के खिलाफ स्पेंसर माइक्रोफोन मशीन आदि के उड़ाने का केस है और उसमें एन्क्वायरी चल रही है ? फाइल देखते हुए फाइल में से एक कागज उड़ाने पर उसको निगल गये—मुंह में लेकर चबा गये। उनकी अंगुली काट ली। ३८० चोरी का केस और अंगुली काटने का यह केस चलाया गया था ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है माइक्रोफोन की मरम्मत के सिलसिले में था। उसको बिना मंजूरी के मरम्मत करा ली थी और इसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया था। माइक्रोफोन की मरम्मत के बहुत थोड़े पैसे होते थे। फाइल में से कागज खा लिया था यह ठीक है। थोड़ी मरम्मत का केस था काफी अर्सा हो गया था केस चलते हुये इसलिये छोड़ दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कॉलेज के प्रिन्सिपल ने अपनी शिकायत पुलिस को भेजी थी और उन्होंने कहा था कि यह सीरियस केस है। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक केस का ताल्लुक है प्रिन्सिपल ने केस की रिपोर्ट पुलिस में की थी। केस चला जब डॉ० भारद्वाज ने अपना रिप्रजेन्टेशन किया तो रिप्रजेन्टेशन को गवर्नमेंट ने महसूस किया

(श्री बृजसुन्दर शर्मा)

कि छोटा सा मामला है माइक्रोफोन की मरम्मत का। विद्वेष भाव के कारण हुआ था। इसलिये वातावरण को ठीक करने के लिये किया गया था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : } अध्यक्ष
श्री दौलतरामसारण : } महोदय....

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इसी डॉ० को दो और मामलों में गलत टी० ए० बिल बना कर और दो दफा मेडिकल रिइम्बर्समेंट लेने के कारण सरकार ने सजा दी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक मेडिकल रिइम्बर्समेन्ट का सवाल है, मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है। टी० ए० बिल के बारे में जरूर यह मामला था।

श्री रामानन्द अग्रवाल : फाइल के अन्दर मौजूद है ७-९-६५ को सजा हुई है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : आपके प्रश्न के बाद मैंने भी स्टडी किया है। इसमें मेडिकल रिइम्बर्समेंट की बात नहीं आती। टी० ए० बिल की जरूर बात आती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि इन्हीं डॉ० साहब ने अपने ओरीजनल अपॉइन्टमेंट को केन्सील किया है कि वे डिसमिस्ड हैन्ड है फिर आते हो माइक्रोफोन मशीन तोड़ डाली और फिर डबल रिइम्बर्समेंट किया और फिर गलत टी० ए० बिल बनाया और इनको सजा हुई। फिर ये सस्पेन्ड हुये और कागज चुराया, उसमें ३८० का केस चला। इन तमाम केसेज के बावजूद भी गवर्नमेंट उनको वापिस नौकरी में रखती है। अध्यक्ष महोदय, चोरी का गम्भीर आरोप और जिनके खिलाफ चोरी का इल्जाम हो और फिर केस को विथड्रा करते हैं और आप स्टूडेन्ट्स से डिसिप्लीन की उम्मीद करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस केस को वापिस लेने का क्या आधार है ? क्या कलेक्टर को मूव किया है जो नियम हैं आपके पास –

श्री बृजसुन्दर शर्मा : एस० पी० और कलेक्टर को रिपोर्ट दी थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन्होंने क्या मूव किया है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : उन्होंने कहा है कि यह छोटा सा मामला है। स्टाफ में काफी गड़बड़ी हो गई है और आपस में रंजिश है इसलिये इसको वापिस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री सालोदिया !

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : यह डॉक्टर गवर्नमेन्ट की नौकरी करने लायक हो अब हुआ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस डॉक्टर ने माइक्रोफोन की मशीन तोड़ी तो बड़ी मुश्किल से उसको सस्पेन्ड किया और उसके बाद दो केसेज में सजा हुई। फिर इनको दुबारा सस्पेन्ड किया और गवर्नमेन्ट ने यह निर्णय किया है कि ये दुबारा लगाये नहीं जायेंगे लेकिन उस निर्णय के बावजूद, क्रिमिनल केस होने के बाद भी इनको बीकानेर में लगा दिया और लगाने के बाद केस विथड्रा कर लिये।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर प्लीज !

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय मैं कहता हूं कि ऐसे आदमी की क्या सेक्रिटि रही – उसको गवर्नमेन्ट सर्विस में लेने की लेकिन आपके अजीज हैं वह चाहे चोरी कर लें, कितने ही बदमाश क्यों न हों उनको वापिस लगा दें ...

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री सालोदिया !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये जायें तो उनको वापिस नहीं लिया जाय। यह गंभीर मामला है।

(अश्रव्य, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने दूसरा प्रश्न ले लिया है। श्री सालोदिया !

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह शिकायत है कि ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमण्डल में क्यों नहीं शामिल किया गया ? योग्यता तो उस बात की बन चुकी है।

राजवी श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, एक बार जिस व्यक्ति को डिसमिस कर दिया जाता है तो कौनसा कायदा है उसको वापिस लेने का ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री जयनारायण सालोदिया !

स्थगित प्रश्न

(१०-८-६८)

अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड

११४. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि टोंक जिले के शिक्षा निरीक्षक ने शिक्षा विभाग के अधीन काम कर रहे अध्यापकों को ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड दिनांक १-१-६० को और दिनांक १-३-६० को दे दी जो ट्रेन्ड मैट्रिक थे ? यदि हां, तो फिर पंचायत समितियों के अधीन ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों को क्यों नहीं दी गई ?

(२) क्या यह सच है कि उप-निदेशक, शिक्षा, बीकानेर ने पंचायत समितियों से ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों की लिस्टें १-६-५६ से पूर्व मांगी थीं जो पंचायत समितियों ने भेज दीं फिर भी आज तक कार्यवाही नहीं होने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सच है कि वाजिब ग्रेड नहीं दिये जाने से पंचायत समिति के अध्यापकों को हर माह १५ रु० का नुकसान होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अध्यापकों को भी शिक्षा विभाग के अध्यापकों की भांति दिनांक १-१-६० से ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध शिक्षा विभाग से है, इसलिये शिक्षा विभाग को ट्रान्सफर कर दिया है।

श्री जयनारायण सलोदिया : पहले किस आधार पर स्थगित कराया था ? उसी दिन शिक्षा विभाग के पास भेज देते ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री दुर्गालाल बाड़दार (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक निर्णय यह भी कर दीजिये कि स्थगित प्रश्न को कब तक स्थगित किया जा सकता है ताकि हमें भी सहूलियत हो जाय और मंत्री महोदय को भी सहूलियत हो जाय । जवाब नहीं देना है, नहीं दें ।

(प्रश्न संख्या १२६)

श्री अध्यक्ष : श्री शिवनाथसिंह !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री दौलतराम आगरी !

प्रश्न संख्या १३२ ।

(स्थगित प्रश्न २-९-६८)

रायपुर जिला पाली में सैनिकों के भूमि आवंटन के लिये प्रार्थना-पत्र

१३२. श्री दौलतराम आगरी (देसूरी):— क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) रायपुर जिला पाली में कुल कितने सैनिकों के भूमि आवंटित करने के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं ?

(२) क्या यह सही है कि एक बार इस बाबत कार्यवाही करने हेतु दिनांक १०-१-६८ को सभा बुलाई गई थी एवं सदस्यगण उपस्थित होने की दशा में भी सभा स्थगित कर आगे रखी गई एवं आगे रखने के बावजूद भी निश्चित तारीख पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, गृह (श्री खेतसिंह) : (१) तहसील रायपुर, जिला पाली में अब केवल ४ पत्र विचाराधीन हैं ।

(२) दिनांक १०-१-६८ को तहसील सलाहकार भूमि आवंटन समिति की सभा बुलाई गई थी ।

परन्तु यह बात सही नहीं है कि सदस्यगण उपस्थित होने की दशा में भी सभा स्थगित की गई । सैनिकों को प्रस्तावित भूमि का निरूपण कर आवंटन के लिये नियमानुसार कार्यवाही के निर्णय लेकर सभा ११-१-६८ के लिये स्थगित की गई ।

दिनांक ११-१-६८ को सलाहकार समिति के केवल ६ सदस्य उपस्थित होने एवं अधिक सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सभा २४-१-६८ के लिये रखी गई । २४-१-६८ को नियमानुसार आवंटन की कार्यवाही की गई और ३३ प्रार्थियों को भूमि आवंटित की गई ।

(१२.०० मध्यान्ह)

श्री दौलतराम आगरी : क्या यह सही है कि १०-१-६८ को सभा बुलाई गई थी और उसमें सदस्य सब उपस्थित थे ?

श्री खेतसिंह : यह प्रश्न के जवाब में निवेदन किया है कि १०-१-६८ को सभा बुलाई गई और उसमें सदस्य उपस्थित थे और यह तय किया गया कि मौके पर जा कर जमीन का निरीक्षण कर लें ताकि ऐसा नहीं हो कि टंटे की जमीन हो, गोचर हो ताकि आवंटन करने के बाद में उनको परेशानी न रहे ।

श्री दौलतराम आगरी : क्या यह सही है कि वह रेकर्ड में दर्ज नहीं थी ?

श्री खेतसिंह : आप वापिस कहें, सुना नहीं।

श्री विजयसिंह (मकराना) : क्या यह सही है कि मौके के बारे में जो हालत थी वह उनके समक्ष नहीं थी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री दौलतराम आगरी : क्या यह सही है कि रेकर्ड में दर्ज नहीं थी ?

श्री खेतसिंह : बोले क्या सुनाई नहीं दिया कुछ।

श्री दौलतराम आगरी : यह रेकर्ड में दर्ज नहीं था क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह मौका जो देखा गया यह रेकर्ड में दर्ज है या नहीं ?

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : जो रेकर्ड में होता है उसका मौका देखने से क्या मतलब है ?

श्री अध्यक्ष : मैं बड़ा कृतज्ञ हूं, बहुत आदर कर रहे हैं आसन का।

श्री खेतसिंह : पहला प्रश्न आपका था उसके लिए निवेदन है कि १०-१-६८ को उस जमीन पर गये थे जो जमीन मिवाय चक है और काबिल काश्त है जो आवंटन की जा सकती थी। उसके अन्दर सरपंच गया और सब मौके पर गये थे और उन्होंने जमीन देखी और क्योंकि समय बहुत हो गया था इसलिए मीटिंग को स्थगित करना था, दूसरे रोज कोरम नहीं था और उसके बाद २४ तारीख को कोरम हुआ और मीटिंग हुई उसके अनुसार चार के प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री भैरोंसिंह शेखावत !

स्थगित प्रश्न

(२-९-६८)

भारत पाक-संघर्ष में पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की भूमि

१३५. **श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर)**: क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) भारत-पाक संघर्ष के समय व उसके पश्चात् पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों की किस-किस तहसील में कितनी-कितनी भूमि सरकार के अधिकार में कब-कब आई है ?

(२) इस भूमि में से कितनी भूमि का कब-कब आवंटन किया गया है ?

(३) शेष भूमि में काश्त के संबंध में क्या व्यवस्था की गई है ?

(४) कितने व्यक्तियों ने जिनकी भूमि उनके पाकिस्तान में चले जाने के कारण संबंधित तहसीलों के अधिकार में आ गई थी, तहसीलों तथा एस० डी० ओ० के यहां उस भूमि पर पुन: अधिकार प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र दिये हैं ?

(५) यह आवेदन-पत्र कितनी भूमि के लिये और कब-कब दिये गये और उन पर किस-किस विभाग या अदालत से क्या-क्या निर्णय हुए और इस प्रकार कितनी भूमि वापिस लौटा दी गई ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिए इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री भैरोंसिंह : जितनी सूचना प्राप्त हो गई उतनी ही दिला दी जाये अध्यक्ष महोदय, और बाकी का प्रश्न स्थगित कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : इसका अर्थ यह है कि स्थगित तो होगा ही।

श्री भैरोंसिंह : इनके पास और तो सारी सूचना उपलब्ध हो चुकी है केवल दो-तीन तहसीलों की बाकी है जो दिला दी जाये।

राजस्व मंत्री (श्री रामकिशोर व्यास) : नैक्स्ट टर्न पर दे देंगे, दो-तीन तहसीलें नहीं हैं, ज्यादा तहसीलें हैं, जिनकी इत्तला अभी नहीं आई है।

श्री अध्यक्ष : मेरा खयाल है कि प्रश्न स्थगित किया जाये क्योंकि अधूरी जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, आपसे इतना निवेदन है कि उधर देखकर उनको आप प्रोवोक कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं पहली मर्तबा जो माननीय सदस्य का सहयोग है उसको निगाह में ला रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रकार का सहयोग आपको बहुत लाभदायक है।

श्री अध्यक्ष : लाभदायक तो है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इसी सेशन में तो उत्तर मिल जायगा या नहीं इसके लिये तो कह दें ?

श्री रामकिशोर व्यास : यदि सूचना आई तो जरूर मिल जायेगा।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा चार्ज है कि गवर्नमेन्ट मेरे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहती है। मैंने पिछली बार भी यह प्रश्न दिया था और पोसपोन हुआ था। सरकार बार-बार इसको पोसपोन कराती है और आज भी वही स्थिति है। मैंने १॥ महीने से यह प्रश्न दे रखा था। अध्यक्ष महोदय, आप मेरी तरफ देखें तो ज्यादा अच्छा हो। आप उनकी मदद लेना चाहते हैं वह मिल जायेगी। तो मैंने यह प्रश्न १॥ महीने पहले दिया था और यह ऐसा कोई मुश्किल नहीं था कि एक विधान सभा के प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार १॥ महीने में उत्तर नहीं मंगा सकती। उत्तर आ सकता था। यदि ऐसी ही हालत रही तो बड़ा मुश्किल हो जायगा।

श्री रामकिशोर व्यास : आपने पाकिस्तान में चले जाने वाले लोगों की सब तहसीलों की सूचना मांगी है और वह आई नहीं है। काफी तादाद में तहसीलें हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह एफिशियेन्सी गवर्नमेन्ट की है।

श्री रामकिशोर व्यास : लेकिन टाइम तो लगता है। जितनी तहसीलें हैं उनमें से करीब १५-२० तहसीलों की सूचना आना बाकी है। जब आ जायेगी तो इत्तला मिल जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : तो १५-२० को छोड़ दी जाये और बाकी जो इत्तला आ गई है वही मुझे दिखा दें।

श्री अध्यक्ष : दे दीजिये।

श्री रामकिशोर व्यास : अगर अधूरी चाहें तो मैं दे दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि १५-२० तहसीलों की सूचना नहीं आई है और सब की आ गई वही दे दें।

श्री रामकिशोर व्यास : जो सूचना आ गई है वह चाहते हैं तो अगले टर्न पर आप को दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री चुन्नीलाल इन्दलिया।

स्थगित प्रश्न

(२-९-६८)

बीकानेर जिले की तहसीलों में भूमि आवंटन

१४१. **श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा-मु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बीकानेर जिले की तहसील नोखा, तहसील कोलायत, तहसील लूणकरणसर व तहसील सदर, इन चारों तहसीलों में १ जनवरी, सन् १९६० से अब तक कितने भूमिहीन किसानों ने प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्तुत किये ? सूची तहसीलवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) बीकानेर जिले में किन-किन तहसीलों में कितने-कितने फौजियों को भूमि अलॉट की गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) पिछड़ी जाति के किसानों ने कितने प्रार्थना-पत्र किस-किस तहसील में प्रस्तुत किये तथा किसानों को कितनी भूमि आवंटित की गई ?

(४) जिले की उपरोक्त तहसीलों में से प्रत्येक में कितनी-कितनी आराजी भूमि है जो कि काबिले अलॉटमेन्ट है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मंत्री, राजस्व (श्री गंगाराम चौधरी) :

(१) सूची (क) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची (ख) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) सूची (ग) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सूची (घ) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि आपने जो सूची मुझे दी है इसमें आपने यह बताया है कि १९६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७ और ६८ में भूमिहीन काश्तकारों ने नोखा तहसील में कोई भी भूमि प्राप्त करने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किये ?

श्री गंगाराम चौधरी : सूची में जो अंकित उत्तर है वह सही है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मुझे जो सूची दी है उसमें सन् ६० में बताया गया है और उसके बाद में यह

Page No. 28

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)
बताया गया है कि किसी ने प्रार्थना-पत्र नहीं दिया, क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : तहसील नोखा से सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण उसके कॉलम नम्बर १ में यह लिखा है कि १२२५ दरख्वास्तें आई और उसके बाद की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या यह सही है...

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री रामचन्द्र आर्य : कि जो दरख्वास्तें दी जाती हैं उनको रसीदें भूमिहीनों को नहीं मिलती हैं और वे फाड़कर फेंक दी जाती हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : क्या यह सही है कि मैंने यह सूचना चाही है कि नोखा तहसील में कुल कितनी आराजी भूमि है जो कि काबिले अलॉट है। मंत्री महोदय ने बताया है कि ५,०९७ बीघा भूमि है और जब कि ग्राम पांचू में लगभग १३ हजार बीघा भूमि काबिले काश्त पड़ी है और मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल ५०,९७ बीघा ही जमीन काबिले काश्त है क्या यह सही है ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी सूचना है उसके अनुसार ५०,९७ से ज्यादा भूमि नहीं है। माननीय सदस्य ने शायद और दूसरी भूमि को भी काबिले काश्त समझ लिया है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पूरे जिले का पूछ रहा हूं। नोखा तहसील में कुल ऐसी कितनी भूमि है जो कि आराजी राज काबिले काश्त है जो कि अलॉट करने के काबिल है और मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल ५,०९७ बीघा ही ऐसी भूमि है जब कि मेरी जानकारी है कि अकेले ग्राम पांचू में करीब १३ हजार बीघा ऐसी भूमि पड़ी है और इसी प्रकार से और तहसीलों में काफी ऐसी भूमि पड़ी है जो कि आराजी काबिल अलॉट भूमि है और जो मंत्री महोदय ने जानकारी दी है वह सही नहीं है।

श्री गंगाराम चौधरी : मैंने निवेदन किया कि मेरी सूचना के अनुसार अलॉटमेन्ट के काबिल ५,०९७ बीघा ही भूमि उपलब्ध है तहसील नोखा में और इससे अधिक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और वह बड़ा गम्भीर मामला है...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, प्रश्नकर्ता !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात जानना चाहूंगा। मैंने यह जानकारी चाही थी कि नोखा, लूणकरणसर और कोलायत में कितने फौजियों को भूमि दी गई है तो सरकार की तरफ से यह बताया गया है कि नोखा में ७, लूणकरणसर में ७ और कोलायत में ५। यह सूचना बिलकुल गलत है। नोखा में इसी साल करीब १५-२० फौजियों को जमीन एलॉट की गई है और सरकार ने यह बताया है कि नोखा में सिर्फ ७ को ही दी है तो कितनी गलत जानकारी दी गई है ?

श्री गंगाराम चौधरी : माननीय सदस्य अगर वह कहते हैं तो जानकारी कर ली जायगी।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री फतेहसिंह (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह एक मर्डर का मामला है ..

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य ने उपस्थित किया है।

श्री फतेहसिंह : श्रीमन्, मैंने दो सितम्बर को एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर शार्ट नोटिस के क्वेश्चन का नोटिस दिया था, और उसकी मुझे कोई सूचना नहीं मिली है कि उस शॉर्ट नोटिस का कोई उत्तर भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर उसका उत्तर समय पर नहीं मिलता है तो शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन का महत्व ही चला जाता है। और, श्रीमन् को यह भी मालूम है कि उस प्रश्न की इस सदन में एक बार चर्चा हुई थी ब्यावर के सोनाकाण्ड के सम्बन्ध में, उससे ही उसका प्रसंग है। माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने यहां इस सदन को विश्वास दिलाया था...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य ! यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न रूल्स में डिफाइन्ड है। दिस इज ए पॉइंट आॅफ इन्फर्मेशन और इन्फर्मेशन सीक करने का जहां तक प्रश्न है ..

श्री फतेहसिंह : इन्फर्मेशन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज, सदन के प्रांगण पर इन्फर्मेशन का प्रश्न नहीं है।

श्री फतेहसिंह : जो यहां के लिए पूछा गया है उसके लिए यहां पर प्रश्न क्यों नहीं उठता है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मुझसे मिल चुके हैं इस सम्बन्ध में।

श्री फतेहसिंह : मैं मिल चुका हूं लेकिन प्राइवेट में मिलने से क्या ? यह विधान सभा का प्रश्न है....

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको विश्वास दिलाया था कि इस प्रश्न को मैं ले लूंगा जल्दी से जल्दी। ऐसी स्थिति में पॉइंट आॅफ आॅर्डर के आधार पर यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। यह इन्फर्मेशन का प्रश्न है तो आपको इन्फर्मेशन दे दी कि कब वह उपस्थित होना चाहिए।

श्री फतेहसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आसन को मालूम होगा कि मुख्य मंत्रीजी जब यहां बैठे हुए हैं तो इसका जवाब क्यों नहीं देते हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैं मुख्य मन्त्रीजी से नहीं कहूंगा इस प्रश्न के सम्बन्ध में। यह मुझसे सम्बन्धित है।

श्री फतेहसिंह : आपसे सम्बन्धित है तो हमें आसन को भी सुनाने का अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज !

श्री फतेहसिंह : लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा बड़े अदब से कि हमारी जबान को रोका जा रहा है। अगर विधान सभा के सदस्य जनता की आवाज को यहां तक पहुंचाते हैं...

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका प्रश्न समझ लिया है उसमें रोकने का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य जब आप मुझसे मिले थे और मुझसे कहा था इस बारे में तो मैंने आपको निवेदन किया था कि ३ बजे कागज वगैरह

Page No. 30

(श्री अध्यक्ष)

लेकर आपको सन्तुष्ट करवाऊंगा। उसके बावजूद भी आपने इस प्रश्न को सदन के प्रांगण में उठा दिया। यह प्रश्न आने के काबिल है या नहीं, कब लिया जायगा और कब नहीं लिया जायगा जब आपने इसके बारे में बातचीत कर ली तो मैंने आपको संतोष दिलाया था कि ३ बजे तक इस सम्बन्ध में सब पत्र बुलाकर आपको सन्तुष्ट करवाऊंगा तो इसके अतिरिक्त यह प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है।

श्री फतेहसिंह : मुझे आपके यहां आने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिये, यह रूटिन वे में आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : यहां आप नियमों के विरुद्ध आ रहे हैं।

श्री फतेहसिंह : मैं नियमों को समझता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करिये।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

तेंदू के पत्तों का ठेका

२६६. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या झालरापाटन पंचायत समिति की सम्बन्धित विकास पंचायतों द्वारा सन् ६८ के लिये तेंदू के पत्तों का ठेका दिया गया है? यदि हां, तो कितने-कितने रुपयों में? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या पंचायत समिति, बकानी द्वारा भी तेंदू के पत्तों के ठेके सन् ६८ के लिये प्रत्येक विकास पंचायत को दिये गये हैं? यदि हां, तो किन-किन को कितने-कितने में? कृपया सूची सदन को मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) पंचायत समिति, बकानी द्वारा नहीं बल्कि पंचायतों द्वारा तेंदू के पत्तों के ठेके दिये गये उनकी सूची भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

जंगलों का ठेका और अप-सेट प्राइस

२७५. श्री **जुझारसिंह** (रामगंज मण्डी): क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जंगल का ठेका देने से पूर्व विभाग द्वारा अप-सेट प्राइस किन-किन आधारों पर निश्चित की जाती है?

(२) क्या यह सही है कि कस्या कूप नारायणीजी, भरतपुर की अप-सेट प्राइस विभाग द्वारा ६०,०००) रु० पर निश्चित की गई थी व इसकी नीलामी ८८,०००) रु० पर खत्म कर दी गई थी?

(३) क्या यह सही है कि गवर्नमेन्ट द्वारा यह बोली उपयुक्त नहीं मानी जाकर दुबारा नीलामी के आदेश दिये गये व दुबारा

(श्री जुझारसिंह)

नीलामी में ठेका १,६०,०००) रु० में दिया गया ?

(४) क्या सरकार ने विभाग द्वारा कम अप-सेट प्राइस कायम करने के कारणों की जांच की है और यदि हां, तो विभाग को नुक्सान पहुँचाने वाले दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

(५) क्या सरकार उपरोक्त प्रकार की गड़बड़ को ध्यान में रखते हुए, जंगलों की पैदावार के अनुपात में फी एकड़ या सौ एकड़ के हिसाब से व्यावहारिक अप-सेट प्राइस कायम करने का विचार करेगी ?

उत्तर

(१) अप सेट प्राइस निर्धारित करने में पैदावार का बाजार मूल्य तथा पैदावार की तैयारी व निकासी होने वाले व्यय को आधार माना जाता है।

(२) जी हां। अप-सेट प्राइस ४० हुण्डी के लिये ५७,२००) रु० आंकी गई थी। बोली ८८,०००) रु० आई थी।

(३) जी हां। दुबारा ४० हुण्डी के बजाय ६५ हुण्डी के लिये नीलाम किये जाने पर बोली १,६२,६५५) रु० प्राप्त हुई।

(४) अप-सेट प्राइस कायम करने में किसी अधिकारी की गलती नहीं है। अतः इसके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

(५) कत्थे के ठेकों में प्रति हुण्डी बोली पर नीलाम के स्थान पर उस क्षेत्र को बिलमुक्त आधार पर नीलाम करने का निर्णय लिया जा चुका है जिसमें अप-सेट प्राइस उपलब्ध कुल पैदावार के आधार पर निर्धारित की जाती है। फी एकड़ या सौ एकड़ के हिसाब से अप-सेट प्राइस कायम करना व्यावहारिक नहीं है।

स्थगित प्रश्न

(६७८-६८)

नाहर मगरा-डबोक (तहसील मावली) में दी गई भूमि

८. श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी) : क्या राजस्व मन्त्री कृपया उत्तर देंगे —

(१) सन ५० से लगाकर अब तक नाहर मगरा-डबोक (मावली तहसील, जिला उदयपुर) क्षेत्र में काश्त करने के लिये जिन लोगों को भूमि दी गई उसकी फहरिस्त सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जिन लोगों को जमीन काश्त के लिये दी गई उनमें से कितने भूमिहीन है और कितने नहीं ?

(३) यदि भूमिहीन नहीं थे तो किस आधार पर उनको जमीनें दी गईं ?

(४) क्या यह सही है कि जिन लोगों को जमीन दी गई उनमें से अधिक कांग्रेस के नेता अथवा कार्यकर्ता हैं जो स्वयं काश्त न करके मजदूरों से काश्त कराते हैं ?

(५) क्या श्री दुर्गेश जोशी को भी नाहर मगरा-डबोक क्षेत्र में जमीन दी गई ? यदि हां, तो कितने बीघा ?

(श्री ललितसिंह)

(६) क्या श्री दुर्गेश जोशी की पत्नी एवं अन्य रिश्तेदारों के नाम पर भी जमीन काश्त के लिये दी गई है ?

उत्तर

(१) सन् ५० से अब तक कुल ५६१ व्यक्तियों को नाहर-मगरा ब्लोक क्षेत्र में भूमि दी गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) सूची में अंकित सभी व्यक्ति भूमिहीन हैं।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) ऐसी सूचना राजकीय रेकार्ड में उपलब्ध नहीं है।

(५) श्री दुर्गेश जोशी को वन औषधि उत्पादन हेतु ३० एकड़ भूमि लीज पर दी गई है जिसका आवंटन बाद में रद्द कर दिया गया।

(६) श्री दुर्गेश जोशी की पत्नी के नाम १८/३ भूमि तथा उनके पिता के नाम १२/६ भूमि होना ज्ञात हुआ है। अन्य रिश्तेदारों को भूमि आवंटन रेकार्ड से पता नहीं चलता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले में गेहूं की खरीद

६. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में इस वर्ष खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद की गई ? यदि हां, तो इस खरीद के आधार व नीति क्या थी ?

(२) क्या यह सही है कि अधिकांश खरीद खाद्य निगम द्वारा सीधे किसानों से न की जाकर व्यापारियों से की गई ? मंडीवार व्यापारियों व किसानों से की गई खरीद की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि खाद्य निगम द्वारा की गई इस खरीद में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें जनता एवं जिले के राज्याधिकारियों को की गई हैं ? यदि हां, तो ये किस प्रकार की शिकायतें थीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) क्या यह सही है कि भरतपुर में क्रय-विक्रय सहकारी समिति के बजाय प्राइवेट डीलर्स को खाद्य निगम का एजेन्ट बनाया गया ? यदि हां, तो क्यों और इस सम्बन्ध में राजकीय नीति की अवहेलना करने के क्या कारण थे ?

उत्तर

(१) जी हां। इस खरीद का आधार व नीति खाद्यान्न का संचित भण्डार बनाना व नीचे गिरते हुए भावों को रोकना था।

(२) खाद्य निगम द्वारा किसानों, व्यापारियों तथा आढ़तियों से गेहूं की खरीद की गई। मंडीवार खरीद की सूची संलग्न है। किसानों से व व्यापारियों से अलग-अलग खरीद कितनी है ये सूचियां भेजने में खाद्य निगम ने अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(श्री खाद्य मन्त्री)

(३) खरीद में अनियमितता तथा भ्रष्टाचार की कतिपय शिकायतें खाद्य निगम के कर्मचारियों के बारे में प्राप्त होने पर निगम के पास आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवादी गई है तथा नियमानुसार जांच आदि के बाद दोषी पाये गये व्यक्तियों को दण्डित किये जाने हेतु भी लिखा गया है।

(४) एजेन्ट नियुक्त करना खाद्य निगम का अबाहिक स्वविवेक (Absolute discretion) है फिर भी ज्यादातर मंडियों में सहकारी समितियां ही निगम के एजेन्ट का कार्य कर रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२-६-६८)

फोरेस्ट कमेटी

१२१. श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कानून के अनुसार हर जिले में तथा हर ब्लॉक (पंचायत समिति) में फोरेस्ट कमेटी का निर्माण होना जरूरी है ?

(२) क्या यह सही है कि झुन्झुनूं जिले में तथा इस जिले की पंचायत समितियों में कोई फोरेस्ट कमेटियां काम नहीं कर रही हैं ? यदि हां, तो इसमें किसका दोष है ?

(३) ब्लॉक फोरेस्ट कमेटी तथा जिला फोरेस्ट कमेटी की सदस्यता किस-किसकी है तथा बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है ?

(४) क्या राज्य सरकार झुन्झुनूं जिले में इन फोरेस्ट कमेटियों का निर्माण करने तथा इन्हें सक्रिय करने की तरफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(दिनांक १६-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कोटा जिले में चिकित्सा की व्यवस्था

२८८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा जिला में कितने अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं कम्पाउण्डर डिस्पेन्सरीज में कितने-कितने समय से डॉक्टर एवं योग्यता प्राप्त कम्पाउन्डर्स नहीं हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) अस्पताल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी केन्द्र स्थापित करने की सरकार की क्या नीति व नियम हैं ?

(३) क्या तहसील मांगरोल के ग्राम सीसवाली में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोलना सरकार आवश्यक समझती है ? यदि हां, तो कब तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर खुल जायेगा ?

(४) इस समय सीसवाली में कितने समय से कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी में किस ग्रेड का कम्पाउन्डर रह रहा है और नियमानुसार किस ग्रेड का कम्पाउन्डर रहना चाहिये ?

Page No. 34

(चिकित्सा मन्त्री)

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में केवल एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होता है जो पंचायत समिति के निर्णय पर राज्य सरकार की स्वीकृति से स्थापित किया जाता है।

(ख) अस्पताल तथा कम्पाउन्डर डिस्पेन्सरी स्थापित करने के लिये सामान्यतः निम्नलिखित (Criteria) पद्धति को ध्यान में रखा जाता है:–

(i) स्थान जहां पर डिस्पेन्सरी अथवा अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है वहां की जनसंख्या ५,००० से अधिक होनी चाहिए।

(ii) उस स्थान जहां से डिस्पेन्सरी अथवा अस्पताल खोलनेका प्रस्ताव है वहां से १० मील की परिधि में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो।

(iii) उस स्थान को (उपरोक्त दोनों पद्धति को ध्यान में रखते हुए) जहां पर डिस्पेन्सरी अथवा अस्पताल का आवासगृह व उसके चलाने हेतु दो वर्ष का खर्चा यदि दान में उपलब्ध होता हो तो प्राथमिकता दी जाती है।

(३) जी नहीं। तहसील मांगरोल, पंचायत समिति अन्ता में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ग्राम बमोरी कलां में दिनांक २२-६-६० से कार्य कर रहा है। नियमानुसार एक पंचायत समिति में एक ही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाता है, अतः सीसवाली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(४) सीसवाली में स्वीकृत पद के अनुसार द्वितीय श्रेणी कम्पाउन्डर श्री मोहम्मद-इब्राहीम दिनांक २८-६-६७ से कार्य कर रहा है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

ट्रेक्टरों की खरीद

२८६. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) पाली पंचायत समिति ने कितने ट्रेक्टर कितनी धनराशि से कब-कब खरीदे हैं ?

(२) उन ट्रेक्टरों पर कितना खर्चा लागत का हो चुका है ?

(३) उन ट्रेक्टरों पर जो ड्राइवर रखे गए हैं उनका डीजल का व अन्य मरम्मत आदि का कुल खर्चा आज तक कितना हुआ है ?

(४) उन ट्रेक्टरों से आमदनी कुल कितनी हुई है ?

(पंचायत मन्त्री)

उत्तर

(१) एक हिन्दुस्तान ट्रैक्टर २०,८०० रु० में दिनांक २८-:-६६ को खरीदा है।

(२) कुल ३१,०५५. की लागत हुई है।

(३) २१,१८५.८८ रु० खर्च हुए हैं।

(४) २८,२०७.७२ रु० की की आय हुई।

पंचायत समिति शिव का ऑडिट

२९०. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि पंचायत समिति शिव का सन् १९६३ एवं १९६४ का ऑडिट हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि ऑडिट रिपोर्ट में कई अनियमितताएं एवं गबन का उल्लेख है ?

(३) यदि हां, तो कितनी अनियमिततांए एवं गबन कितने का है ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) अनियमितताओं एवं ६४६) रुपया अग्रिम धनराशि समय पर वापिस जमा नहीं कराने से अस्थाई गबन होने का उल्लेख किया गया है।

(३) संक्षिप्त विवरण सूची में दिया गया है जो सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

पंचायत समिति, लाड़पुरा में फैसलों के खिलाफ अपीलें

२९१. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या पंचायत समिति, लाडपुरा में ग्राम पंचायतों के फैसलों के खिलाफ अपीलें सन् १९६६-६७व ६७-६८ में पेश हुई हैं ?

(२) यदि हां, तो किस-किस पंचायत से कितनी-कितनी ?

(३) उनमें से कितनी अपीलें मंजूर की और कितनी नामंजूर की और किस-किस पंचायत को ?

(४) कितनी मिसलें साल भर में फैसल हुई और कितनी साल भर से बाद में ?

(५) सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(३) सूची में विवरण किया गया है।

(४) सूची में विवरण दिया गया है।

(५) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

अलवर जिले की पंचायत समितियों द्वारा खाद, बीज एवं अन्य तकावी का वितरण

२९२. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) अलवर जिले की पंचायत समितियों द्वारा वितरित खाद, बीज व अन्य तकावी या ऋण की कितनी-कितनी रकमें वसूल होनी है, उनमें पिछले दो साल में कितनी-कितनी रकम वसूल की गई है और कितनी वसूल होनी बाकी है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यह कर्जा या अन्य बकाया कितने साल से बाकी चली आ रही है और अब तक वसूल न होने के क्या कारण हैं ?

(३) इस बकाया रकम की वसूली के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(२) इस अर्से में काफी वसूली हुई है। समय पर वसूली नहीं होने के मुख्य दो कारण है—

(अ) कृषि विभाग ने जो खाद व बीज का ऋण किस्म में दिया उसका समायोजन काफी अर्से बाद हुआ।

(ब) कुछ पंचायत समितियों में हिसाब पूर्ण नहीं होने से।

(३) ऋण की वसूली में शीघ्रता लाने के लिये जिला स्तर पर एक लेखाकार का पद स्वीकृत किया गया है जो पंचायत समितियों में जाकर ऋण के लेखे सही व समय पर बनवा कर वसूली के लिए भिजवाने में उनकी सहायता करेगा।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

जिला नागौर में अकाल राहत कार्य

२९३. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला नागौर में सं० २०२१ में कुछ अकाल राहत कार्य ऐसे क्षेत्र में भी किया गया जो क्षेत्र अकालग्रस्त नहीं था ? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से कार्य थे और उन पर कितना रुपया खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सं० २०२१ में नागौर जिले में कितने अकाल सहायता कार्य किये गये और उन पर किस माह में कितना रुपया खर्च हुआ ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(दिनांक १९-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

अनधिकृत कब्जे

२९४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में अनधिकृत मान कर बाड़े, मकान, कुन्ड या कुई हटाने के लिये

Page No. 37

(श्री दौलतराम सारण)

कितने नोटिस दे रखे है ? तहसीलवार बतलाया जाय ।

(२) इनमें कितने गोचर जोहड़ बीड़ में अनधिकृत कब्जे के हैं ? कितने आराजी राज पर अनधिकृत कब्जे के हैं ? तहसीलवार बतलाया जाय ।

(३) ऐसे नोटिस सबसे पहले कब दिए गये थे और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

(४) अनधिकृत कब्जे नियमित कराने के लिये कितने प्रार्थना-पत्र कुल आये ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? तहसीलवार बतलाया जाय ।

(५) अनधिकृत कब्जे नियमित करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

(६) कितने अनधिकृत कब्जे हटाये गये व कहां-कहां व कब-कब ?

(७) क्या यह सही है कि चूरू जिले की एक फसली रेगिस्तानी भूमि गांवों के पास पर्याप्त मात्रा में पड़ी हुई है ? तथा गत वर्षों में हुई पैमाइश में बसी हुई आबादी को भी आबादी भूमि में नहीं लिखा गया ? पक्के गावाई कुए, कुण्ड, कुइयां स्कूल भवन और पक्के वर्षों से बने मकान भी आबादी में दर्ज नहीं किये गये और उन्हीं को अब अनधिकृत मान कर तंग किया जा रहा है ?

(८) क्या यह सही है कि चूरू जिले में सन् ५७ व ५८ में दो बड़े विकास सम्मेलन हुए थे, जिनमें जिले के कलेक्टर, एस. डी. ओज् व तहसीलदार, नायब, गिरदावर, पटवारी और समस्त पंच, सरपंच इकट्ठे हुए थे और तीन दिन तक विचार करके गांवों के विकास का कार्यक्रम बनाया था ? उस कार्यक्रम में गांवों की आबादी भूमि के नक्शे बना कर कागजात तैयार करके कलेक्टर के पास भेजने की जिम्मेदारी एक निश्चित समय के अन्दर तहसीलदारों और एस. डी. ओज् पर डाली गई थी ?

(९) क्या यह सही है कि तहसीलदारों और एस. डी. ओज् ने वह जिम्मेदारी अदा नहीं की, जिससे आबादी के झगड़े आज भी मौजूद हैं ?

(१०) अनधिकृत कब्जों को नियमित कराने की जो फीस रखी गई है वह इस क्षेत्र के लिये बहुत अधिक है इस कारण भी उन्हें नियमन में कठिनाई है । क्या यह सही है कि यहां हर परिवार के पास पशु अधिक होते हैं, अतः उन्हें बांधने के लिये बड़े-बड़े बाड़ों और छप्परों की और उनके लिये घास संग्रह के लिये भी लम्बे-चौड़े स्थान की आवश्यकता होती है और जो घर व बाड़ों के लिये भूमि की सीमा रखी गई है वह इस क्षेत्र के लिये बहुत ही कम पड़ती है, वहां के किसानों का काम इससे नहीं चल सकता ? यदि हां, तो स्थानीय परिस्थिति की आवश्यकता को देखते हुए क्या राज्य सरकार प्रति परिवार अधिक भूमि मामूली दर पर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(दिनांक १६-६-५८ के लिये स्थगित किया गया)

अंगोर की भूमि में रिहायशी पट्टे

२६५. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि कस्बा

(श्री हरजीराम बुरड़क)

लाडनूं के भूतपूर्व जागीरदार ने तालाब के अंगोर की भूमि में रिहायशी पट्टे बना कर लोगों को दिये ? यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी भूमि के कब-कब रिहायशी पट्टे दिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) जो भूमि राजस्व रेकार्ड में अंगोर दर्ज है उसका रिहायशी मकान के लिये जागीरदारों को बेचने के कारण सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(२) तहसील स्तर पर कार्यवाही चल रही है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

मन्दिरों की माफियों का रिजम्प्शन

२९६. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मन्दिरों की माफियों का रिजम्प्शन कर लिये जाने के बाद व माफियों की भूमि जिनमें खेल भरने या गांव का सार्वजनिक काम करने सम्बन्धी माफियां भी शामिल हैं, जैसी काश्तकारों के खाते बांध दी जाने के बाद, मन्दिरों की पूजा या खेल भराने आदि में आने वाली दिक्कतों को मिटाने के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

(२) क्या माफियों की एवज में दी जाने वाली एन्यूइटी अलग-अलग स्थानों के लिये निश्चित कर दी गई है ? यदि नहीं, तो इसको कौन कब तक निश्चित करेगा और इसका विवरण व प्रबन्ध किस एजेन्सी के द्वारा किया जावेगा ?

(३) ऐसे मन्दिर जो किसी जाति विशेष के द्वारा बनाये गये हैं व जिनकी मरम्मत भी किसी जाति द्वारा की जा रही है और जिनको राज्य सरकार की ओर से माफी की जमीन दी हुई थी उनके रिजम्प्शन के बाद एन्यूइटी या मैनेजमेन्ट किस एजेन्सी को दिया जावेगा ?

उत्तर

(१) उन्हें पुनर्ग्रहण के पश्चात वार्षिक वृद्धि दिये जाने का प्रावधान है जो कि उस माफी भूमि पर होने वाले भू-राजस्व का ६० प्रतिशत होगा।

(२) इस प्रकार की धार्मिक माफियों का पुनर्ग्रहण किया जा चुका है किन्तु अभी तक कई मामलों में वार्षिक वृद्धि निश्चित नहीं की जा सकी है जिन्हें जल्दी निपटाने के लिये जागीर तथा देवस्थान विभाग सक्रिय हैं। ऐसे स्थानों का प्रबन्ध मन्दिर के पुजारी अथवा व्यवस्थापक द्वारा किया जायगा।

(३) यदि किसी जाति विशेष के मन्दिर पर राज्य सरकार द्वारा माफी की जमीन दी हुई थी तो पुनर्ग्रहण के पश्चात् जमाबन्दी में दर्जशुदा नाम के आधार पर वार्षिक वृद्धि दी जा रही है अथवा प्रबन्धकर्त्ता को दी जा रही है।

तहसील निवाई में बांधों से पानी का वितरण

२९७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई में कितने ऐसे बांध है जिनसे पिलाई होती हैं ? क्या पानी

(श्री जयनारायण सालोदिया)

के सही वितरण हेतु कोई वितरण कमेटियां बना रखी है ? यदि हां, तो हर बांध की वितरण कमेटी के सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) वितरण कमेटियों के निर्णय के खिलाफ यदि कोई जबरन या चोरी से पानी ले लेता है तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की जाती है ? क्या इस तरह का कोई केस तहसील निवाई में बना है ? यदि हां, तो कौन से बांध के किसके खिलाफ ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(१) निवाई तहसील में कुल सिचाई के ११ तालाब । इनमें से केवल माली बांध के जल वितरण के लिये सिचाई विभाग द्वारा प्रोग्राम बना कर मीटिंग बुलाई जाती है और इसके निर्णय के बाद पिलाई चालू की जाती है। इस मीटिंग में विकास अधिकारी, तहसीलदार प्रधान एवं सरपंच और ग्राम काश्तकारों को आमंत्रित किया जाता है। दूसरे छोटे बांध सिचाई के हैं उनकी पिलाई का प्रोग्राम तहसीलदार निवाई द्वारा बनाया जाता है एवं उसी के आधार पर जल वितरण किया जाता है ।

(२) वितरण कमेटी के निर्णय के खिलाफ कोई आज तक शिकायत इस विभाग को प्राप्त नहीं हुई है अथवा तहसील निवाई से भी इस प्रकार का कोई केस प्राप्त इस विभाग को नहीं हुआ है।

मृत सैनिक परिवारों को काश्त की भूमि

२९८. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में अब तक कितने मृत सैनिक परिवारों को काश्त की कितनी भूमि दी जा चुकी है और कितने मृत सैनिक परिवारों को भूमि दी जानी बाकी है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(२) क्या यह सही है कि चीन-भारत युद्ध के समय शहीद हुये कई मृत सैनिक परिवारों को भी अभी तक काश्त की भूमि नहीं मिली है ? यदि हां, तो कितने परिवारों को नहीं मिली और किन कारणों से ?

(दिनांक १६-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

भाखड़ा क्षेत्र की भूमि

२९९. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तहसील नोहर में भाखड़ा क्षेत्र की भूमि सरकार बेचेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(२) क्या यह सही है कि भाखड़ा क्षेत्र में सन् १९५९-६० में खारिज हुई भूमि को पुनः बहाल किया जाकर उन्हीं काश्तकारों को दी जा रही है ? यदि हां, तो इस प्रकार के कुल कितने काश्तकार हैं और अब तक कितनों को भूमि पुनः दी जा चुकी है ? तहसील नोहर व भादरा क्षेत्र की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) जी हां । ग्राम गांगामेडी का क्षेत्र नीलाम करने हेतु विज्ञप्ति प्रसारित की है। नीलाम की तारीख १६-९-१९६८ से २२-९-१९६८ तक नोहर में रखी है ।

(राजस्व मन्त्री)

(२) जी हां। भादरा क्षेत्र में सन् १९५९-६० में तहसील, नोहर के ३९ काश्तकारों की भूमि खारिज की गई थी और उनमें से १३ काश्तकारों को पुनः भूमि दी जा चुकी है और तहसील भादरा के १६ काश्तकारों की भूमि खारिज की गई थी और उनमें से ५ काश्तकारों को पुनः बहाल की जा चुकी है जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

जिला पाली में कोर्ट ऑफ वार्ड्स का कार्य

३००. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला पाली में कोर्ट ऑफ वार्ड्स का इन्तजाम किस वर्ष मे समाप्त किया गया ?

(२) जिस वर्ष कोर्ट ऑफ वार्ड्स का इन्तजाम समाप्त किया गया उस समय कुल कितने ठिकाणे कोर्ट आफ वार्ड्स में थे ? और उन्हें किस-किस तारीख को इन्तजाम से मुक्त किया गया एवं उनका चार्ज उन्हें सम्भलाया गया ? सूची सदन को मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उपरोक्त ठिकाणों को जिस समय मुक्त किया गया उस वक्त किस-किस का कितना २ रुपया विभाग में बकाया था और विभाग का किस-किस में कितना २ बकाया था ? और अब उनके बैलेन्स की क्या स्थिति है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(४) विभाग को जिनका रुपया देना वह है अब किस तारीख तक अदा किया जावेगा ?

उत्तर

(१) सन् १९६२ में समाप्त किया गया।

(२) जब कोर्ट ऑफ वार्ड्स का इन्तजाम समाप्त किया गया उस समय केवल १४ ठिकाणे उनके अधीनस्थ थे। उनको मुक्त किये जाने की तारीखवार सूची संलग्न है।

(३) उपरोक्त संलग्न सूची में स्थिति स्पष्ट है।

(४) इस समय केवल पांच ठिकाणों की ओर बकाया कुल रुपये ११९६०.३१ पैसे हैं। जिनको मुआवजे में से काटकर वसूल करने की कार्यवाही जागीर विभाग द्वारा की जा रही है। उसकी वसूली हो जाने के पश्चात् कुल राशि का चुकारा हो सकेगा।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

बारां उप-जिला क्षेत्र में गेहूं की लेवी

३०१. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि माह जून-जुलाई, १९६७ में बारां उप-जिला क्षेत्र के किसानों से गेहूं की लेवी की वसूली की गई थी ?

(२) यदि हां, तो किस-किस गांव के किस-किस किसान से कितना-कितना गेहूं किस-किस दर से लिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

Page No. 41

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(३) क्या यह सही है कि तहसीलदार व तहसील कर्मचारियों ने पुलिस की मदद से अनेक स्थानों पर किसानों के घरों में घुस कर जबरन गेहूं की वसूली करने के सम्बन्ध की शिकायतें किसानों द्वारा की गई ?

(४) क्या यह सही है कि किसानों पर गेहूं लेवी के नाम पर जो जबरन वसूली व अत्याचार किये गये उसकी जांच कोटा अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा की गई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(१) यह सही है कि माह जून-जुलाई, ६७ में बारां उप जिला क्षेत्र के किसानों से लेवी ली गई थी ।

(२) सूची संलग्न है ।

(३) यह सही है कि कतिपय काश्तकारों द्वारा जबरन लेवी वसूली बाबत शिकायतें की गई थीं ।

(४) यह सही है कि किसानों द्वारा जबरन लेवी वसूली की शिकायतें प्राप्त होने पर अतिरिक्त जिलाधीश, कोटा द्वारा जांच कराई गई थी । जिससे यह पाया गया था कि किसानों से लेवी की वसूली जबरन नहीं की गई थी ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

टोंक जिले की सस्ते गल्ले की दुकानें

३०२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

टोंक जिले के कितने कस्बों व गांवों में सरकारी सस्ते गल्ले की कितनी-कितनी दुकानें कितनी-कितनी जनसंख्या के आधार पर खोली गई हैं ? नामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

टोंक जिले में सरकारी सस्ते गल्ले की कुल १७ दुकानें हैं जिनकी नामवार सूची संलग्न है ।

इन दुकानों को खोलते समय कस्बे में परिचय-पत्रों पर आधारित जनसंख्या एवं प्रत्येक दुकानों के लिये गल्ले को बेचने से प्राप्त मासिक न्यूनतम आय को ही आधार माना गया है ।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड

३०३. श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) डेजर्ट डेवलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना कब हुई और इसका एडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप क्या है ?

(२) अब तक डेजर्ट को डेवलप करने के क्या-क्या प्रयास किये गये थे और उनका क्या नतीजा रहा है ? कृपया यह भी बतावें कि विभिन्न स्कीम्स के तहत इन पर क्या खर्चा किया जा चुका है ?

(३) कैनाल्स के नीचे आने वाली जमीनों में वन विकास के लिये क्या योजना चलाई जा रही है और इसमें जमीन का कितना प्रतिशत हिस्सा लेने का विचार है ? अब तक कितने रकबे में किन-किन स्थानों पर वन विकास का काम किया गया है और उन पर सरकार ने कितना धन खर्च किया है ?

(श्री जुझारसिंह)

(४) सिंचित व असिंचित डेजर्ट-क्षेत्र में वन विकास के लिये क्या एक ही एजेन्सी काम कर रही है या भिन्न-भिन्न विभागों व एजेन्सियों द्वारा यह काम किया जा रहा है ? अलग-अलग विभागों द्वारा वन विकास का काम चलाने के क्या कारण हैं ?

(दिनांक १६-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

पलायथा डिपो का घास

३०४. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बारां वन विभाग द्वारा सन् ६३-६४ में अकाल सहायतार्थ जो घास पलायथा डिपो पर इकट्ठा किया गया वह घास किस-किस स्थानों से कितना-कितना भेजा गया ?

(२) पलायथा डिपो पर जो घास ट्रकों द्वारा भेजा गया वह कितने-कितने वजन का था और ट्रकों में जो घास भर कर भेजा गया उसके तोलने का क्या साधन था ?

उत्तर

(१) पलायथा डिपो पर किशनगंज, शाहबाद व नाहरगढ़ रेन्जों के जंगलों में क्रमशः ८४३-१६, ११७२-४७ व ५१२-१६ क्विटल घास भेजा गया था ?

(२) पलायथा फेमिन डिपो पर जो घास वन विभाग के जंगलों से १०९ ट्रकों द्वारा भेजा गया था उसका वजन २,५२७-८५ क्विंटल था। घास तोलने के लिये सम्बन्धित डिपो पर हैंड स्प्रिंग बैलेन्स थे।

मजदूरों को न्यूनतम वेतन

३०५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार को मालूम है कि रेलवे में हैन्डलिग गुड्स कन्ट्रेक्टरों के नीचे बहुत से मजदूर लोडिंग, अनलोडिंग तथा ट्रांशिपमेन्ट का काम करते हैं और राजस्थान में सवाई माधोपुर, भरतपुर, गंगापुर, कोटा आदि स्टेशनों पर इनकी काफी बड़ी तादाद है ?

(२) क्या सरकार को मालूम है कि इन मजदूरों का कोई न्यूनतम वेतन मुकर्रर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों नहीं ? क्या सरकार तुरन्त इन मजदूरों के लिये न्यूनतम वेतन मुकर्रर करने के लिये कदम उठायेगी ?

(३) क्या यह सही है कि इन मजदूरों को अन्य लेबर कानूनों की सुविधायें भी प्राप्त नहीं है ? क्या सरकार समस्त लेबर कानूनों की सुविधायें इन मजदूरों को देने के लिये कदम उठायेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां इन मजदूरों के लिये कोई न्यूनतम वेतन मुकर्रर नहीं है। क्योंकि ये श्रमिक न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ में दी हुई सूची में शामिल नहीं है। सरकार का इन मजदूरों के लिये फिलहाल न्यूनतम वेतन मुकर्रर करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई मांग नहीं उठी है।

(३) इन श्रमिकों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अलावा और कोई कानून लागू नहीं होता। इसलिये राज्य सरकार इन

(श्री श्रम-मंत्री)

श्रमिकों के लिये कोई कानूनी सुविधायें दिलाने में असमर्थ है, परन्तु ये श्रमिक औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अपनी मांगों द्वारा सुविधायें प्राप्त कर सकते हैं।

सीमेन्ट फैक्टरी के कामगरों को बोनस

३०६. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लाखेरी सीमेन्ट फैक्टरी के कामगरों को वार्षिक बोनस दिया जाता है ?

(२) श्रमिकों को दिया जाने वाला बोनस कोर्ट द्वारा किस नियम के तहत रोक दिया जाता है ? सन् १६६६-६७ में कितने श्रमिकों का बोनस रोका गया ?

(३) किन-किन का और कितनी-कितनी राशि का बोनस रोका गया तथा किस-किस बोहरे ने रोका, उनके नाम व धनराशि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) (अ) सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर नम्बर २१, रूल ४६ के अन्तर्गत अदालत द्वारा एसोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी लि०, लाखेरी के कुछ श्रमिकों का बोनस कुर्क किया गया।

(ब) १६६६-६७ में विभिन्न अदालतों के आदेश पर ७० श्रमिकों का बोनस भुगतान न कर अदालत को कम्पनी द्वारा भेजा गया।

(३) सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शिवगंज में साप्ताहिक अवकाश कानून लागू करने की मांग

३०७. श्री शंकरलाल (जेतारण) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि शिवगंज जिला सिरोही के गुमाश्ता मजदूर यूनियन एवं आदर्श युवक संघ की तरफ से शिवगंज में साप्ताहिक अवकाश का कानून लागू करने की मांग की गई है ? यदि हां, तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(२) क्या सरकार शिवगंज नगरपालिका क्षेत्र में साप्ताहिक अवकाश का कानून लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी हां दिनांक १-१२-६७ से। उनके प्रार्थना-पत्र पर सरकार द्वारा निर्णय लेकर उनको पत्र क्रमांक १२३५, दिनांक २२-१-६८ को सूचित किया जा चुका है।

(२) जी हां। इसके बारे में शीघ्र विज्ञप्ति जारी की जा रही है।

मन्दिरों की व्यवस्था के लिए भूमि लगान की रकम

३०८. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि मन्दिरों की व्यवस्था हेतु जो भूमि के लगान की रकम सरकार

(श्री गंगासहाय)

वसूल करती है, वह धनराशि मन्दिरों के व्यवस्थापकों को ३-४ साल में मिलती है, प्रति वर्ष नहीं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त लगान की राशि मन्दिरों के व्यवस्थापकों को प्रति वर्ष व ठीक समय पर दिये जाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

यह सही नहीं है, मन्दिरान एवं धार्मिक संस्थाओं की जागीरें पुनर्ग्रहण हो जाने से जागीर विभाग से जांच होकर प्रपत्र १२ (क) जारी होता है और उस आधार पर देवस्थान विभाग से प्रपत्र १२ (ख) में भुगतानादेश जारी किया जता है। तदनुसार वर्ष में दो बार माह जनवरी एवं जुलाई में सम्बन्धित तहसीलदार एवं जिलाधीश द्वारा भुगतान किये जाने के आदेश हैं।

राजस्थान कैनाल क्षेत्र में भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र

३०९. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि के लिये कुल कितने भूमिहीनों के प्रार्थना-पत्र पेश हुए व उनमें से कितने स्वीकार हुए ?

(२) कितने भूमिहीन काश्तकारों को भूमि अलॉट की गई है और कितने बाकी हैं ?

उत्तर

(१) राजस्थान कैनाल एरिया में भूमि-प्राप्त करने के लिए ६५,४२६ प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं।

इन प्रार्थना-पत्रों में से अब तक केवल ७६१ प्रार्थना-पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष नियमानुसार जांच के पश्चात् पेश हुए हैं जिनमें से ५७ प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये गये हैं तथा २०९ प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये गये हैं। दो बार मौका देने के बाद भी सबूत वगैरह के लिये प्रार्थियों द्वारा पुनः मौका चाहने के कारण ५२५ प्रार्थना पत्रों में आगे की तिथियां दी गई हैं।

(२) राजस्थान कैनाल एरिया में अब तक ५७ भूमिहीन काश्तकारों को भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ऊपर वर्णित-स्थिति के अनुसार ६४६३८ प्रार्थना-पत्रों पर नियमानुसार जांच की जानी बाकी है।

बारां मण्डी क्षेत्र में कृषि भूमि की खरीद

३१०. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि स्वामी शरण श्रीवास्तव आत्मज श्री रामरूप कायस्थ ने बारां मण्डी क्षेत्र के पास कृषि भूमि की खरीद की है ?

(२) यदि हां, तो किस-किस व्यक्ति से किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि किस भाव से कब खरीद की है ?

(३) क्या यह सही है कि उक्त खरीद-दार व्यक्ति, बारां उप-जिलाधीश जो कि खरीददारी के समय वहां पर मौजूद थे, के रिश्तेदार है ? यदि हां, तो उनका क्या रिश्ता है ?

Page No. 45

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(४) क्या यह सही है कि जिस समय यह जमीन खरीद की गई व जमीन की रजिस्ट्री कराई गई उस समय खरीददार वहां पर मौजूद नहीं था ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है।

(२) १. केसरीलाल पुत्र छगनलाल महाजन से खसरा नं० ४०८/१।।)१, ४१६/।)३, ४२४/१।)३ मुबलिग १२०४-५० पैसे में दिनांक २०-६-१९६६ को।

२. रामकल्याण, रामनारायण पिसरान ऊंकार तेली से खसरा नं० ४२६/६।।। मुबलिग २२२७-५० पैसे में तारीख २०-६-१९६६ को खरीद की है।

(३) खरीददार व्यक्ति उस समय के उपजिलाधीश के रिश्तेदार हैं या नहीं इसका रिकार्ड नहीं है।

(४) जी हां, यह सही है।

चाही जमीन को पानी

३११. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जवाई बांध, जिला पाली से आज तक चाही भूमि को पानी देते रहे हैं ? यदि हां, तो इस वर्ष मना क्यों किया गया था जब कि इस वर्ष जवाई बांध में सन् १९५२ से आज तक सर्वाधिक पानी आया है ?

(२) यदि किसी कुए के साथ रेवेन्यू रेकार्ड में दर्ज चाही जमीन को कुए से पूरी जमीन को पानी पिलाने की क्षमता न हो तो क्या जवाई बांध से पानी ऐसी जमीन को नियमानुसार दिया जा सकता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) यदि किसी कुए में चार-पांच हिस्सेदार हैं और यदि उस कुए के हिस्सेदार अलग-अलग होने पर अगर एक हिस्सेदार के हिस्से में ही कुआ आता है और शेष तीन-चार हिस्सेदारों के हिस्सों में कुआ नहीं आकर केवल भूमि ही आती है तो केवल भूमि (बिना कुए की) प्राप्त करने वालों की भूमि में जवाई बांध का पानी दिया जा सकता है या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि जवाई बांध की नहरों की क्षमता जवाई बांध के अन्तर्गत सारे क्षेत्र को पानी देने की नहीं है क्योंकि नहरें आवश्यकता से छोटी हैं ? यदि हां, तो क्या सभी नहरों का री-माडलिंग होना जरूरी नहीं है ताकि सब काश्तकारों को समय पर पानी मिल सके ?

(५) क्या यह सही है कि "साही" नदी को जवाई बांध में नहीं डाला गया तो फिर कुछ समय के पश्चात् जवाई बांध जोधपुर को पानी पिलाने के लिए ही रह जायगा और फसल के लिए पानी मिलना एक समस्या हो जायगी ? यदि हां, तो "साही" नदी जवाई बांध में डालने का कार्य कब तक हाथ में लिया जायगा ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

(६) क्या यह सही है कि सुमेरपुर क्षेत्र में बहुत कुए हैं पर इनमें से अधिकतर में पानी बहुत कम है। अतः जवाई बांध से सुमेरपुर आने वाली नहर को बड़ी व पक्की बनाई जावे तो क्या कुओं में पानी बढ़ने से कृषि उपज बढ़ाने में सुविधाजनक सहायता नहीं मिल सकेगी ? मैक्सिकन गेहूं जवाई बांध के क्षेत्र में अभी नहीं बोया जा सकता क्योंकि गेहूं को छः सात पानी चाहिए और बांध छः सात बार पानी नहीं दे सकता। अतः नहर पक्की व बड़ी बनाई जावे तो क्या कुओं में पानी बढ़ने से मैक्सिकन गेहूं बोने की अनुकूलता उत्पन्न नहीं होगी ? यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, किन्तु गत वर्षों में वर्षा के अभाव से जिन कृषकों के कुओं में पानी नहीं था अथवा जिन्होंने कुओं पर बिजली की मोटर लगवाई थी पर जिन्हें बिजली मिलना संभव नहीं था, उन्हें नहर द्वारा सिंचाई करने की सुविधा दी थी।

(२) जी नहीं।

(३) जब तक रेवेन्यू रिकार्ड में ऐसे कुओं की जमीन का वर्गीकरण नहीं बतलाया जाता, सिंचाई विभाग ऐसी जमीन में पानी देने के लिये बाध्य नहीं है।

(४) जी नहीं।

(५) जी नहीं, परन्तु जवाई बांध में पानी की आमद को बढ़ाने हेतु डाइवर्शन की योजना स्वीकृत हो चुकी है। धनराशि उपलब्ध कर उसे प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा रही है।

(६) जवाई बांध की नहरों की क्षमता आवश्यकतानुसार ठीक है इस कारण इनको बड़ा करना, या पक्का करने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम डागरथल में सिंचाई कार्य

३१२. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील निवाई के ग्राम डागरथल में जो सिंचाई बांध है उससे कितने बीघे की सिंचाई होती है ?

(२) क्या यह सच है कि यह बांध ठिकाने के जमाने में बना था और बहुत पुराना है ? यदि हां, तो कितने साल पुराना है ?

(३) क्या यह सच है कि इस बांध की जगह-जगह से पाल टूट गई है और पानी आने के स्रोत खराब हो जाने से पूरा पानी नहीं आता है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई है ?

उत्तर

(१) इस बांध के पूरा भर जाने पर ३२० एकड़ रकबा सिंचित हो सकता है।

(२) जी हां। यह सही मालूम नहीं है कि यह बांध कब बनाया गया था।

(३) जी नहीं। बांध का कैचमेन्ट रेतीला है इसलिए अधिक वर्षा होने पर ही स्रोत से पानी आना सम्भव है।

पहाड़ी मंडल की कृषि भूमि

३१३. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(१) क्या यह सही है कि आलमपुर बांध से पूरा पानी पहाड़ी मंडल में भरता है ?

(२) क्या यह सही है कि इसी कारण पहाड़ी मंडल की कृषि भूमि हमेशा डूब में रहने की वजह से खेती नहीं हो पाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त रकबे के किसानों को पड़त भूमि को मालगुजारी देनी पड़ती है ?

(४) क्या यह भी सही है कि उक्त भूमि डूब में रहने से उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार आलमपुर बांध से एक लिंक ड्रेन कामां-पहाड़ी ड्रेनेज कैनाल में जोड़ने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं, अधिक वर्षा के दिनों में भूमि पर पानी भर जाता है।

(३) डूब में रहने वाली भूमि जिस पर की कोई फसल नहीं की जाती, लगान नहीं लिया जाता है।

(४) आलमपुर बांध का पानी पहाड़ी मंडल का पर्नो मोडरेशन के लिये डाला जाता इसलिये डायरेक्ट लिंक बनाना लाभदायक नहीं है।

ग्राम गुडगांव की कृषि भूमि

३१४. श्री मजलिस खां (कामां) : क्या यह सही है कि गांव गुड़गांव की कृषि भूमि कामां-पहाड़ी ड्रेनेज केनाल के निर्माण हो जाने पर दो भागों में बंट गई है ?

(२) क्या यह भी सही है कि अधिकतर भूमि पूर्व दिशा में रह गई ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रामवासियों ने एक पुलिया निर्माण कराए जाने की मांग की थी ? क्या यह भी सही है कि पुलिया की मंजूरी हो चुकी है ?

(४) क्या राज्य सरकार उक्त ग्रामवासियों की तकलीफ को ध्यान में रखते हुए उक्त पुलिया का निर्माण कराये जाने की स्वीकृति देगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी नहीं। पूर्व की तरफ इस गांव की लगभग १० प्रतिशत भूमि है।

(३) जी नहीं।

(४) पुलिया की आवश्यकता का अध्ययन किया जा रहा है।

मणियारी बांध

३१५. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या मणियारी बांध में पानी अधिक लाने के लिये जो पास में एक छोटा नाला बहता है उसका पानी उसमें डाला जायगा ? अगर हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(श्री सिंचाई मंत्री)

उत्तर

१. इसका विस्तृत सर्वे कर तखमीना बनाने के आदेश दिये जा चुके हैं सर्वे एवं तखमीने की कार्यवाही जारी है।

हेमावास बांध और खुशहाली कर

११६. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जिला पाली के हेमावास बांध के जल वितरण का पर्सेन्टेज निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि खारच भूमि वालों को एलोटमेन्ट में नहीं गिना जावे ?

(२) यदि हां, तो क्या यह भी निर्णय किया गया है कि जिनकी भूमि खारच हो गई है और वह कमान्डेड एरिया है, उसका खुशहाली कर नहीं लिया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

रामबास बन्ध की मरम्मत

११७. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि रामबास बन्ध (तिजारा) की मरम्मत व सुधार का कार्य सरदार हरपालसिंह (मंत्री, राष्ट्रीय श्रमिक सहकारी समिति) को दो हिस्सों में ६४-६५ में दिया गया था ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य के लिए सीमेंट भी सरकारी गोदाम से दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य पूर्ण हो चुका है तथा सीमेंट का उपयोग हो चुका है ?

(३) क्या यह भी सही है कि इसी ठेका सहकारी समिति ने कोठी नारायणपुर बन्ध की मरम्मत व सुधार के नाम से गलत तौर पर सीमेंट ली और उसे ब्लेक मार्केट में बेचा ?

उत्तर

(१) जी हां यह काम १६६६-६७ में दिया गया था।

( ) जी हां, समिति को दो कार्य दिये गये थे जिसमें से एक कार्य समिति ने पूरा किया जो कार्य पूरा नहीं किया उसमें सीमेंट के उपयोग के बारे में जांच की जा रही है।

(३) जी नहीं। ब्लेक मार्केट में बेचने का विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

जयसमन्द बांध में पानी की कमी

११८. श्री गंगासहाय (कठूमर-सु०) क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बारां की नदी (रूपारेल नदी) अलवर के बारां (नटनी का बारां) स्थान पर दो भागों में विभक्त हो जाती है और एक धारा का पानी भरतपुर में जाता है और दूसरी का पानी जयसमन्द (अलवर) बांध में चला जाता है।

(२) गत वर्ष दो-ढाई माह तक अलवर जिले में निरन्तर वर्षा होने के बाद भी जयसमन्द बांध में पानी कम आने का क्या कारण रहा ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जयसमन्द बांध की फीडर चैनल के अन्दर कुछ एक काश्तकारों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है जिसके कारण फीडर में सिल्ट जमा होने के कारण पानी पूरे वेग से फीडर चैनल में नहीं चलता।

स्थगित प्रश्न

(२-९-६८)

कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज में चराई की दरें

१२७. श्री जुझारसिंह (रामगंजमण्डी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कोटा, झालावाड़ व बारां फोरेस्ट डिविजन में कौन-कौन से ब्लॉक चराई की दृष्टि से कैटल कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज घोषित किये जा चुके हैं ? कृपया तफसील बताने का कष्ट करें।

(२) कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज में अलग-अलग किस्म के मवेशियों पर किन रेटों पर क्या-क्या रकम वसूल की गई है ?

(३) लाडपुरा रेन्ज में घोषियान व काश्तकारान से अलग-अलग क्या चराई रेट ली जाती है और दोनों मदों में कितने जानवरों पर क्या चराई वसूल की गई है ?

(४) कोटा डिविजन में ऊंटों की चराई की क्या रेट है और इस मद में कितनी आमदनी महकमें को हो रही है ?

(५) सेंक्चुरी की हद में बसने वाले मवेशियों के हक चराई व रेट क्या होंगे ? व कोटा डिविजन के कितने गांवों की सरहद सेंक्चुरी की हद में आई हुई है ?

उत्तर

(१) कोटा, बारां, झालावाड़ वन मण्डल में चराई की दृष्टि से केटल कन्सेन्ट्रेटेड एरिया घोषित किये गये उनकी तालिका संलग्न है।

(२) कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज में अलग २ किस्म के मवेशियों पर जिन दरों से व जो चराई वसूल की गई है उनकी सूची संलग्न है।

(३) लाडपुरा रेन्ज में घोषियान से ५ मवेशी से ज्यादा होने पर भैंस, भैंसा, झोटी पर ४/- रु० की दर से व पाड़ा व पाड़ी पर १.५० पैसे की दर से चराई ली जाती है। काश्तकारान से भी ५ मवेशी से अधिक होने पर भैंस, भैंसा, झोटी के फी शत दो रुपया व तीन रुपये की दर से व पाड़ा-पाड़ी पर ७५ पैसा व १.१२ पैसा की दर से चराई ली जाती है। घोषियान से ६० भैंस-भैंसा, झोटी, पाड़ा-पाड़ी पर २१७.५० पैसे व काश्तकारान से १२३.३ भैंसे, भैंसों, झोटी, पाड़ा-पाड़ी पर २,२६०.६१पैसे चराई सन् ६७-६८ में वसूल की गई है।

(४) कोटा डिविजन में ऊंट व बोतों की चराई की रेट क्रमशः २.०० व १.०० फी नग है। इस मद में कोटा डिविजन में सन् ६७-६८ में महकमे को ८,८७६.०० की आमदनी हुई है।

(५) दरा गेम सेंक्चुरी की हद में बसने वाले मवेशियों के हक मुताबिक निर्णय फोरेस्ट सेटिलमेंट निम्न प्रकार है:—

[१] निजी गाय, बैल चराई से मुक्त रहेंगे।

[२] भैंस-भैंसा विज्ञप्ति राजस्थान, वन विभाग, जयपुर दिनांक २४-११-५५

(श्री वन मंत्री)

के अनुसार ५ मवेशियों तक नि:शुल्क व पांच से अधिक होने पर राजस्व पत्र के अनुसार महसूल देकर चराते रहेंगे लेकिन बरसात में बीड़ों व हाकों में मवेशी नहीं चरा सकेंगे।

चराई की दरें निम्न प्रकार हैं:—

[१] बैल नारकियां जो खेती के काम में नहीं आते हैं उनसे १ रु० फी रास चराई वसूल होती है।

[२] भैंस-भैंसा, भोटी की दर यदि वे ५ से अधिक हों तो पूरे मवेशियों पर एक रुपया फी भैंस चराई वसूल की जाती है व पाड़ा-पाड़ी की दर फी नग ३७ पैसा।

[३] केटल कन्सेन्ट्रेटेड एरिया में मवेशी चराने पर उक्त रेट से दुगुनी चराई वसूल की जाती है। कोटा डिविजन में २५ गांवों की सरहद बरा गेम सेंक्च्युरी की हद में आती है।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२-९-६८)

सांकड़ ग्राम पंचायत के व्यक्तियों के राशन कार्ड

१२८. श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला जालौर के सांकड़ ग्राम पंचायत के करीब २७ व्यक्तियों के राशन कार्ड सन् १९६७ में एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर, भीनमाल ने फर्जी रजिस्टर में दर्ज करने के कारण अपने कब्जे में लिये थे ? यदि हां, तो उस पर ब्लांड के लाइसेन्सदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई तो क्यों ?

(दिनांक १९-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२-९-६८)

एस. डी. एम. हिन्डौन द्वारा दौरे

१४०. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) एस. डी. एम. हिन्डौन ने जब से हिन्डौन ए. डी. एम. का चार्ज कार्यभार संभाला तब से दिसम्बर, १९६७ तक कितने दिन हैडक्वार्टर से बाहर रहे हैं और कहां-कहां ?

(२) क्या यह सच है कि उपरोक्त समय में व अधिकतर महुआ व टोडाभीम के दौरे पर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या कारण था ?

(३) क्या यह सच है कि उनके हर समय बाहर रहने से किसानों व अन्य लोगों को बहुत परेशानी हुई है ? यदि हां, तो इसका कौन जिम्मेवार है और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सरकार क्या कदम उठा रही है ?

(दिनांक १९-९-६८ के लिये स्थगित किया गया)

(१२.१६ म० प०)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री फूलचन्द बाफना, सदस्य, विधान सभा ने एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है जिसमें यह बतलाया है कि जवाई बांध की तहतगढ़ नहर से जो नई शाखा खोली जा रही है उसको गलत जगह से निकालने के कारण बड़ी फसल को नुकसान होने की आशंका है। जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा।

एक अन्य स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, श्री केदारनाथ, श्री हरजीराम बुरड़क व श्री रामानन्द अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान में पिछले तीन वर्षों में टेक्निकल शिक्षा प्राप्त अधिकांश छात्र अर्थात् डिप्लोमा होल्डर्स एवं डिग्री होल्डर्स की बेकारी से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इस पर निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित किया जायगा।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि निम्न स्थगन-प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के नहीं है कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर आज विचार किया जाय। अतः मैं इनको सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं :—

(१) सीमेन्ट फैक्ट्री, सवाई माधोपुर के ३०० मजदूरों को काम पर न लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री हरिवल्लभ शर्मा द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(२) झुन्झुनूं नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के बारे में श्री हरलालसिंह द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(३) पाली जिले के प्रमुख द्वारा पंचायत अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के खण्ड (३) का उल्लंघन के बारे में श्री दौलतराम आगरी द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(४) पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा द्वारा पिछले कई वर्षों में दिये गये ऋणों की वसूली के बारे में श्री जुझारसिंह द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(५) गंगानगर जिले में राजस्थान कैनाल की टैलों से पानी न पहुँचने से किसानों में असन्तोष के बारे में श्री रामचन्द्र आर्य, श्री श्रवणलाल, श्री रामसिंह कुड़ी, श्री केदारनाथ व श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(६) ग्राम बावा, तहसील नोहा के हरिजनों की काश्तशुदा जमीन पर समाज विरोधी तत्वों का जबरन कब्जे के बारे में श्री चुन्नीलाल इन्दलिया द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(७) सूर्य सागर तालाब, बीकानेर में गंदा पानी डालने से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री चुन्नीलाल इन्दलिया, श्री रामचन्द्र आर्य व श्री रामसिंह कुड़ी द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

(८) अजमेर जिले में पुलिस अधिकारियों की अकर्मण्यता से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री भगवानदास शास्त्री, श्री श्रवणलाल व श्री देवीदत्त गाड़िया द्वारा स्थगन-प्रस्ताव।

वेतन आयोग की रिपोर्ट व सरकार के निर्णय माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन की मेज पर रखेंगे।

Page No. 52

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने गंगानगर जिले में राजस्थान कैनाल की टेलों पर पानी नहीं पहुँचने के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव दिया है। आज की भयंकर कहतसाली की स्थिति को देखते हुए वहां के काश्तकारों की जमीनों में पानी नहीं लगने से

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर प्लीज ! मैंने निर्णय सुना दिया है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय अध्यक्षजी, आज से ८ रोज पूर्व और इससे पहले और बाद में ३-४ स्थगन प्रस्ताव दिये है उनके सम्बन्ध में आसन ने यह आश्वासन दिया था और आज भी एक इतना महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव था वह स्थगन-प्रस्ताव कोटा क्षेत्र में चम्बल नहर के कर्मचारियों की छंटनी के सम्बन्ध में था और दूसरा स्थगन-प्रस्ताव कावड़ी के अन्दर पुलिस की ज्यादती के द्वारा, थानेदार के जुल्म और अत्याचारों के द्वारा २५ आदमियों की की गई गिरफ्तारी के बारे में था। माननीय अध्यक्षजी...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। यह मेरी जानकारी में है। मैं कल उस पर निर्णय दूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान कैनाल की टेलों में पानी पहुँचाने के बारे मे सरकार की तरफ से ढील हो रही है। आज राजस्थान के अन्दर भयंकर कहतसाली पैदा हो गई है। राजस्थान कैनाल में इतना ज्यादा पानी है, लेकिन सिंचाई विभाग की उदासीनता के कारण टेलों पर पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिये वहां पर हजारों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। पानी नहीं लगने से फसलें पैदा नहीं होगी इसलिये तुरन्त इस पर विचार किया जाकर टेलों पर पानी पहुँचाया जाय...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य। माननीय मुख्य मन्त्री जी !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,...

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्रीजी यहां बैठे हुए हैं। इनसे जवाब दिला देवें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके ऊपर आपका क्या विचार है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं निम्नांकित सदन की मेज पर रखता हूं...

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसा इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेन्ट हाउस को कान्फीडेन्स में लेकर स्टेटमेन्ट दे दे तो क्या आपत्ति है ?

श्री अध्यक्ष : स्टेटमेन्ट का प्रश्न नहीं है। मैंने निर्णय दे दिया है इसलिये मैं गवर्नमेन्ट को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकता।

श्री रामचन्द्र आर्य : निर्णय लेने से पहले आपको यह सोचना चाहिये कि राजस्थान में कितनी भयंकर कहतसाली है। उस कहतसाली की वजह से...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य आॅर्डर प्लीज !

श्री रामचन्द्र आर्य : अगर जमीन में पानी लग जायगा तो फसलें खड़ी हो जायगा....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आॅर्डर प्लीज।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना करूंगा कि स्थगन प्रस्ताव रखते हैं और आपका निर्णय हो जाता है उसके बाद भी बार-बार माननीय सदस्य मना करने पर भी नियमों के विरुद्ध आचरण करते हैं तो इनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये...

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : लेकिन हम यहां पर राजस्थान की दो करोड़ जनता का दुःख-दर्द और समस्याओं को यहां सदन में रखने के लिये, बताने के लिये आये हैं....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें कृपया। आॅर्डर-आॅर्डर !

माननीय मुख्य मन्त्री !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्षजी मै....

श्री भैरोंसिंह : आॅन ए पाइन्ट आॅफ आॅर्डर। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी जिन अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, वह तीन अधिसूचनायें हैं। एक ४ नवम्बर, ६६ की है, दूसरी ११ सितम्बर, १९६७ की है और तीसरी ४ मई, १९६८ की है। जहां तक तीसरी अधिसूचना का सम्बन्ध है उसके बारे में मैं विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा लेकिन पहली दो अधिसूचनायें १९६६-६७ की है वह समय पर सदन की मेज पर क्यों नहीं रखी गई ? इसके बारे में माननीय मुख्य मन्त्रीजी बतायें। यदि सदन की मेज पर समय पर रखने में गलती हुई है तो, अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं विचार करें आप स्वयं ने इस सम्बन्ध में आदेश दिये हैं, तो सरकार ने आपके आदेशों का उल्लंघन किस प्रकार से किया है ?

श्री बी. एन. जोशी : Point of order Sir, This is no point of order.

श्री जयनारायण सालोदिया : आप बहुत ज्यादा जानते हैं।

श्री बी. एन. जोशी : This is no point of order.

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आॅफ आॅर्डर पर निर्णय क्या मन्त्री महोदय लेने लगे हैं ?

श्री भैरोंसिंह : हाउस में कच्ची कौड़ियां हैं उनकी बात को सीरिअसली नहीं लेना चाहिये।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : पाइन्ट आॅफ आॅर्डर पर निर्णय का काम चेअर का है, आपका और मेरा नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य की सूचनार्थ निवेदन है कि प्रथमतः तो मुख्य मन्त्रीजी वेतन आयोग की रिपोर्ट को सदन

(श्री अध्यक्ष)

की मेज पर रखेंगे। इसलिये यह जो प्रश्न उठाया है यह उसके बाद आता है।

श्री भैरोंसिंह : वही रख रहे थे।

श्री अध्यक्ष : नहीं। उसके बाद आता है। प्रश्न भी उठेगा तो उसके बाद उठेगा।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पहले प्रस्तुत किया मेरे प्रस्ताव के पहले, उसके सम्बन्ध में विलम्ब होने के लिये मैं खेद प्रकट करता हूं और आगे इसका ध्यान रखने के लिये कहना चाहता हूं। अब एजेन्डा पर है उसके मुताबिक मैं प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नांकित पत्र सदन की मेज पर रखता हूं:—

१. राज्य कर्मचारियों और जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में राजस्थान वेतन आयोग के प्रतिवेदन।

२. राजस्थान वेतन आयोग प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा लिये गये निर्णय: मंत्री परिषद् आदेश संख्या २२६, दिनांक २०-८-६८।

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास !

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

१. अधिसूचना संख्या एफ. ७ (६) रेवे./ख/६७, दिनांक २४ जुलाई, १९६७।

२. अधिसूचना संख्या एफ. ६ (३४) रेवे./बी/६७, दिनांक १७ जनवरी, १९६८।

३. अधिसूचना संख्या एफ. ६ (४२) राज./ख/६७, दिनांक १२ मार्च, १९६८।

४. अधिसूचना संख्या एफ. १ (७) रेवे./बी/६६, दिनांक २० मई, १९६८।

५. अधिसूचना संख्या एफ. १ (१८) रेवे./बी/६६, दिनांक ६ जून, १९६८।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मन्त्री !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्षजी मैं सामान्य प्रशासन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं:—

१. अधिसूचना संख्या एफ ६ (१६) जी० / ए/ए/६४, दिनांक ४ नवम्बर, १९६६।

२. अधिसूचना संख्या प० ६ (११) जी० ए/ए/६४, दिनांक ११ सितम्बर, १९६७ तथा

३. अधिसूचना संख्या एफ ६ (१६) जी० ए/ए/६४, दिनांक ४ मई, १९६८।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक अनुदानों की मांगों, १९६८-६९ का उपस्थापन !

श्री बी० एन० जोशी (राज्य मन्त्री, वित्त) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों १९६८-६९ (प्रथम संकलन) के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

Page No. 55

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन ! श्री मूलचन्द डागा !

श्री भैरोंसिह : ऑन ए पाइन्ट ऑफ ऑर्डर, अध्यक्ष महोदय, जो यह सप्लीमेन्ट्री डिमान्ड्स के बारे मे सब्यूं लेट की गई है पत्रावली, उस पत्रावली में फाइनेन्स कमिश्नर मोहन मुखर्जी के हस्ताक्षर हैं। मैं समझता हूं कि सदन में जो भी सरकार की तरफ से पत्रावली प्रस्तुत की जाती है उसमें सरकारी अधिकारी के हस्ताक्षर से प्रस्तुत नहीं की जा सकती, उस पर हस्ताक्षर मन्त्री के होने चाहिये। लेकिन इसके विपरीत जो पत्रावली प्रस्तुत की गई है, और सदन की मेज पर रख रहे हैं, सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें मोहन मुखर्जी के, फाइनेन्स कमिश्नर के हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष : यस ! मन्त्री महोदय !

श्री केसरीसिंह हाड़ा : यह पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर है, इसको भी साफ कर दीजिये।

श्री बी० एन० जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन किया जा चुका है। जो प्रोसीजरल फार्मेलिटीज हैं उनके कारण हाउस की प्रोसीडिंग्स को किसी प्रकार से ब्रेक नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिह : सुनाई नहीं दिया।

श्री बी० एन० जोशी : हाउस की प्रोसीडिंग्स को प्रोसीजरल फार्मेलिटी रोक नहीं सकती।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उपयुक्त है क्या ?

श्री भैरोंसिह : आप, अध्यक्ष महोदय, किन्हें पूछ रहे हैं।

श्री बी० एन० जोशी : इसमें मैं क्या निवेदन कर सकता हूं, यह तो प्रोसीजरल फार्मेलिटी है।

श्री अध्यक्ष : जो आपत्ति का प्रश्न उठाया गया, जो प्रस्तुत हुआ है दस्तावेज उसके सम्बन्ध में, तो यह एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम है, यह अब तक इस स्थिति में पेश किया जाता रहा है। फिर भी मैं चाहूंगा कि इस परम्परा को निभाया न जाय भविष्य के अन्दर तो अच्छा है।

श्री भैरोंसिह : पहले एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम सरकार की तरफ से पेश हुए हैं वह वित्त मन्त्री के हस्ताक्षर से पेश हुए हैं।

श्री बी० एन० जोशी : मेमोरेन्डम हुए हैं।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, तो फिर इसका काग्नीजेन्स कैसे लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : सचेत कर दिया है सरकार को।

श्री भैरोंसिह : यह कार्यवाही गलत है तो काग्नीजेन्स हाउस कैसे लें।

श्री अध्यक्ष : जो मुख्य बात है वह कह दी।

श्री भैरोंसिह : मुख्य बात यह है उसकी वजह है, जब तक एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम प्रस्तुत नहीं किया जाता उस समय यह इन्कम्पलीट है। जो डिमाण्ड प्रस्तुत कर दी वह तो मन्त्री के हस्ताक्षर से प्रस्तुत कर दी लेकिन उसके साथ ही उसका जो नेसेसरी पार्ट एक्स्प्लेनेटरी मेमोरेन्डम है उस पर उनके हस्ताक्षर हैं नहीं और जिसको प्रस्तुत करना

(श्री भैरोंसिंह)

चाहा है उसके ऊपर फाइनेन्स कमिश्नर के हस्ताक्षर हैं। ऐसी हालत में वह इन्कम्पलीट है और इस दशा में वह हाउस में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं व्यवस्था दे देता हूं।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री डागा !

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : अध्यक्ष महोदय, मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के पंचम् एवं षष्टम् प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : आधे घन्टे की चर्चा।

ग्राम पडिहारा में भूमि एलाटमेन्ट सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा श्री लाभचन्द वेद उठायेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न राजस्थान के भूतपूर्व वित्त मंत्री श्री कौल के विरुद्ध आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। मैं इस प्रश्न को इस सदन में पहले भी उठाया था जब कि उपाध्यक्ष महोदय इस आसन पर विराजमान थे। उन्होंने इसकी रूलिंग आपके आने तक स्थगित की थी। इसलिये मैं चाहूंगा कि उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर आप अपनी रूलिंग दें, आप उसको एडमिट करें और उसको मूव करने की इजाजत दें।

श्री अध्यक्ष: उस पर आज मैं व्यवस्था दे दूंगा।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह हाफ एन अवर डिस्कशन जिस पाइन्ट पर आया है, वह एक भूमि आवंटन के सम्बन्ध में जो प्रश्न पूछा गया था उस पर आधे घंटे की चर्चा चाही गई है। मेरा निवेदन है कि भूमि आवंटन के बारे में एक दावा सिविल कोर्ट में दायर कर दिया गया है, इसलिये यह इश्यू है, जो जमीन आवंटित हुई वह गलत हुई, उसको चरागाह डिक्लेअर किया जाय इसके ऊपर डिस्कशन करना उचित नहीं है।

श्री दौलतराम सारण: यह आप पहले दे सकते थे स्पीकर महोदय को।

श्री लाभचन्द वेद: पडिहारा में जो भूमि का एलाटमेंट किया गया है वह...

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न अदालत के समक्ष विचाराधीन है, इन्हीं आधारों पर इसलिए इसका विवेचन यहां हो यह उपयुक्त नहीं है।

श्री लाभचन्द वेद: उस विषय में नहीं है। यह भूमि का आवंटन का तरीका गलत है उसके विषय में कह रहा हूं। मैं उन प्रश्न पर...

श्री अध्यक्ष : वह प्रश्न भी अदालत के विचाराधीन है।

श्री लाभचन्द वेद : अदालत के विचाराधीन तो दूसरी कोई आपत्ति है...

श्री अध्यक्ष : आपत्ति है जो प्रश्न विचाराधीन होता है न्यायालय के उस पर जब तक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक सदन विचार नहीं करता। यह आपत्ति है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(१२.३० म० प०)

शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष: मन्त्री महोदय द्वारा वक्तव्य ।

पंचायत समितियों के अधिकार क्षेत्र से प्राथमिक शिक्षा को निकालने सम्बन्धी ।

परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री):—अध्यक्ष महोदय, गत कुछ समय से पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं के अध्यापकगण मांग कर रहे है कि प्राथमिक शिक्षा को पंचायत समिति व जिला परिषद् के नियंत्रण से हटाया जा कर वापिस राज्य सरकार के अन्तर्गत दे दिया जाय । उनकी उक्त मांग के पक्ष मे दिये गये कारण इस प्रकार हैं:—

(१) वेतन, बकाया एरियर्स का भुगतान नहीं होना ।

(२) राजनैतिक व पक्षपात के आधार पर बारबार स्थानान्तरण होना ।

(३) पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा के हस्तान्तरण के पश्चात् शिक्षा के स्तर में ह्रास होना ।

(४) उन शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिलना और पंचायत समितियों की प्राथमिक शालाओं में ट्रेन्ड अध्यापकों के उपलब्ध होने पर भी अनट्रेन्ड अध्यापकों को नियुक्त करना ।

इस सम्बन्ध में ३० अगस्त और ३ सितम्बर, ६८ को राजस्थान शिक्षक संघ का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और मेरे से मिला । विचार-विमर्श के बाद प्राथमिक शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने तथा शिक्षकों की अन्य कठिनाइयों को हल करने के लिये क्या व्यवहारिक कदम उठाये जायं, इन सब प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिये एक सेमिनार सितम्बर में आयोजित की जावे, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष डी० एस० कोठारी, शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों, पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों और राजस्थान शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों को भाग लेने के लिये आमंत्रित किया जाकर सेमिनार का आयोजन करें ।

इस निर्णय के पश्चात् अध्यापकों ने अपना आन्दोलन स्थगित कर दिया और आशा है कि सेमिनार में इन सब मसलों पर विचार-विमर्श के पश्चात् शिक्षा स्तर को सुधारने और अध्यापकों की अन्य समस्याओं के सम्बन्ध में कदम उठाया जायगा ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है, वह मैं समझता हूं इस प्रश्न के महत्व को देखते हुए, यह सारा जवाब टालमटोल का है। हम भी चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, सत्ता में डिसेंट्रे-लाइजेशन हो, पंचायत समितियों को अधिकार ज्यादा मिले पर इसका मतलब यह नहीं है कि पंचायत समितियों को शिक्षा देने के बाद में जो प्राथमिक शिक्षा के स्तर में ह्रास हो रहा है, पंचायत समितियों में प्राथमिक शिक्षा को देने से जो कटु अनुभव हमें हो रहे हैं, उसे हम आंखें मूंद कर देखते रहें। पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा देने से जैसी प्रारम्भिक शिक्षा हमारे बच्चों को मिलनी चाहिये वह नही मिल रही है। इसके कारण मंत्री महोदय ने बताये हैं, शिक्षक संघ ने बताये हैं, उनसे स्पष्ट है और

Page No. 58

(श्री जयनारायण सालोदिया)

हम लोग रोज देखते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो पंचायत समितियों में अध्यापक हैं, उनके प्रोमोशन का कोई आधार नहीं है उनके ट्रान्सफर्स का कोई आधार नहीं है, उनकी नियुक्तियों के बारे में कोई आधार नहीं है। बी. डी. ओ., प्रधान, सरपंच पोलिटिकल माइन्ड रखते हैं, ऐसे लोगों के हाथों में अध्यापकों के ट्रान्सफर्स, प्रोमोशन्स और नियुक्तियों का काम रहे तो आप, अध्यक्ष महोदय, स्वयं अन्दाज लगा सकते हैं कि जो लोग राजनैतिक माइन्ड रखते हैं वे किस प्रकार से इन मामलों में अध्यापकों के साथ न्याय कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह एक आम मसला है, राजनैतिक आधार पर इन अध्यापकों के साथ में व्यवहार किया जाता है। जो अध्यापक किसी सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, या किसी असरदार व्यक्ति, जो कि राजनैतिक क्षेत्र में असर रखता है, इन लोगों से बना कर चलता है उसे प्रोमोशन मिल जाता है और जो अध्यापक इन लोगों की खुशामद नहीं करते, उनको बार-बार ट्रान्सफर किया जाता है, उनको निलम्बित किया जाता है, उनको किसी प्रकार का प्रोमोशन नहीं दिया जाता, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और इस प्रकार ऐसे अध्यापकों को कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन अध्यापकों के प्रोमोशन, ट्रान्सफर आदि पंचायत समिति की प्रशासन समिति है, शिक्षा समिति है, उसके अधीन हैं।

एक तरफ हम नारा लगाते हैं कि पंचायतों को, पंचायत समितियों को और पंचायत राज को सशक्त करना चाहते हैं, इनको ज्यादा अधिकार देना चाहते हैं, मैं भी इसके फेवर में हूं, इससे हमें कोई एतराज नहीं है पर जो वाजिब अधिकार हैं, उनका सही उपयोग होना चाहिये, पंचायत समितियों को दे कर इन शिक्षकों का भाग्य बांध दिया जाता है। एक तरफ हम यह चाहते हैं पर दूसरी तरफ शिक्षक भी हमारे समाज के बहुत ही महत्त्वपूर्ण अंग हैं। समाज के उत्थान और पतन में ये शिक्षक बड़ा महत्त्वपूर्ण हिस्सा अदा कर सकते हैं। उनके हितों को भी हमें देखना होगा।

हमारे यहां निवाई की पंचायत समिति में एक-एक साल में एक अध्यापक के ६ ट्रान्सफर हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस मामले में मन्त्री महोदय ने क्या हस्तक्षेप किया? जो एक प्रश्न विधान सभा में पूछा गया था उसके उत्तर में मन्त्री महोदय की तरफ से कहा गया था कि एक अध्यापक का एक साल में ६ दफा ट्रान्सफर किया गया है, तो इस बारे में आपने क्या चैक लगाया है?

इसी तरह के सारे मसले पंचायत समितियों के तहत जो अध्यापक हैं, उनके हैं। आज ही मेरा एक प्रश्न था, हमारे यहां टोंक डिस्ट्रिक्ट में इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स के तहत अध्यापक थे उनको १-१-६० से मैट्रिक ग्रेड दे दिया गया है.......

श्री केदारनाथ (गंगानगर): जैसी कि मंत्री महोदय ने घोषणा की कि अध्यापकों ने उनकी मांगों पर सेमिनार में डिस्कशन कराये जाने के आधार पर अपना एजिटेशन वापिस ले लिया तो जिस समय सरकार इस संबंध में कोई भी निर्णय ले तो इस बारे में इस हाउस को जरूर कॉन्फिडेन्स में ले। इस पर एक दिन डिबेट का रखा जाय। अगर आज ही सरकार इस पर डिबेट कराने के लिये विचार रखती हो तो हम उसके लिये तैयार

(श्री केदारनाथ)

हैं। एक दिन अवश्य इसके लिये डिबेट का रखा जाय।

श्री जयनारायण सालोदिया : ट्रेन्ड टीचर्स से को १-१-६० से ट्रेन्ड ग्रेड दे दिया, पर पंचायत समितियों के अध्यापकों को उनके द्वारा बार-बार मांग रखे जाने पर भी आज ८ साल बाद तक भी, उनके इस मांग के बारे में राज्य सरकार विचार नहीं कर रही है।

पंचायत समितियों में अध्यापक बी. ए. बी.एड., एम्.एड. तक के बैठे हैं, पर उनको कोई ग्रेड नहीं दिया जाता। वे लोग कहते हैं कि पंचायत समितियों के तहत रहने से हमारा विकास रुक रहा है। हमने महनत की है, हम लोग पढ़े हैं, हमने डिग्री हासिल की है, उस डिग्री का क्या उपयोग हुआ? बी. एड., एम. एड. उन लोगों ने पास किया है पर वहीं के वहीं रुके बैठे हैं।

तो, अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायतों को पंचायत समितियों को ... बनाना चाहते हैं, 'वेलकम' पर शिक्षा की दृष्टि से यह कहते हैं कि शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ है. यह मुझे नहीं लगता। पंचायत समितियों को प्राथमिक शिक्षा देने से शिक्षा का स्तर नीचे गिरा है। अध्यापकों में डिविजन हुआ है। जो अध्यापक इन लोगों को खुश रखते हैं, पढ़ाने नहीं जाते, फिर भी उनको प्रोमोशन दिये जाते हैं, और जो अध्यापक इन लोगों को खुश नहीं रख सकते, वे लोग हालांकि रात दिन पढ़ाने में मेहनत करते हैं फिर भी उनको प्रोमोशन नहीं दिये जाते, उनको उनके वाजिब अधिकार नहीं दिये जाते हैं। यही कारण है कि अध्यापक वर्ग में इस प्रकार का असंतोष पैदा होता है, आन्दोलन करने की भावना जागृत होती है। तो क्या आप इस प्रकार का व्यवहार इस वर्ग के साथ करके इस समाज के महत्वपूर्ण अंग में भी आन्दोलन करने की प्रवृत्ति जागृत करना चाहते हैं? यह शिक्षा की दृष्टि से अनुचित है, यह समाज की दृष्टि से अनुचित है और सरकार की दृष्टि से भी अनुचित है। जो शिक्षाशास्त्री होते हैं वे पढ़े-लिखे लोग होते हैं। उनके दिमाग में इस प्रकार के आन्दोलन करने की बू नहीं होती है, आपने उनको भी इस लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है। सरकार की गलत नीतियों ने उनको भी मजबूर कर दिया है अब उन्होंने आन्दोलन करने की ठान ली है। अगर उन लोगों ने आन्दोलन किया तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका बड़ा बुरा परिणाम निकलेगा और शिक्षा के स्तर पर व लड़के के भविष्य उसका बुरा असर पड़ेगा। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे सेमिनार करें, चाहे बैठक करें कुछ भी करें शीघ्रातिशीघ्र इनकी मांगो के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्ण विचार करके महत्वपूर्ण निर्णय लें, जिससे इन लोगों के दिमाग में आन्दोलन की भावना पैदा हुई है, वह दूर हो और कोई सही रास्ता निकाला जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एडजोर्नमेन्ट मोशन के जरिये यह प्रश्न सदन के सामने रखा था यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं इस बात में जिस पार्टी से मेरा सम्बन्ध है, उस पार्टी ने स्वीकार किया था और आज भी स्वीकार करती है कि सिद्धान्त के तौर पर प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायत समिति को

Page No. 60

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

दिया जावें, इसमें कोई बुनियादी गलती नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के पक्ष में हैं कि शासन का विकेन्द्रीकरण किया जाय और उस विकेन्द्रित शासन में पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परि दों को केवल दिखावटी तौर पर नहीं बल्कि वास्तविक तौर पर उनको अधिक से अधिक सत्ता हस्तान्तरित की जाय, उनको आर्थिक साधन दिये जायँ ताकि जो जिम्मेदारियां उन पर डाली हैं, उनको वे पूरा कर सकें।

अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि आज जो पंचायत समितियों की हालत है और जो रुख सरकार ने लगातार पंचायत समितियों और पंचायतों के प्रति अपनाया है, वह ऐसा है कि हड्डियां-हड्डियां जैसे रह गई हों, उसमें मांस नहीं है. उसके अन्दर वास्तविक शरीर नहीं है, सिर्फ पिंजर पंचायत समितियां बनकर रह गई है। सरकार तमाम वित्तीय साधन इन पंचायतों और पंचायत समितियों से ले रही है। मांग यह थी कि इन पंचायत समितियों और पंचायतों को आर्थिक साधन दिए जायं, भूमि राजस्व का पूरा हिस्सा या उसका बड़ा अंश उनको दिया जाय ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकें। परन्तु हालत यह है कि सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दीं कि खुद तो भारी आर्थिक संकट में है और इन स्वायत्त शासन संस्थाओं को भी भारी संकट में डाल दिया है और इसलिये आज जो शिक्षा की और शिक्षकों की हालत पंचायत समितियों के अंदर हो गई है, उसमें इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि पंचायत समिति का शिक्षक जो पंचायत समितियों में प्राथमिक शिक्षा के पद पर जाने से पहले दूसरे शिक्षकों की भांति गर्व से उनकी श्रेणी में अपने को मानता था, आज सरकार ने कानूनी तौर पर और वास्तविक तौर पर भी पंचायत समितियों में काम करने वाले शिक्षकों को एक सेकन्ड ग्रेड शिक्षक, इन्फीरियर शिक्षक बना दिया। उनका दर्जा सरकार द्वारा चलाए स्कूलों के अध्यापकों से नीचे कर दिया। चाहे प्रोमोशन का सवाल हो, चाहे फिक्सेशन का मामला हो, चाहे ओरिजिनल एपॉइन्टमेन्ट का मामला हो और चाहे ट्रान्सफर्स का मामला हो, आज इस शिक्षक की हालत जो सरकार द्वारा चलाई हुई संस्थायें हैं उनसे नीचे दर्जे की हो गई है और इसलिये स्वाभाविक है कि अध्यापक जिनमें स्वाभाविक तौर पर आगे तरक्की करने की इच्छायें हैं, सेवा करने की भावनाएं हैं, उनको वह पूरा नहीं कर सकता। बल्कि आज जिन पंचायत समितियों का वास्तव में ग्राम की जनता का सेवा करने के लिये निर्माण किया गया, वे असमर्थ हो गई। सरकार द्वारा सत्ता अपने हाथ में लेने, उन पर तलवार हर समय लटकते रहने के कारण, किसी भी प्रधान के खिलाफ अगर सरकार चाहे तो उनके खिलाफ कार्यवाही करले और जिसके खिलाफ सरकार नहीं चाहे तो जैसे डीडवाना प्रधान के खिलाफ चाहे दुनिया भर के लांछन हों, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो ये संस्थायें वास्तव में जनता की सेवा संस्थाएं बनने के बजाय इन्डाइरेक्ट तरीके से ग्राम जनता का उत्पीड़न करने की संस्थायें हो गई हैं। इन परिस्थितियों में हमारे दल ने इस बात को महसूस किया है कि यदि अध्यापकों की हालत····

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(१२.४५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष; पदासीन)

जो मौजूदा है, उसी प्रकार की रहती है, सरकार कोई इस प्रकार का तरीका नहीं निकालती, जिससे ये अध्यापक अपने आप को सरकार द्वारा चलाई हुई संस्थाओं के अध्यापकों के बराबर अपने को महसूस कर सकें, तो हमें सोचना पड़ेगा। उनकी तरक्की, उनकी नियुक्ति, उनके ट्रान्सफर्स के मामले में उनको किसी प्रकार की इन्फीरियोरिटी न हो, उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल सके, ऐसा अवसर सरकार को उनको देना चाहिये। मेरी भी अध्यापकों से बातें हुई हैं, उनकी जिद्द नहीं है कि वे इन पंचायत समितियों में न रहें परन्तु जिस प्रकार की हालत है, जिस प्रकार सरकार की नीति है, जिस प्रकार सरकार एक के बाद एक करके उनसे अधिकार छीनती जा रही है, जिस प्रकार उनका सिकुड़न करती जा रही है; उससे ऐसा नहीं लगता कि सरकार उनके साधनों को बढ़ाएगी जिससे ऐसा रास्ता निकले कि पंचायत समितियों में काम करने वाले अध्यापकों को वास्तव में अपनी प्रतिभा का पूरा उपयोग हो सके और अपने हितों का संरक्षण कर सकें।

हमारे देश में जो शिक्षा-शास्त्री हैं, उन्होंने इन बातों पर काफी अध्ययन किया है और उन्होंने इस बात को सिद्धान्त तौर पर किसी चीज को लागू कर दें, इस रूप में नहीं परन्तु क्या हालात है, किस प्रकार के वित्तीय साधन हैं, इस आधार पर इन संस्थाओं को इन पंचायत समितियों या दूसरी संस्थाओं को देने का उन्होंने निर्णय किया है। इस प्रकार से समान रूप से सारे देश में इस बात को बगैर दूसरी बातों का खयाल किए हम लागू नहीं कर सकते।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात अलग है कि मुख्य मंत्रीजी या पंचायत मंत्री मेन्योअर करके, अध्यापकों का असन्तोष कुछ समय के लिये टाल सकें, या वास्तविक समस्या है उसका हल किए बगैर केवल टलाऊ नीति से आप दबाना चाहें तो आप दबा नहीं सकते। आज किसी सवाल ने अध्यापकों को एजीटेट नहीं किया जितना कि इस प्रश्न ने उनको एजीटेट किया है और मैं समझता हूं कि कोई भी लीडरशिप चाहे राजस्थान शिक्षक संघ हो या और कोई हो, उनकी भावनाओं का खयाल न करके चलेगी तो अध्यापक गण इस प्रकार की लीडरशिप के नीचे भी चलने में उनके दिमागों में बहुत सन्देह रहेगा। मंत्री महोदय ने घोषणा की कि वह सेमिनार करेंगे और उस सेमिनार में सब तरह के शिक्षा-शास्त्रियों और इन्ट्रेस्ट्स को बुलाकर बात करेंगे और फिर उनके बात पर विचार करेंगे। इससे पहले....

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में कहें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इससे पहले जब यह सवाल इसी सदन में आया था तो मुख्य मंत्रीजी ने एक घोषणा बगैर सेमिनार और किसी बात के कर दी, जिसको अभी भी सरकार ने विथ्ड्रा नहीं किया। मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि हमारी यह नीति है कि हम शिक्षा को पंचायत समितियों के अन्दर ही रहने देंगे। तो अगर सरकार दूसरी कन्डीशन्स को पूरा कर दे और फिर पंचायत समितियों में ही रहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु दूसरी बातों को पूरा नहीं कर सकती

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और फिर भी आज सरकार इसी बात पर अड़ी रहे तो मैं समझता हूं कि सरकार का यह स्टैंड वाजिब नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सेमिनार की बात करके शिक्षकों द्वारा एजीटेशन को पोस्पोन कराकर अपनी रिजिड पोजीशन पर कायम है जिसकी घोषणा मुख्य मंत्री जी ने की थी या सरकार इधर या उधर कमिट नहीं करके अपने मन से चलती है। आप भले ही इस समस्या पर सेमिनार में विचार करें लेकिन अभी से आप इस विषय पर ठोस रूप से कौनसी बात करना चाहते हैं जिससे अध्यापक अपने को इन्फीरियर न महसूस करें। ऐसा प्रोपोजल्स आपकी तरफ से क्या हैं वे आप अध्यापकों के सामने रखें ताकि इस सेमिनार में कोई ठोस तरीके से बहस हो सके।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों के पास रखी जाय या उनके क्षेत्र से निकाली जाय, इस गंभीर विषय पर यह स्थगन प्रस्ताव लाया गया है। मैं उचित तो यह समझता था कि इस स्थगन प्रस्ताव से शिक्षा की नीति पर विचार स्पष्ट रूप से सदन के सामने आ सकें, सदन में स्वयं शिक्षा मन्त्रीजी अपने विचार सामने रखते। खैर, आज इस प्रश्न पर पंचायत मन्त्री ने वक्तव्य दिया है और वक्तव्य देकर सदन को इस प्रकार सान्तवना देने का प्रयास किया है कि सेमिनार के माध्यम से इसके सारे पक्षों पर विचार करने के बाद सरकार निर्णय लेगी। मै समझता हूं यह प्रश्न आज से राजस्थान के अन्दर इस रूप के अन्दर चले यह पहली प्रक्रिया नहीं है बल्कि प्रारम्भ से ही शिक्षक संघ इस पद्धति का विरोधी है। उसने प्राइमरी शिक्षा पद्धति पंचायतों के अन्तर्गत रहे उसका विरोध किया है। जैसा की मेरे से पूर्व अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जिस समय शिक्षक संघ ने इस प्रश्न को लेकर सरकार को चुनौती दी थी और उस अल्टीमेटम के देने के पश्चात् एक निश्चित तिथि तय की थी कि उस तिथि तक सरकार इस प्रश्न पर निर्णय न लेले कि प्राथमिक शिक्षा पंचायत विभाग से वापिस ले ले वह आन्दोलन शुरू करेगा। उस समय जो शिक्षा मन्त्रीजी थे उन्होंने समाचार पत्रों में वक्तव्य देकर सरकार की मंशा को स्पष्ट किया था कि वे किसी रूप से पंचायत विभाग से प्राइमरी शिक्षा को लेने को तैयार नहीं हैं। उसमें उन्नति कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी शिक्षा पंचायतों से वापिस ली जाय वह इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। इस प्रकार की घोषणा तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीजी से सुनने को मिली। माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने भी सदन में इसी बात को दोहराया था कि सरकार प्राइमरी शिक्षा को पंचायत समितियों से वापिस लेने के लिये तैयार नहीं हैं। इस स्थिति में सरकार को शिक्षक संघ बाध्य करने वाला था इस प्रश्न पर कि पंचायत समितियों से शिक्षा को वापिस ले लिया जाय तो इस प्रश्न को सेमिनार के माध्यम से तय करने के लिये कहा गया। लेकिन सरकार इतना होते हुए भी अब भी यह दृढ़ता के साथ कहने को तैयार नहीं है कि प्राइमरी शिक्षा पंचायतों के पास ही रहना चाहिये। यदि सरकार की यह दृढ़ नीति है कि प्राइमरी शिक्षा पंचायत समितियों के पास ही रहनी चाहिये और वह केवल स्वायत शासन संस्थाओं को ही देने के लिये तैयार है, और यदि तैयार है

Page No. 63

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

तो सरकार से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब सरकार ने यह निर्णय लिया था कि प्राइमरी शिक्षा को पंचायत समितियों को दे रहे हैं सरकार ने यह क्यों नहीं निर्णय लिया कि नगर के अन्दर नगरपालिकायें हैं, नगर परिषदें हैं जहां ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा वर्ग अधिक शिक्षित है वहां पर इस शिक्षा को उनके पास क्यों नहीं सुपुर्द किया? यह अहम प्रश्न है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा। जब यह निर्णय ले लिया है कि प्राइमरी शिक्षा को पंचायत समितियों को देना है और स्वायत्त शासन संस्थाओं को देना है तो नगरपालिका और नगर परिषदों को क्यों नहीं दिया?

जहां तक पंचायत समितियों की हालत है, शिक्षा और शिक्षकों का अलग प्रश्न है, पंचायत समितियों के बारे में सरकार की जो मान्यता थी, जिनके ऊपर यह आरम्भ की गई थी और जिस आधार पर यह नींव डाली गई थी क्या सरकार आज भी उस सिद्धान्त पर कायम है और कायम है तो सरकार और पंचायत मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि इन पंचायत समितियों के ऊपर आर. ए. एस. केडर के बी. डी. ओज. बना कर रखे थे उनको क्यों वापिस ले लिया? क्या पंचायत समितियां इतनी सक्षम थी, वहां चुन कर आदमी आता है वे इतने सक्षम हो गये, इतने योग्य हो गये कि आर. ए. एस. ऑफिसर वहां रखने नहीं चाहिये, नम्बर १। नम्बर २, मैं पंचायत मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो फन्ड है, जिसके अन्तर्गत ऋण, तकावी, खाद का वितरण भिन्न-भिन्न अधिकार थे, जिससे गांव के हर किसान के पास पहुँचते थे, वे सारे अधिकार पंचायत समितियों से क्यों नहीं लिये और क्यों नहीं को-ऑपरेटिव सेक्टर को दे दिया?

मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार पंचायत समितियों में इतना विश्वास करती है, प्राइमरी शिक्षा को पंचायत समितियों के पास रखना चाहती है धीरे-धीरे उनसे यह छीनती चली जा रही है। यह स्पष्ट है कि प्राइमरी शिक्षा का जो गठन है, जो ढंग है और जो सारी पंचायत समितियों की स्थिति है उसका शिकार शिक्षक वर्ग को होना पड़ता है। सारी घटनाओं को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत समिति, डीडवाना के बारे में यहां सदन में जिक्र हो ही चुका है। ग्राम डींग कोटा के सरपंच ने किस प्रकार से प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को बांध कर पीटा। घटना इस प्रकार है कि वहां का अध्यापक सरपंच के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने के लिये तैयार नहीं था। इसी शिकायत पर अध्यापक को पीटा गया। इस प्रकार की कहानी एक स्थान पर नहीं अनेक स्थानों पर हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राइमरी शिक्षा का स्तर होना चाहिये वह गिरता जा रहा है। आज प्राइमरी शिक्षा अच्छी हो इसकी बड़ी आवश्यकता है। यह हमारी बेसिक चीज है। अगर हमारी शिक्षा को मजबूत नहीं बनाया, हमारी शिक्षा की जड़ को मजबूत नहीं बनाया तो भविष्य में क्या होने वाला है यह आप हम सब विचार कर सकते हैं। आज राजस्थान की यह सरकार प्राइमरी शिक्षा पद्धति के लिये उदासीन है। स्कूलों की हालत देख लीजिये। न टाट पट्टी, न पढ़ाने के लिये अध्यापकजी, न ही बैठने के लिये जगह। एक-एक जगह पर ६०-६०, ७०-७०, ८०-८० बच्चे पढ़ते हैं। साधारण व्यक्ति का बच्चा आज उन प्राइमरी स्कूलों मे जाकर पढ़ने के लिये मजबूर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

होता है। दूसरी तरफ वह व्यक्ति है जो सेंट जेवियर जैसे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और अच्छी शिक्षा देकर आने वाले भविष्य के लिये उसका निर्माण कर देता है। लेकिन एक मजदूर व्यक्ति उन प्राइमरी स्कूलों में अपने बच्चों को भेजता है जहां न बच्चों के लिये बैठने के टाटपट्टी है, न पढ़ाने के लिये अध्यापक है और न ही बैठने की व्यवस्था है। हम सरकार से कहना चाहते हैं जिस प्रकार से प्राइमरी शिक्षा के लिये सरकार उदासीन है, यह आने वाले भविष्य के लिये एक बड़ा खतरा है। प्राइमरी स्कूलों को पंचायत समितियों के अन्तर्गत स्थानान्तरण किया है जहां पर वहां की स्कूलों के अध्यापक उनकी राजनीति के शिकार हैं, उनसे अध्यापक लोग पीड़ित हैं, अपमानित हैं, राजनीति के कारण उनका परिवर्तन किया जाता है और उनको दण्ड दिया जाता है। इसलिये सरकार से मांग है कि इस प्रश्न पर निर्णय करने से पहले सरकार को सदन को विश्वास में लेना चाहिये। सेमिनार के लिये कहा तो जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करके सरकार को विचार सुनना चाहिये और यदि सरकार की केवल मंशा यह है कि अध्यापक वर्ग इकट्ठे होकर आन्दोलन के द्वारा सरकार को चुनौति देते थे इसलिये उसको टालने की सरकार की नीयत है तो यह उचित नहीं होगा। हो सकता है सरकार इस प्रकार के कारनामों से अध्यापकों के आन्दोलन को आज टाल दे और जिस प्रकार से आज अध्यापक वर्ग में इस सारी व्यवस्था को लेकर रोष है उसको सरकार दवा नहीं सकेगी।

यह प्रश्न पंचायत समिति और पंचायत मन्त्रीजी का प्रश्न नहीं है, न ही शिक्षा मन्त्रीजी का प्रश्न है। यह तो एक मौलिक प्रश्न है। जहां पर भविष्य का निर्माण होता है, उसकी पद्धति आज इस प्रकार की पाठशालाओं को दी है वह उनके पास रहनी चाहिये या नहीं उस पर गम्भीरता से सरकार को निर्णय लेना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा !

(१.०० म. प.)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्षजी, यदि हम लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं, तो हमें एक-दो बातें नहीं भूलना चाहिये कि जो छोटी-छोटी लोकतान्त्रिक इकाइयां हैं, और इन इकाइयों पर ही लोकतन्त्र टिका हुआ है, उन पर हम विश्वास करें। मास्टर लोगों की, शिक्षकों की जिस प्रकार से शिकायतें पेश करते हैं, यह एक अलग प्रश्न है। सिद्धान्त, नीति का प्रश्न है। हमारे जो शिक्षा-शास्त्री हैं, व्यवहारवादी हैं, ज्ञानमार्गी हैं, उनका यह कहना है कि लोकतंत्रीय इकाइयों को कायम रखने के लिये हमें उनमें विश्वास करना होगा और पूर्ण विश्वास करना होगा। प्राइवेट पाठशालाएं चलती हैं, उनकी प्रबन्ध-व्यवस्था नागरिक करते हैं। शहर के प्रतिष्ठित लोग करते हैं। जिन शिक्षा संस्थाओं का प्रबन्ध शहर में नागरिक करते हैं, गांव में ग्रामीण लोग करते हैं। वे इन संस्थाओं की देखभाल करते हैं। किसी पंच, प्रधान का उदाहरण देख कर यह बात नहीं सोची जानी चाहिये। पार्टी के रूप में यह नहीं देखना चाहिये। हमें लोकतन्त्र में विश्वास करना चाहिये। जो प्राथमिक शिक्षा है वह पंचायत समिति के ही हाथ मे रहना चाहिये। वहां जो गल्तियां, कमियां, खामियां है, उनको सुधारने के लिये

(श्री मूलचन्द डागा)

हमें सोचना चाहिये। यदि हमें हिन्दुस्तान में लोकतन्त्र को जीवित रखना है तो शिक्षण का काम हमें पंचायतों के पास ही रखना होगा। यदि पंचायतों से इसे अलग कर देते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि हम लोकतन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं। यह बिल्कुल ठीक नीति है। पंचायत मन्त्रीजी ने जो सेमिनार करने का कहा है, वह जरूर करना चाहिये। उस पर डिस्कशन होना चाहिये। जो रिपोर्ट इस सेमिनार की आवे, वह सेमिनार के बाद असेम्बली में, विधान सभा में वाद-विवाद के लिये रखी जानी चाहिये।

श्री शिवनाथसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत समितियों से शिक्षा हटाने के लिये ये कुछ राजनीतिक दल हैं, जो इस सम्बन्ध में ..

श्री उपाध्यक्ष : आप चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आपको आसन से पुकारने पर ही बोलना चाहिये।

श्री दौलतराम सारण !

श्री शिवनाथसिंह : मैं आपकी आज्ञा से ही बोलूंगा।

तो कुछ राजनैतिक दल ऐसे हैं, जो गांवों के विकास को सहन नहीं कर सकते। वे गांव के बढ़ने से जेलेसी रखते हैं। इससे उन्हें जेलेसी पैदा हो रही है। इसलिये वे इसका विरोध कर रहे हैं कि पंचायत समिति से शिक्षा हटा लेनी चाहिये। उपाध्यक्षजी, गांव में पंचायत समिति के क्षेत्र में जितने भी अध्यापक हैं, वे वहां खुश हैं। सब खुश हैं यह तो मैं नहीं कह सकता, किन्तु अधिकतर खुश हैं। आज भी वोटिंग ले लें तो ७० फी सदी पंचायतों में ही रहना चाहेंगे। वहां उनको आराम है। कोई दिक्कत नहीं है। उनका पंचायत समिति एरिया में ही ट्रान्सफर होता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : इसके लिये जरूर वोटिंग, मतदान करा लिया जाय। मतदान से जाहिर हो जायगा कि कितने बाहर रहना चाहते हैं और कितने वहां ?

श्री शिवनाथसिंह : गांवों में जो लीडरशिप पैदा हो रही है। गांव में जो प्रधान हैं, वह पंचायत समिति के क्षेत्र के कार्य को हेन्डल करता है। परन्तु शहर के कुछ राजनैतिक दल इसको बरदाश्त नहीं कर सकते। जो शिक्षक संघ है, उनमें कुछ लोगों की लीडरशिप है। उसके बलबूते के कारण वे इसको एक्सप्लोयट करना चाहते हैं। सभी शिक्षक, इस संघ के साथ नहीं हैं। यदि आन्दोलन होता तो शिक्षक संघ के टुकड़े-टुकड़े हो जाते। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह समस्या गंभीर है और इसे गंभीर रूप में लेना चाहिये। जो शिक्षा है, वह पंचायत समितियों में ही रहना चाहिये। अच्छा मेनेजमेन्ट पंचायतों द्वारा ही हो सकता है। शिक्षा का कन्ट्रोल, पाठशालाओं की देखरेख उनके द्वारा ही होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण !

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है। पंचायत समितियों के पास प्रारंभिक शिक्षा रखी जाय या नहीं ? शिक्षक संघ मांग करता है कि प्रारंभिक शिक्षा समितियों के पास नहीं रहना चाहिये। मेरे से भी ये

(श्री दौलतराम सारण)

लोग मिले थे और मैंने उनको अपना दृष्टिकोण बतलाया था। उनका कहना यह था कि हम यह नहीं चाहते कि शिक्षा पंचायत समितियों से ले ली जाय। हम तो यह चाहते हैं कि शिक्षकों के लिये उचित और आदरपूर्वक व्यवस्था की जाय। इस बात के लिये कोई दो राय नहीं हो सकती। हम भी यही चाहते हैं कि शिक्षकों का सम्मान बढ़े। हम भी चाहते हैं कि शिक्षकों की जो असुविधा हो, वह दूर की जाय। शिक्षा का स्तर उन्नत हो। कहते हैं कि प्रारम्भिक शिक्षा का प्राथमिक पाठशालाओं का स्तर गिरा है। मैं पूछता हूं कि माध्यमिक शाला, उच्चतर माध्यमिक शालाओं की शिक्षा का स्तर कितना उन्नत है? जो सीधे राज्य सरकार के नियन्त्रण में हैं उनमें क्यों गिरावट है? यह आप सभी जानते हैं। प्रारंभिक शिक्षा से उनका स्तर कहीं ज्यादा खराब है।

इसलिये सवाल यह है कि पंचायती राज क्या वास्तव में पंचायती राज की तरह चल रहा है? उपाध्यक्षजी, यह स्थिति नहीं है। यह राज्य सरकार दो मुंही नीति से व्यवहार करती है। एक तरफ पंचायती राज की दुहाई देती है दूसरी तरफ उन पर भरोसा नहीं करती है। उनके द्वारा पारित प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती। उनके प्रस्तावों की कोई कीमत नहीं है। पंचायत समितियों के द्वारा जो मांग की जाती है, उनकी कोई कीमत नहीं है, निर्वाचित प्रतिनिधियों का कोई सम्मान नहीं है। राज्य सरकार की तरफ से दलगत भावनाएं वहां पैदा की जाती हैं। लगातार उनके काम में हस्तक्षेप किया जाता है। यह भावना बन रही है। वहां पंचायती राज नहीं है। वे तो राज्य की पंचायतें हैं। राज्य की पंचायतें बन रही हैं। पंचायतों का राज्य नहीं है। पंचायत इस स्थिति में नहीं है। वे तो राज्य की एक प्रकार से संस्थाएं हैं। पंचायती राज इसलिये लाया गया कि पंचायती राज के द्वारा गांव में सुविवेक जाग्रत किया जाय, गांव में नेतृत्व करने की भावना पैदा हो, गांवों में स्वाभिमान पैदा हो, विकास की भावना पैदा की जाय। किन्तु राज्य सरकार द्वारा इस भावना को ठेस पहुँचायी गई है। इस शासन की गलत नीतियों ने पंचायतों के स्वाभिमान को ठेस पहुँचायी है। यह शासन पंचायत समितियों के काम में हस्तक्षेप करता है। कभी बी. डी. ओ. आर. ए. एस. को बनाते हैं और कभी नॉन-आर. ए. एस. को बी. डी. ओ. बना दिया जाता है। इस तरह पंचायत समिति के कार्य में हस्तक्षेप करते हैं। तहसीलदार, बी. डी. ओ., इन्स्पेक्टर, एस. डी. ओ. न मालूम कितने अधिकारी हैं, जो पंचायत समिति में जाते हैं और जो जाता है, वह पंचायत समिति का रिकार्ड अपने साथ ले जाता है। पंचायत राज्य सरकार से इस तरह से डरती है, जैसे भूत से बच्चा डरता है। आज पंचायतों का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सरकार का उनके पास कोई काम नहीं है राज्य की तरफ से उनको काम करने की स्वतन्त्रता नहीं है। पंचायत समिति को अपने अधिकारियों से उनके काम के अनुसार काम लेने की भी स्वतन्त्रता नहीं है। विभाग के लोग इसका नियन्त्रण करते हैं। विकास विभाग इसका नियन्त्रण करता है। विकास विभाग इतना अयोग्य है कि वह समय पर कोई भी काम नहीं करता है। किसी कठिनाई की तरफ नहीं देखता है, वह केवल पोस्ट ऑफिस का काम करता

(श्री दौलतराम सारण)

है।

इसी तरह पंचायत सर्विस सिलेक्शन कमीशन है। पंचायत समितियों, जिला परिषदों से मांग की जाती है तब भी वह महीनों तक सिलेक्शन का काम नहीं करता। पंचायतें ऐसे टीचर्स को रखती हैं, जो अनट्रेन्ड होते हैं और ट्रेन्ड टीचर्स रोते फिरते हैं। मैं केवल एक नागौर जिले की पंचायत समितियों का उदाहरण दूं तो वहां ३२३ अध्यापक अनट्रेन्ड हैं। अलग-अलग पंचायत समितिवार उनकी सूची बनी हुई है। लेकिन सर्विस कमीशन फंक्शन नहीं करता। डेवलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट फंक्शन नहीं करता। एक माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात कही है, वह बात सुनकर मुझे हंसी आती है। कहा, राजनैतिक हस्तक्षेप होता है? कौन करता है? प्रधान? प्रधान को सजा देने का अधिकार नहीं है। वह ट्रान्सफर नहीं कर सकता। वह नियुक्ति नहीं कर सकता। फिर राजनैतिक हस्तक्षेप कैसे है? वह केवल प्रस्ताव पास करता है। उसको एक्जीक्यूट करने का राइट भी बी. डी. ओ. को है। प्रधान स्टाफ का निरीक्षण नहीं करता। बी. डी. ओ. ही स्टाफ का निरीक्षण करता है। उनको कोई अधिकार नहीं है। तब हस्तक्षेप का सवाल कहां से आता है? पंचायत समितियां बिल्कुल उपेक्षित हैं। बिल्कुल विमुख हो गई हैं पंचायती राज से। उनको काम नहीं करने दिया जाता है। राज्य सरकार उनको जो धनराशि भेजती है, वह भी एलॉटमेन्ट करके भेजती है। पंचायत समिति को यह भी अधिकार नहीं है कि वह आवश्यकतानुसार इस धनराशि को एडजस्टमेन्ट कर दे। उसे यह स्वतन्त्रता नहीं है। कोई शिक्षा का स्कूल भी पंचायत समिति अपने इलाके में तभी खोल सकती है, जब वह राज्य सरकार से सैंक्शन ले ले। बिना सैंक्शन के पंचायत समिति स्कूल अपने इलाके में नहीं खोल सकती। वे चाहें तो किसी टीचर का प्रोमोशन कर नहीं सकते। टीचर्स की बदली करना चाहें वे नहीं कर सकते। यह जो शासन चल रहा है वह पंचायत राज्य का शासन नहीं है। यह तो उनको बदनाम करने का एकमात्र साधन है। इसमें जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वे इनके कार्य में अनुचित हस्तक्षेप करते हैं। इनका पंचायतों का कोई अपने कर्मचारियों पर नियन्त्रण नहीं है। वे किसी कर्मचारी को न सजा दे सकते हैं न उसको हटा सकते हैं। इसी कारण वे उच्छृंखल हो रहे हैं और पंचायत राज को फेल करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायत एक्ट के अनुसार कार्य करते हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप यदि वास्तव में पंचायत राज चलाना चाहते हैं तो आप राज की पंचायत का शासन चलाने की चेष्टा नहीं करें। आज पंचायतों को न स्वायत्तता है न सुविवेक से काम करने देने की इजाजत है न वे स्वावलम्बी तरीके से योजना बना सकती हैं। एक तरह से इस पंचायत राज को मखौल बना रखा है। इसलिये जलन होती है। आप पंचायतों को पूरी छूट के साथ काम करने दीजिये। शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करें तो आप देखेंगे शिक्षक आन्दोलन का रास्ता ही नहीं अपनायेंगे। उनकी वाजिब मांगें वहीं हल हो जायेंगी। लेकिन आज हालत यह है कि हर बात के लिये उनको भी सरकार का मुंह

(श्री दौलतराम सारण)

देखना पड़ता है तो यह पंचायत राज नहीं यह तो राज की पंचायतें हो गई।

आज पंचायत समितियों में बी. ए., बी. एड., एम. ए. पास अध्यापक मौजूद हैं। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि उनको प्रोमोशन दिया जायगा, लेकिन किसी को भी प्रोमोशन नहीं दिया गया। आज अनेकों टीचर हैं जो बी. ए., बी. एड. और एम. ए. हैं लेकिन उनकी बात इन्सपेक्टर सुनते नहीं, डाइरेक्टर सुनते नहीं इसलिये उनमें घोर असन्तोष है। पंचायतों को कोई अधिकार नहीं है। जितने भी गलत काम होते हैं वे राज्य सरकार के अधिकारियों की ओर से होते हैं। आज की सरकार ने प्रधान और सरपंच को एक घरेलू नौकर की तरह से मान रखा है। जब चाहा उनको सस्पेण्ड कर दिया बारह आना सवा रुपया की कमी पर पंचों और सरपंचों को सस्पेण्ड कर देते हैं। सरकार ने तो अपना यह तरीका बना लिया है पंचायत राज के नाम से गलत कार्य करने का। इस शासन में पंचायत राज का शासन दूर है। आज का शासन पंचायत राज को सफलतापूर्वक चलने देना नहीं चाहता। आज इनके कारनामों से पंचायत और पंचायत समिति के कर्मचारी दुखी हैं। अगर इनकी व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं तो आपको पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् को स्वायतता देनी होगी। अपने कार्य में, अपने क्षेत्र में स्वायतता, सुविवेक और स्वावलम्बन से कार्य करने के अधिकार देने होंगे तभी जाकर पंचायत राज में ग्रामीण नेतृत्व फलेगा-फूलेगा। आप तो इन पंचायतों के द्वारा अपने चाटूकार पैदा करना चाहते हैं। आज जो राज्य सरकार का विरोध करे, पंचायत समिति अगर शासन की मरजी के खिलाफ कोई प्रस्ताव पास करे तो उनके खिलाफ इन्क्वायरी शुरू हो जाती है, गलत आरोप लगाकर उनको परेशान किया जाता है। राज्य सरकार को अपनी इस नीति को ठीक करना चाहिये। तभी जाकर पंचायत राज पनप सकता है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है इसमें मेरी दृढ़ मान्यता है कि शिक्षा पर पंचायत संस्थाओं का अधिकार होना चाहिये, उनको इस बारे में स्वायत्तता देनी चाहिये।

नगरपालिकाओं को हमने स्वायत्तता नहीं दी, उनके अधिकार में शिक्षा नहीं दी इसलिये नगर विकास का संगठन नहीं बना पाये जो आपने घोषणायें की थीं। अगर आप नगरपालिकाओं के हाथ में शिक्षा दे देते तो ग्रामीण और नगरीय शिक्षा में एकरूपता आ जाती। आपने जानबूझ कर विसंगति रखी है इसी कारण आज कहने का लोगों को मौका मिला है।

मैं तो यह कह सकता हूं विरोधी दल का ऐसा कोई सदस्य नहीं होगा जो यह चाहता हो कि पंचायत राज न फले-फूले, वह नष्ट हो। आज शिक्षकों में जो रोष है उसका एक मूल कारण है आप पंचायत संस्थाओं के अधिकारों में हस्तक्षेप न करें तो मैं समझता हूं जहां पंचायतों में शिक्षक का सम्मान होगा वहां उनकी कठिनाइयों का हल भी निकल जायगा। असन्तोष उनमें आपकी कारगुजारियों से है, जिनको आपको ठीक करना होगा निश्चित रूप से। यह सारा झगड़ा-झमेला तभी दूर हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शासन को कहना चाहता हूं कि प्रशासनिक,

Page No. 69

(श्री दौलतराम सारण)

आर्थिक और विकास के क्षेत्र में पंचायत समितियों को आप अधिक से अधिक स्वायत्तता दें। बिना स्वायत्तता दिये पंचायत समितियों का काम रुका रहेगा। आपने उनसे कुछ अधिकार लेकर सहकारी समितियों को दे दिये जैसे खाद का वितरण, बीज का वितरण उनके हाथ से लेकर सहकारी समितियों को दे दिया, लेकिन प्रशासनिक अधिकार आपने पंचायतों को नहीं दिये। होना तो यह चाहिये कि पंचायतों पर शासन का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं हो। आज पंचायतों को न अपने कर्मचारियों को सजा देने का अधिकार है न ट्रान्सफर का अधिकार हैं। आज तो बी. डी. ओ. मालिक बना बैठा है। आपने यहां से टेलीफोन किया तो पंचायत समिति द्वारा सर्व-सम्मत प्रस्ताव भी नहीं माना जाता। पंचायत समितियों ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किये हैं कि इस बी. डी. ओ. को यहां न रखा जाय लेकिन उसको शासन ने माना नहीं। आज प्रधान और पंचायत समिति को बी. डी. ओ. के कहने के अनुसार चलना पड़ता है। बिलाड़ा के बी. डी. ओ. की मिसाल है उसके बारे में पंचायत समिति के सर्व सम्मत प्रस्ताव के बाद भी बी. डी. ओ. वहीं पर रख रखा है। ऐसे कई उदाहरण बता सकता हूं।

मेरे यह कहने का मतलब नहीं कि पंचायत समितियों से कोई गलती नहीं होती। होसकता है कुछ गलतियां हों, लेकिन वे सब ज्यादातर गलतियां प्रशासनिक हैं। प्रशासनिक जिम्मेदारियां यदि उनको सौंप दी जायें तो वे अपने कर्मचारियों पर नियन्त्रण रख सकती हैं और उनसे काम ले सकती हैं। इसके अभाव में ये एक प्रकार से तमाशबीन की तरह देखती रही हैं। आज उनका नियन्त्रण नहीं होने का परिणाम यह हुआ कि कर्मचारी राज्य सरकार की तरफ देखते हैं। पंचायत समिति और प्रधान की आज्ञा मानने के बजाय वे अधिकारियों की तरफ देखते हैं इसके परिणामस्वरूप पंचायत समितियों का काम खराब हो रहा है, इसी के कारण उनको उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं मिलते। रिश्वत लिये बगैर कहीं काम नहीं होता। ओवरसियर्स जब तक उनका शेयर नहीं दे वे उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देते। इस तरह से ये जो बुनियादी खामियां हैं उनको दूर करने की ओर आपको ध्यान देना चाहिये।

आज केवल शिक्षा के प्रश्न को लेकर आप यह चाहें कि सेमिनार बुलायें इससे वास्तव में कोई उपयोग नहीं होगा। आप तो पंचायत राज्य की जो सामान्य खामियां हैं उनको दूर करने के बारे में आप सेमिनार का आयोजन करें तो फायदा हो सकता है। वहां पर जिस प्रकार के सुझाव आवें, उनको कार्य रूप देकर आप इस पंचायत राज को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। आज आप एक अंग पर विचार करने के लिये सेमिनार बुलाते हैं तो उससे आपको कोई सही दृष्टिकोण नहीं मिलेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप केवल शिक्षा के मामले को लेकर नहीं बल्कि पंचायत राज में जो भी खामियां हैं इसकी आवश्यकता, इसकी उपयोगिता के बारे में डिस्कस करें। उसमें जो भी सुझाव या परिणाम हों उनको सदन के सामने रखें, सदन उस पर विचार-विनिमय कर अपना निर्णय ले। उसका परिणाम ठोस होगा

(श्री दौलतराम सारण)

उससे इन संस्थाओं में ज्यादा उत्तरदायित्व पैदा होगा, मेरा यह सुझाव है।

शिक्षकों को जो असुविधा है, कठिनाइयां हैं उनको सहानुभूति के साथ देखना चाहिये और उनका निराकरण करना चाहिये। लेकिन यह मुद्दा इससे सम्बन्धित नहीं है शिक्षा पंचायत समितियों के पास रहे या शिक्षा इन्सपेक्टर्स के पास चली जाय। बहुत से इन्सपेक्टर्स की भी शिकायतें हैं जैसे गंगानगर के इन्सपेक्टर के बारे में सवाल आया था दूसरे इन्सपेक्टर्स के विरुद्ध सवाल आये हैं। शिक्षा का सवाल नीतिगत सवाल है इसको इसी तरह से तय किया जाय। यह राज्य सरकार कर सकती है और राज्य सरकार इसके लिये अधिकृत है। पंचायत समितियों का मेरी जानकारी के अनुसार इसमें विशेष दोष नहीं है।

श्री केदारनाथ : उपाध्यक्ष महोदय, एक कमेटी सेन्टर ने निर्माण की है कि प्राइमरी और हायर एजूकेशन का प्रबन्ध कौन करे? प्राइमरी सारे देश में एक पैटर्न पर हो। उसे स्टेट ले या सेन्टर ले। यह पहले फैसला हो जावे। इसके बाद हम इस पर अपनी राय प्रकट कर पावेंगे और तभी यह उचित भी होगा।

आज तक हमने जो प्राइमरी एजूकेशन देश की आजादी के बाद दी उसका भी कोई अच्छा रिजल्ट पैदा नहीं हुआ। स्कूलों की आपकी व्यवस्था नहीं है। टीचर्स का हाल बेहाल है। मिशनरी स्कूलों की अलग एजूकेशन है, प्राइवेट स्कूलों की अलग है, सरकारी स्कूलों की अलग है, पंचायतों के नीचे की स्कूलों में अलग है। क्वालिफिकेशन पर पे स्केल नहीं है, सही फिक्सेशन नहीं है, टीचर्स को प्रोमोशन्स नहीं हैं, इसलिये उनके दिमागों में एक असन्तोष की भावना लाजिमी है। तो ऐसे वक्त में कोई राय देना गलत बात होगी।

जो सेमिनार आप करने जा रहे हैं, आप यह तय करें कि आप आज के पंचायती राज को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि यह वास्तव में स्वायत्त संस्था या स्वायत्त शासन की एक मजबूत इकाई बन जावे? या वह बतौर एक सरकारी डिपार्टमेन्ट के काम करे। नौकरशाही के नीचे चले। शिक्षा और पंचायत का क्या सम्बन्ध हो? फोर्थ इलेक्शन के बाद स्टेट और सेन्टर का इसमें क्या हिस्सा हो? लोगों को वास्तव में किस तरह से आप इन्सेन्टिव देना चाह रहे हैं? ये सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर सरकार को देना है। शिक्षा जिला परिषद् के नीचे हो, यह भी एक सुझाव है।

अभी यह भी एक सुझाव है कि हायर सेकण्डरी और सेकण्डरी एजूकेशन का सारा प्रबन्ध जिला परिषद् करे। या आप इन्तजाम करें। जिला परिषद् में नौकर राज नहीं करता। वहां सरपंच, प्रधान और प्रमुख राज करते हैं। ठीक है आज पंचायत समिति में टीचर की हालत खराब है। सरपंच उनको इस्तेमाल करता है अपने घर के कामों में या इलेक्शन में। योग्यता के हिसाब से वहां उसको प्रोमोशन नहीं हैं, यह ठीक है।

पर एक अर्ज करूं। पंचायत समिति के बीच का लिंक समाप्त होकर जिला परिषद्

(श्री केदारनाथ)

को पावर दीजिये। सारे जिलों में एक बोर्ड बना दो जिसमें एम० एल० ए० हों, प्रधान हों, टीचर्स के नुमाइन्दा भी हों, इन्सपेक्टर भी हों। उस वक्त क्या होगा ? कन्सेप्शन बदल जावेगा। मास्टर का तबादला सरपंच के दिमाग से नहीं होगा, प्रोमोशन उसकी मरजी पर नहीं रहेगा। स्टेट गवर्नमेन्ट टीचर्स की सारी एसोसियेशनों को मान्यता दे। सहूलियतें दें। यह बोर्ड प्रोमोशन देखे, कम्पलेन्ट सुने, इसमें टीचर्स के नुमाइन्दे भी रखें। एक तरफ आप कहते हैं जाग्रति और दूसरी तरफ आप उनके आन्दोलनों को समाप्त करने की बात करते हैं। अगर टीचर्स एसोसियेशन के नुमाइन्दा होते किसी लेवल पर भी तो यह प्रश्न नहीं आता।

तो सेन्टर और स्टेट का मसला तय हो जावेगा तो फिर देखेंगे कि प्राइमरी एजूकेशन को कैसे बदलना चाहते हैं। पंचायत राज की आपकी नीति क्या है ? बिल्कुल फण्डामेन्टल प्रिन्सिपल पर आप यह तय कर देंगे तो हम बतावेंगे कि हमारे क्या सुझाव हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रणजीतसिंह !

श्री रणजीतसिंह (ओसिया) : उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा संस्थाएं प्राइमरी शिक्षा की पंचायत समितियों को २ अक्तूबर, १९५९ को दी गईं। आज आन्दोलन चल रहा है कि वे उनसे वापिस ले ली जावें। कारण क्या है ? अध्यापकों को सुविधाएं नहीं हैं, उनको सरपंच और प्रधान राजनैतिक कामों में लगाते हैं, उनको तरह-तरह से तंग करते हैं इसलिये पंचायत शिक्षा उनसे वापिस ले लेनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात निवेदन कर दूं कि गांवों के अन्दर शिक्षा आज से नहीं आज से २०-२२ साल से जगह-जगह चल रही थी। वहां पर पहले क्या होता था कि मास्टर गांव में रहता ही नहीं था, बहुत कम रहता था, इन्सपेक्टरों की खुशामद करके पहली तारीख को तनख्वाह लेने चला जाया करता था। वह गांव में स्कूल में टिकता ही नहीं था। बहुत स्वच्छंद था। आज पंचायत के अण्डर में आने से उसकी स्वच्छंदता पर अंकुश लग गया है। यह उसको अखरता है यह कारण है। जब से पंचायत समिति के हाथ में यह प्राइमरी शिक्षा आई है, इसमें काफी सुधार हुआ है। आज शिक्षक गांव में और स्कूल में टिकने लगा है। गांवों में सुविधा नहीं है जो वे चाहते हैं और शहरों में देखते हैं। गांवों में सिनेमा नहीं है। दूसरे मनोरंजन के साधन भी शहरों जैसे नहीं हैं। इसलिये जहां पहले वह अमूमन बहुत कम गांवों में रहता था, आज उनको अधिक रहना पड़ता है। अब इन पर नियंत्रण आ गया है। इससे शिक्षा में भी सुधार हुआ है। बच्चे कुछ पढ़ने भी लगे हैं, आज गांव वाले भी आश्वस्त हैं कि जब अध्यापक पर इतना खर्च करते हैं तो उसका उपयोग लिया जाना चाहिये तो वे भी चाहते हैं कि शिक्षक गांव में टिके। अब जिनको काम करने की आदत नहीं है ऐसे पुराने अध्यापक शोर मचाते हैं और जो चाहते हैं कि गांवों में शिक्षा का प्रसार न हो वे भी उनको सहयोग देते हैं।

५९ के बाद में ऐसी कौनसी कितनी शिकायतें आईं कि फलां अध्यापक को तंग

(श्री रणजीतसिंह)

किया जा रहा है। सुविधाएं गांव वाले वैसे भी बहुत देने को तैयार रहते हैं अध्यापकों को, पर वे टिके तो सही। सुविधाएं तो गांव वाले खुद देते हैं। शिकायतें भी अधिकतर शहरों में रहने वाले अध्यापकों की रहती हैं। न तो गांवों में सोफिया जैसी स्कूलें हैं न अमीरों जैसे स्कूल हैं। यहां तो एक ही स्कूल है अमीर और गरीब दोनों के लिये।

मैं ५६ के बाद से प्रधान रहा हूं ओसिया में। हमारे यहां पर पहले २५-३० स्कूलें थीं। अब १३२ स्कूलें हैं। पहले १५-१६ स्कूलों के लिये पक्की इमारतें थीं आज १२० में पक्की बिल्डिंगें हैं। ये सभी सरकारी सहायता से नहीं बनीं। गांव वालों ने बनाई हैं। शिक्षक पर आज भी प्रधान का और सरपंच का नियन्त्रण नहीं है। विकास अधिकारी और प्रसार अधिकारी का नियन्त्रण है। गांव वाले प्रधान और सरपंच तो केवल इतना चाहते हैं कि शिक्षक गांव में टिके। शिक्षक बराबर क्लास में उपस्थित रहता है या नहीं इसकी जानकारी प्रसार अधिकारी या विकास अधिकारी प्रधान सरपंच को और गांव वालों को दे दें। बस हम तो यही चाहते हैं। इसमें तंग होते हैं ऐसा महसूस नहीं करना चाहिये।

सवाल इसमें केवल एक आता है कठिनाई का कि वे आगे बी० ए०, एम० ए० करना चाहें आगे अध्ययन करना चाहें तो इसके साधन उनको गांवों में नहीं मिलते, और न प्रोमोशन के चान्सेज रहते हैं। पंचायत समिति में ऐसी जगह नहीं कि जहां प्रोमोशन उनको मिल सके। समय पर उनको प्रोमोशन मिल जावे यह सहूलियत जरूर नहीं है। यह दिक्कत है बाकी मैं तो यह चाहता हूं कि जितने भी पंचायत समिति को मजबूत करेंगे उतने ही गांव मजबूत बनेंगे। प्राइमरी एज्यूकेशन है अभी उनके पास बाद में माध्यमिक शिक्षा भी दी जाय तो गांवों में मजबूती आयेगी। गांवों में पढ़े-लिखे नहीं हैं तो जहां कहीं मिडिल स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं, वहां की हालत कैसी है और पंचायत समिति की कैसी है यह देख लीजिये। पंचायत समितियों में स्कूल बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही हैं। अगर गांवों को तरक्की पर लाना है तो शिक्षा को पंचायतों से नहीं हटाना चाहिये और माध्यमिक शिक्षा भी पंचायतों को देनी चाहिये। जब तक जिला परिषद् के अन्दर यह नहीं आयेगी तब तक कोई अंकुश नहीं होगा, जब तक गांव वाले महसूस नहीं करेंगे तब तक तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि प्राइमरी एज्यूकेशन है वह पंचायत समिति में रखी जाय। मेरे दूसरे साथी कहते हैं कि वहां पर अध्यापकों के ट्रान्सफर प्रधान करते हैं, प्रमुख करते हैं, विकास अधिकारी करता है, उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं कहता हूं कि पंचायत समिति का काम पॉलिसी मेटर तय करना है। पॉलिसी मेटर के बाद सब काम राज्य कर्मचारी करते हैं। इसमें सबका सहयोग होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण ! संक्षेप में कहेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : बहुत संक्षेप में कहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों में न रहे इस बात को लेकर सदन में हमारे पंचायत मंत्री महोदय का स्टेटमेन्ट हुआ है। मैं

(श्री रामनारायण चौधरी)

आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पंचायत राज हिन्दुस्तान की एक बुनियादी व्यवस्था है और हमारे विधान में डाइरेक्टिव प्रिन्सिपल में इस बात का उल्लेख है कि देश में पंचायत राज की व्यवस्था होगी। पंचायत राज को पनपाने के लिये, पंचायत राज को मजबूत बनाने के लिये, प्राथमिक शिक्षा पंचायत राज के कार्य में शामिल करके पंचायत समितियों को देनी चाहिये। २ अक्तूबर, १९५९ को पंचायत समितियां बनीं। उसके बाद के कार्यकाल के अर्से में यह विवाद चल रहा है कि प्राथमिक शिक्षा का स्तर गिरा है और गिरने का कारण ग्राम पंचायतें हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्राइमरी शिक्षा के गिरने का यह कारण है। मैंने अभी, जो अध्यापकों को डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था, उसमें देखा उपाध्यक्ष महोदय, जितनी पंचायत समितियों के अध्यापक थे वे सब उसमें नहीं थे, बहुत कम पंचायत समितियों के लोग उसमें थे। मैंने जानकारी प्राप्त की और जिन दो पंचायत समितियों से मेरा सम्बन्ध रहा है, जहां से मैं विधान सभा के लिये चुना गया हूं, मैंने सम्पर्क स्थापित किया। मैंने ४-५ अध्यापकों को छोड़कर जिनको किसी प्रकार की शिकायत हो वे ही इसको शिक्षा विभाग के अन्दर चाहते हैं और यह चाहते हैं कि प्राथमिक शिक्षा पंचायत समिति से हटाई जाय। उपाध्यक्ष महोदय, केवल वे इस नाम से प्रचार करते हैं कि पंचायतों से शिक्षा हटाई जाय। पंचायत समिति पंचायतों का एक संगठन है, वह एक व्यवस्था है। प्रशासनिक इकाई पंचायतों के पास कोई शिक्षा नहीं है। सरपंचों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। आज सारी की सारी व्यवस्था पंचायत समितियों में है।

पंचायत समिति में अच्छे से अच्छे विकास अधिकारी, अच्छे से अच्छे अ० ई० ए० एस० आफिसर, एग्रीकल्चरल एक्सटेन्शन ऑफिसर, कई अच्छे-अच्छे गजेटेड अफसर बनकर पंचायतों में आते हैं। उसके बाद मैं नहीं समझता कि पंचायत समिति में जो प्राथमिक शिक्षा का स्तर है, वह किस प्रकार गिरा है? आज शिक्षा विभाग में कई अध्यापकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। राजनैतिक दबाव के कारण स्थानान्तर होते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी देखा होगा। हमने अभी अखबारों में पढ़ा है- अभी तीन दिन पहले पढ़ा है कि शिक्षा विभाग के अजमेर के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के सामने अध्यापक भूख हड़ताल कर रहे हैं उनको एक साल से वेतन नहीं मिला है। वहां के अध्यापकों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। अध्यापकों को ठीक समय पर वेतन नहीं मिले। जो कमियां पंचायतों में या वह कमियां शिक्षा विभाग में भी रह सकती हैं। शिक्षा पंचायत समितियों से वापिस ली जानी चाहिये, यह कोई उद्देश्य नजर नहीं आता है। जिनको पंचायत राज में विश्वास नहीं है, जो पंचायत राज को नहीं चाहते हैं, उनका यह प्रचार है कि पंचायत राज को कमजोर किया जाय और आगे बढ़ने नहीं दिया जाय। पंचायत राज देश की सबसे बड़ी बुनियाद है। ग्रामीण जनता को विश्वास दिलाने के लिये पंचायत राज की व्यवस्था की गई है। वहां की समस्या को सुलझाई जाय। स्थानीय समस्याओं में प्राथमिक शिक्षा भी है। मैं इस बात को मानता हूं कि जितनी पंचायत समितियां काम कर सकती हैं उतना शिक्षा विभाग नहीं कर सकता है। पंचायती शिक्षा में आज ग्राम पंचायतों का कन्ट्रोल है वह बिना

Page No. 74

(श्री रामनारायण चौधरी)

उनकी मंजूरी के नहीं जा सकता है। उसका दायरा बहुत कम है। वह अच्छी तरह उनकी देखभाल कर सकता है। लेकिन इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के नीचे एक जिले में २०० गांव हैं वह उनमें नहीं जा सकता है। आप इस बात की तरफ अच्छी तरह मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि जब यह शिक्षा इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स के पास आ जायेगी तो १० साल में भी इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल गांवों में नहीं जा पायेगा।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस बात की चर्चा की गई है कि प्राथमिक शिक्षा में पंचायतों की कठिनाई है, पंचायतों को दिक्कतें हैं, पंचायत समिति का सरपंच है वह प्राइमरी शिक्षा का निरीक्षण नहीं कर सकता है। किन्तु यहां तो स्पष्ट आदेश है कि केवल पंचायतों में शिक्षा का निरीक्षण एस० डी० आई० करेगा। परीक्षा की अनुमति देने के लिये शिक्षा विभाग के नियम हैं, स्थानान्तर के लिये राज्य सरकार के आदेश हैं कि दो साल से पहले कोई स्थानान्तरण नहीं किये जाय। इस प्रकार की सारी व्यवस्था है। हां, अध्यापकों को कुछ शिकायत है, इस बात को मैं मानता हूं कि कुछ अध्यापकों की शिकायतों को दूर करना चाहिये एक पंचायत समिति से दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण होना चाहिये। आपने अभी देखा होगा चूरू, नागौर जिले में अध्यापकों के जो इन्टरव्यूज थे वे बिना किसी सूचना के स्थगित कर दिये। हजारों अध्यापक वापिस लौट गये। इस प्रकार की जो व्यवस्था है उससे पंचायत समिति और जिला परिषद् बदनाम होती हैं। ये सब राज्य सरकार के काम होते हैं, राज्य सरकार के कारण ही पंचायतें बदनाम होती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पंचायत समितियों से शिक्षा वापिस ली जाय इसके बारे में एक सेमिनार बुलाई जाय और मेरा आग्रह है कि उसमें सारे राजस्थान के प्रधान हों, प्रमुख हों, सरपंच हों, और शिक्षा से सम्बन्धित अध्यापकों के प्रतिनिधि हों, वह विचार करें कि यह शिक्षा पंचायत समितियों के पास रहनी चाहिये या राज्य सरकार के पास रहनी चाहिये। बस, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भिन्न विचार रखता हूं। मुझे भी पांच मिनट दिये जायें। पांचवीं मिनट से छठी मिनट नहीं लूंगा। यह विषय ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं भिन्न विचार रखता हूं, इसलिये मुझे मौका मिलना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह विचाराधीन है और इसको और भी तरीके से उठाया जा सकता है। अभी तो यह स्थगन प्रस्ताव के रूप में यहां आया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं ५ मिनट ही चाहता हूं। सवा पांच मिनट भी नहीं लूंगा, मैं समय पर बैठ जाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंहजी मेहता।

Page No. 75

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे भीलवाड़ा के प्रमुख साहब कह रहे थे कि पंचायत राज में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हायर सैकेन्डरी स्कूल को भी लेना चाहिये तो मैंने उनसे कहा कि गरीब कालेजों को फिर क्यों वंचित रखते है इनको भी रख लो। लेकिन आज क्या हालत हो रही है कि जब से ये प्राइमरी स्कूल पंचायतों में गये हैं कौन चाहता है कि पंचायती राज सफल नहीं हो ? हम चाहते हैं कि पंचायती राज सफल हो, लेकिन जिस प्रकार के पंचायती राज की कल्पना की थी कि प्रधान सर्वसम्मति से चुने जायेंगे, लोग उनको खड़ा होने के लिये मजबूर करेंगे कि चुनकर आयें तो फिर वह गांव का काम पहले करेंगे। वह मां की तरह रहेंगे, सब बच्चों का भरण पोषण करेंगे लेकिन आज स्थिति इससे बिल्कुल विपरीत है। आज हालत यह है कि मास्टर बच्चों की खुशामद नहीं करे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। दोहा मेरे एक मित्र ने सही ही कहा है —

"राखे किण-किण पंचरो
घर-घर जा थोग,
भलो लगायो राज थें,
अध्यापक रे रोग।।"

अध्यापक को इतना बड़ा रोग लगा दिया है कि प्रधान या सरपंच को खुश रखे तो हाजरी लगती रहे और उसको उपस्थित रहने की जरूरत नहीं और उसको खुश नहीं करे तो अच्छे से अच्छा मास्टर भी वहां असफल सिद्ध रहेगा। मैं जानता हूं आज भीलवाड़ा से मास्टर लोग दस-दस मील दूर पहुँचते हैं और आठ-आठ और दस-दस मील चल कर मास्टर लोग अपना पसीना सुखाते हैं और एक-दो बीड़ी सुलगा कर थोड़ा पढ़ाने लग जाते हैं और १० बजे फिर वापिस जाने की सोचते हैं। लड़कों को पास कर देते हैं और छठी, सातवीं में लड़के आते हैं तो कमजोर रहते हैं। उनकी जड़ ही कमजोर रह जाती है। अब ऐसी स्थिति में जब कि सिद्ध हो चुका है कि उच्च शिक्षा बिरले लोगों को ही मिलनी चाहिये जो कि प्रथम श्रेणी में लड़के पास होते हैं उन्हीं को उच्च शिक्षा मिलनी चाहिये। तो हायर सैकेन्डरी तक तो कम से कम अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिये और यह तभी संभव है कि जब ५वीं तक अच्छी शिक्षा लड़को को मिले। छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिये सबसे अच्छे चरित्रवान अध्यापक की जरूरत होती है। तो आप देखेंगे कि वहां किसी भी मास्टर को भेज दिया जाता है और उसके कारण बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। मास्टरों को स्कूलों के पंचायतों में चले जाने से दुःख हो सकता है लेकिन मैं तो इसलिये भी कह रहा हूं कि बच्चों को बहुत दिक्कतें हैं। बच्चों का निर्माण नहीं हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि सरपंच यदि अच्छा हो और स्कूल मास्टर भी चरित्रवान हो तो स्कूल मास्टर सलाहकार है, मुखिया है वह पिता है, लेकिन वह तो वहां होता नहीं है। गांव वालो से सम्पर्क स्थापित करते नहीं हैं। जो मकसद था पंचायतों के हाथ में स्कूलों को देने का कि इससे गांव वाले और वह एक होंगे और गांवों की समस्याएं हल होंगी, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ है। जब इस विषय पर सेमिनार होगी तब मैं अपने पूरे विचार निवेदन करूंगा, लेकिन अभी तो मुझको ५ मिनट ही मिले हैं – आप मुझे जरूर बुलायें सेमिनार में और मैं जरूर आऊंगा क्योंकि मैं पंचायती राज का बिल्कुल

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

विरोधी नहीं हूं लेकिन पंचायत राज को ३ रोग हैं जातिवाद, व्यक्तिवाद और तीसरा पार्टीबाजी और इसी तरह से राहू, केतु और शनि ग्रह ये तीन ग्रह आदमियों को लगते हैं या फिर वात, पित्त और कफ ३ रोग होते हैं, यह पंचायती राज को लग गये हैं, और इनकी वजह से पंचायती राज खराब हो रहा है। कौन नहीं चाहता कि मां का स्तन पान नहीं करें ? हर बच्चा चाहता है लेकिन कौन चाहेगा कि पूतना का स्तन पान उसका बच्चा करे ? आज पंचायतों की स्थिति पूतना की सी है। ये अपना घर भरते हैं, कलेक्टरी में जाते हैं और शक्कर की बोरियें लाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेरे लिये कहा कि मैं पंचायती राज के खिलाफ हूं, ऐसा नहीं है मैं उसका हामी हूं और मेरा दावा है कि जबसे मैंने सार्वजनिक क्षेत्र मे काम करना शुरू किया है मैं पंचायती राज के हक में रहा हूं और जब मैं डिस्टीलरी इन्सपेक्टर था तो नाइट स्कूल चलाता था। हमने ऐसी ४०-५० स्कूलें खोली थीं। इस बात को मुख्य मंत्री महोदय भी जानते हैं कि सार्वजनिक काम में हमारी रुचि है। हम चाहते हैं कि स्कूलों की हालत सुधरे लेकिन हम नही चाहते कि पूतना के द्वारा स्तन-पान कराया जाये। अगर बालिग बच्चों के हाथ में कांच आ जायेगा तो वह उसको देखकर सोचेगा कि कहीं न कहीं मेरे मुंह पर खराबी तो नहीं है और वही कांच छोटे बच्चे को दे दिया तो वह उसको तोड़कर लोहू-लुहान हो जायेगा। तो जब तक पंच नहीं सुधरेंगे तब तक आप स्कूलों को उनके हाथ में नहीं दें।

मुख्य मंत्रीजी हमारे यहां सांगानेर के अन्दर बिजली का बटन दबाने आये थे तो मैंने कहा था कि इसके पहले गांव वाले यह संकल्प करें कि टैक्स लगाकर बिजली को बराबर जारी रखेंगे या फिर मुख्य मंत्री महोदय कहें कि मैं बराबर पैसे भेजता रहूंगा। परिणाम यह हुआ कि जनता ने टैक्स दिया नहीं और वह बन्द हो गई। स्कूलों में ब्लेक बोर्ड नहीं हैं, डस्टर नहीं है, पानी पिलाने की व्यवस्था नहीं है और ६-६ और ७-७ रुपये टैक्स का ले रहे हैं। यह बात जरूर है कि अमेरिका का और बाहर से सड़ा हुआ जो बेसन आ रहा है उसके पकोड़े जरूर बना-बना कर बच्चों को दिये जाते हैं। बच्चे इससे कैसे बनेंगे ?

"बालक ये बरणसी कहीं,
ज्ञानी करो विचार।
अमेरिका के दान की,
दूध पकोड़ी खार।।

यह आप विचार कीजिये। मैं तो यह भी कहता हूं कि दूध के डिब्बे न जाने कहां चले जाते हैं, लेकिन जब सारे कुए में ही भांग पड़ी है तो किस-किस को दोष दिया जाये। इसके लिये सिर्फ मास्टरों को ही क्या दोष दिया जाय ? आप तलाश कीजिये कि भीलवाड़ा में कैसे कुए में दूध पड़ा ? मैं केवल इसलिये नहीं कहता कि मास्टरों को तकलीफ है लेकिन इसलिये कि लड़कों की हालत खराब हो रही है। कई स्कूलों मे ५-५ लड़के हैं और मास्टर हाजिरी भरते हैं। इसलिये कृपा करके इस पर चिन्तन कीजिये और ध्यान दीजिये।

(कुछ माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : इस पर लम्बी चर्चा नहीं होगी ।

पंचायत मन्त्री जवाब देंगे ।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में कई माननीय सदस्यों ने अपने विचार सदन में प्रस्तुत किये । जहां तक इस सिद्धान्त का प्रश्न है कि प्राइमरी एजूकेशन पंचायती राज संस्थाओं के पास में रहनी चाहिये, सभी माननीय सदस्य इस राय के हैं और इस मौलिक प्रश्न पर कोई मतभेद प्रतीत नहीं होता । अध्यापकों की कुछ कठिनाइयां है उनके सम्बन्ध मे यहां पर माननीय सदस्यों ने अलग-अलग विचार रखे ।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात यहां कही कि अध्यापकों के पे स्केल में फर्क है इसलिये प्राइमरी स्कूल के टीचर अपने को सैकेण्ड ग्रेड टीचर मानते हैं । मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि जहां तक पे स्केल का प्रश्न है प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों का पे स्केल और शिक्षा विभाग में जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं उनमें फर्क नहीं है । इसलिये यह कहना कि पे स्केल में फर्क है, यह बात सही नहीं है ।

दूसरी बात अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि वे अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकते । उपाध्यक्षजी, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है और बेसिक एजूकेशन जो प्राइमरी स्कूलों में दी जाती है जो कि शिक्षा की आधारशिला है, वहां पर यदि वे अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकते, आप देखेंगे कि शिक्षा के संबंध में जो आगे बढ़े हुए प्रान्त हैं वहां पर प्राइमरी स्कूल हैं उनमें उनको रखते हैं जो कि ग्रेजुएट्स हों । इसलिये यह कहना कि प्रतिभा नहीं दिखा सकते और उनका उपयोग नहीं होता यह बात सही नहीं है । अगर आप चाहते हैं कि देश में और प्रान्त में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे तो जो प्राइमरी एजूकेशन बालक ले रहे हैं उनको पढ़ाने में आज ज्यादा प्रतिभा दिखाने की गुंजाइश है वह दिखानी चाहिये न कि शहरों के निकट जाकर वह अपने घर के नजदीक रहना पसन्द करें ।

प्रोमोशन का जहां तक सवाल है बराबर उनके सामने पदोन्नति का प्रश्न है । डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इन्सपेक्टर के पास ज्वाइन्ट सीनियोरिटी लिस्ट है और उसके आधार पर ही प्रोमोशन्स दिये जाते हैं और राजस्थान में पंचायती राज बनने के बाद कम से कम मुझे पूरी फीगर याद नहीं है एक हजार के करीब अध्यापकों को राजकीय सेवा में ले लिया गया है और अभी प्राइमरी एजूकेशन के एडीशनल डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन ने भी शिक्षा विभाग में काफी टीचर्स करीब १॥-२ हजार के करीब होंगे, उनका प्रोमोशन भी राज सेवा में किया जाये, ऐसा कहा है और शिक्षा मन्त्रालय के यह प्रश्न विचाराधीन है ।

यहां पर एक बात और भी कही गई है कि सेमिनार का स्कोप बढ़ाना चाहिये । उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सेमिनार का स्कोप बढ़ाने का प्रश्न नहीं है । राज्य सरकार ने सेमिनार का निर्णय शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करने के बाद ही लिया था ।

शिक्षा के स्तर में किसी प्रकार की कोई कमी आई है, मैं इसको नहीं मानता हूं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

अगर कमी आई है तो प्राइमरी एजूकेशन के सम्बन्ध में ही मानने का कोई कारण नहीं है। वह सभी स्तरों पर आई है। केवल पंचायतों के स्कूलों में ही आई हो, इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूं। इसका कारण यह है कि प्राइमरी स्कूल से लड़के गांव के मिडिल स्कूलों में गये हैं और वहां से गांवों के हायर और हायर सैकण्डरी स्कूलों में गये हैं उनका नतीजा शहरों के हायर और हायर सैकण्डरी स्कूलों से अच्छा रहा है। वे ज्यादा फर्स्ट क्लास में रहे हैं। इसलिये यह मानने का कारण नहीं है। माननीय सदस्यों ने जो यह बात कही है उससे मैं सहमत नहीं हूं।

यहां पर एक बात और कही गई है कि सेमिनार में मैन्योलर किया गया है, अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है। इसमें कोई मैन्योलर करने का प्रश्न नहीं है। इसमें सीधा शिक्षा के स्तर का प्रश्न है, जिसमें शिक्षा-शास्त्री, शिक्षा विभाग के अधिकारी, पंचायत विभाग के अधिकारी, शिक्षक संघ के प्रतिनिधि, पंचायत राज इन्स्टीट्यूशन्स-पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् इनके प्रतिनिधियों द्वारा सेमिनार में कुछ सुझाव दिये जायेंगे, उन सुझावों में सिर्फ प्राइमरी एज्यूकेशन का ही प्रश्न नहीं है। प्राइमरी एज्यूकेशन के सम्बन्ध में जैसी भी स्थिति है वह इस सदन में माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने स्पष्ट कर दी थी कि राज्य सरकार सिद्धान्त के तौर पर इस बात को मानती है और उस निर्णय को राज्य सरकार बदलने का प्रयत्न नहीं करेगी। प्राइमरी एज्यूकेशन पंचायती राज इन्स्टीट्यूशन्स के पास में रहे। अब जो कठिनाइयां हैं और बहुतसे मामले उलझे हुए हैं जैसे सिलेक्शन का प्रश्न है, ट्रान्सफर के मामले हैं और दूसरे शिक्षा के स्तर के सम्बन्ध में क्या कमियां हैं उनको किस तरह से दूर किया जाय; इन सब पहलुओं पर सेमिनार में विचार किया जायगा। शिक्षा के सम्बन्ध में बुलाया गया है और पंचायत राज की सब बातें लेना और स्कोप बढ़ाने से मैं समझता हूं, जिस उद्देश्य से इस सेमिनार को बुलाने की बात है वह पूरा नहीं हो सकेगा।

उपाध्यक्षजी, जहां तक इस सेमिनार के बुलाने का प्रश्न है तो शिक्षकों की जो कठिनाइयां थीं और जिन मांगों को लेकर वे आन्दोलन की बात कर रहे थे वे इससे सेटिस्फाइड हो गये हैं और एग्रीएबल हैं। सेमिनार बुलाये जाने को इसी पाइंट आफ व्यू से, इसी इरादे के लेकर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया था कि शिक्षा के बारे में मौलिक तौर पर विचार करें जिये जायें। युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के चैयरमैन को उसमें आमन्त्रित किया गया है। मि. नाइक की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दी है उनको तथा दूसरे शिक्षा-शास्त्रियों को आमन्त्रित करने के बाद वे जो निर्णय लेंगे और सेमिनार के जो सुझाव राज्य सरकार के पास आयेंगे। उन पर राज्य सरकार गौर करेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह जानना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर आगे विचार नहीं किया जायगा। विचार समाप्त हुआ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं पंचायत मन्त्रीजी से यह

(श्री रामचन्द्र आर्य)

जानना चाहूंगा कि पंचायतों की सीमा में जो अध्यापक हैं उनमें असन्तोष पैदा हो रहा है तो उसके कारणों की जांच की जाय तो मालूम होगा कि पंचायत समिति के अधिकार कम हैं। उनके अधिकारों को पूर्ण किया जाय जिससे उनका असन्तोष दूर किया जा सके। जो अध्यापकों में असंन्तोष हो रहा है वह इस बात को लेकर हो रहा है कि पंचायत समितियों को पूर्ण अधिकार दिये जायं। अधिकार नहीं होने की वजह से कोई सुनवाई नहीं होती है, इस व्यवस्था पर ध्यान दिया जाय। इसका उत्तर क्या सोच रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : सिर्फ एक प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं माननीय मंत्रीजी से

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज प्रश्न है किसी सदस्य का नहीं है ..

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले स्थान ग्रहण करके अनुमति प्राप्त करके पूछिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि जो लड़के मेट्रिक करके या इन्टर करके ट्रेनिंग करके आते हैं और ट्रेनिंग करने के बाद में उनको अभी तक किसी भी पंचायत समिति में- अब तक का यह अनुभव रहा है- नियुक्ति नहीं किया जाता है और पंचायत समितियों के जो जिम्मेदार लोग हैं जैसे प्रधान आदि वे अपने रिश्तेदारों को राजनैतिक आधार पर अनट्रेण्ड होने पर भी नियुक्त कर देते हैं ..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, प्रश्न समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक दूसरा यह है ..

श्री उपाध्यक्ष : ज्यादा प्रश्न नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कि प्रौढ़ शिक्षण के लिये महिलाओं के लिये है उनसे यह बोण्ड लिखाते हैं कि ३ साल तक सर्विस करना अनिवार्य होगा....

श्री उपाध्यक्ष : अलग प्रश्न। इसका इनसे सम्बन्ध नहीं हैं। ऑर्डर प्लीज !

श्री देवीदत्त गाड़िया : पंचायत समितियों में उनके बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के बजट पर विचार।

श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहूंगा कि नेहरू मेमोरियल कॉलेज के छात्रों की हड़ताल के दौरान पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया और मार पिटाई भी की गई तो इसके बारे में आपका आदेश था कि वे स्टेटमेंट देंगे लेकिन वह स्टेटमेंट नहीं आया।

श्री उपाध्यक्ष : आपको इसकी सूचना थोड़ी देर बाद दे देते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने भी मुझे आश्वासन दिया था कि कावठी गांव के

Page No. 80

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

अन्दर जो घटना हुई उसके बारे में ६ तारीख को वक्तव्य देने के बारे में आश्वासन दिया था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। आश्वासन यहां पर नहीं दिया गया था इसलिए यहां पर जवाब नहीं दे सकता हूं।

(१.५५ म. प.)

राजस्थान विद्युत मंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण १९६८-६९ पर विचार

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्युत् मण्डल के वार्षिक वित्तीय विवरण (आय-व्यक) १६६८-६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहूंगा कि नेहरू मेमोरियल कॉलेज के छात्रों के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : उसमें वक्तव्य होने को था गृह मंत्रीजी का उसके बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुनिये माननीय सदस्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : उन लोगों के साथ में बड़ी ज्यादतियां की जा रही हैं....

श्री उपाध्यक्ष : मैं जो कह रहा हूं उसको आप सुनते ही नहीं हैं मैंने निवेदन किया था कि थोड़ी देर में इस बात को मालूम करके जवाब दे दिया जायगा। आप उसी प्रश्न को दुबारा छेड़ रहे हैं।

श्री फतेह सिंह (ब्यावर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल का प्रतिवेदन १९६८-६६ का इस सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। यह कहा गया है कि "चैरिटी बिगिन्स एट होम' अर्थात् दान की शुरुआत घर से होती है, इ त् मैं मेरे क्षेत्र की समस्याओं को लेकर ही अपने विचार व्यक्त करूंगा।

इस प्रतिवेदन के देखने से यह प्रतीत होता है कि ...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज ! सारी टू इन्टरप्ट यू।

भाषणों के समय की सीमा १५ से ३० मिनिट होगी अधिक से अधिक ३० मिनिट होगे।

श्री फतेहसिंह : श्रीमान्, इस प्रतिवेदन को देखने से यह प्रतीत होता है कि राजस्थान की अभी तक ९ पर्सेन्ट बस्तियों का विद्युतीकरण हो चुका है ...

(१.५६ म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

इसके अलावा राजस्थान में १४५४६ कुओं को बिजली पहुँच गई है। इसके लिए तो मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल को और राज्य सरकार को बधाई देता हूं और यह स्वागत के योग्य कदम तो जरूर हैं, लेकिन मैं साथ में यह भी कहना नहीं भूलूंगा कि विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल और राज्य सरकार ने दलगत राजनीति को अपनाया है। उसके लिए मैं राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल और राजस्थान सरकार की निन्दा किये बिना भी नहीं रह सकता।

(श्री फतेहसिंह)

श्रीमन्, विद्युत् मण्डल और राज्य सरकार ने जो व्यवहार ब्यावर नगर और ब्यावर क्षेत्र के साथ किया है वह अन्याय, पक्षपात और मानवता के पतन की पराकाष्ठा ही कहा जा सकता है। मैं दो-तीन उदाहरण अपने वक्तव्य के प्रमाण में देना पसन्द करूंगा।

(२ म. प,)

श्रीमन्, भीम क्षेत्र को आज से २ वर्ष पहले बिजली उपलब्ध कराई गई थी। और भीम सब-डिविजन के केन्द्र भीम तक बिजली लाई गई उसके लिए मैं सरकार को और राजस्थान विद्युत् मंडल को बधाई अवश्य देता हूं क्योंकि यह क्षेत्र कभी मेरा क्षेत्र रहा था और हो सकता है कि भविष्य में भी रहे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और इस राजस्थान विद्युत् मंडल के अधिकारियों से और विद्युत् विभाग के इन्चार्ज मंत्री हैं, माननीय मुख्य मंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि भीम तक बिजली लाई गई, इस बिजली को लाने का सरकिट देवगढ़ है, वहां से ताल और लसानी होते हुए बरार तक बिजली पहुंचाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि खिवरवास होकर बिजली क्यों नहीं लाई गई ? क्या यह पक्षपात नहीं था ? मैं आगे कहना चाहता हूं कि जब बरार तक बिजली लाई गई थी तो टाडगढ़ तक बिजली क्यों नहीं पहुंचाई गई ? टाडगढ़ के सैकड़ो किसानों ने और नागरिकों ने प्रार्थना-पत्र दिये हैं कि सैकड़ों किसान अपने कुओं और घरेलू बस्तियों के लिए बिजली लेने को तैयार हैं लेकिन यह नहीं किया गया। श्रीमन्, मैं यह बताना चाहता हूं कि बरार गांव से टाडगढ़ केवल दो मील दूर है जबकि टाडगढ़ का महत्व बरार से कम नहीं है। टाडगढ़ में पुलिस स्टेशन है जबकि बरार में नहीं है। टाडगढ़ में हायर सैकेन्डरी स्कूल है जब कि बरार में नहीं है। टाडगढ़ में सैनिक विश्राम गृह है जो कि बरार में नहीं है। टाडगढ़ में डाक बंगला है जहां कि बड़े-बड़े आदमी मुख्य मंत्री जैसे हवाखोरी के लिए जाते हैं। इसलिए मैं यह कहूंगा कि टाडगढ़ को केवल राजनैतिक आधार पर बिजली नहीं पहुंचाई गई। कारण यह है कि पिछले चार चुनावों से इस टाडगढ़ की जनता हमेशा से कांग्रेस का विरोध करती रही है इसलिए उनके अपने राजनैतिक विचारों के लिए उनको पैनेलाइज किया जा रहा है, उनको दण्ड दिया जा रहा है। यह राज्य सरकार और राजस्थान विद्युत् मंडल को शोभा नहीं देता है। इसी तरह से चम्बल की बिजली ब्यावर तक पहुंचाई गई मार्च, १६६४ में। अच्छी बात है पहुंचाई गई तो। लेकिन बिजली खराब होकर आ रही थी तो खरवा से मसूदा के लिए नौ मील की लाइन ले जाई गई। ब्यावर के आगे दक्षिण में सेठ गोलछा की फैक्ट्री के लिए तीन मील दूर बिजली लाइन ले जाई गई, तो दस मील आगे जवाजा तक उस बिजली लाइन को क्यों नहीं पहुंचाया गया। वहां के सैंकड़ों किसान, हजारों किसान अपने कुओं के लिए, बस्ती के लिए बिजली लेने के लिए तैयार हैं और उन्होंने इसके लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं। इसके लिए भी मैं यह कहूंगा क्योंकि ५७ में यद्यपि वहां से कांग्रेस का उम्मीदवार विजयी हुआ लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने मुख्य मंत्री का यहां पर राजनैतिक क्षेत्र में सहयोग नहीं दिया इसलिए उसके साथ उपेक्षा की जा रही है।

(श्री फतेहसिंह)

सन्, १९६२ में कम्युनिस्ट दल के विधायक वहां से जीते, इसलिए भी उसकी उपेक्षा की जा रही है। १९६७ में मेरा अवसर हुआ मैं जवाजा का प्रतिनिधित्व इस विधान सभा में कर रहा हूं इसलिए उस क्षेत्र की जनता को उसके राजनैतिक विचारों के लिए दण्डित किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं आपको बताना चाहता हूँ और आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि मसूदा से जवाजा का महत्व कोई कम नहीं है। मसूदा पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है तो जवाजा भी पंचायत समिति का हैडक्वार्टर है। मसूदा में पुलिस स्टेशन है तो जवाजा में भी पुलिस स्टेशन है। मसूदा में हायर सैकन्डरी स्कूल है तो जवाजा में भी हायर सैकन्डरी स्कूल है। और इसके अलावा जवाजा में यात्रियों के लिए, अधिकारियों के लिए अगर डाक बंगला है तो मसूदा में वह नहीं है। यह बात जरूर है कि वहां पर राव साहब का आतिथ्य आप लोगों को सदैव मिलता रहता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सदन को बताना चाहता हूं कि हम जो कोई निर्णय लें, हम जो कोई निर्णय करें वह दलगत राजनीति के आधार पर नहीं होनी चाहिए। इससे जनता में असंतोष फैलता है।

अब मैं एक बात ब्यावर नगर के सम्बन्ध में भी कहना चाहता हूं। श्रीमन्, ब्यावर नगर राजस्थान का प्रमुख व्यवसायी केन्द्र रहा है, यहां तक कि यह राजनीति का भी केन्द्र रहा है। ब्यावर में बड़े-बड़े क्रांतिकारी नेताओं ने शरण ली है। राजस्थान के भी बड़े-बड़े नेताओं को ब्यावर ने शरण दी है। लेकिन अब उसी ब्यावर के साथ में उपेक्षा बरती जा रही है। मैं केवल दो समस्याओं को लेकर अपने विचार व्यक्त करूंगा। श्रीमान् १५ मार्च, ६४ को ब्यावर नगर को राजस्थान विद्युत् मंडल ने चम्बल की बिजली प्रदान की इससे पहले ब्यावर नगर को ब्यावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड बिजली दिया करती थी। लेकिन ५७ से उस बिजली कम्पनी की हालत, आर्थिक हालत खराब हुई। उस कम्पनी ने राजस्थान के फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन को आर्थिक सहायता के लिए आवेदन-पत्र दिया लेकिन राजस्थान का फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन किसी भी बिजली को कम्पनी को आर्थिक सहयोग देता है उससे पहले राजस्थान विद्युत् मंडल की सिफारिश चाहता है। लेकिन राजस्थान के इस विद्युत् मण्डल ने उस कम्पनी की सिफारिश नहीं की और ऋण लेने के मामले में, फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से ऋण लेने के मामले में बाधायें पहुँचाई, यह कह कर टाल दिया गया कि १९६२ तक चम्बल की बिजली राजस्थान विद्युत् मंडल ब्यावर को दे देगा, जब कि आपको स्मरण रखना चाहिए कि राजस्थान विद्युत् मंडल १९६२ में नहीं, १५ मार्च, १९६४ में ब्यावर को बिजली दे सका था। इसलिए जो १९६२ का वायदा था वह केवल धोखा मात्र था। जब इस बिजली कम्पनी, ब्यावर की बिजली कम्पनी की आर्थिक हालत खराब हो गई तो १० मार्च, १९६४ को इस कम्पनी को लिक्वीडेशन में ले जाया गया और १३ मार्च, १९६४ को राजस्थान सरकार के आदेश नं. एफ. १ (५७) पी. डब्ल्यू. ६७ दिनांक १३ मार्च, १९६४ के अनुसार इस कम्पनी को तत्काल राजस्थान विद्युत् मंडल के अन्तर्गत कब्जे में लेने का आदेश हुआ और यह हुआ

(श्री फतेहसिंह)

कि कम्पनी तत्काल इस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपनी सारी मिल्कियत को सम्भलायेगी। यह आदेश हुआ, इसकी प्रतिलिपि भी इस सदन की मेज पर मैं रखना चाहूंगा। और कुछ शर्तों को लेकर राजस्थान विद्युत् मंडल को इस बिजली कम्पनी की मिल्कियत सौंपी गई। उस शर्त में एक यह बात थी कि बोर्ड इस सारी इलेक्ट्रिसिटी बिजली कम्पनी की मिल्कियत को खरीदेगा और इसका मूल्यांकन करेगा और इसका मूल्यांकन करके ७० प्रतिशत तत्काल उसको भुगतान किया जायगा। श्रीमान्, इसमें भी काफी देरी हुई और तत्काल भुगतान नहीं किया गया और भुगतान मार्च ६४ के अन्त में किया गया। तो यह शर्त भी जिसके अन्तर्गत राजस्थान विद्युत् मंडल को इस कम्पनी के असेट्स को लेना था वह भी इस सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। उसके बाद में इस कम्पनी के असेट्स की लिस्ट तैयार होने लगी लेकिन अगस्त १९६५ तक इस कम्पनी की क्या सम्पत्ति है जो लिक्वीडेशन में गई थी, उसकी लिस्ट भी तैयार नहीं कर सका यह राजस्थान विद्युत् मंडल, यह इसके लिए शोभा की बात नहीं है। फिर यह राजस्थान विद्युत् मंडल को, उस कम्पनी के लिक्वीडेटर को बराबर याद दिलाते रहे कि इसके असेट्स का मूल्यांकन करना चाहिए लेकिन उन्होंने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद में सितम्बर, ६६ में यह विद्युत् मंडल कितना निकम्मा है, इसके अधिकार कितने निकम्में हैं, अयोग्य हैं, अकर्मण्य हैं उसके मैं दो उदाहरण आपको दूंगा उनसे यह स्पष्ट होगा। उस कम्पनी के लिक्वीडेटर थे वह सितम्बर, ६६ में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सैक्रेटरी से मिले और उनसे कहा कि इसका भुगतान जल्दी होना चाहिए और इनका मूल्यांकन भी असेट्स का जल्दी किया जाना चाहिए। उन सेक्रेटरी साहब, सचिव महोदय ने विश्वास दिलाया सितम्बर, ६६ में कि शीघ्र ही सारी मिल्कियत का मूल्यांकन करवा कर चूकता भुगतान जनवरी, ६७ तक कर दिया जायगा लेकिन यह आश्वासन आश्वासन ही रह गया और कोई कदम नहीं बढ़ाया....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेयरमैन महोदय, ब्यावर कम्पनी के बारे में पेमेन्ट जल्दी हो इसके बारे में आप ज्यादा जोर दे रहे हैं?

श्री फतेहसिंह : जी हां। बोर्ड की ओर से कम्पनी की मिल्कियत का बाजार भाव से मूल्यांकन होने में देर होती रही तो कम्पनी ने अपनी ओर से एक्स्पर्ट बुलाये और अपने एसेट्स का मूल्यांकन करवाया और वह मूल्यांकन १३५८८३९ रु. ७९ पै. था और इसका क्लेम राजस्थान विद्युत् मंडल को १३-२-६७ को पेश कर दिया गया। श्रीमान्, उसकी भी प्रतिलिपि मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

१३-२-६७ के बाद भी अप्रेल, ६७ में इस कम्पनी के लिक्वीडेटर सचिव महोदय से मिले और सचिव महोदय ने उनको विश्वास दिलाया कि सितम्बर, ६७ तक अवश्य भुगतान कर दिया जायगा, पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। इस व्यवहार के कारण उस कम्पनी को लिक्वीडेटर्स को, राज्य सरकार को, चेयरमेन, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को और सेक्रेटरी, राजस्थान गवर्नमेन्ट को १३ दिसम्बर, १९६७ को जाब्ता दीवानी की धारा ८० के अन्तर्गत दो महीने का नोटिस देना पड़ा और कहा कि शीघ्रातिशीघ्र भुगतान होना चाहिये, नहीं तो अदालत में जाना पड़ेगा।

(श्री फतेहसिंह)

इसकी भी प्रतिलिपि मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

इस नोटिस के उत्तर में सेक्रेटरी, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जवाब १-१-६८ को मिला और उस १-१-६८ का जवाब देते हैं पत्र संख्या आर. एस. ई. बी./जी. एन. ७/७/१०६७, डेटेड जनवरी, ६८। उसमें कहा कि जनवरी, ६८ के मिडिल तक भुगतान कर दिया जायगा पर उसका भी कुछ नहीं हुआ, इसकी भी प्रतिलिपि मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा। जनवरी का मध्य निकल गया और जो मिडिल ऑफ जनवरी तक भुगतान करने का वायदा था तो दो महीने की देर देख कर इस कम्पनी के लिक्वीडेटर की ओर से उनके एडवोकेट ने राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को २५ मार्च, १६६८ को और याद दिलाया कि तत्काल भुगतान कराया जावे वरना अदालत में जाना पड़ेगा। उसकी भी प्रतिलिपि मैं सदन की मेज पर रखना चाहूंगा।

अब भी इस रिमायन्डर के बावजूद, इस पत्र-व्यवहार के बावजूद इन आश्वासनों के बाद भी राजस्थान विद्युत् मण्डल चुपचाप मौन साधे रहा।

२० जुलाई, ६८ को कम्पनी के लिक्वीडेटर जगन्नाथ शर्मा और भगवानदास गर्ग ने माननीय मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा और निवेदन किया कि इस कम्पनी की सारी समस्या को समझाने के लिये एक इन्टरव्यू का अवसर हमें दीजिये, इसकी भी प्रतिलिपि मैं सदन की मेज पर रखता हूं। पर अभी तक मुख्य मन्त्रीजी के कार्यालय अथवा मुख्य-मन्त्रीजी द्वारा उनको मिलने का कोई अवसर नहीं दिया गया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्थान के मुख्य मन्त्री को कोका कोला की फैक्ट्री का उद्घाटन करने का समय मिल जाता है. सिनेमा फिल्म शो का उद्घाटन करने का समय मिल जाता है पर ऐसी इलेक्ट्रिसिटी कम्पनी के प्रतिनिधियों से मिलने के लिये समय नहीं मिलता, इससे बढ़ कर और क्या दुःख की बात हो सकती है।

मैंने राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल, १६६७-६८ का प्रतिवेदन पढ़ा है, इसके अध्याय ३ पैरा १४ में लिखा है:—

"मण्डल द्वारा भूत में लिये गये निजी स्वामित्वाधीन विद्युत् गृहों की समिति की सम्पत्ति के अन्तिम भुगतान के प्रबन्ध का कार्य भी प्रगति में रहा। बूंदी पावर हाउस का अवार्ड और न्यायालय की डिक्री के अनुसार भुगतान किया गया...

कुछ बिजलीघरों की सम्पत्ति के मूल्य निर्धारण को शीघ्र पूरा करने के लिये अधिशासी अभियन्ता और लेखाधिकारी का स्थान-स्थान पर जा कर मूल्य निर्धारण करने के लिये एक दल का गठन किया गया है। बारां, नाथद्वारा और कपासिन बिजलीघरों का कार्य इस दल को सौंपा गया है।"

मैं राजस्थान विद्युत् मण्डल से और मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि बारां, नाथद्वारा और कपासिन के बिजलीघरों की मिल्कियत के सम्बन्ध में भुगतान किया है, उसका स्वागत करता हूं पर ब्यावर के बिजलीघर के असेट्स के भुगतान के बारे में आप अब तक क्यों मौन साधे हुए बैठे हैं ?

(श्री फतेहसिंह)

श्रीमन्, इस बिजली कम्पनी में जो कि अभी लिक्वीडेशन में है, उसमें कई गरीबों का पैसा लगा हुआ है, कई गरीब लोग हैं जो इसके क्रेडिटर्स हैं, कई विधवाएं हैं जो क्रेडिटर्स हैं, उनका पैसा इसमें लगा हुआ है, कई विधवाएं ऐसी हैं जिन्होंने देखा कि वृद्धावस्था में या पुत्र-पुत्रियों के वयस्क होने पर उनके विवाह आदि के लिये यह पैसा काम आयेगा उनको वह पैसा नहीं मिल रहा है, वे रो रही हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने सर्विस काल में पैसा जोड़ा, पेन्शन पर आये तो पेन्शन को कम्यूट करवाई, जो उनको पेन्शन मिली जो उनकी जीवन भर की सेविंग थी, उसे उन्होंने इस बिजली कम्पनी में जमा करा दिया, ऐसे सैंकड़ों व्यक्ति हैं, सैंकड़ों विधवाएं हैं, उनको उनके पैसे की आवश्यकता है पर उनको यह पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजनीति से ऊपर उठ कर, दलगत विचारों से ऊपर उठ कर इस समस्या को सुलझायेंगे।

मुझे दुःख है कि मैंने एक बात को केन्द्रित कर के अपने विचार व्यक्त किये हैं पर आखिर मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे कहा गया कि मैं इस मामले को यहां रखूं।

श्रीमन्, एक कहावत है, रहीम का दोहा है:—

निर्बल को न सताइये, उनकी मोटी हाय।
मुंई खाल की स्वास सों, लोह भस्म हो जाय॥

श्री मूलचन्द डागा: (अश्रव्य)

श्री फतेहसिंह: माननीय मुख्य मन्त्रीजी भी जानते हैं और डागाजी आप भी जानते हैं, धमनी बनी हुई है, वह मरी खाल से बनी हुई है। उसके चलाने से लोहा भी भस्म हो जाता है। आखिर इन विधवाओं और गरीब चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, उनकी जीवित चमड़ी है, उनकी आह आपको लगेगी तो आपका सार्वजनिक, जीवन राजनैतिक जीवन समाप्त हो जायगा, यदि आपने उनकी आह ली।

मैं राजस्थान विद्युत् मण्डल के अधिकारियों से भी यही निवेदन करूंगा। आप विद्युतीकरण के मामले में पक्षपात न करें। ब्यावर की बिजली कम्पनी के असेट्स हैं, उनका बाजार भाव से मूल्यांकन करना चाहिये। राजस्थान विद्युत् मण्डल जिस वक्त के भावों से डिप्रेस्ड वेल्यू को काट कर भुगतान करना चाहता है जब कि कम्पनी चाहती है कि बाजार भाव से चुकारा किया जाय। कोई चीज कभी ५ में खरीदी होगी पर वह आज ५० की हो सकती है। आज के भाव से भुगतान करना चाहिये। आज के भाव से भुगतान नहीं करना चाहते हैं तो लिक्वीडेटर्स, क्रेडिटर्स और शेअर होल्डर्स की तरफ से कहना चाहता हूं कि यह सारी कम्पनी की सम्पत्ति लिक्वीडेटर्स को सौंप दीजिये, उनको बाजार भाव से २१ लाख रुपया मिल रहा है, १६ मील लम्बी लाइन लगाई है। इसलिये आज के बाजार भाव से भुगतान करायें, कम्पनी ने खरीदा उस भाव से नहीं।

श्री सभापति: श्री मूलचन्द डागा!

श्री मूलचन्द डागा (पाली): सभापति महोदय, बिजली देश के लिये वरदान है और

(श्री मूलचन्द डागा)

गांवों में चमक पैदा करती है। पर मैं यह नहीं समझ सका कि हिन्दुस्तान के अलग-अलग प्रान्तों के मुकाबले में, हिन्दुस्तान की जो दूसरी स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाना, गुजरात, महाराष्ट्र, उनके बिजली के आंकड़ों को जब मैं देखता हूं और राजस्थान के बिजली के आंकड़ों को देखता हूं, इन आंकड़ों का राजस्थान के बिजली के आंकड़ों से यदि मिलान किया जाय तो मेरी समझ में राजस्थान इनसे बहुत पीछे रहा है। इन आंकड़ों को पूरी तरह से देखा जाय तो मालूम होगा कि राजस्थान की सरकार, मैं कह नहीं सकता राजस्थान की सरकार के बारे में, क्योंकि यहां तो एक बोर्ड है, विद्युत् मंडल है, ओटोनोमस बोडी है। कई बार लोग कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों के काम में इन्टरफियरेंस होने से हम काम ठीक नहीं कर पाते। लेकिन विद्युत मंडल के बारे में हमें सही बात कहने में हिचकना नहीं चाहिए। यह ऐसी ओटोनोमस इन्स्टीट्यूशन बना रखी है जिसको हम एप्रोच नहीं कर सकते, न आज तक देखा है कि जिला स्तर पर कोई एडवाइजरी कमेटीज बनी हों जहां पर एम० एल० एज० आकर अपनी बात कह सकें। आपके यहां पक्षपात-पूर्ण रवैया है। मुझे इस बात की खुशी है कि इसके सर्वेसर्वा मुख्यमन्त्रीजी स्वयं हैं। इसके डिप्टी मिनिस्टर तो बड़े होश्यार हैं, न जानें क्या सुधार ला सकेंगे। लेकिन इस ओटोनोमस इन्स्टीट्यूशन में इतनी गड़बड़ है कि हमने कभी नहीं देखा कि पाली में तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर कोई एडवाइजरी कमेटी हम लोगों की हो। आप कहते हैं कि इन्जिनीयर्स बेकार हैं, मैं नहीं चाहता कि हजारों की संख्या में इंजिनीयर बेकार हों लेकिन यदि इंजिनीयर देश की सेवा नहीं करेंगे तो प्रकृति का प्रकोप उन पर होगा, देश के लोगों की नाराजगी इन्जिनीयरों पर होगी, नाराजगी की वर्षा इन्जिनीयर महोदयों पर होगी। इसके टेक्नीकल एक्सपर्ट को तीन हजार महीना मिलता है, तो भी हमने पाली में तो अंधेरा ही देखा, ७-७ बार ब्रेक डाउन होता है। यह गलती ३०००) रु० पाने वाले टेक्नीकल एक्सपर्ट की और २७००) रु० पाने वाले चेयरमेन की है। मेरे खयाल से लोकतंत्र में, ओटोनोमस इन्स्टीट्यूशनें में विश्वास करने वाली सरकार को ऐसी संस्था में सरकारी अधिकारी रखने चाहिएं? हम विश्वास नहीं करते कि इस प्रकार की ओटोनोमस इन्स्टीट्यूशन चले, जिसमें हमारा हाथ न हो, हमारी आवाज न हो, हम अपनी बात को नहीं कह सकते।

पाली को बिजली कहां से मिलती है? अजमेर से। हम मन्त्री महोदय की भाषा में नहीं आ सकते। बड़े ढंग से, लहजे में, कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि क्या प्रयास करते हैं। मन्त्री महोदय कहते हैं कि प्रयास जारी है। पाली को अजमेर से कितना वोल्टेज देते हैं? जोधपुर में ज्यों ही लोड हुआ तो कट कर देते हैं। पक्षपात के कारण हालत बिगड़ी हुई है। पाली के विद्यार्थी परीक्षा के लिए रात को पढ़ने लगते हैं तो बिजली गायब। वकील मुकदमे के कागज पढ़ने बैठें तो बिजली गायब। इस विद्युत् मंडल में तीन हजार के टेक्नीकल एक्सपर्ट्स, इन्जिनीयर, चेयरमेन, चीफ इन्जिनीयर, भगवान् जाने क्या कतार खड़ी कर दी है नौकरशाही की। तो हमारी बिजली से उपेक्षित बस्तियां आपके क्या गीत गायेंगी? आप ईमानदारी से उत्तर दें कि

(श्री मूलचन्द डागा)

पाली को आपने किस प्रकार से उपेक्षित किया है ? मैंने कई बार आपका ध्यान दिलाया है। जोधपुर में ज्योंही लोड हुआ, तो हमारी बिजली कट कर देते हैं।

एक सेट था हमारे यहां, वह सिरोही में जाकर लगा दिया। वह हमें बिजली दे सकता था, आप उत्तर दें कि सिरोही क्यों भेजा ? क्योंकि हमारे यहां से कोई बोलने वाला नहीं था, हमारी आवाज नहीं थी। मुख्य मन्त्रीजी के हाथ में यह आटोनोमस इन्स्टीट्यूशन है, तो वह भी एक शक्ति है। एक मुख्य मन्त्रीजी की शक्ति और दूसरी विद्युत मंडल की शक्ति। दोनों शक्तियां टकरायेंगी या सहयोग होगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। विद्युत मन्डल को आपने आटोनोमस बना दिया लेकिन एक बात अच्छी है कि शक्ति पर शक्ति आई। मुझे आप बताइए कि पाली का कौनसा गांव आपने आलोकित कर दिया ? कौनसे गांव वाले आपको आशीर्वाद दें ? मनियारन, बागड़ियों में कुएं वाले बिजली मांगते हैं। कहते हैं इस देश की धर्ती सोना उगले; उगले हीरा मोती। मोती-हीरा कैसे उगलेंगे जब तक बिजली नहीं देंगे आज बिजली आराम की चीज नहीं है, यह अनिवार्य और आवश्यक साधन हो गया है, विकास का साधन हो गया है, बिजली से विकास होता है, देश का विकास होता है. किसान धान पैदा करता है। पाली तहसील में हजारों कुएं हैं। लोग कहते है कि गंगानगर धान देता है लेकिन मैं कहता हूं कि पाली इतना गेहूं दे सकता है कि राजस्थान के काफी हिस्सों को अनाज दे सकता है, लेकिन वहां बिजली नहीं।

अक्सर रेडियो पर आता है कि हम क्षमा मांगते हैं कि आज बिजली नहीं दे सकेंगे। विद्युत मंडल के अधिकारी हैं, वे कभी क्षमा मांगते हैं ? हर समय रेडियो पर कहते हैं कि आपको प्रोग्राम नहीं दे सकेंगे। मत दीजिये, कौन कहता है प्रोग्राम दो। कभी कहते हैं पानी उपलब्ध नहीं कर सकेंगे, कभी कहते हैं कि बिजली नहीं मिलेगी। मैंने कई बार कहा कि पाली को आपने किस प्रकार से उपेक्षित किया है ? आपके यहां प्रायोरिटी की लिस्ट नहीं। किसी इन्जिनीयर के पास चले जायं, कोई रजिस्टर मेन्टेन किया हुआ है पावर कनेक्शन देने का ? कम से कम यह लिस्ट तो बनायें कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। एक आदमी दरखास्त देता है उसको मालूम होना चाहिये कि मुझे बिजली कब मिलेगी।

मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी से कि भीलवाड़ा से पाली तक लाइन खींची जा रही है; मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि एक प्रश्न के उत्तर में आपने कह दिया कि मार्च, १६६६ तक बिजली चली जायगी, ताकि हम चुप रहें इसलिए मैं चुप हूं। मुख्य मंत्रीजी आपने आटोनोमस संस्था बनाई है, हमारा उसमें अधिकार नहीं, आपका हक है, हम नहीं चाहते कि कोई राज्य में काम करने वालों के काम में हस्तक्षेप हो लेकिन जब इस प्रकार के काम हों, पाली के बारे में मैंने कई बार कहा है कि जोधपुर से पाली अगर लाइन देनी है तो बिजली बराबर दें। हमारा सेट हमें वापस करो। सिरोही किस जगह पर पड़ा हुआ है, कौन ले गया ? हमसे कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। ६६,००० वोल्ट की वालों से फालना लाइन दी है। आप बड़े-बड़े गांवों को आलोकित

(श्री मूलचन्द डागा)

करने से पहले जो छोटे-छोटे गांव पड़े हुए हैं वहां बिजली दे दें। रजिस्टर बनाइए। पाली तहसील में जैसे ही बिजली पहुँचेगी गांवों में नई चमक आएगी और हमारा देश समृद्धिशाली और सम्पन्न होगा। आपके प्रशासन में ढिलाई, निकम्माई और कमी है। एक तरफ तो इंजिनीयर बेकार बैठे हैं और दूसरी तरफ ग्रोल्ड अनक्वालीफाइड ठेकेदारों को काम सौंपते हो। जो बूढ़े ठेकेदार हैं अन्क्वालीफाइड उनको भगाओ। आप यह काम इंजिनीयर्स को क्यों नहीं देते हैं मैं आपको गुजरात और महाराष्ट्र के आंकड़े देना चाहता हूं कि कितने हजार गांवों को प्रकाशित किया, नई योजनायें बनाई हैं। महाराष्ट्र में १५ करोड़ बिजली पर लगाए १६६८-६६ के बजट में। गांव वाले अपना निर्णय देते हैं, अपना मत देते हैं। लेकिन आपके यहां किस प्रकार का निर्णय है, यह मैं आज तक नहीं समझ सका। पाली को आप चम्बल की बिजली देना चाहते हैं और दे रहे हैं। क्या कारण है कि डिस्क्रिमिनेशन है ? एक को कहते हैं कि रात को सप्लाई देंगे और एक को कहते हैं कि दिन को देंगे। किसी स्टेट को देख लीजिये। यह भेदभाव क्यों है ? आटे की चक्कियां रात को चलती है। मजदूर लोग कहते हैं कि दिन को यह काम करें। पाली में चार आदमियों को दिन में और दस आदमियों को रात में बिजली देते हैं। किनको कहें ? मंत्री महोदय हों वहां, तो उनको कहें। जब विद्युत् मण्डल वालों से कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमसे बात मत करिये, उनसे बात करिये आखिर हम किससे बात करें ? एक्जीक्यूटिव इन्जिनीयर, असिस्टेन्ट इन्जिनीयर, ग्राम पंचायत के सरपंच, एम० एल० ए० किसी को सलाहकार समिति बना दीजिये। एक कुए को बिजली दे दी और एक कुए को बिजली क्यों नहीं देते हैं यह पूछते हैं तो कहते है कि वजन नहीं पड़ता। रजिस्टर आपके पास है। प्रायोरिटी लिस्ट आप पूरी तरह से ईमानदारी के साथ मेनटेन करिये। वे लोग विद्युत् मण्डल से यह आशा करते थे, यह बात चाहते थे।

राजस्थान में बिजली देना चाहते हैं। जोधपुर को फीड करना चाहते हैं। आप समझते हैं कि भीलवाड़ा से दी हुई बिजली जोधपुर तक पहुँच जावेगी। विशेषज्ञों और इन्जिनीयर्स ने विश्वास कर लिया। लेकिन मुझे इसमें संदेह है। पाली जिला राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण जिला है, सबसे ज्यादा आय देता है, आमदनी देता है। उस जिले में सारी बातें है। पानी है, व्यापार है। गंगानगर अपने लिये एक और मशहूर है तो पाली जिला भी अपनी शान रखता है। उस जिले में कितनी इन्डस्ट्रीज हैं। देश के विकास में हमारा पूरा सहयोग है। उसकी अपेक्षा हम आप से भी करते हैं। विद्युत् मण्डल जितना तेज होगा उतना ही हमें आगे बढ़ा सकता है।

मुख्य मंत्रीजी, आपको यह ऑटोनोमस इन्स्टीट्यूशन है, यह बोर्ड है यह बताने की कृपा करेंगे कि कौनसी तारीख को भीलवाड़ा से पाली को कनेक्ट कर देंगे। कोई योजना है, कार्यक्रम है, हम आपसे जानना चाहते हैं ? ताकि पाली में ऐलान कर सकेंगे कि विद्युत् मण्डल ने आश्वासन दिया कि इतने समय में पाली आलोकित हो जावेगी और रेडियो, ट्यूब लाइट्स जो खत्म हो जाती थीं वे नहीं होंगी। विद्युत् मण्डल पर कोई

(श्री मूलचन्द डागा)

दावा करे, तो इतनी डिक्रियां ग्रासानी से हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि विद्युत मण्डल पर दो-तीन दावे हों ग्रौर टैक्निकल परसनल शुड बी ग्रास्कड एण्ड दे शुड कम टु दी विटनेस बाक्सेज, यह एक्स्प्लेन करने के लिये कि इतने ब्रेक डाउन क्यों होते हैं। यह बड़े महत्व का सवाल है। इन्जीनियर महोदय, मैं ग्रापको बताना चाहता हूं ग्राप हमारी जिन्दगी से खिलवाड़ करते हैं। ग्रापका कार्य डॉक्टर से कम नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर्स ग्रौर इंजीनियर्स के लिये बड़े गीत गाये थे। हमारे ऊपर तो बिजली ऐसी पड़ी है कि भगवान जाने वह कब उठेगी। इंजीनियर्स महोदय से कहना चाहता हूं कि वे ग्रपने इस विभाग को ग्रच्छी तरह से ठीक करें। ग्रापके कारण देश बढ़ेगा। इसलिये ग्राज सुनाने का मौका मिला है कि ग्राज इंजीनियर्स ग्राये हुए हैं। कई बार इंजीनियर्स से प्रार्थना की, रायेड़ की तरफ लाइन जाती है वहां बिजली क्यों नहीं देते ? कहा जाता है कि ऊपर से वजन लाइये। ग्रसिस्टेन्ट इंजीनियर्स भी ऐसे टकराते हैं। हम कभी कहते हैं कि दे ग्रार नोट एक्सपर्ट्स। विशेषज्ञ कहीं इतने ऊंचे हैं कि उन्हें हमारी सीमा तक लाइये। यह लोकतन्त्र है। जितने ऊंचे ग्राप उठे हैं हमें भी उठा लो। इंजीनियर्स इतने ऊंचे खड़े रह कर बात करें, ग्रापकी गर्दन न झुके ग्रौर हम ही झुकायें। ग्रापकी गर्दन न झुकी तो क्या होगा ? हम भी झुकायें ग्रौर ग्राप भी झुकायें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : हमें कह रहे हैं या इंजीनियर्स को भाषण दे रहे हैं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : ग्रापके मारे डरते हैं।

श्री श्रवणलाल : वैसे रात में दिखता है दिन में नहीं दिखता है।

श्री मूलचन्द डागा : मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि ग्रापके पास एक ही उत्तर है कि यह ग्रोटोनोमस बोर्ड है ग्रौर हम इसलिये इन्टरफियर नहीं करते।

श्री जयनारायण सालोदिया : कहते ही नहीं मक्खन लगाते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मक्खन लगाते हैं या कुछ भी कहिये, इससे कोई ग्रन्तर नहीं पड़ता है।

यह विद्युत् मण्डल का महकमा है। जितनी धनराशि ग्राप दूसरों पर खर्च करना चाहते हैं उससे ज्यादा धनराशि कर्जा लेकर भी बिजली के मामले में ग्रापको प्राथमिकता देनी होगी। ग्रौर हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिजली का विकास हो सकता है। हर जिले की बात बताने की कोशिश करें।

मीटर रीडिंग में इतनी गड़बड़ी होती है, वह हम रोज देखते हैं।

एक ग्रोक्ट्राय ड्यूटी पर हमारा झगड़ा बिजली विभाग से है। म्युनिसिपैलिटी में जब ग्राप ग्रपना सामान लाते हैं तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय यह क्या कहते हैं कि यह गवर्नमेन्ट का काम है। लेकिन यह कॉमर्शियल इन्स्टीट्यूशन है। बड़ा सौदागर है यह। सौदा करता है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, ग्रासन की तरफ देखें।

श्री मूलचन्द डागा : ग्रापके प्रभाव से ही कह सकता हूं। उसी शक्ति से तो बोल रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : इसीलिये आसन को भूल गये।

श्री मूलचन्द डागा : यह एक अच्छा सौदागर है। इन सौदागरों से पूछें कि जब म्युनिसिपैलिटी में सामान लाते हों तो ओक्ट्रॉय ड्यूटी क्यों नहीं देनी चाहिये। नहीं देना चाहते हैं तो हमें बड़ा कमजोर माना। हमारे साथ रियायतें तो बरतते। हमारे अच्छे स्थान हैं उनको तो आलोकित कर देते। ओक्ट्रॉय के माने में भी मैं चाहता हूं कि हमारी ओक्ट्राय आपके विभाग से मिलनी चाहिये। आप भी सौदा करना चाहते हैं, हम भी सौदा करना चाहते हैं। हम सबसे बड़े कन्ज्यूमर होने हैं आपके। आपका सम्बन्ध हम से अच्छा होना चाहिये। म्युनिसिपैलिटी ऐसी चीज है कि आपके माल को कस्टडी में ले लिया जाय। फिर कुछ भी कर लेना। आपकी भी ओटोनोमस इन्स्टीट्यूशन है तो हमारी भी ओटोनोमस बोडी है।

श्री सभापति : माननीय श्री गाड़िया!

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार का राजस्थान राज्य विद्युत् मंडल के सन् ६७-६८ के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके साथ ही मुझे अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज राजस्थान की सरकार उस कहावत को चरितार्थ कर रही है, जैसे दीपक के तले अंधेरा। राजस्थान की जनता को चम्बल से जो बिजली तैयार की गई है, वह बिजली दी जा रही है। यह चम्बल कोटा जिले के पास है किन्तु अत्यन्त खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि कोटा जिले का वह आदिवासी क्षेत्र, अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र, किशनगंज व शाहबाद, जिसके अन्दर हमारे मुख्य मन्त्रीजी ने अनेक बार जाकर अपनी सरकार की लोकप्रियता का ढिंढोरा पीट कर उस क्षेत्र की आदिवासी जनता को आकृष्ट करने की चेष्टा की है, उस क्षेत्र को आज तक, वहां के आदिवासी जनता को माननीय सभापति महोदय, उस किशनगंज, शाहबाद तहसील क्षेत्र के इलाके के अन्दर कहीं भी बिजली नहीं दी गई है। जबकि राजस्थान के इस क्षेत्र का यह सौभाग्य है कि राजस्थान का जो बासमती चावल है, लाखों मन की तादाद में वहां पैदा होता है। यह बासमती चावल हिन्दुस्तान के अन्दर देहरादून के चावल को भी मात कर देता है। यह सर्वश्रेष्ठ चावल होता है यह क्षेत्र डाकूग्रस्त है और वहां की जनता डाकुओं से भयभीत रहती है। वह प्रकाश चाहती है। उस क्षेत्र का किसान बिजली चाहता है लेकिन हमारी सरकार उस क्षेत्र की जनता को बिजली देने में असमर्थ है। मैंने इस बारे में कई बार विद्युत् मण्डल के अधिकारियों से बात की। मुख्य अभियन्ताजी से बात की। चेयरमैन महोदय से मिला और उनसे निवेदन किया लेकिन यह कह कर टाल दिया कि राज्य सरकार के पास, विद्युत् मण्डल के पास पैसे का अभाव है। उनको तो मैं कुछ नहीं कह सकता लेकिन मैं सदन को बता देना चाहता हूं कि राजस्थान की यह सरकार दिवालिया है। और दिवालिया इसलिये है कि राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने बैठे बैठे आदेश जारी किया कि जितने भी कर्मचारी हैं, उनके वेतन के अलावा जितने भी बिल्स हैं, ठेकेदारों के बिल हैं उन बिल्स को रोक लिया जाय। यह ट्रेजरी को आदेश गया। मैं माननीय मुख्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

आप इस प्रकार से ठेकेदार के बिल रोक सकते हैं कर्मचारियों के टी. ए. डी. ए. को रोक सकते हैं, राजस्थान विधान सभा के सदस्यों के मार्च, मई का या अप्रेल, मई का जो दो महीने का वेतन दिया जाना चाहिये था सन् ६७ का और जुलाई का वेतन रोक सकते हैं आप चार तारीख तक । किन कारणों से आप रोकते हैं ? लेकिन उस क्षेत्र की जनता ने क्या पाप किया है ? राजस्थान की सरकार समाजवाद में विश्वास रखती है। लेकिन अनुसूचित जन-जाति क्षेत्र के लोगों को बिजली नहीं देती। विद्युत् विभाग के पास एक ऐसा आदेश है कि जिस इलाके के अन्दर आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग रहते हों, उनकी आबादी वहां अधिक हो, प्रतिशत के हिसाब से, उस इलाके में, उस मोहल्ले में बिजली की व्यवस्था पहले की जाय। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शाहबाद के इलाके में जहां कि ४४ प्रतिशत आबादी आदिवासी भीलों की है, उस क्षेत्र की जनता को बिजली देने के लिये आपने क्या किया ? कहां गये आपके ये सिद्धान्त और नीति ? कहां गया समाजवाद ? आप यह विद्युत् की कमी, पैसे का अभाव, गरीबों के लिये, किसानों के लिये ही प्रकट करते हैं। किसान हमारा अन्नदाता है । भारत के प्रधान मन्त्री ने स्वर्गीय श्री लाल-बहादुर शास्त्री ने और राजस्थान के मुख्य मन्त्री आपने भी रेडियो के माध्यम से किसानों से अपील की थी, आपको शायद याद होगा, वह अपील की थी कि देश के सामने अन्न की समस्या है उसको हल करने के लिये किसान अधिक से अधिक अन्न का उत्पादन करे। लेकिन वह किसान जिसके दो हाथ खेती करने के लिये तैयार हैं, उस किसान ने आपकी अपील को स्वीकार किया लेकिन आप उस किसान की अपील को क्यों नहीं स्वीकार करते ? उस किसान ने आपको अपील की, मुख्य मन्त्रीजी हमको खेती के लिये बिजली चाहिये। हमारे कुएं को बिजली चाहिये। बिजली दीजिये। किन्तु आप उनको बिजली नहीं दे सकते । आप यह कहेंगे हमने २००० कुओं के ऊपर बिजली दी है। राजस्थान के कितने किसान कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो कोटा जिले के रहने वाले हैं, जिनकी सड़क पर, खेत पर होकर बिजली गई है, जिनके पास में खेती है कुएं हैं, उनको आज तक बिजली नहीं दी गई । क्या कारण है ? मैं एक उदाहरण बताऊं । एक ग्राम सुन्दर है, आदर्श है, जिसे हिन्दुस्तान का सर्वश्रेष्ठ गांव घोषित किया गया है । वह राजस्थान का फतहपुर गांव है जिसे सर्वश्रेष्ठ घोषित कर पुरस्कार मुख्य मन्त्रीजी आपने दिया था। वहां जाकर आपने घोषणा की थी कि फतहपुर गांव जो सर्वश्रेष्ठ आदर्श गांव है, उनको बिजली दी जायगी व अप्रोच रोड वहां जल्दी से जल्दी बना दी जायगी। आपका वह आश्वासन कहां गया ? जनता को धोखा आश्वासन देना आप बन्द करें। वरना जो आश्वासन दें उसको पूरा करें। आप हिम्मत से यह घोषणा कर सकेंगे कि हिन्दुस्तान के सर्वश्रेष्ठ आदर्श ग्राम फतहपुर में बिजली की व्यवस्था नहीं है, वहां बिजली महीने में, दो महीने में पहुंचा दी जायेगी ? मैं जानता हूं मुख्य मन्त्रीजी आप में यह हिम्मत नहीं है कि आप गांव के किसान को सस्ती बिजली दे सकें। किसान को बिजली दी जाती है, सभापति महोदय, ७५० रुपया केश जमा कराकर। १००० एडवान्स लेकर ५००० से भी ज्यादा लेकर। यह कहकर

Page No. 92

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कि सरकार की आर्थिक स्थिति कमजोर है हम पैसा नहीं दे सकते। यह राजस्थान की सरकार किसानों को रियायती रेट पर बिजली देने की बात कहती है। लेकिन उनसे ११ पैसा लेती है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग कौनसा है? वह कृषि है। किन्तु कृषि प्रधान राजस्थान के किसान को हम सस्ती बिजली नहीं देते। क्या कारण है? डालमिया, साहू जैन जैसे व्यक्ति को आप सस्ती बिजली दे सकते हैं। आप नुकसान उठाकर उन्हें बिजली दे सकते हैं। यह कहकर सस्ती बिजली दे रहे हैं कि राजस्थान में उद्योगों की तरक्की करना चाहते हैं। राजस्थान में अधिक से अधिक कारखाने खुलें और उद्योग पनपें। मजदूरों को रोजगार मिले। मैं मुख्य मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे कौन-कौनसे बड़े-बड़े उद्योग हैं? सभापति महोदय, कोटा जिले में, कोटा शहर के आस पास बुनकरों का एक तबका है। ये बुनकर हिन्दुस्तान के अन्दर सबसे बढ़िया साड़ियां, डोरिये की साड़ियां बनाते हैं। संसार में अपना नाम रखते हैं। अपना स्थान रखते हैं। ये बुनकर चिल्लाते हैं, आज भी चिल्ला रहे हैं कि हमें बिजली दी जाय। पावरलूम दिये जायं। सभापति महोदय, यह राजस्थान की सरकार उन गरीब बुनकरों को पावरलूम नहीं दे सकती। लेकिन श्री गोपाल इन्डस्ट्रीज को, जो बड़ा उद्योगपति है, उसको पावरलूम दे सकती है। कांग्रेस के नेता को, जो फर्जी काम करते हैं, पावरलूम दे सकती है। उनको जो हाथ से काम करना चाहते हैं, जो हिन्दुस्तान में राजस्थान के नाम को उज्ज्वल किये हुए है, उस गरीब बुनकर को, जो पिछड़ी जाति का है, उसको ये बिजली नहीं दे सकते। पावरलूम नहीं दे सकते।

इतना ही नहीं सभापति महोदय, राजस्थान का विद्युत् मण्डल भ्रष्टाचार के काले कारनामों से इतना कलंकित हो रहा है कि आज उसके इतिहास के पन्ने उलटे जायं, उसके इतिहास को देखा जाय तो जूनियर इन्जीनियर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर, एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, लाइनमैन सबके सब भ्रष्टाचार से पिल रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से इस सदन के सामने उदाहरण रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, अजमेर से राजमहल तक बिजली की लाइन गई है १९६७ के अन्दर, इसके अन्दर का दो लाख रुपये का बिजली का सामान, बिजली का तार पंजाब जाकर बिका, मध्य-प्रदेश के अन्दर जाकर बिका। इसे बेचने में हाथ किसका है? इसमें हाथ है सहायक अभियन्ता श्री जे. सी. माथुर का, जिनको आपके मन्त्री मंडल के एक वरिष्ठ मन्त्री का संरक्षण प्राप्त है। जब इस क्षेत्र के अन्दर इस बिजली के सामान के सम्बन्ध में शिकायत हुई तो मैं इस बात की दाद दूंगा कि आपके इस विभाग के कुछ कर्मचारी ईमानदार हैं। जैसे केकड़ी के थानेदार ने इस काण्ड की ईमानदारी से जांच की और जांच करने के बाद एस. पी. को रिपोर्ट दी। एस. पी. विश्नोई इनको गिरफ्तार करना चाहते थे। सहायक इन्जीनियर श्री माथुर भागते-भागते जयपुर पहुंचे और मथुरादासजी माथुर की शरण में आये और कहने लगे "त्वमेव माता च पिता त्वमेव।" आप ही सब कुछ हैं, आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री मथुरादासजी ने गृह मन्त्री श्री व्यास से मिल कर जिस थानेदार और एस.पी. ने ईमानदारी से जांच की उसकी

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

सारी फाइल को दबा कर उन दोनों अधिकारियों की वहां से बदली कर दी। वहां के लोगों ने इसका विरोध किया तो कुछ दिन तक तो तबादला रुक गया, दो बार केन्सिल हो गया लेकिन आखिर माथुर साहब के दबाव में आकर उनको जाना पड़ा। इस सारे भ्रष्टाचार कांड को दबाने के लिये उस एस.पी. का भी परिवर्तन कर दिया गया। राज्य के अधिकारी जो ईमानदार थे उनका तबादला कर दिया गया। वह सामान जाकर पंजाब में बिका। पूरे के पूरे बिजली के तार के गट्ठर, गर्डर आदि सब पंजाब जाकर बिके। उस क्षेत्र के किसानों ने जो गर्डर खरीदे थे उन्होंने अपने बयान में कहा ४५० रुपये में हमने एक गर्डर ए. डी. एम. को पैसा देकर लिया है। इस सारे मामले में जिन व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई उनमें लाइनमेन पकड़े गये, वायरमेन पकड़े गये, रीडर एक बार फरार हो गया यह मामला इतना ही नहीं। इसी प्रकार से सभापति महोदय, मैं राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं क्या मुख्य मन्त्री आप यह बताना चाहेंगे इस विद्युत् मण्डल के कर्मचारी जो बीकानेर में रहते हैं, जिन कर्मचारियों को अवकाश मिल गया, जिनके एक कर्मचारी हैं रूपा फोरमेन, दूसरा भूराराम वरिष्ठ लिपिक। आखिर राज्य सरकार के नियमानुसार इनका रिटायरमेन्ट ३०-९-६७ को हो गया उनको कितने साल की ग्रेचुएटी मिली? इन कर्मचारियों को ३०-९-६७ तक की अवधि तक की ग्रेचुएटी दी जानी चाहिये। लेकिन इनको ३०-९-५७ तक की अवधि की ग्रेचुएटी दी गई। दस साल के पीरियड की ग्रेचुएटी क्यों नहीं दी इसका कारण क्या है? इनमें से एक कर्मचारी को ५७ में वेतन मिलता था १२० रु० और दूसरे को मिलता था १५० रु०, ६७ में एक को मिलता था २१५ रु० और दूसरे को मिलता था २५० रु० इस प्रकार यदि इनको ६७ तक के वेतन के अनुसार ग्रेचुएटी दी जाती तो २,२५० रु० और ३,७५० रु० का नुकसान हुआ वह किस कारण से हुआ? आज तक इस विभाग के कर्मचारियों का स्थायीकरण नहीं हुआ। बीकानेर में २०० कर्मचारी हैं जिनके सामने इस कारण बड़ी समस्या है। आज तक विद्युत् मण्डल ने अपनी ग्रेचुएटी भुगतान के रूल्स रेगुलेशन्स नहीं बनाये। ए. जी. ऑफिस में कोई कन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं हुआ। जिन कर्मचारियों ने अपना सारा जीवन सरकार की नौकरी में लगाया आज उन कर्मचारियों के हित की रक्षा नहीं होती तो ये कर्मचारी सरकार के किस प्रकार से वफादार रहेंगे।

इतना ही नहीं सभापति महोदय, इसी बिजली की अव्यवस्था के कारण राजस्थान के सबसे बड़े हिल स्टेशन माउन्ट आबू की हालत खराब है। आज लोकतन्त्र में भी मोनोपोली सिस्टम चलता है जो हमें राजा महाराजाओं की याद दिलाता है। एकतन्त्रीय शासन के अन्दर मोनोपोली चलती है, लेकिन राजस्थान के मुख्य मन्त्री के वरदहस्त से आबू में यह मोनोपोली बिजली के अन्दर चल रही है। माउन्ट आबू में सन् १९३९-४० में जिस ठेकेदार को बिजली सप्लाई करने का ठेका दिया गया था आज भी उसी ठेकेदार को सुखाड़ियाजी ने किन्हीं कारणों से ठेका दे रखा है। आज माउन्ट आबू में बिजली की जो अव्यवस्था है उससे सब परेशान हैं। आज इस ठेकेदार ने जनता का इस तरह से शोषण कर रखा है। माउन्ट आबू में पहले जो बिजली दी जाती थी वह पचास पैसे प्रति यूनिट दी जाती थी, ५५ के अन्दर उसको बढ़ा

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कर १२ पैसे कर दिये और उसके बाद मुख्य-मन्त्री श्री सुखाड़ियाजी का वरदहस्त होने के कारण आज १९६७-६८ में ८० पैसा प्रति यूनिट चार्ज करने लग गये। जब पचास पैसे चार्ज करते थे उस समय बारह पैसे प्रति यूनिट रिबेट मिलता था। मैं इस बारे में पूछना चाहता हूं कि माउन्ट आबू की जनता के साथ यह अन्याय क्यों? आपने उनको इस प्रकार जुल्म करने का अधिकार कैसे दिया? आपको सुन कर ताज्जुब होगा ६६-६७ में जब तत्कालीन विद्युत् मन्त्री माउन्ट आबू गये, उस समय वहां की जनता ने उनको मेमोरेण्डम दिया। उन्होंने लिखा कि राजस्थान के एक मात्र हिल स्टेशन आबू के लिये सस्ती दर पर बिजली मिलनी चाहिये लेकिन यहां पर इसके बजाय हमारा शोषण किया जाता है। वह ठेकेदार कोई नया नहीं है, वह एक फोरसी कम्पनी है जिसको अंग्रेजों के समय से ठेका मिला हुआ है। आप इस प्रकार एक व्यक्ति के ठेके को संरक्षण दे रहे हैं, यह लोकतन्त्र पर कुठाराघात है।

मैं मुख्य मन्त्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं कोटा जिले के बारां क्षेत्र के लिये छबड़ा, छीपाबड़ोद, अटरू की तरफ बिजली की लाइन खिची हुई है। आपने अपनी सरकार बनाने के लिये हमारे दल से निर्वाचित एक आदमी को खरीद कर उनको यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारे अटरू क्षेत्र में बिजली लगा दी जायगी। लेकिन हो क्या रहा है मैंने इस बारे में राज्य के मुख्य अभियन्ता को पत्र लिखा था। वहां जो खंभे लगाये गये थे वे एक ही आंधी के झोंके में गिर पड़े। इसके बारे में पत्र लिखा कि इसकी जांच कराई जाय। आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि जो सिमेन्ट इन खम्भों के अन्दर लगाने के लिये मिलता है वह सिमेन्ट बाजार में ब्लेक में बेच दिया गया। उससे हुआ क्या कि गड्ढे खोद कर वे खंभे उनमें गाड़ दिये गये, ऊपर से थोड़ा सा जैसे रोटी पर घी चुपड़ते हैं उसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा सा सिमेन्ट चुपड़ दिया। आपने मेरे दल के सदस्य को जिस तरह से खरीदा उसको आश्वासन दिया अटरू में बिजली लगाने का वह आश्वासन कहां गया, आज तो वहां के खम्भे भी उखड़ गये।

(३ मं० प०)

इसी तरह से आप आदिवासी क्षेत्र में और कच्ची बस्ती वालों को यह हमेशा झांसा देते रहे हैं कि हम आपके इलाके में बिजली लगा देंगे लेकिन आप वोट कांग्रेस को दो। क्या मुख्य मंत्री इसका जवाब देंगे? जयपुर की कच्ची बस्तियों के अन्दर जब राजस्थान विधान सभा के चुनाव आते हैं, नगरपालिका के जब चुनाव आते हैं तो मंत्री लोग वहां जाते हैं और कहते हैं कि बिजली जरूर मिलेगी आप वोट कांग्रेस को दें। इस आश्वासन पर उनसे वोट लिये लेकिन मैं आज सात बरस से देख रहा हूं कि उन कच्ची बस्तियों में आज तक न बिजली की व्यवस्था हुई, न पीने के पानी की व्यवस्था हुई और कहते हैं, कि हम समाजवादी हैं। यह समाजवाद में विश्वास रखने वाली सरकार का अनुसूचित जाति वालों के उद्धार करने का नमूना है।

मुख्य मंत्री जी, इस प्रकार सोने से काम नहीं चलेगा। आपकी नींद हराम होगी। जनता आपकी नींद हराम कर देगी। आप राज्य अधिकारियों को करप्ट करके शासन चलाना चाहते हैं तो राजस्थान की जनता

Page No. 95

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

और इन जयपुर की कच्ची बस्तियों में रहने वाले मजदूर और गरीब लोग, जो कल आपकी विधान सभा के सामने प्रदर्शन भी करने वाले हैं, यह सहन नहीं करेंगे। आप इन गरीबों की आह से बचिये। आप कर्मचारियों की सहायता लेकर, ब्राह्मण को हाथ दिखाकर शासन चलाना चाहते हैं, वह नहीं चलेगा। आप मजदूर की आह से नहीं बच सकते। आप बड़े-बड़े आदमियों और पूंजीपतियों की खुशामद करना छोड़ें।

सभापति महोदय, मैं सदन का अधिक समय न लेते हुए एक और बात निवेदन करूंगा। हमारी राजस्थान सरकार और हमारा जो विद्युत् विभाग है वे जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राजस्थान का जो विद्युत् बोर्ड है वह सुरक्षा के साधनों से भी खिलवाड़ कर रहा है। आपको ध्यान होगा, मुख्य मंत्रीजी, कि जैसलमेर के अन्दर जो हवाई अड्डा बना रहे हैं वह सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले जब मुझे जैसलमेर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो मैंने देखा कि जो हवाई अड्डा १९६७ में बनकर तैयार होने को था वह आज तक नहीं बन पाया। और न बनने का कारण क्या है? कारण यह है कि वहां पर हवाई अड्डे पर दो लाख गैलन पानी मिलना चाहिये जब कि वहां पर केवल ८० हजार या एक लाख गैलन पानी ही मिल रहा है। जब मैंने जलप्रदाय विभाग के आदमियों से पूछा कि यह क्यों हो रहा है तो उन्होंने बताया कि वहां के वाटर वर्क्स को बिजली समय पर नहीं मिलती और इसलिए वाटर वर्क्स बन्द हो जाता है। तो मुख्य मंत्रीजी आप बतायेंगे कि इस प्रकार जो हवाई अड्डे के बनने में एक साल की देरी पड़ गई उसके लिये कौन जिम्मेदार है? अगर कल पाकिस्तान हिन्दुस्तान पर हमला बोल दे तो सबसे पहले राजस्थान की सीमा पर होगा। सभापति महोदय, आपको भी अच्छा अनुभव है और आपको भी यह ज्ञान होगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने हमला कर दिया तो क्या होगा?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : चेयरमेन महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में चर्चा नहीं करें तो ठीक होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से आप कह रहे हैं, मैं भी अपनी जिम्मेदारी अनुभव करता हूं, लेकिन इसको आप पूरा करने के लिये सक्रिय कदम उठावें।

श्री विजयसिंह (मकराना) : चर्चा नहीं करने के लिये जो आप कह रहे हैं इसका क्या कारण है? सदन की बात कोई ब्लैक-आउट हो रही है क्या?

(३.०५ म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री देवीदत्त गाड़िया : १९५६ में जब पाकिस्तान ने हमला किया था तो उस समय जयपुर में ब्लैक आउट हुआ था। उस ब्लैक आउट के समय विद्युत् मंडल की एक जीप वह कोग चुरा कर ले गये और वहां पर जो चौकीदार सो रहा था उसकी हत्या कर गये। उस जीप के पार्ट्स मोलगाड़ा की एक बहुत बड़ी फर्म पूसालाल मानसिंह का के यहां मिले। आज तक उनके खिलाफ आपने

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कौनसा एक्शन लिया ? उसका पता भी कैसे लगा ? चोरी करके ले जाने वाले जो लोग थे वे जोधपुर होकर दिल्ली ले गये। वहां पर उन्हें जयपुर से गई हुई पुलिस ने पकड़ा तब मालूम हुआ कि विद्युत् मण्डल की चुराई हुई जीप उन्होंने ही चुराई है और उसके पार्ट्स इस बड़ी फर्म के यहां मिले। तो उनको चालान क्यों नहीं किया ? उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया ? एक व्यक्ति जो गिरोह में शामिल था उसको सरकार ने गवाह बनाया। गवाह बनाना चाहिये मुझे आपत्ति नहीं है लेकिन बड़े आदमी जो चोरी का माल लेते हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते ?

एक बात माननीय उपाध्यक्षजी, मैं इन्दरगढ़ के बारे में और निवेदन करना चाहता हूं। इन्दरगढ़, जो कोटा में अन्न उत्पादन के लिये बहुत महत्त्व रखता है, उसके पास एक गांव है अन्तोरा। उस गांव के पास होकर बिजली गई है लेकिन उस गांव के लोगों को बिजली नहीं दी गई है। वहां पर गांव के लोगों ने गुजरे ढाई साल से मोटरें लगा रखी हैं कुओं पर, लेकिन उनको बिजली नहीं दी गई। आपके विभाग के जो जूनियर इन्जिनीयर हैं उन्होंने वहां के ठेकेदारों से सांठ-गांठ कर रखी है। मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस क्षेत्र में जो बिजली की फिटिंग करने वाले ठेकेदार हैं उनकी संख्या बढ़ावें। इस वक्त वहां पर जो ठेकेदार ने मानोपोली बना रखी है उसको खत्म करें। उस क्षेत्र के अन्दर एक या दो ठेकेदार हैं और जब तक वे एल फार्म नहीं दें तब तक बिजली नहीं मिल सकती। ठेकेदार और इन्जीनियर की सांठ-गांठ है और दोनों मिल कर गरीब किसानों को लूटते हैं। बिजली का जो सामान वहां जाता है उसको ठेकेदार और इन्जीनियर मिलकर मिसयूज करते हैं और जब किसान बिजली लेने के लिये जाता है तो उसको कहा जाता है, कि क्योंकि बिजली की लाइन दो मील की दूरी पर है और दो मील के अन्दर पांच बिजली के खम्भे लगाने पड़ेंगे, इसलिये विद्युत् मंडल के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार केवल दो खम्भों का खर्चा विद्युत् मंडल करेगा और बाकी के जो तीन खम्भे लगेंगे उनका खर्चा किसान को खुद को करना पड़ेगा। वह खर्चा किसान से सात साल में वसूल करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि जब आप उद्योगपति को बिजली देते हैं तो चाहे तीन माइल की दूरी से लाइन ले जानी पड़े तो भी आप अपने खर्चे से ले जाते हैं, फिर इस गरीब किसान से, जो कि देश की खाद्य समस्या का हल करने में आपका सहायक है, उससे बिजली के खम्भों के पैसे क्यों वसूल करते हैं ?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

केवल दो मिनट।

उसको तो सस्ती बिजली मिलनी चाहिये। उनसे जो आप खर्चा इस तरह से वसूल करते हैं यह उनका शोषण है। मुख्य मंत्रीजी, आप किसान पर होने वाले इस शोषण और अत्याचार को दूर करें।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा माननीय उपाध्यक्षजी, आपकी घंटी का डर लग रहा है और आपने कहीं लाल बत्ती दिखा दी तो उसका भी खयाल रखना पड़ता है। लेकिन एक बात और कहना चाहूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आपकी एक बात खत्म ही नहीं हो रही। कहना भी चाहते हैं, नहीं भी कहना चाहते।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आज जोधपुर में जो आपका यह विभाग है वहां पर माल की खरीद में और सामान की खरीद में लाखों रुपयों का घोटाला है, उसको छुपाया जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस प्रकार उस विभाग से सम्बन्धित कागजात को स्वयं मंगाकर देखेंगे और जिस एरियर को, जिस मामले को और जिस भ्रष्टाचार को दबाया जा रहा है उसको नहीं दबाया जा सकेगा इसका आश्वासन सरकार से मिलना चाहिये चाहे वह मन्त्री का रिश्तेदार ही क्यों न हो, उसको बख्शा नहीं जायगा।

इसी प्रकार इस अजमेर और राजमहल के लाइन के घोटाले को विजिलेन्स कमीशन के सुपुर्द करने की घोषणा मुख्य मन्त्री करेंगे।

हमारे बारां जिले में तेल के कारखाने हैं उनको रात में बिजली मिलती है, दिन में नहीं, तो इसके लिये उनको दिन में भी मिलनी चाहिये। बारां सबसे बड़ी मण्डी है। उस मण्डी को इससे धक्का लगता है। इसलिये क्या सरकार यह आश्वासन देगी कि बारां में उन कारखानों को दिन में भी बिजली मिलेगी ?

इसके साथ-साथ यह बिजली जब-तब बन्द हो जाती है और इस कारण इन तेल कारखानों का काम ठप्प हो जाता है, चक्के जाम हो जाते हैं इसके परिणामस्वरूप कारखाने बन्द हो जाते हैं, मजदूर छः छः घंटे तक बेकार रहते हैं।

इसके अलावा उपाध्यक्षजी, ये मेरे पास कुछ लोगों के प्रार्थना-पत्र हैं। इस कांग्रेस के भीलवाड़ा जिले के एक श्री भंवरलालजी भदादा हैं, उन्होंने बिजली के सम्बन्ध में....

श्री उपाध्यक्ष : भाषण समाप्त हुआ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं समाप्त करता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, तो यह जो बिजली के बारे में पर्चे छपे हैं उनको सदन की मेज पर रखता हूं आपकी आज्ञा से उन आवेदन-पत्रों को भी रखता हूं। आशा है इनकी आप जांच करावेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

श्री जगन्नाथ : मैं भी बहुत देर से इन्तजार कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बाद में मौका दिया जावेगा।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : उपाध्यक्ष महोदय, किसी देश के निर्माण के लिये पावर कितना महत्वपूर्ण है यह आप और हम सब जानते हैं। देश की समृद्धि के लिये पावर को इसकी कुंजी भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस देश ने पावर की कीमत समझी, महत्त्व समझा वह आज के जमाने में विकासशील देशों में सबसे आगे जाता है।

यह हम मानते हैं कि राजस्थान इस बिजली के मामले में बिल्कुल पीछे रहा है और यों देखा जावे तो हिन्दुस्तान भी पीछे रहा है। पर दूसरे राज्यों के मुकाबले में वर्षों तक राजनैतिक कारणों से राजस्थान और भी पीछे रहा। पिछले दस-पांच वर्षों से राजस्थान ने इधर कदम आगे बढ़ाया है। जहां कुछ दिनों पहले गिने-चुने शहरों में बिजली थी वहां आज सैंकड़ों नहीं बल्कि हजारों गांवों में भी बिजली नजर आने लगी है।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

इस रफ्तार को श्रोर कैसे तीव्र किया जावे। प्रदेश का कैसे निर्माण किया जावे श्रोर कैसे उन्नति को जावे इस तरफ राज्य का ध्यान भी है श्रोर मैं समझती हूं कि इसीलिये माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने इस विभाग को अपने हाथ में लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय इसकी शुरूआत तो शायद ठीक नहीं रही। पर इस साल सौभाग्य है यह हमारा कि जो कई सालों से तालाब खाली पड़े थे वे भरे हैं गांधीसागर भरा है, प्रतापसागर से भी बिजली पैदा होने लगी है। सतपुड़ा ने भी तरक्की की है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस साल बिजली अधिक पैदा होने के आसार हैं।

पर साथ में सवाल आता है कि बिजली का उत्पादन जब ज्यादा होगा तो उसके डिस्ट्रिब्यूशन के लिये हमने साथ ही साथ क्या कदम उठाये हैं ? इसके लिये आया हमारे पास पूरा फण्ड है या नहीं, हमारी पूरी तैयारी है कि नहीं ? इस दृष्टि से सरकार के बजट की ओर देखते हैं तो हमें निराशा हाथ लगती है। हमें बताया गया है कि किसी बैंक से उधार लेने की बात है। पर जहां तक मेरी जानकारी है जिस बैंक से रकम मिलने की आशा थी न तो उससे मिलने का वादा हुआ है, न आगे प्रगति हुई है। शायद पहले आर. एस. ई. बी को ऐसा लगता था कि गुजरात के पेटर्न पर वह भी बैंक से रुपया ले सकेगा। पर इसमें अभी तो असफलता ही हाथ लगी है उनको। यह हमारे लिये बहुत बड़ी चिन्ता की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि पिछले बार सदन में यह सवाल उठाया गया था कि एल. आई. सी. से एक करोड़ का कर्जा राज्य सरकार को दिया जाने वाला था। उसके बारे में क्या हुआ, मैंने एक प्रश्न में कहा था कि एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्र के फाइनेन्स मिनिस्टर मुरारजी भाई ने कहा था कि राजस्थान स्कीम न आने से पूरी कार्यवाही न की जाने की वजह से एक करोड़ रुपया नहीं दिया जा सका। इस सदन में मैंने यह सवाल उठाया था और मुख्य मंत्री ने और उस समय के पावर मिनिस्टर साहब ने जोर से जवाब दिया था कि उसका प्रबन्ध हो रहा है और बहुत जल्दी एक करोड़ रुपया एल. आई. सी. से यहां की बिजली के विकास के लिये दिया जा सकेगा। पर वह रुपया आज तक नहीं आया, न आगे आने के रंग-ढंग नजर आते हैं। यह बहुत ही चिन्ता की बात है। तो इस तरह से न हमें बैंक से रुपया मिल रहा है और न एल. आई. सी. से। और समय पर पैसा नहीं आया तो हमें चिन्ता है उस अधिक उत्पादित बिजली का उपयोग कैसे किया जावेगा ? जब तक पैसा नहीं होगा न तार खरीद सकेंगे, न खम्भे ला सकेंगे, न आगे लाइन खींच सकेंगे, न विस्तार किया जा सकेगा।

तो सबसे बड़ी पहली जरूरत यह है कि इस साल के बजट के लिये रुपये का प्रावधान किया जाय। इस साल के छः महीने तो बीत चुके हैं। करीब-करीब आधा साल बीत गया। मुझे डर है, पूरी आशंका है कि इस साल भी आने वाले छः महीनों में आर. एस. ई. बी. पूंजी का इन्तजाम नहीं कर सकेगा और राजस्थान को जो बिजली मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिल सकेगी। यह तो रहा एक सवाल।

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

डिस्ट्रिब्यूशन के लिये फण्ड की जरूरत है और इस फण्ड को लेना है जिस प्रकार हो सके। जब फण्ड मिलेगा तो किसी तरह प्लानिंग करके काम करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस डेवलपमेन्ट के लिये मुझे ऐसा लगता है कि जो डेवलपमेन्ट हम कर रहे हैं वह अनप्लान्ड है। चाहे एक करोड़ की रकम आवे चाहे दो करोड़ की आवे या चाहे जो हमारे पास रकम है पर जो कुछ किया जा रहा है वह डेवलपमेन्ट अनप्लान्ड है। आज इतनी बिजली मिल जाती है तो आर. एस. ई. बी. नहीं कह सकता कि कितने कुओं को वे देंगे, किस किस क्षेत्र का देंगे, कितनी-कितनी देंगे। और जब हम कुओं को बिजली देने जा रहे हैं तो हमें देखना होगा कि इसके उपयुक्त मेटीरियल भी पूरी तादाद में हमारे पास है या नहीं। अगर आपने स्कीम भी बना ली, बिजली भी उत्पादित हो गई पर मेटीरियल नहीं होगा तो कुओं को बिजली कैसे दे सकेंगे ? तो जब तक हम ठीक तरह से डेवलपमेन्ट नहीं कर पावेंगे प्लान्ड वे में तो उत्पादन का अधिक होना न होना बराबर हो जावेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस ओर भी ध्यान खींचना चाहती हूं कि जब कभी आर. एस. ई. बी. की ओर से प्लानिंग की जाती है तो वह अधूरी होती है, अव्यवस्थित रहती है। अगर मैं यह कहूं कि इस रोशनी के महकमे में सबसे ज्यादा अन्धेरगर्दी है तो शायद अत्युक्ति नहीं होगी। दिये के तले अन्धेरा रहना जो कहावत है वह इसी को कहते हैं। इस रोशनीघर के महकमे में चारों ओर अन्धेरा ही अन्धेरा है।

सबसे बड़ी शिकायत जनरल यह है कि करप्शन (भ्रष्टाचार) इस महकमें की नस-नस में व्याप्त है। जब हम गांव में किसान को कुए के लिए बिजली देते हैं तब भी बिना जूनियर इन्जीनियर को रिश्वत दिये कनेक्शन नहीं मिल सकता। मोटर लगाने के लिये रिश्वत देनी पड़ती है। छोटी-छोटी बातों पर रिश्वतें देनी पड़ती हैं। ढिलाई है सो अलग है। रेड टेपिज्म में ये बड़े निपुण बन गये हैं। इससे किसानों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। मामूली कनेक्शन लेने के लिये बहुत दौड़-धूप करनी पड़ती है। जो पांच दस रुपया मोटर वाले को देता है उसके घर में मीटर लग जाता है. औरों के घरों में नहीं चाहे वह कितनी ही दौड़-धूप करे। तो यह तो एक प्रकार का करप्शन है। पर शहरों में जहां बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्रीज चलती हैं, चक्कियां चलती हैं, वहां इस प्रकार का करप्शन चलता है मीटर की रीडिंग आती सैकड़ों रुपये लेकिन अपने फायदे के खातिर उनसे सांठ-गांठ रखते हैं और उनसे कम चार्ज किया जाता है। इन्डस्ट्रीज वालों को चेक करने का सवाल है, पिछले दिनों उनके घंटे मुकर्रर किये गये थे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इसमें करप्शन बहुत ज्यादा मात्रा में है। एक मोटर लेने के लिये, एक कनेक्शन लेने के लिये तरह-तरह की तकलीफ होती है। मैं आपके द्वारा मंत्रीजी यह कहना चाहूंगी कि इस करप्शन को मिटाने की कोई व्यवस्था करें। जिस तरह की दिक्कतें होती हैं, उनको दूर किया जाय ताकि लोगों को आसानी से पावर मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र की एक मिसाल पेश करूंगी देवगढ़ की जहां बिजली लगी हुई है, एक सिफारिश की गई थी कि यहां पर बिजली का समय बढ़ा दिया जाय। आज के ६ महीने पहले वहां के जूनियर इंजीनियर ने अपने कागजात बनाकर ऊपर भेजे थे। इन

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

९ महीनों में, मैं कितनी ही बार उदयपुर गई, कितनी बार जयपुर गई लेकिन इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ। ४ बार उदयपुर ई तो उन्होंने कहा कि कागजात जयपुर भेज दिये हैं। जब मैं जयपुर आई तो जयपुर वालों ने कहा कागजात उदयपुर भेज दिये हैं। इस प्रकार उदयपुर से जयपुर और जयपुर से उदयपुर कई बार चक्कर लगाये। मैं इस बारे में एडीशनल चीफ इंजीनियर से मिली लेकिन उस कागज के बारे में कोई भी नियमित रूप से नहीं कह सके कि उस पर क्या हुक्म हुआ है। मंजूर हो रहा है या मंजूर नहीं हो रहा है। इस तरह चक्कर लगाने के बावजूद भी कागज का पता नहीं चलता। किस ऑफिस में कागज का क्या हुआ उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह इसी मामले को लेकर केवल मैं चीफ इंजीनियर से ही नहीं मिली, मैं चेयरमेन साहब से भी मिली। मेरे कुछ साथी सी० एम० से भी मिले, उन्होंने हुक्म दिया कि इस कागज को पेश करो लेकिन आज तक पता नहीं उसका क्या हुआ, उस पर क्या कार्यवाही हुई। उपाध्यक्ष महोदय, जब इतने लोगों से मिलने पर, इतने बड़े उच्चाधिकारियों से मिलने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे तो एक कल्पना का विषय है। एक मामूली आदमी जो गांव में बैठा है उसकी क्या गति होती होगी, उसकी क्या पूछ होगी। मैंने केवल नमूने के तौर पर यह बात रखी है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह की अव्यवस्था हमारे इस बोर्ड में रही तो जो कुल पैसा खर्च हो रहा है, जो कुछ जनता की आशा है, जो कुछ देश का निर्माण आगे बढ़ना चाहिये वह बिल्कुल समाप्त हो जायगा। ऊपर के मंत्री महोदय चाहें, ऊपर के उच्चाधिकारी चाहें इसको मिटाने के लिये ताकत लगायें तो ऐसी बात नहीं कि नहीं मिटे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक बात और है, बिजली की आंखमिचौनी। कभी बिजली आती है, कभी बिजली जाती है। पता नहीं लगता कि बिजली कब आयेगी और कब जावेगी। देवगढ़ को अभी तीन दिन रोशनी नहीं मिली। यह तो हमारे छोटे-मोटे गांव का जिक्र है। जयपुर शहर में जिस तरह का वोल्टेज आता है उससे सैंकड़ों मशीनें खराब हो चुकी हैं। सारे राजस्थान का हिसाब लगायें तो हम देखेंगे कि कई मशीनें इस बिजली की आंखमिचौनी से जल गई हैं। जयपुर शहर में जो डोमेस्टिक यूज के लिये मशीनें रखते हैं, रेफ्रीजिरेटर वगैरह उसमें पिछले साल कई रेफ्रीजिरेटर जल गये। मैं बाहर की बात न कह कर घर की बात अर्ज करती हूं–ट्यूब लाइट नहीं जलती है। उपाध्यक्ष महोदय, इस राज्य की राजधानी में यह हालत है कि हम ट्यूब लाइट जलाना चाहें तो नहीं जला सकते हैं तो अन्दाज लगायें यहां कैसे विकास हो सकता है।

दूसरी बात समाज कल्याण ने हरिजन मोहल्लों में बिजली लगाने का प्रावधान किया है। मैंने देवगढ़ हरिजन बस्तियों में बिजली की बात समाज कल्याण से की तो उन्होंने बताया कि इसकी रकम आर. एस. ई. बी. को दे दी गई है। हम यहां से लिखते हैं तो वे तामील नहीं करते हैं। जो रुपया हरिजनों के मोहल्लों के लिये दिया गया है उसके बारे में आर० एस० ई० बी० कोई कदम नहीं उठा सकती। उनके रुपयों का कोई उपयोग नहीं हुआ। मेरी समझ में नहीं आता जब एक रकम आर. एस. ई. बी. को दे दी है—ईयर मार्क कर दिया गया है तो फिर झगड़ा किस

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत)

बात का है ? दो विभागों के बीच में बेचारे हरिजनों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राबू की बात ले लीजिये। वहां कई जगह बिजली लगा दी है। थर्मल पावर स्टेशन नहीं है। ग्राबू हमारा एकमात्र हिल स्टेशन है। वहां पर एक प्राइवेट बिजलीघर चल रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, प्राइवेट बिजलीघर चार्ज करता है बारह ग्राने यूनिट जबकि हम चाहते हैं कि हिल स्टेशन का डेवलपमेन्ट हो, विकास हो। गर्मियों के दिनों में पावर इतने महंगे भाव पर मिले तो वहां क्या विकास कर सकते हैं ? क्या हमारा बोर्ड ग्राबू में पावर स्टेशन कायम नहीं कर सकता है ? ये कई प्रश्न हमारे दिमाग में ग्राते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं ग्रापकी मारफत यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे देश के भविष्य के लिये, हमारी एग्रीकल्चर की उन्नति के लिये, हमारी इन्डस्ट्रीज को तरक्की देने के लिये जब तक हमारा बोर्ड सशक्त नहीं होगा, इसकी व्यवस्था ठीक नहीं होगी, प्रोपर फन्ड नहीं होंगे, इसकी ठीक प्रकार से प्लानिंग नहीं होगी तब तक हमारे मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इन दो-चार बातों की ग्रोर ध्यान दिया जाय ग्रौर इन कमियों को पूरा किया जाय। हमारी सबसे बड़ी समस्या मोनीटरी फन्ड की है उसको हासिल करने के लिये एक बड़ी ताकत की जरूरत है। ग्रफसोस है मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं नहीं तो मैं एक-दो बातें ग्रौर कहती

श्री रघुनाथ विश्नोई : उप-मंत्रीजी विराजमान हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चुण्डावत : इतना ही कहकर मैं स्थान ग्रहण करती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवचरण माथुर !

श्री शिवचरण माथुर (मांडल) : उपाध्यक्षजी इससे पहले कि मैं ग्रपनी बात शुरू करूं मैं सबसे पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी को ग्रौर उनके साथी श्री खेतसिंहजी को जिनके पास में बिजली का विभाग है. इस बात का धन्यवाद देना चाहता हूं, कि उन्होंने इस सदन के माननीय सदस्यों को यह ग्रवसर प्रदान किया कि बिजली जैसे महत्वपूर्ण काम के सम्बन्ध में मैं ग्रपने विचार यहां रख सकूं जैसा कि ग्रौर बोलने वाले माननीय सदस्यों ने ग्रपनी भावना प्रकट की है। इस बात से मैं समझता हूं सब लोग सहमत हैं, कि ग्राज के युग में बिजली एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है जिसकी ग्रावश्यकता ग्राज व्यापक तरीके से होती है ग्रौर कोई भी प्रान्त या देश में यदि हम प्रगति का माप दण्ड कर सकते हैं तो उसमें ग्रधिक बिजली की क्षमता होना माना जा सकता है। राजस्थान उन प्रान्तों में से है जिसमें इस मायने में काफी पहले से प्रगति हुई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने बिजली की विस्तार की बात की थी ग्रौर उसको ग्रमली जामा पहनाने की कोशिश की थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रौर तीसरी पंचवर्षीय योजना में धन की कमी रही, उसके बाद लगातार बिजली की कठिनाई का ग्रनुभव हो रहा है। बिजली का विस्तार राजस्थान में काफी हुग्रा है, यह मैं मानता हूं। जाने या ग्रनजाने में मौलिक भूलें हमारे से हुई हैं। ग्राज राजस्थान में बिजली के कारण जो कुछ विकास देखना चाहते थे उसको देखने में हमें कठिनाई महसूस हो रही है। मैं मौलिक भूल का जिक्र उपाध्यक्ष महोदय, बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कि राजस्थान में बिजली की चर्चा हुई उस समय

Page No. 102

(श्री शिवचरण माथुर)

बिजली के साधनों की शक्ति किस तरह बढ़ाई जाय मुझे याद है पिछली घटना जब कि सतपुड़ा का थर्मल पावर स्टेशन जो कि मध्यप्रदेश में लगा है एक समय था जब कि उसके लगाने की बात सवाई माधोपुर में थी और यदि वह सतपुड़ा का थर्मल पावर स्टेशन सवाई माधोपुर में लगता तो कम से कम १८० मेगावाट का थर्मल पावर स्टेशन हमको मिल सकता था और उस थर्मल पावर स्टेशन के आधार पर आज जो हमें बिजली की कमी महसूस होती है शायद उससे हम बच सकते थे लेकिन उस समय राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच में जो चर्चा हुई उसके आधार पर यह बताया गया कि यदि इन्टर-स्टेट गांधीसागर डैम से बिजली लेंगे तो आधी-आधी बिजली दोनों को मिल जायेगी। हम भूल गए कि राजस्थान हमारा जैसा प्रदेश है उसमें वर्षा का अभाव रहता है और कभी भी हम हाईडल सोर्स पर निर्भर नहीं कर सकते। हमने उस गांधीसागर वाली बात को स्वीकार कर लिया और हमने सतपुड़ा मे थर्मल पावर स्टेशन को लगाने की बात मंजूर की और सवाईमाधोपुर में लगने वाला यह थर्मल पावर स्टेशन मध्यप्रदेश की सीमा में चला गया। हमको गांधीसागर से अपना हिस्सा मिलने वाली बात सामने आई। वैसे आज दुनिया में बहुत उन्नतिशील देशों की बात लें तो हमें मालूम होगा कि जितना भी बिजली का पोटेन्शल वहां पर डेवलप हुआ है उसमें मूल आधार थर्मल पावर का होता है और हाईडल को तो बहुत ही पीक लोड के आधार पर सबसीडियरी पावर का सोर्स मानकर चलते हैं। अमेरिका जैसे महान देश में भी जहां बहुत हाईडल पावर है उसके मुकाबले में १/३ और २/३ का रेशियो है। याने १/३ तो हाईडल पावर है और २/३ थर्मल पावर है। उसके मुकाबले में राजस्थान में बहुत ही कमी रही। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में मुश्किल से ३० और ४० मेघ वट तो थर्मल पावर मिलता है जब कि हमारे यहां ३००-४०० मेघावाट हाईडल केपेसिटी राजस्थान में है और जिस साल वर्षा का अभाव रहता है उस साल हमें हाथ पर हाथ रखकर रहना पड़ता है और चारों तरफ जो औद्योगिक विकास होता है, खेती में तरक्की होती है उसको हमें रोक देना पड़ता है। तो सबसे पहली हमारी मौलिक भूल हुई वह यह हुई कि हमारी पावर के सोर्सेज हैं उसके लिए हाईडल सोर्स के ऊपर हमने डिपेण्ड किया और थर्मल पावर को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। एक जमाना था जबकि मैं पार्लियामेन्ट का सदस्य था और वहां पर चर्चा चली थी और हमारे माननीय सदस्य स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्रजी ने प्रश्न उठाया था और उन्होंने कहा था कि राजस्थान को सही माने में पावर की पोटेन्शल देनी है तो वहां थर्मल पावर की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा और पलाना में एक थर्मल पावर स्टेशन बनाने वाली बात को सोचा गया था और इसको तीसरी पंचवर्षीय योजना में लिया गया। रूस का एक विशेषज्ञ दल भी इसके लिये आया और उन्होंने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार की और उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार ५०-५० मेघावट के दो प्लान्ट वहां लगाये जाते तो राजस्थान की बिजली की क्षमता को हम पूरी सुदृढ आधार पर बनाने की बात सोच सकते थे लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पलाना की बात आज न जाने कहां चली गई है और उसका कहीं पता नहीं है। रूस के विशेषज्ञ दल ने बताया था २५ साल तक जो

(श्री शिवचरण माथुर)

भी पलाना में लिगनाइट था उसके हिसाब से १०० मेघावाट का थर्मल पावर स्टेशन चल सकता था लेकिन उसके सम्बन्ध में अ- चर्चा भी सुनाई नहीं देती है कि आगे आने वाली चौथी पंचवर्षीय योजना में शायद वह हमारे लिये सम्भव हो सकेगा या नहीं कि हम पलाना पावर स्टेशन बना सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की बिजली की स्थिति को यदि आप वास्तव में सुधारना चाहते हैं तो समय आज भी है, कि आप थर्मल पावर कैपेसिटी को डेवलप करने की बात को सोचिये। आज चम्बल बांध में १२९५ फीट पानी आ गया है इसलिये हम सोच सकते हैं कि हमारी पावर की कैपेसिटी पूरी होगी लेकिन पिछले ३ सालों में हमें पानी की दिक्कत आई है और जो पानी की दशा थी उससे बिजली का अभाव हमें अखरता था। इसलिये आज भी समय है, चाहे कितना ही पैसा खर्च करना पड़े राजस्थान में थर्मल की शक्ति को डेवलप करना चाहिये और यदि कहीं आशा का चिन्ह नजर आता है तो वह कोटा के पास बनने वाले एटोमिक प्लान्ट से है उससे बिजली की दिक्कत दूर हो सकेगी। मैं आज भी कहना चाहता हूं, यदि राजस्थान को सही माने में बिजली के मामले में आत्मनिर्भर करना है तो थर्मल कैपेसिटी को डेवलप करने की बात को सोचना चाहिये। यह तो जो हमने पहली भूल की उसके सम्बन्ध में मैंने जिक्र किया।

दूसरी मौलिक भूल जो हुई वह यह थी कि जितनी बिजली उपलब्ध थी उसका उपयोग किस आधार पर किया जाय ? इस बारे में हमने गलती की है। हमारे पास पहले थोड़ी बिजली थी और उसका कहां किस प्रकार से उपयोग करना चाहिये, उसके लिये क्या प्राथमिकता निश्चित करनी चाहिये शायद इसको सोचने की भी हमने गलती की है। मेरे खयाल से तो राजस्थान में जितनी भी बिजली उपलब्ध थी उसका सही उपयोग करने वाली बात सामने आती तो ठीक बात थी कि छोटे-छोटे उद्योगों के लिये और खेतों के लिये बिजली देने की बात पहले सोचनी चाहिये। मैं बड़े उद्योगों को बिजली देने के खिलाफ नहीं हूं। जितनी बिजली उपलब्ध थी उसका सही उपयोग करने की बात हमारे सामने आई तो सबसे पहले खेतों पर बिजली देनी चाहिये थी और फिर छोटे उद्योगों को बिजली देने वाली बात करनी चाहिये थी। मैं आपको बताऊं कि २ करोड़ की लागत से लगने वाली बड़ी कपड़े की मिल जिसमें २५,००० स्पिन्डल्स और २५८ करघे हैं उसको बिजली दें उसके मुकाबले में ५० आदमियों का गुजारा ४-४ पावर लूम लगाने की बात को हम पहले सोचें। इससे आप सोचें कितना विकेन्द्रीकरण होता है और बिजली का कितना सदुपयोग होता है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आज हम सोचते हैं कि बड़ी-बड़ी मिलें स्थापित करें। राजस्थान में आज इकॉनामी का बेस अगर कोई चीज हो सकती है तो एग्रीकल्चर है। यह आवश्यक नहीं है कि हर एक प्रान्त में बहुत बड़ा-बड़ा औद्योगीकरण किया जाये। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है और प्राकृतिक साधन हैं मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान की इकॉनामी का बेस यदि कुछ बनना चाहिये तो खेती ही बन सकती है। लेकिन उसके मुकाबले में आज हमने इस बात को नहीं सोचा है कि किसान के खेत पर और

(श्री शिवचरण माथुर)

कुए पर यदि सबसे पहले बिजली पहुँचा देते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, उसके मुकाबले में बड़े-बड़े उद्योगों को बिजली देने की बात सोचें। मैं नहीं कहता कि उनको नहीं मिलनी चाहिये लेकिन उसकी प्राथमिकता दूसरी होनी चाहिये। पहले प्राथमिकता के लिये छोटे उद्योगों के लिये और खेतों के लिये कुओं पर बिजली पहुँचाने की बात होनी चाहिये। तो मैं माननीय मुख्यमन्त्रीजी से इस मौके पर निवेदन करना चाहता हूं कि जितना जो भी हुआ उसके बाद आज भी वैज्ञानिक आधार पर सर्वेक्षण किया जाना चाहिये कि हमारा कितना बिजली का पोटेन्शल है और थर्मल के पोटेन्शल को बढ़ाने की बात सोच कर उसको फेज्ड प्रोग्राम के आधार पर डेवलप करने की बृहत् योजना तैयार करें और साइन्टिफिक आधार पर डेटा कलेक्ट करने लिये यदि हमें अपने इन्जीनियर्स को लगाना पड़े ५-६ महीने या साल भर तक के लिये भी तो भी राजस्थान के कोने-कोने में जाकर वे बिजली के पोटेन्शल का सर्वे करें और इस तरह का वे बहुत ही उपयोगी डेटा दें जिससे आगे आने वाले दस-बीस साल का फेज्ड प्रोग्राम सरकार के सामने रखें और आगे आने वाले सालों में पैसा मिल सके उसके आधार पर बिजली का डेवलपमेन्ट करने की बात सोची जाय तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह से, पिछली बार जब मैं पार्लियामेन्ट का सदस्य था तो हमने विचार किया था राजस्थान के सदस्यों ने राजस्थान की बिजली पर और वहां पर यह कहा गया था कि उस समय ऐसी स्थिति थी आज शायद उससे कुछ तरक्की हो सकती है— कि ३ फी सदी गांवों में राजस्थान में बिजली थी जब कि मद्रास में १०० में से ६५ गांवों में बिजली उपलब्ध थी। हमने यह कहा था राजस्थान के सदस्यों ने पार्लियामेन्ट के फ्लोर पर आॅल इण्डिया की जो पॉलिसी है, भारत सरकार की जो नीति है उस आधार पर हम मानते हैं कि गांधी शताब्दी तक जो २ अक्तूबर, १९६९ पर है सारे देश के २० फीसदी गांवों में बिजली पहुँचा दी जायगी। यह भारत सरकार की घोषित नीति है, और हमने यह निवेदन किया था कि राजस्थान एक पिछड़ा हुआ प्रान्त है जिसमें १०० में से ३ गांव ही इलेक्ट्रिफाइड हैं तो १७ की जो कमी राजस्थान में है उसको टाइमली पूरा करने की ओर कदम उठाये जायं। हमने यहां से आंकड़े भी मंगाये थे। ३ साल पहले एक फेज्ड प्रोग्राम बनाने की बात कही गई थी तो कम से कम ६-७ हजार गांवों को बिजली पहुँचाने की बात उस समय उपस्थित थी। मुझे पता नहीं उस के बाद भारत सरकार ने इस बारे में क्या प्रयत्न किये और राजस्थान सरकार ने क्या सहयोग दिया है। मैं आज भी कह सकता हूं कि राजस्थान बिजली के माने में पिछड़ा हुआ प्रान्त है और भारत सरकार और राजस्थान सरकार प्राथमिकता के आधार पर विचार करने की बात सोचें। २० फी सदी गांवों को बिजली पहुँचाने का मतलब है कि राजस्थान के ७-८ हजार गांवों को बिजली पहुँचाने की बात हमारे सामने आयेगी। यदि यह काम करके चलेंगे तो काफी धनराशि की आवश्यकता हमारे सामने आयेगी। मैं इस समय माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सारे साइन्टीफिक डेटा के आधार पर कम से कम २० फी सदी गांवों को बिजली देने की योजना साफ तौर से बना देना चाहिये ताकि राजस्थान के गांव वालों को कम से कम यह तो

Page No. 105

(श्री शिवचरण माथुर)

कह सकें कि इतने सालों में इस प्रकार की बिजली आपको उपलब्ध करा सकेंगे।

दूसरी बात, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोर्ड के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। हमारा जो बोर्ड है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड उसको मैं सेमी-ऑटोनामस बोर्ड की तरह से मानता हूं, मैं सेमि-ऑटोनामस इसलिए कहता हूं कि काम करने की स्वतन्त्रता तो उसको दी गई है, लेकिन सरकार की उसमें जिम्मेदारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उसके काम के सम्बन्ध में आती है, इसलिए मैं उसको सेमी-ऑटोनामस बोर्ड कहता हूं। उसको जहां तक काम करने का तरीका है वहां उसे पूरी तरह से आटोनामी मिली हुई है। उसको आटोनामस बोर्ड बनाने का मतलब यही था कि काम में कुछ तरक्की आयेगी, कुछ बोटलनेक्स दूर हो जायेंगे, पर मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि बोटलनेक्स दूर नहीं हुए, बल्कि और आगे बढ़े हैं। उसका जो आशय था उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है। हम यह चाहते थे कि ऑटोनामस बोर्ड बनने के बाद जो कॉमर्शियल और बिजीनेस एक्सपोडियेन्सी होती है उसके हिसाब से बोर्ड काम करेगा, जहां जिस प्रकार से पैसा खर्च करने की आवश्यकता होती है बोर्ड उसको प्राथमिकता देकर उसके पैसे का उपयोग कर सकेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। बोर्ड सरकारी विभाग की तरह से काम करता है। जितना पैसा सरकार देती है उतना खर्च कर देते हैं और वापिस बोर्ड सरकार के पास आता है कि अगर आप पैसा देंगे तो आगे बढ़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऑटोनोमस बोर्ड बनाने का जो आधार और उद्देश्य था उसकी पूर्ति आज नहीं हो पाई है। इसके लिए बोर्ड के स्ट्रक्चर को भी बदलने की आवश्यकता पड़े तो हमें करना चाहिए। मैं यह मांग करना चाहूंगा कि बोर्ड का चेयरमेन एक ऐसा नान-ऑफिशियल हो जिसको पूरी तरह से काम करने के अधिकार दिये जायें। उसको पूरी आटोनोमी हो और उसको यह कहा जाय कि तुम्हारी यह कसौटी है। काम करते जाइये, जो कुछ पैसा तुम्हारे पास उपलब्ध हो उसके आधार पर और हम यह परिणाम चाहते हैं, ये टार्गेट्स चाहते है और इन टार्गेट्स को पूरा करने की क्षमता हो तो रहिये, अगर इसको आप कर सकते हो तो टर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है। इन कन्डीशन्स के साथ में बोर्ड का चेयरमेन काम करेगा, कक्ष बोर्ड के डाइरेक्टर्स काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि जो कुछ भी बोर्ड के पास साधन उपलब्ध हैं, उनसे तरक्की न हो।

अभी डागा साहब कह रहे थे इन्जीनियर्स के सम्बन्ध में। हमारे इन्जीनियर्स में दोष नहीं है। हमारे देश में और हमारे प्रान्त में जो इन्जीनियर्स हैं उनकी इतनी केपेसिटी है कि उनको कोई भी काम दीजिये, उनको बड़े से बड़ा काम दीजिये, समय की बात कहे तो करने को उसको तैयार हैं। मुझे याद है कि भाखरा से रतनगढ़ तक बिजली की २२६ मील लम्बी लाइन लाकर एक रेकार्ड टाइम दो तीन महीने के अन्दर हमारे इन्जीनियर्स ने एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने ऐसे डिफिकल्ट टैरेन में काम किया जहां पानी का अभाव है। पानी काम के लिए तो नहीं लेकिन पीने के पानी का अभाव है। वहां पर हमारे इन्जीनियर्स ने

(श्री शिवचरण माथुर)

और वर्कर्स ने २२६ मील लम्बी लाइन रेकार्ड टाइम में लाकर दी इन्जीनियर्स को दोष नहीं दे सकते हैं इन्जीनियर्स को अच्छी लीडरशिप में काम करने का मौका दीजिये, ब्यूरोक्रेटिक तरीके से कम काम न लेकर सही मायने में उनको काम करने का मौका दें तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान के इन्जीनियर्स वन्डर्स कर सकते हैं, वे अनोखी बातें कर सकते हैं। जो बात सम्भव नहीं हो वह करके दिखा सकते है, लेकिन मौका मिलने की आबहवा बनाना चाहिए, एक वातावरण बनाना चाहिए कि जिस वातावरण में हमारे इन्जीनियर्स काम कर सके। इसलिए हम इन्जीनियर्स को भरोसा दे और कहें कि दफ्तरों में बैठ कर केवल प्रोजेक्ट्स स्कीम्स तो बना ले, लेकिन एक बार स्कीम हाथ में आजाय तो फील्ड में रहकर एक साधारण कार्यकर्त्ता की तरह काम करें। आफिसर की तरह से दफ्तर में काम करने की बात दिमाग से निकाल दी जाय।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जैसे संस्थान से कुछ रिजल्ट्स आने चाहिए थे, लेकिन वहां पर ब्यूरोक्रेटिक तरीके से काम किया गया इसलिए उसमें सफलता नहीं मिली। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ ऐसी बातों की तरफ आपका ध्यान इंगित किया जो कि आज के हालात में बहुत आवश्यक हैं और उनमें प्राथमिकता का निर्धारण किया जाना बहुत आवश्यक है। आज जब प्राथमिकता की बात मैं करता हूं तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सबसे पहले प्राथमिकता खेती पर बिजली पहुंचाने को है। अभी जैसा कहा गया है कि जहां पर बड़ी लाइन है हाईटेन्शन लाइन खेत के पास आ गई है तो उसको स्टेप डाउन करके छोटी ट्रान्समिशन लाइन के द्वारा उस खेत के पास बिजली पहुंचाने की क्षमता नहीं है, मेरे क्षेत्र में मांडल एक कस्बा है और मांडल के पंचायत क्षेत्र में पूरे तौर से बिजली लगाई गई है लेकिन दो गांव-नालीखेड़ी और कोसीखेड़ा ये उसी पंचायत क्षेत्र में गांव हैं लेकिन वहां पर बिजली पहुंचाने के लिए बोर्ड कहता है कि नई लोकेलिटी है। पंचायत क्षेत्र के मायने यह है कि वह पंचायत क्षेत्र जहां पर बिजली पहुंच गई है उसमें जितना क्षेत्र आता है वह पूरा हो। वहां पर लोगों ने कर्जा लेकर अपनी मोटर्स खरीद ली हैं और कर्जे पर ब्याज लग रहा है, लेकिन बिजली आज तक नहीं पहुंची है। इसमें ८०-९० हजार का एस्टीमेट बन कर काफी दिनों से बोर्ड के दफ्तर में आ गया है, चेयरमैन साहब के पास आ गया है, लेकिन बिजली नहीं मिल पा रही है। सामने एक किसान देखता है कि एक फर्लांग पर बिजली है लेकिन उसके खेत में बिजली नहीं पहुंची है तो उसको उसका बड़ा दुःख होगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी प्राथमिकता आपको देखनी पड़ेगी।

इसके अलावा हमारा भीलवाड़ा क्षेत्र माइनिंग का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैं समझता हूं कि सारे देश में अभ्रक के उत्पादन में दूसरा ऐसा स्थान नहीं है जहां इतने बड़े पैमाने पर अभ्रक का उत्पादन हो। डेढ़ करोड़ रुपये का प्रति वर्ष अभ्रक राजस्थान के भीलवाड़े में उत्पन्न होता है और वहां से बाहर वह जाता है। वहां पर बिजली का अभाव है। मेरे क्षेत्र में

(श्री शिवचरण माथुर)

६०, ७० प्रतिशत के बीच में माइन्स हैं। वहां पर माइनिंग एरिया को बिजली नहीं मिली हुई है। मैंने माननीय मुख्य मन्त्रीजी से निवेदन किया है और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया है कि आगे आने वाली प्राथमिकता में निश्चित रूप से उस योजना में ले लेंगे। यह मानता हूं कि जब किसी विभाग को महत्वपूर्ण समझा जाता है, जब किसी विभाग में कमियां होती हैं तो मुख्य मन्त्रीजी उसको अपने हाथ में ले लेते हैं चूंकि बिजली विभाग को आपने स्वयं ने लिया है तो राजस्थान में बिजली के विस्तार की अच्छी आशाएं बनना चाहिएं, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जितना भी बिजली का विस्तार हो वह प्राथमिकता के आधार पर हो तो वह सही बात होगी।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और उसके कन्ज्यूमर्स के बीच में जो सम्बन्ध हैं उन सम्बन्धों की चर्चा करना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने निवेदन किया है कि बोर्ड व्यवहार में तो अपने आपको कॉमर्शियल आर्गेनाईजेशन कहता है लेकिन उसका कन्जूमर के साथ में जो तरीका होता है, जो तालमेल होता है उसका अभाव है और आम तौर में इस बारे में हमको खटकती है। बोर्ड के आफिसर अपने आपको बहुत बड़ा ऑफिसर समझते हैं और कन्जूमर को कुछ समझा नहीं जाकर और कुछ तालमेल नहीं रखता है। कन्जूमर अपनी दिक्कतें लेकर उनके पास जाता है तो वे यह समझकर कि उनके पीछे राज्य की एक शक्ति है। मैं यह कहूं कि दो तरह के केपिटलिज्म होते हैं—एक तो स्टेट-केपिटलिज्म और दूसरा प्राइवेट केपिटेलिज्म। पहले वाले संस्थान के पीछे राज्य की शक्ति होती है तो उसमें बहुत खतरा पैदा हो जाता है। स्टेट केपिटेलिज्म प्राइवेट केपिटेलिज्म से बहुत ज्यादा खतरनाक हुआ करता है। इसलिए राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के ऑफिसर यह समझते हैं कि उनके पीछे राज्य की शक्ति है और उस शक्ति के आधार पर जो कुछ काम करते हैं वह एक तरह से इस तरह का होता है। यही कारण है कि हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी के कन्ज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स में तालमेल का अभाव मिलता है और आम तौर पर उसका नतीजा सारे का सारा कन्जूमर्स को भुगतना पड़ता है। इसलिए एक ऐसी निश्चित योजना बनाई जानी चाहिए कि यह जो कहा जाता है कि कान्ट्रेक्टर्स रिश्वत लेते हैं, इन्जीनियर्स रिश्वत लेते हैं तो आम तौर से रिश्वत की बात आखिर क्यों होती है? इस बात का हमें निराकरण करना चाहिए। रिश्वत के कारणों में हम जाते हैं तो इसका कारण यह है कि उनको इतनी छूट दे दी जाय कि जिसको चाहें बिजली दे दें और जिसको चाहा न दें। तो इस बात को हमें मिटाना चाहिए। अगर इसको मिटाना है तो निश्चित रूप से हमको प्रायोरिटी लिस्ट बनानी पड़ेगी। जिसने पहले एप्लीकेशन दी उसको एक प्रायोरिटी रजिस्टर में दर्ज कर लें और बोर्ड के दफ्तर के सामने प्रायोरिटी लिस्ट टांग दी जाय ताकि कन्जूमर यह फील करेगा कि उसका टर्न आयेगा तो उसको बिजली मिल जायगी। इसके साथ-साथ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अधिकारी कान्ट्रेक्टर्स के एस्टीमेट्स की ओर ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं बहुत सा समय बच जायगा और उनकी कठिनाइयां दूर होंगी। अभी मैं और श्री खेतसिंहजी

Page No. 108

(श्री शिवचरण माथुर)

गंगापुर गये थे तो वहां पर बिजली विभाग की बहुत सी बातें सामने आई और वहां पर इन्जीनियर्स ने लोगों से यह कहा कि तुम को बिजली मिल जायगी तो उन्होंने चार चार हजार रुपये खर्च करके मोटर्स खरीद लीं और "एल" फार्म ले लिये और उसके बाद भी उनको बिजली नहीं मिली। यदि उनको पहले बतला दिया जाता है कि तीन हजार, चार हजार रुपये खर्च करने के बाद में उसको बिजली निश्चित रूप से मिलेगा तो वह पैसा खर्च करते। अगर ऐसा मालूम होता कि पैसा खर्च करने के बाद भी उनको बिजली नहीं मिलेगी तो उन गरीबों के चार हजार रुपये बच जाते और उनको जो नुकसान हुआ है उससे बच जाते। मैं इस मौके पर एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इन बातों पर हमें आवश्यक रूप से सोचना होगा कि बोर्ड और कन्ज्यूमर्स की समस्यायें हैं उनको बोर्ड समझे और कन्ज्यूमर को भी यह हौंसला हो कि जब भी वह अपनी दिक्कतें लेकर बोर्ड के पास जायगा तो बोर्ड निश्चित रूप से उसकी दिक्कतों को सुनेगा। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक प्रायोरिटी लिस्ट प्रत्येक बोर्ड के आफिस में बनाई जानी चाहिए और प्रायोरिटी लिस्ट बना कर बोर्ड के बाहर उसको टांग देना चाहिए ताकि प्रत्येक कन्ज्यूमर यह महसूस करे कि उसका टर्न आने पर उसको बिजली निश्चित रूप से मिल जायगी। इसके साथ ही मैं "एल" फार्म के बारे में कह दूं। आज स्थिति यह है कि कान्ट्रेक्टर एल फार्म देने में दिक्कतें पैदा करते हैं। इस बात को बड़ी गहराई से समझना चाहिये और समझने के बाद में कोई कान्ट्रेक्टर एल फार्म देने में कहीं भी गड़बड़ी करता है, तो उसके लिए एक्जेम्प्लरी पनिशमेंट की व्यवस्था होनी चाहिए, इसके साथ ही उसका लाइसेन्स भी जब्त होना चाहिए। आज यह हो नहीं रहा है, आज मिली भगत के आधार पर एल फार्म दिये जाते हैं इसके आधार पर आज कन्ज्यूमर्स को काफी दिक्कतें होती हैं। इसको मिटाना चाहिए और निश्चित रूप से बोर्ड को इस के बारे में नीति बनानी चाहिए। आज हर मामले के अन्दर बोर्ड सरकार को घसीट ले जाता है। मेरा यह नम्र निवेदन है कि सरकार का दोष नहीं है। सरकार ने तो बिजली के सम्बन्ध में एक नीति बना दी, अब उस नीति को कार्यान्वित करने की और रीति नीति को आगे बढ़ाने की बोर्ड की जिम्मेदारी हैं। इस कारण सरकार को उसमें घसीटा जाता है, तो उसमें सरकार का दोष नहीं है।

जहां तक इस बोर्ड को पैसा मिलने का सवाल मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आज चारों तरफ से बिजली की मांग मुख्य मंत्रीजी के सामने आती है। जिस क्षेत्र में भी वह जाते हैं वहां बिजली की मांग उनके सामने आती है। आज हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि यदि उसको बिजली मिल जाय तो निश्चित रूप से उसको लाभ होने वाला है। ऐसी स्थिति में अगर पैसे की व्यवस्था नहीं है तो किसी प्रकार से व्यवस्था करके जो बिजली की कमी है उसको दूर करने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिएं।

एक बात, जिसका सम्बन्ध केवल राजस्थान से ही नहीं है सारे भारतवर्ष से है, मैं कहना चाहता हूं। मैंने जैसा कहा हाइडल सोर्स ऑफ पॉवर है वह मध्य प्रदेश की सीमा में है, गांधी सागर, हमें उस पर आश्रित होना पड़ेगा। आज आवश्यकता इस बात की है

(श्री शिवचरण माथुर)

कि जहां-जहां बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी व्यवस्था के लिये, उनके कार्य संचालन के लिये एक सेन्ट्रल अथोरिटी के तौर पर एक बोर्ड हो, इन्टर स्टेट ग्रिड्स के तौर पर पॉवर का नियमन उस बोर्ड के द्वारा हो और उस पॉवर के डिस्ट्रिब्यूशन का जहां तक सवाल है उसके लिये डिस्ट्रिब्यूटिंग अथोरिटी, डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी स्टेट का बोर्ड हो। जितनी भी पॉवर प्रड्यूस करने की जिम्मेदारी है, जितनी भी पॉवर को एक्स्प्लोइट करने की जिम्मेदारी है वह उस सेन्ट्रल बोर्ड की हो और स्टेट बोर्ड एक डिस्ट्रिब्यूटिंग एजेन्सी बन जाय क्योंकि कन्ज्यूमर का सीधा सम्पर्क स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से है। इस प्रकार का काम करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आज जो आशा धूमिल होती हुई नजर आती है उस आशा के अनुरूप हम कुछ न कुछ प्राप्त कर सकेंगे। मेरा नम्रतापूर्वक निवेदन है कि राजस्थान एक बहुत पिछड़ा हुआ प्रान्त है, इस राजस्थान प्रान्त में यदि पर्याप्त बिजली आ गई और हम बिजली का सही उपयोग करना सीख गये तो निश्चित रूप से राजस्थान का विकास आवश्यक रूप से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया उसके लिये धन्यवाद देता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुट बिहारी।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल (बयाना) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बिजली का विकास हो, इस बात को हममें से प्रत्येक आदमी बड़ी उत्सुकता से अनुभव करता है। आज अगर हम भारतवर्ष के दूसरे-दूसरे प्रान्तों से राजस्थान का मुकाबला करने लगे तो जहां राजस्थान की आज बिजली की पूरी क्षमता २५० मेगावाट है वहां हम हमारे पड़ौसी उत्तर प्रदेश की क्षमता को देखें तो आज १५०० मेगावाट के ऊपर बिजली की क्षमता है। इतना होते हुए भी वहां पर करोड़ो रुपये की स्कीम का आपने उपाध्यक्ष महोदय, कल-परसों देखा होगा कि भारत सरकार की प्रधान मन्त्राणी ने ...

श्री मनोहरसिंह मेहता : मन्त्राणी नहीं मन्त्री कह दें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : यह मन्त्राणी क्या ?

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : उद्घाटन किया उसके द्वारा बिजली देने का उद्घाटन किया।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मन्त्राणी नहीं मन्त्री कहें।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : आप शायद भाषा के मामले में मेरे से विवाद कर के जीतेंगे नहीं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप भाषा की शुद्धता को इतनी प्रायोरिटी देते हैं फिर भी यह मामला है।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : राजस्थानी का मामला है।

श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था कि दूसरे प्रान्त बिजली के मामले में राजस्थान से कितना गुना आज आगे हैं, वहां पर राजस्थान आज बिजली के मामले में पिछड़ा हुआ है। अगर आपको राजस्थान का विकास करना है और राजस्थान के लोगों की दरिद्रता को हमेशा के लिये

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

हटाना है तो उसके लिये एक मात्र बिजली के ऊपर दृष्टि रखनी पड़ेगी। हम किसी प्रकार की आज कोई योजना देश के अन्दर केवल आकाश के ऊपर मानसून के ऊपर आधारित

(१.५६ म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

करके सुचारु रूप से नहीं चला सकते। यह तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम खेती के लिये बिजली की परमानेन्ट व्यवस्था करके उसके आधार पर योजना नहीं बनाते। राजस्थान में इसकी सम्भावनायें बहुत ज्यादा हैं, आज किसानों को खेती के लिये पानी की आवश्यकता है, चाहे वह किसी तरह से आये, चाहे वह पाताल तोड़ कर आये, आज किसानों के लिये अपनी धरती पर पानी की आवश्यकता है। सभापति महोदय, इस चीज को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के लिये कोई योजना बनायें तो मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि यह सदन पूरी तरह से, हर तरह से आपका सहयोग करने को तैयार है। आप अपना मन बनाइये और मन बना कर इस बात के लिये तैयार हो जाइये। राजस्थान का किसान केवल यह चाहता है कि उसकी जमीन पर पानी आये, चाहे वह पाताल तोड़ कर आये या कहीं से आये जिससे कि किसान अपने भाग्य को बदल सके और राजस्थान के अन्दर जो रेगिस्तान हैं उनको लहलहाते हुए खेतों के अन्दर परिणत कर सके। सभापतिजी, यह तमाम चीजें बड़ी दूर की चीजें हैं। परन्तु मुझे बड़े दुःख के साथ एक बात कहनी पड़ती है, मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूं, भरतपुर जिले में बिजली ताप घर है और वहां की लोकल, मुकामी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये लगाया गया था। आज उस तापघर, बिजली घर से अलवर के लक्ष्मणगढ़ और खेरली वगैरह के लिये और सवाई माधोपुर के महुआ वगैरह गांव के लिये बिजली जाती है जब कि भरतपुर जिले का जो हिस्सा है उसको पर्याप्त मात्रा में बिजली की आवश्यकता है उसको पूरा नहीं किया जाता है। मैं निहायत नम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमने कितने ही दिनो से इस सदन के मार्फत और इससे बाहर भी आश्वासन सुने हैं कि अलवर की तरफ होकर जो जयपुर को दिल्ली से मिलाने वाली लाइन है भाखरा की उससे भरतपुर को बिजली बहुत जल्दी ही मिलेगी, जब कि भरतपुर का तापघर आउट ऑफ डेट करार देकर हटा दिया जायगा। मैं समझता हूं आज जिस धीमी गति से काम हो रहा है, उससे वह एक साल के अन्दर काम नहीं हो सकता। आज रतनगढ़ का उदाहरण मेरे से पूर्व वक्ता माथुर साहब ने बतलाया, वास्तव में इस काम के द्वारा राजस्थान ने एक ज्वलन्त उदाहरण पेश किया था हिन्दुस्तान के सामने, लेकिन मैं निहायत अदब के साथ निवेदन करना चाहूंगा कि भरतपुर जिले के अन्दर जितना शीघ्रातिशीघ्र हो सके, बिजली भाखरा की पहुँचाई जाय। बीच का फासला कोई ज्यादा लम्बा फासला नहीं है लेकिन जिस गति से काम हो रहा है, जिस तरह से अधूरे मन से काम हो रहा है वह हमें यह सोचने के लिये प्रेरित करता है कि साल दो साल में भरतपुर जिले में बिजली नहीं आने वाली है। इसके अलावा निश्चित तरीके से भरतपुर को चम्बल की लाइन से जोड़ना चाहिये। मैं आपको बताऊं कि धोलपुर को आपने चम्बल की लाइन से जोड़ा है, लेकिन बयाना को

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

निश्चित रूप से जो उससे नजदीकी इलाका है उससे जोड़ेंगे, उससे जोड़ने की कोशिश की तो उसके अच्छे रिजल्ट हमारे सामने आयेंगे। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बातें तो बहुत कुछ कही जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि उनसे अर्थ नहीं निकलता है। आप केवल राजनैतिक तरीकों पर बिजली का मामला और इससे सम्बन्धित सरकार की नीति और कार्य-कलाप चलाते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो कोई कारण नहीं कि भरतपुर जिले में यह बात हुई होती। जो बयाना है, वहां सेवर से, उच्चेन तक जो एलाइनमेन्ट हुआ वहां से बिजली की लाइन ले जाई गई होती तो वह केवल अठारह मील का एरिया था। लेकिन अठारह मील का एरिया होते हुए भी नहीं ले जाई गई। हेलन होकर, चीतड़वाली होकर, भुसावर होकर वहां बिजली लाइन लाने की बात होती है इसका नतीजा यह होता है कि भरतपुर से जो बिजली ले जाने के लिये सीधा और पास का रास्ता था उससे न लेजा कर टेढे-मेढे रास्ते से, पचास मील लम्बे रास्ते से लेजा कर दी गई है। यह ठीक है कि सेवर और दूसरे इलाकों में ३३ के. वी. लाइन डाली है, परन्तु उससे आगे आप देखिये कि लाइन में खराबी होती है, सेवर में खराबी होती है तो लाइन बन्द हो जाती है, हेलन में खराबी होती है तो लाइन बन्द हो जाती है, चितड़-वाली में खराबी होती है तो लाइन बन्द हो जाती है, बरार में खराबी होती है तो लाइन बन्द हो जाती है, बयाना में खराबी होती है तो लाइन बन्द हो जाती है। आपने टेल पर रख दिया है बयाना को, इसका नतीजा यह है कि बयाना में रेगुलर बिजली सप्लाई हो, उसको आप कन्टीन्यू नहीं कर सकते और आज यह

(४.०० म. प.)

बात कही जाती है कि हमने ११ के. वी. की लाइन डाल दी, वह उपयुक्त नहीं है, इसको बाद में बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज फण्ड्स नहीं है। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की क्षमता का अन्दाजा लगा कर, १०-१५ साल आगे का अन्दाजा लगा कर बिजली की इन लाइनों पर खर्चा लगाना चाहिये, नहीं इस तरह जितना पैसा लगायेंगे, जितना खर्चा करेंगे वह सारा का सारा बर्बाद होगा, उस खर्चे से जो रिजल्ट्स निकालना चाहते हैं, वह रिजल्ट निकालने की बजाय आपको टोटा ही उठाना पड़ेगा।

अब मैं भरतपुर के सम्बन्ध में थोड़ा निवेदन करना चाहता हूं। आज भरतपुर जिले में सभी तहसीलों में बिजली है पर एक रूपवास की तहसील ही ऐसी है जहां एक इंच भी बिजली की लाइन नहीं है। जब शुरूआत में बिजली की स्कीम चालू की गई थी तो यहां हो कर, रूपवास हो कर बिजली जाने की स्कीम थी, पर रूपवास को छोड़ दिया गया। रूपवास की तहसील भरतपुर जिले की सबसे बड़ी तहसील है, वहां पोपुलेशन सबसे ज्यादा है, मालगुजारी में यह तहसील सबसे आगे है, इरिगेशन वाटर टैक्सेज का सबसे ज्यादा पैसा इस तहसील से दिया जाता है, यह तहसील दसों लाख रुपया माइन्स के ठेकों के रूप में देती है, दूसरी-दूसरी क्षमताओं में रूपवास तहसील सब दूसरी तहसीलों से अच्छी है। फिर भी रुदावल, उच्चैन, रूपवास में एक इंच भी बिजली नहीं है। कोई कह सकते हैं कि राजनैतिक कारणों से रूपवास तहसील के साथ इस तरह का व्यवहार है तो मैं तो रूपवास से अबकी से ही हूं, पहले तो रूपवास में आपका ही एकछत्र राज्य था।....

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सब बराबर हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : श्री मानसिंह जी, खिलाफ रहते थे।

श्री मुकुट बिहारीलाल (गोयल) : मुख्य मंत्रीजी, आपने चुनावों में यह बात कही थी, उस बात को मैं यहां नहीं कहना चाहता "ऐसे गाली देने वाले आदमी को भेज दोगे तो कैसे विकास होगा" यह ऐसी छोटी सी बात मुख्य मंत्री जी ने अधूरे मन से मजाक में कह दी होगी। मैं भला किसको गाली देता हूं। पर मुख्य मंत्रीजी यह भूल जाते हैं कि रूपवास क्षेत्र अबकी ही मेरे क्षेत्र में आया है, पहले तो मैं बसेड़ी, धौलपुर में था, थोड़ा सा हिस्सा बयाना का था।

आज जरूरत इस बात की है कि भरतपुर में पानी की तंगी है, इन्डस्ट्रियल एरिया में पीने को पानी नहीं है। मैंने पिछले सत्र में यह बात कही थी कि भरतपुर की इन्डस्ट्रियल एस्टेट के इलाके में पानी, बिजली और सड़क, इन तीन चीजों की व्यवस्था कर दीजिये। इन तीनों चीजों की व्यवस्था वहां कर देने पर छोटे-छोटे २०० उद्योग पंजाब, यू. पी. और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों से भरतपुर में आने वाले हैं, पर पहले पानी की व्यवस्था कर दो। सुरक्षा के लिहाज से भरतपुर में एम्युनिशन डिपो है, पर वहां उसके लिये पानी उपलब्ध नहीं है। बन्ध बारैठा से, २६ मील दूर से वहां के लिये पानी लाने की योजना स्वीकार की है। कहते हैं टेन्डर स्वीकार हो रहा है, पर वहां बिजली नहीं ले जाई गई। बन्ध बारैठा की तरफ तो एम्युनिशन डिपो वाटर सप्लाई करने की स्कीम सफल नहीं हो सकेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि रूपवास में अगर बिजली भरतपुर से सीधी ले जाई जाती है तो उसके रिटर्न्स दो पर्सेंट भी आने वाले नहीं हैं। अगर आपको रिटर्न्स ज्यादा लेने हैं तो बिजली लम्बे एरिया में ले जानी पड़ेगी। मैंने अभी बिजली विभाग के अधिकारियों के सामने कन्क्रीट सजेशन दिया, उससे २३०० छोटे गांवों को और २०० बड़े कस्बों को इलेक्ट्रिफाई कर सकते हैं, बहुत थोड़े खर्चे से और इसका आपको बड़ा अच्छा रिटर्न मिल सकता है।

तो इस प्रकार की स्कीम जिसमें इतने गांवों को इलेक्ट्रिफाई किया जा सकता है, वहां के एक्स्पेलर्स को और मशीनों को, चक्कियों को बिजली सप्लाई कर सकते हैं। अभी मुख्य मंत्री का मूड दिखाई दिया कि भाखरा की बिजली शीघ्र भरतपुर में आने वाली है। अगर आई तो डिस्ट्रिब्यूशन कहां करेंगे। आपको पहले से स्कीम तैयार कर लेनी चाहिये। बिजली उपलब्ध हो उससे पहले ही लाइन बिछा दें, जिससे कि जल्दी ही बिजली सप्लाई कर सकें।

रूपवास के अन्दर करीब-करीब वहां का जो पाइप, नल सिस्टम है, वह पूरी तरह से तैयार है। सभापति महोदय, रूपवास वह जगह है जहां साल में नौ महीने तीन-तीन, चार-चार माइल से पानी लाना पड़ता है। सुबह तीन बजे कुएं पर पहुंच गये तो पानी मिल जाता है नहीं तो दिन भर नहीं मिलता। मैं रूपवास की बात कह रहा हूं। आज वहां नल लगवाये जा रहे हैं, सोर्सेज तैयार कर लिये हैं पर बिजली के अभाव में वह स्कीम सफल नहीं होगी। बंध बैराठ से वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, उसमें वहां बिजली नहीं पहुंचाई गई तो कोई मतलब हल नहीं होगा।

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

आपकी एक बात बड़ी अटपटी सी लगती है। आप रात में तो बिजली देंगे किसानों को और दिन में बिजली देंगे व्यापारियों को, कारखाने वालों को। मतलब कि जो लोग चौड़े में काम करने वाले इन्सान हैं, भीषण जाड़ा पड़ रहा है, बर्फानी हवाएं चल रही हैं, उस किसान को खेती के लिये पानी सप्लाई करना है तो बिजली सप्लाई की जायगी रात में। अगर कहीं पानी फूट गया, ठंड लग गई, कोई दूसरा साधन नहीं, चौड़े में, बस्ती से ५ मील दूर जंगल में काम करता है, उसके लिये बिजली सप्लाई करते हैं रात में। और जो शहर में कारखानों की चाहरदीवारी में काम करने वाले कारखानेदार हैं उनके लिये दिन में बिजली सप्लाई करते हैं, यह आपका कहां का न्याय है, कहां का यह आपका नियम है ?

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार नियमन कीजिये कि व्यक्ति की सुविधाओं और असुविधाओं को आंकने के बाद न्याय कीजिये, कारखानेदारों को रात में बिजली दीजिये, क्योंकि वे एक चाहरदीवारी में शहर में बस्ती में काम करते हैं और किसानों को बिजली दिन में दीजिये ताकि वे ठीक तरह से पानी खेत में लगा सकें।

आपने कई-कई चीजें ऐसी की हैं कि बड़ा तरस आता है आपके सोचने और काम करने के ढंग पर। कुम्हेर का सवाल है। कुम्हेर में पिछले चार साल से सभापति महोदय पानी की टंकी बनी हुई खड़ी है। कुम्हेर में बिजली मौजूद है, बिजली कुम्हेर से थोड़ी सी दूरी पर जाती है, चार साल से वहां पानी की टंकी खड़ी है पर वहां बिजली का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, वहां वाटर वर्क्स बिजली का कनेक्शन नहीं देने के कारण चालू नहीं हो सका है। कई गांव ऐसे हैं जहां बिजली चली गई है पर वह गांव भाई नत्थीसिंहजी का है तो उसको बिजली नहीं दी गई है, उसरानी गांव से हो कर बिजली चली जाय पर उस गांव के लिये बिजली सप्लाई नहीं की जा सकती, क्योंकि नत्थीसिंहजी का गांव है। यह ठीक है कि वहां पर कोई ऐसे प्रिकाशन्स नहीं लिए गए, बिजली के लट्ठे के छू जाने से लड़की की मृत्यु हो गई, एक हरिजन को अपना हाथ कटवाना पड़ा क्योंकि बिजली का शाक लगा। इस प्रकार की कितनी चीजें हुई। आप इस प्रकार का भेदभाव न बरतें। बयाना के अन्दर एक नौजवान जो डबल एम. ए. था, जो कि अपने जीवन में प्रवेश करने वाला था, बाजार से होकर जा रहा था तो बिजली के तार से, बिजली के लट्ठे के तार, जिसको साइडिंग तार कहते हैं, वह स्पोर्टिंग तार के तौर पर होता है, टच हो गया और खतम हो गया। इकलौता बच्चा, शिक्षित नौजवान, तो इस प्रकार जो हार्ड केसेज हैं, आप ऐसे केसेज में उचित मुआवजे का प्रावधान रखें। यही नहीं, चुनाव के समय आपने गांवों में जाकर कमिटमेंट किए, आपने घोषणायें कीं कि फलाने गांव में बिजली आयेगी, आप उन तमाम स्कीम्स को पूरा करें। चूंकि यहां पर कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है। खेतसिंहजी बेचारे की चलती नहीं है, यह ठीक है। अगर मेरी आवाज उन तक पहुंच सकती है तो भरतपुर को शीघ्र भाखरा से बिजली दिलायें, भरतपुर के उस हिस्से को जो बयाना के साथ में है, उसको चम्बल की बिजली से मिलायें। आप ऐसी योजनाओं को लेकर चलें जिसमें जो क्षेत्र बिजली के बगैर रह गया

(श्री मुकुट बिहारीलाल गोयल)

है, कहीं १६५६ में ग्रोरिजिनल ग्रलाइनमेंट हुग्रा ग्रौर किन्हीं कारणों से ग्राजे उन इलाकों को उपेक्षित किया गया है, उनमें बिजली पहुँचायें। मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन क्योंकि आदेश हुग्रा कल हमारे व्हिप बतायें कि जिस समय बोर्ड का गठन हुग्रा ग्राज तक यह बात नहीं बताई गई कि उस समय कितने की संपत्ति उसको ट्रांसफर की गई। राजस्थान के सामने मिसाल है कि राजस्थान का विद्युत् मंडल बना इसके लिए कुछ ग्रसेट्स ट्रांसफर किए गए तो उन ग्रसेट्स की कीमत क्या थी ? जब हम इसका ही पता नहीं लगा सकते कि कितने रुपए की संपत्ति ट्रांसफर की गई है, कितनी क्षमता ट्रांसफर की गई है, तो हम उसके रिजल्ट्स के बारे में क्या ग्रंदाजा लगा सकते हैं कि लाभ रहा या हानि रही। तो ये तमाम मोटी चीजें हैं जिनके बारे में मैंने निवेदन किया है। इन पर तत्परता से कार्य चालू कराएं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : सभापति महोदय, हमें विद्युत् मंडल की १६६८–६९ की रिपोर्ट पर जो मंत्री महोदय ने रखी है ग्रौर उस पर जो ग्रपने विचार रखने का मौका दिया है, उसके लिए तो हम ग्राभारी हैं। ग्राज विज्ञान के इस युग में विश्व के चौमुखी प्रगति के लिए पावर का जितना महत्त्व है ग्रौर उपयोग है, उसको ग्रगर वास्तव में समझा जाय तो उसके मुकाबले में दूसरी कोई भी चीज का महत्त्व ग्रौर उपयोग नहीं है। विश्व के जिन देशों ने इसके उपयोग ग्रौर महत्त्व को समझा है, वे निश्चित ही इसके उपयोग से, इसको काम में लेने से, बहुत ग्रागे बढ़ चुके हैं लेकिन दुर्भाग्य से हमारे देश में ग्राज चौथी योजना लागू होने जा रही है लेकिन ग्रभी इसका पूरा उपयोग हम नहीं कर पाए। पहली ग्रौर दूसरी पंचवर्षीय योजनाग्रों में किसी भी किस्म का ज्यादा पावर का उपयोग नहीं किया गया, योजनाएं नहीं बनाई गई ग्रौर पहली योजना में हमारे देश में रोड्स ग्रौर भवनों के लिए ज्यादा से ज्यादा धन का दुरुपयोग किया गया। दूसरी योजना में थोड़े बहुत इसके लिए साधन जुटाए ग्रौर तीसरी योजना में हमारे देश के नेताग्रों ग्रौर ग्रधिकारियों ने इस बात पर ध्यान दिया कि ग्रगर वास्तव में इस देश की प्रगति करनी है तो हमें पावर के साधनों को जुटाना होगा ग्रौर ग्राखिर में १-७-५७ को हमारे देश में जब विद्युत् मंडलों का गठन किया जाने लगा तो राजस्थान में भी उस तारीख को इसका गठन किया गया। उसके बाद यह कहा जाय कि कुछ कार्य नहीं हुग्रा तो सही नहीं होगा, क्योंकि वास्तव में बहुत ही काम हुग्रा है ग्रौर बहुत ही महत्त्वपूर्ण काम करके राजस्थान के कोने-कोने में पहुँचाने की कोशिश की है, जगह-जगह खंभे गाड़कर तार खींचे हैं। हालांकि इन्होंने इतनी तेजी से काम करके इस बात को स्पष्ट कर दिया कि जितनी लम्बी लाइनें कम समय में खींची गई हैं, उन्होंने विश्व का रेकार्ड भी तोड़ दिया है लेकिन वास्तव में कार्य ठोस रूप से नहीं किया गया, वास्तव में कागजी कार्यवाही जैसे हमारे देश के ग्राफिसों में होती है, उसी प्रकार उन लाइनों के लिए कागजी कार्यवाही की गई, बड़ा कमजोर ग्रौर ढीला काम किया गया ग्रौर डिफेक्टिव काम किया गया। चुनाव के दौरान ये जिन क्षेत्रों में विद्युतीकरण की योजनायें बनाई गईं, लाइन्स खींची गईं, वहां बड़ी तेजी से तारों के बंडल्स डाल दिए गए, खंभे गाड़ दिए गए लेकिन चुनाव

(श्री पृथ्वीसिंह)
की हवा जाते ही खंभे और तार सारे के सारे जमीन पर झुक गये और जब गांव वालों ने उन झुके हुए खंभों को देखा तो व्यंग्य से हमारे गोड़वाड़ की भाषा में कहने लगे कि कांग्रेस कांगी हो गई है और १९६७ के चुनाव में इस कांग्रेस को बहुमत मिलने वाला नहीं है, इन्होंने जिस प्रकार फर्जी कार्यवाही की है उसका नतीजा सब लोग देख रहे हैं और चूंकि डिफेक्टिव काम उन्होंने किया है उसका नतीजा उनको भुगतना ही पड़ेगा। आखिर भुगतना तो पड़ा, लेकिन उन्होंने बदमाशी और बेईमानी से राज बना लिया, उसके लिये तो मैं उनको दाद देता हूं।

श्री मूलचन्द डागा : यह अनपार्ल्यामिन्टरी शब्द है।

श्री पृथ्वीसिंह : दिस इज नोट अनपार्ल्यामिन्टरी। जिस गति से उन्होंने काम किया है, उसके अन्दर जो कमजोरियां और डिफेक्ट्स रह गये हैं उनको बराबर वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने जिस ढंग से लाइनों को खींचा और जिस ढंग से गांवों का विद्युतिकरण किया, उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। वैसे तो बहुत से उदाहरण होंगे जैसे गांव के अन्दर बिजली जा रही है और बीच में छोटे-छोटे गांव और कुंए पड़ते हैं, उनको बिजली न देकर उन्होंने कहा कि हमारे फेज प्रोग्राम के अन्दर ये नहीं आते हैं हम तो उस गांव का विद्युतिकरण करना चाहते हैं। वहां ट्रान्सफोर्मर लगा दिया, लट्टू लगा दिया और तार दे दिया कि फलाना गांव इलेक्ट्रीफाई हो गया। वास्तव में अगर देखा जाय कि उस गांव का विद्युतिकरण हुआ या नहीं तो सिर्फ ट्रान्सफोर्मर का ही, विद्युतिकरण हो गया। आज जिन ५-५,६-६ गांवों का विद्युतिकरण हो गया है, उन गांवों के अन्दर पॉवर कनेक्शन दिया हुआ नहीं है, बस्तियों के अन्दर एक भी कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। हरिजनों की बस्तियों की तो इस तरह उपेक्षा की गई है कि वहां पर आज दिन तक ९९ प्रतिशत गांवों के अन्दर जहां पर विद्युतिकरण घोषित कर दिया गया है वहां पर लाइन भी नहीं खींची गई है, कनेक्शन तो दूर रहा। इसके साथ-साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस ढंग से विद्युतिकरण की योजनाएं बनायी प्रोडेक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ाने के लिये योजना बनाई, वास्तव में कनेक्शन किनको मिले ? बड़े-बड़े उद्योगों को मिले बड़ी-बड़ी रोशनी के कार्यों में उसका उपयोग किया गया। कृषि फार्म सारे के सारे बेकार पड़े हैं। बिजली जो लोग कृषि के लिये लेना चाहते हैं उनको वह नहीं मिलती और उन लोगों को मिल जाती है जो किसी प्रकार रिश्वत देकर सफल हो जाते हैं। आकेली, सुमेरपुर पंचायत समिति में यही स्थिति है। गत वर्ष उस गांव को भारतवर्ष का सर्वप्रथम घोषित किया गया था, लेकिन आज तक विद्युत बोर्ड ने वहां पर बिजली नहीं पहुंचाई। होना यह चाहिये था कि उन सारे के सारे कुओं को इलेक्ट्रिफाई करते। उन लोगों ने पचास-पचास हॉर्स पॉवर के ऑइल इन्जिन लगा कर पानी को खींचा। उस गांव में यदि इलेक्ट्रिफिकेशन करते, पॉवर कनेक्शन देते तो सदुपयोग ज्यादा हो सकता था। वे लोग सस्ते भाव पर बिजली मोह्य्या करके ज्यादा से ज्यादा इर्रीगेशन करते। मुख्य मंत्री यहां बिराजते नहीं हैं। होना तो विद्युतिकरण चाहिये था, लेकिन पंचायत समिति के प्रधान हैं, उनके खिलाफ सैकड़ों भ्रष्टाचार के आरोप

(श्री पृथ्वीसिंह)
लगे हुए हैं, उनको रूस की यात्रा पर भेजने का प्रबन्ध किया गया है, और १५ तारीख को रूस का भ्रमण करने जाने वाले हैं। अगर रूस का भ्रमण करना था, तो कार्यकर्ता, ग्राम सेवक, सरपंच इनको भेजना चाहिये था। लेकिन सरपंच को भेजा नहीं क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध है और प्रधान कांग्रेस पार्टी का एजेन्ट है. उसको भेज कर आपने प्रभावित किया है।

अव्यवस्था के लिये अर्ज करूं। गांव बलमना सुमेर पंचायत समिति में आता है। जो डिफेक्ट्स हैं उनके लिये अर्ज करूंगा। एक गूंदे का पेड़ तारों से चिपका हुआ था बागरी को क्या मालूम कि वह गूंदे खाने चढ़ेगा. उस पेड़ से तार चिपके हुए हैं उसमें करेन्ट आ जायगा और वह मारा जायगा। वह बागरी ऊपर चढ़ता है गूंदों से भूख मिटाने के लिये और वह उन तारों के करेन्ट से चिपक कर मर जाता है। यह कसूर बागरी का नहीं था, कसूर विद्युत् मंडल के कर्मचारियों का था, जिन्होंने दरख्त को तारों से दूर नहीं किया। बेचारा गरीब वहां का वहां मारा गया और उसके घर वालों को मुआवजा तक नहीं मिला और मुआवजे बगैर वे लोग चिल्लाते हैं।

कनेक्शन किस प्रकार से लगे हुए हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूं। गांव गलतनी है। मैं स्वयम् वहां से गुजर रहा था। मेरे जूतों में कीलें लगी हुई थीं, बरसात के दिन थे। खम्भों से करेन्ट पास ओन हो रहा था जमीन से ऊपर मेरे पैरों में झटका लगता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह, उप-मंत्री: उससे आपको नुकसान तो नहीं हुआ ?

श्री पृथ्वीसिंह : फिर यहां आपके सामने कैसे आता। झटका लगा और मैं वहां से भाग कर दूर हो गया। यह कसूर मेरा नहीं था कि मैं ट्रान्सफॉर्मर के पास से क्यों गुजरा। कसूर उन कर्मचारियों और बोर्ड का था जिन्होंने अर्थिग ठीक प्रकार से नहीं किया।

श्री मूलचन्द डागा : आपका सहयोग नहीं था।

श्री पृथ्वीसिंह : सहयोग तो मैंने बहुत किया लेकिन आपने काम करने में सहयोग नहीं दिया।

इस प्रकार डिफेक्टिव कनेक्शन किये हुए हैं और आज भी इसी तरह से कनेक्शन किये हुए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको एक बात यह भी बता दूं कि बिजली का करेन्ट उद्योगों में दिया हुआ है। मोटरें चलती हैं उनमें करेन्ट की रेगुलर सप्लाई नहीं होती। करेंट डाउन हो जाता है, चलते-चलते मोटर जल जाती है। लाखों रुपयों का नुकसान होता है और प्रोडक्शन प्लान पर भी उसका बड़ा असर पड़ता है। कुओं पर रहंट वगैरा चलते थे, बिजली के तारों का लोभ देख कर मोटर लगाने का लोभ किया। मोटर जल जाती है खेती भी नष्ट हो जाती है। इसका जिम्मेदार राज्य का विद्युत् मंडल है न कि उसको लेने वाला काश्तकार।

पाली जिले के कृषक समाज के अध्यक्ष हैं श्री बलदेवसिंहजी। उन्होंने ६३ से ६७ तक सैंकड़ों रुपयों के टेलीग्राम दिये, प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। आज भी ६८ चल रहा है। ५७ से लेकर अब तक ११ साल में कोई प्रगति नहीं

(श्री पृथ्वीसिंह)
हुई और बिजली का करेन्ट उसी प्रकार मिलता है। मोटरें जलती हैं और फसलों का नुकसान हो रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। प्रार्थना-पत्र और तार दिये उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर, सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय, इन सारी बातों को देख कर क्या यह उम्मीद की जाय कि कनेक्शन की कमी, इर्रेगुलर सप्लाई, इनको ध्यान में रख कर राज्य सरकार यह लक्ष्य निर्धारित करेगी कि चतुर्थ योजना के आखिरी साल तक सारे गांवों को इलेक्ट्रिफाई कर दिया जाय। जो गांव बीस मील के रेडियस में आता है और उन सारे कुओं को प्राथमिकता देंगे जो बिजली लेना चाहते हैं और उनको करेन्ट प्रदान करने में सहयोग करेंगे। इससे न केवल प्रोडक्शन में लाभ होगा और फेमीन की जो कण्डीशन्स हो रही है और उस पर जो वाद-विवाद छिड़ रहा है, सरकार को कोसा जाता है। हजारों की तादाद में मवेशी मरते हैं और सिंचाई में करोड़ों का नुकसान होता है, उसमें अब मुनाफा होने वाला है और उद्योगों के बारे में भी लाभ होने वाला है।

इन सारी बातों को सोच कर राज्य सरकार निश्चित नतीजे पर पहुंचे कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तक इन सारे कुओं पर बिजली पहुंचा दी जावेगी, जो बिजली लेना चाहते हैं। इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : श्री रघुनाथ विश्नोई !

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय सभापतिजी, पिछले विधान सभा सत्र में राज्य विद्युत् मण्डल का वार्षिक विवरण वर्ष १९६८-६९ का पेश हुआ। उस वक्त समय के अभाव की वजह से सदन में विचार नहीं हुआ था, और सदन के माननीय सदस्यों का आग्रह था कि इस पर विचार हो। राज्य सरकार ने दो दिन तक इस पर विचारार्थ रखा है यह बहुत ही सुन्दर बात है।

राजस्थान विद्युत् मण्डल ने पिछले वर्षों में जो कार्य किया है उसकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता। जब राजस्थान बना, बिजली के जो आंकड़े देखते हैं, वार्षिक किताबें हमारे पास आतीं हैं, उस हिसाब से ७.४८ मेगावाट बिजली थी, जबकि ६७-६८ में बिजली की अवेलेबिलिटी २१८ मेगावाट हो गई। ७०-७१ में यह ४३१ मेगावाट हो जायेगी और ७३-७४ में ६५० मेगावाट जनरेट होने की सम्भावना बतायी गयी है और ७२ मेगावाट बिजली सरप्लस बतायी है। इसके साथ ही आणविक पॉवर एनर्जी जनरेटर ७० तक चालू हो जायगा, यह बताया गया है। उस वक्त काफी पॉवर मिलेगी और राजस्थान का भाग्योदय होगा। आज से दो साल पहले जबकि गांधीसागर पूरा नहीं भरा था, पानी कम आया, विद्युत् का संकट हमारे सामने उपस्थित हुआ था, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था, किन्तु फिर भी राज्य सरकार के पास जो साधन थे, बिजली बोर्ड के पास जो साधन थे, उससे उन्होंने सुचारु-रूप से चलाने की कोशिश की।

जहां तक कृषि में वेल इर्रीगेशन का सवाल है, शुरू में कोई वेल इर्रीगेशन नहीं था, कुओं के ऊपर पावर नहीं थी, किन्तु आज ४००० कुओं के ऊपर बिजली जा चुकी है। और अब धीरे-धीरे जो वित्तीय साधन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

हैं, उनके अनुसार, कार्यक्रम के अनुसार वेल्स पर बिजली लगाने की कोशिश की जा रही है। सभापतिजी, इस बारे में मैं आपके जरिये विद्युत् मण्डल का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उत्पादन की दृष्टि से कुछ जिले ऐसे हैं, जिनके अन्दर हजारों पंपिंग सेट्स लगे हैं; किन्तु बिजली नहीं पहुंची है। इस बारे में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। दो-तीन पाली से आने वाले माननीय सदस्यों ने पाली के लिये जोर दिया है। पाली जिले में पॉवर ज्यादा आना चाहिये। कुओं पर सब जगह पॉवर लग जाना चाहिये। इसके साथ ही भरतपुर से आने वाले सदस्य ने भी भरतपुर में बिजली ज्यादा लगे, इसके लिये कहा है। इसी तरह से अलवर में भी। सब जगह बिजली लगे। इसके लिये इंकार नहीं कर सकता। हमें अन्न का उत्पादन बढ़ाना है। देश की अन्न समस्या को हल करना है तो सारे जिलों के कुओं को बिजली देनी होगी। उन्हें पावर देनी होगी। किन्तु मैं राज्य सरकार का और विद्युत् बोर्ड का, जो कुओं पर बिजली दी जाती है, उसके लिये विद्युत् बोर्ड का जालौर जिले की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज दिन तक विद्युतिकरण के जरिये जालौर जिले में, जालोर के अन्दर वेल इरीगेशन जहां हुआ है; उसमें जालौर पंचायत समिति क्षेत्र में ५००-६०० पंपिंग सेट्स हैं। भीनमाल व उसके आसपास के क्षेत्र में १००० के करीब पंपिंग सेट्स लगे हैं. रानीवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में ५००-६०० पंपिंग सेट्स लगे हैं। सांचोर क्षेत्र में करीब ४००-५०० पंपिंग सेट्स लगे हुए हैं। जब यह परिस्थिति है तो इस क्षेत्र को भी अधिक बिजली मिलनी चाहिये। श्री मूलचन्दजी डागा बता रहे थे कि हमारे यहां ही कुए हैं इसलिये पाली जिले में ही बिजली की लाइन जानी चाहिये। यह मैं मानता हूं। इसके साथ-साथ जालौर जिले की तरफ भी देखना चाहिये। वह इससे ज्यादा पिछड़ा कुओं के हिसाब से नहीं है। वहां की जमीन के नीचे अण्डर ग्राउंड वाटर है। उसको नीचे से खींच कर लाया जा सकता है। बिजली ज्यादा उपलब्ध होगी तो पंपिंग सेट्स ज्यादा होंगे। क्रूड ऑइल इतना महंगा है कि उसको उपयोग नहीं कर सकते।

श्री मूलचन्द डागा : पाली से जालौर बहुत पिछड़ा हुआ है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप नेरो माइन्डेड है। ब्रॉड आउटलुक रखना चाहिये। अगर बिजली बोर्ड जालौर को बिजली देता है, तो आपको कोई रंज नहीं होना चाहिये। सिर्फ एक जिले को ही नहीं देखना चाहिये। सारे राजस्थान को देखना चाहिये। पानी के सोर्सेज हैं, उसकी स्कीम बनाकर ऊपर खींचना चाहिये। वहां बिजली पहुंचाने का बजट बनाना चाहिये। इसके लिये मैं बिजली बोर्ड और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा विशेषतः सिरोही जिले और जालौर जिले की ओर। इन जिलों के अंदर पोटेन्शिएलिटीज है। वहां २५० वेल्स की एक स्कीम थी। जो कुए हैं उनको ७०-८० हजार गैलन पानी प्रति घंटा देने की क्षमता है। परन्तु बिजली नहीं होने के कारण वहां पर पानी के जो सोर्सेज हैं, उसको कार्य रूप में परिणित नहीं कर सकते। इसी तरह कई कुए पड़े हुए हैं। काश्तकारों के पास साधन नहीं हैं। पंपिंग सेट महंगे हैं। क्रूड ऑइल महंगा है। क्रूड ऑइल लेते हैं तो मशीनरी खराब हो जाती है। उसमें अडल्ट्रेशन

(श्री रघुनाथह विश्नोई)

होता है। इसलिये राज्य सरकार और विद्युत् मंडल का ध्यान विशेष तौर से जालोर की ओर आकर्षित करना पसन्द करूंगा क्योंकि इसी जिले से मैं आता हूं। जालोर जिला एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के हिसाब से, वेल्स इर्रीगेशन के हिसाब से, पंपिंग सेट्स की संख्या के हिसाब से पाली जिले से कतई कम नहीं है। इसलिये आपको इस जिले की ओर ध्यान देना होगा। इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, आपको मालूम होगा, इस सदन में एक-दो बार मैंने प्रश्न किये थे। स्वर्गीय श्री हरिश्चन्द्रजी ने कोशिश की थी, गुजरात से बिजली जालोर जिले में लाने की। वहां बिजली सरप्लस थी और उससे सांचोर इलाके में बिजली मिल सकती थी। सेन्ट्रल सरकार की भी सहमति थी किन्तु राजस्थान की ओर से इस स्कीम के लिये रेसपांस नहीं हुआ। जो सरप्लस पॉवर हमारे यहां आ सकती थी, वह युटिलाइज नहीं हो सकी। विद्युत् मन्त्रीजी ने बताया कि वह स्कीम अब ड्रॉप कर दी है। यह जालोर जिले और सिरोही जिले का दुर्भाग्य है। मैं राज्य सरकार का और बिजली बोर्ड का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस स्कीम को वापिस लिया जाय। केन्द्रीय सरकार पर जोर दिया जाय कि जो सरप्लस बिजली गुजरात में है, उसको आने दिया जाय। जो प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं, वेल्स इर्रीगेशन है, उसमें भी बिजली दी जाय। भीनमाल में भी बिजली नहीं है। जो बिजली है, उसमें भी कुछ बॉटल-नेक, करप्शन की वजह से, बिजली समय पर होते हुए भी नहीं लगती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। काश्तकारों को समय पर बिजली न मिले, बीच में ब्रेक-डाउन हो जाय, वोल्टेज कम हो, तो इससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसलिये इसकी तरफ भी विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। हमारे जिले में उत्पादन की क्षमता है। खाद्य समस्या को हल करने के लिये इस पर गंभीरता से सोचना चाहिये।

जालोर जिले में बिजली की व्यवस्था बहुत कम है। जालोर से भीनमाल के० वी० लाइन लगाने का काम है। भीनमाल तक लाइन चाहिये। इस साल वहां लाइन लग जानी चाहिये या फिर इसकी स्कीम में ले लीजिये। भीनमाल के आस-पास करीब १०००-१५०० पंपिंग सेट्स हैं। बिल्कुल पास-पास हैं। इनको बिजली देंगे तो आपकी संख्या ४००० से ५००० हो जायेगी। कम खर्चा होगा क्योंकि एक ही जगह पंपिंग सेटस् हैं। यह एक इकोनॉमिक स्कीम होगी।

सांचोर के पॉवर स्टेशन के बारे में मैं बार-बार इस सदन में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहता हूं। १॥ लाख की आबादी है और वहां अभी तक ४-५ लट्टू हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि कम से कम लट्टू को तो देखते है। पहले दो-चार साल से स्कीम ठप्प थी। चीफ इन्जीनियर साहब ने अब चालू कर दी है। किन्तु यह अभी ८ घण्टे ही चलती है। वाटर वर्क्स के पास बिजली नहीं है। सभापति। आपको मालूम होगा वहां पानी की भयंकर समस्या है। इस वर्ष अकाल है। वहां का पानी खारा है। फेमिन भयंकर है। इसलिये मैं आग्रह करूंगा कि फेमिन डिपार्टमेंट से पैसा लेकर बिजली विभाग वाटर वर्क्स को तो बिजली दे दे। एक १॥ की लाइन की आवश्यकता है और उसे

(श्री रघुनाथह विश्नोई)

जोड़ने से सांचोर के लोगों को मीठा पानी मिल सकता है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस साल तो यह लाइन लग जाये। फेमिन डिपार्टमेंट को कॉन्टेक्ट किया जाय तो बिजली लग जायेगी। चूंकि बिजली सस्ती पड़ती है इसलिये वाटर वर्क्स बिजली से चालू होगा। इस वजह से दो-तीन साल से यह हमारी स्कीम ठप्प हो गई। बिजली बोर्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। इस संबन्ध में इस डिपार्टमेंट के एक्स० ईएन० ने पचीस हजार रुपये की ग्रान्ट की मांग की है उससे वे कहते हैं कि हम लाइन लगाकर बिजली दे सकते हैं। आज जिस प्रकार की अकाल की स्थिति है उसको देखते हुए और पानी की समस्या को देखते हुए केवल बीस हजार रुपये की ग्रान्ट से हमें पीने को पानी मिल सकता है, मवेशियों को पानी पीने का मिल सकता है। इस प्रकार की गम्भीर स्थिति को देखते हुए बिजली बोर्ड जनरल एटीट्यूड लेकर इस दिशा में काम करेगा। यह एक कस्बा है एक जगह आपने पॉवर हाउस लगाया उससे आप अभी आठ घंटे से अधिक बिजली नहीं देते। इसे भी आप कहिये कि वह पॉवर हाउस आठ घंटे के बजाय १२ घंटा बिजली दे। इसके अलावा राज्य सरकार १०० किलोवाट का एक इन्जन भी लगादे क्योंकि गांधी सागर से बिजली यहां मिल रही है उसमें पानी भी काफी आ गया है, बिजली का जनरेशन ज्यादा होने लगा है इस कारण आपके कई जनरेटिंग सेट्स फ्री होगये होंगे, आप यदि उनमें से एक इन्जिन भी वहां भेज देंगे तो वहां के लोगों पर आपकी कृपा होगी। अगर १०० किलोवाट का इन्जन नहीं भेजते हैं तो वहां कनेक्शन नहीं मिलेंगे और लोगों को पानी उपलब्ध नहीं होगा इसलिये आपको १०० किलोवाट का इन्जन जरूर लगाना चाहिये।

भीनमाल में भी आपकी बिजली का बहुत ब्रेक-डाउन होता है इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके अलावा जालौर म्युनिसिपैलिटी की भी भयंकर स्थिति है वहां भी दिन में पचासों दफा ब्रेक-डाउन होते हैं। कम से कम डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स पर तो इस प्रकार के ब्रेक-डाउन नहीं होने चाहियें। इसके बारे में डिप्टी मिनिस्टर सा० खेतसिंहजी भी वहां पधारे थे वे खुद वस्तुस्थिति को जानते हैं। कम से कम आप जब कि वहां देखकर गये हैं जालौर जिले की जो क्षमता इर्रीगेशन के लिये उसके लिये आप बिजली का प्रावधान करा दीजिये। वह इलाका आपको सरप्लस अन्न देगा। वहां पर अन्न की पैदावार का स्कोप बहुत है। वहां सर्वे किया हुआ है जिससे सत्तर हजार गेलन पानी प्रति कुआ प्रति घन्टा के हिसाब से मिल सकता है। यदि उसमें बिजली की सुविधा बढ़ाई जाय तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रोब्लम और खेती की इर्रीगेशन की प्रोब्लम दूर की जासकती है।

सभापति महोदय मैं आपको जालौर की जनता की ओर से आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं, कि वे इस बारे में गम्भीरता से ध्यान दे। पम्पिंग सेट्स को देखते हुए आप यदि गुजरात से बिजली प्राप्त कर वहां जो सरप्लस बिजली है वह यदि हमारे क्षेत्र में नहीं आयगी तो हमारी समस्या का हल नहीं होगा। यह स्कीम सेन्टर द्वारा मन्जूर हो चुकी थी वे सरप्लस बिजली हमें देने को तैयार थे। केवल सत्तर-अस्सी हजार रुपये कन्स्ट्रक्शन में लगाने का सवाल था, वह हम करदें तो उससे हमारे इलाके में प्रोडक्शन को भी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

फायदा होगा और पीने के पानी की भी सुविधा हो जायगी।

सभापति महोदय, पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पाली की वकालात की कि वहां कुए ज्यादा हैं अतः हमें ज्यादा बिजली मिलनी चाहिये। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा पाली की अपेक्षा जालौर के इलाके में कुए ज्यादा हैं मेरा तो यही निवेदन है कि आप सब जगह समान रूप से बिजली का बंटवारा करें। अगर आपकी स्कीम अनइकोनोमिक हो तो आप मत लगाइये। यह तो जनता के साथ प्रश्न जुड़ा हुआ है ज्यों ज्यों जनता में जाग्रति आयेगी वे इसकी ज्यादा मांग करेंगे। आजादी के बीस साल बाद भी हम देखते हैं, कि कुछ क्षेत्र उपेक्षित रहे हैं। जालौर की जनता आन्दोलन नहीं चाहती आज तक वहां की जनता ने इन मांगों के लिये आन्दोलन नहीं किया। हमने भी उनको कभी इसके लिये प्रेरित नहीं किया। हमारा विश्वास सरकार में है। हम यह अनुभव करते हैं, कि सरकार हमारी है और वह जनता की समस्या की ओर ध्यान देगी। आपने सांचोर में वहां पर पॉवर हाउस लगा दिया अब केवल बीस हजार रुपये की और जरूरत है जिससे वहां की सारी समस्या का हल हो जायगा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : आपको सभापतिजी लाल आंखे दिखा रहे हैं, आप अब समाप्त करिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सभापतिजी मैं जो बातें कह रहा हूं वे वास्तविक तथ्यों पर आधारित हैं। माननीय उप-मंत्री जो जोधपुर डिवीजन से आते हैं उनका उस क्षेत्र के प्रति विशेष प्रेम होना चाहिये। उनसे मेरा अनुरोध है, कि वे इस बारे में सचेष्ट होकर अपना कार्य करेंगे। मुख्य मंत्रीजी भी जब वहां हमारे यहां पधारे थे उस समय उन्होंने भी यह आश्वासन दिया था। हम पचास हजार रुपया यहां पर बिजली के लिये खर्च करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि हम गुजरात से बिजली लाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जालौर, सिरोही इन क्षेत्रों की ओर ज्यादा ध्यान दीजिये। जहां पर बिजली मिल जाय तो लाखों एकड़ में अनाज पैदा हो सकता है, और वहां जो जमीन के नीचे पानी है उसका उपयोग हो सकता है। इससे वहां के लोगों की माली हालत सुधरेगी, और प्रान्त को भी अन्न ज्यादा मात्रा में मिल सकेगा। वहां का किसान मेहनत करना चाहता है, और वह जानता है किस प्रकार अनाज पैदा किया जा सकता है, लेकिन अगर उनको पम्पिंग सेट लगाने के लिये बिजली मिल जाय तो वे अपनी मेहनत से आपको अनाज पैदा कर दे सकते हैं। आज पाली जालौर और सिरोही क्षेत्र में भयंकर अकाल की छाया है। वहां पर पानी के सोर्सेज ज्यादा है उनको काम में लिया जा सकता है। मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि ज्यादा जोर से किसी बात को कहूं लेकिन देखा यह गया है, कि जो ज्यादा जोर से बोलता है उसका काम हो जाता है। आप हमें भी वही सीखा रहे हैं, आज जनता वहां भी कह रही है, कि हमारे इलाके में कुछ नहीं हो रहा है। आखिर वहां की जनता की भी सब्र की हद है। मैं, चेयरमेन महोदय, आपके द्वारा सरकार से और बिजली बोर्ड से निवेदन करूंगा हालांकि उनकी सहानुभूति हमारे इलाके के साथ है फिर भी मैं निवेदन

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

करूंगा कि विशेष तौर पर आप हमारे इलाके का सर्वे करा लीजिये। अगर आप पूर्णतया सन्तुष्ट हैं तो आप हमें गुजरात से जो सरप्लस बिजली है वह हमें दीजिये। यह राज्य के लिये और काश्तकारों के लिये बहुत ही सुन्दर बात होगी।

माननीय सभापति महोदय, इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार सरकार से और विद्युत मण्डल से अपील करूंगा फेमीन के काम के अन्दर केवल आप पानी देने के लिये लाखों रुपया व्यय कर देंगे। अगर आप फेमीन के नाम पर ही यदि सांचोर के बिजली घर को पॉवर देने का बारह घंटे का आदेश दे दीजिये और १०० किलोवाट का नया इन्जन लगा दीजिये इसमें कोई विशेष खर्चा होने वाला नहीं। एक-दो आदमी लगाने होंगे और डेढ़ मील की लाइन डालनी होगी। यदि आप यह कर देंगे तो लाखों रुपया जो फेमीन में पानी पिलाने के नाम पर खर्च होगा वह कम से कम एक जगह के लिये इतनी व्यवस्था हो जाय तो सांचोर के लोगों के लिये और वहां के मवेशियों के लिये पानी की सुविधा हो सकती है। इसलिये, कम से कम एक जगह को पानी मिल जाय इस गम्भीरता को देखते हुए, सभापतिजी, मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर जालौर जिले को बिजली देने की व्यवस्था करें। जनरस एटीट्यूड लेकर, आप इसके लिये बजट में प्रावधान करेंगे और शीघ्र इस बारे में कदम उठायेंगे यही मेरी प्रार्थना है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में की गई आपत्ति पर व्यवस्था

श्री सभापति : माननीय सदस्य ने अनुपूरक अनुदानों की मांग के समय एक आपत्ति उठाई थी उस सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था निम्न प्रकार है—

"आज अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण के उपस्थापन के समय श्री भैरोंसिंह ने यह आपत्ति उठाई कि जो स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र माननीय सदस्यों को वितरित किया गया है उस पर वित्त आयुक्त एवं सचिव के हस्ताक्षर हैं। अब तक की प्रणाली के अनुसार ऐसे पत्रों पर वित्त सचिव के ही हस्ताक्षर होते रहे हैं, परन्तु चूंकि अब इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में आपत्ति प्रस्तुत की गई है। अतः भविष्य में स्पष्टीकारक स्मृति-पत्र को वित्त मन्त्री महोदय द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।"

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विद्युत मण्डल के बारे में काफी चर्चा हुई है। मैं भी इस सम्बन्ध में कुछ तथ्यों की ओर राज्य सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वैसे तो यह विद्युत मण्डल सुखाड़िया सरकार का जिस तरह से ठाकुरों के दरोगे होते हैं उसी तरह से यह दरोगा है, जो कि उनका दरोगा-पन करता है। जिस तरह से चुनाव के समय रातों रात भर में चालीस-चालीस मील तक इस बोर्ड द्वारा लाइनें डाल दी जाती हैं, खम्भे गाड़ दिये जाते हैं। भूतपूर्व मन्त्री श्री चन्दनमल वैद के इलाके में तारानगर से सावा तक खम्भे लगे हुए हैं, लेकिन आज तक बिजली केवल खम्भों पर ही लगी हुई है। इसी प्रकार आज भी बिजली के खम्भे जगह-जगह से जा रहे हैं लेकिन उनके बीच पड़ने वाले गांवों को बिजली नहीं दी जा रही है इस ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना बहुत आवश्यक है। तेज हवा चलने से खम्भे उखड़ जाते हैं और बड़े बड़े कस्बों का जीवन अस्त-व्यस्त

Page No. 123

(श्री रामचन्द्र आर्य)

हो जाता है। दो-दो तीन-तीन दिन तक बिजली बन्द रहती है। इसका मूल कारण यह है, कि खम्भों को गाड़ने के लिये जो सीमेन्ट और कन्क्रीट जितनी मात्रा में दी जाती है उतनी मात्रा में वहां काम में नहीं ली जाती और ब्लेक में बेच देते हैं उस सीमेन्ट को व सामान को। इसकी एन्क्वायरी होनी चाहिये और दोषी पाये जाने वालों को कठोर दण्ड दिया जाना चाहिये। आये दिन इनकी शिकायतें रहती हैं।

भादरा से नोहर में बिजली आई। पर बीच में बड़े-बड़े कस्बे पड़ते हैं चार और पांच-पांच हजार के उनको बिजली नहीं दी गई। यहां तक हुआ कि नोहर में कस्बा रावतसर में अस्पताल के पास में खम्भा गड़ा है पर आश्वासन के बावजूद अब तक अस्पताल को बिजली नहीं मिली। पिछले सत्र में मैंने प्रश्न उठाया था और उस वक्त मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि आयन्दा शिकायत नहीं रहेगी।

इसके अलावा गंगानगर में काफी बड़े-बड़े गांवों में होकर बिजली गई है उनको भी नहीं दी गई। नाली इलाका है उसमें विद्युतिकरण होना जरूरी है क्योंकि वहां कृषि-उत्पादन को इससे बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। पर आश्चर्य तो यह है कि इतने महत्वपूर्ण कस्बों को बिजली नहीं देकर वहां के एक मन्त्री की ढाणी में एक कनेक्शन उनके मकान पर लगाने के लिये १३ हजार रुपया खर्च करके लगा दिया गया जब कि बडोपल जैसे बड़े गांव में बिजली नहीं दी गई। लोगों की मांग है पर ध्यान नहीं दिया जाता। इस महकमे में भी बड़े पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया जा रहा है। इसकी जड़ में भ्रष्टाचार है और न मालूम कितने घोटाले इसमें हो रहे हैं। इसका प्रमाण यह है कि चुनावों के दौरान इस बोर्ड द्वारा कांग्रेस सरकार के कहने से वोट देने के लालच मे जगह-जगह पर खम्भे गाड़ दिये जाते हैं। खम्भे आज भी गड़े हैं, पर उन पर बिजली नहीं आई आज भी। ये गल्तियां बार-बार चुनावों के दिनों में इस कांग्रेस सरकार द्वारा की गई हैं। इनकी जांच करवाई जानी चाहिये। पर जांच करवाए कौन ? जिनके हाथों में आज प्रशासन है वें खुद गले तक करप्शन में डूबे पड़े हैं, करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं और देते रहेंगे। यह विभाग तो कठपुतली की तरह है जैसा वे नचाते हैं वैसा नाचता है। जैसा नाच राजस्थान के दूसरे विभाग नाचते हैं वैसे यह भी नाचता है। तो मैं उनसे तो अधिक उम्मीद नहीं करता पर फिर भी सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इन मामलों की गहराई में जाकर जांच होनी चाहिये।

मैं राजस्थान की दो करोड़ जनता की बात बोल रहा हूं कि इस विद्युत् बोर्ड द्वारा जितने काम किये गये हैं वे सब असन्तोषजनक हैं। काश्तकार के खेत में फसल सूख जाती है, बाद में बिजली देते हैं, कनेक्शन देते हैं। जिस वक्त काश्त में पानी देने का वक्त आता है तो बिजली जानबूझकर उसी समय फैल होती है। पर इन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। होना यह चाहिये कि बिजली न मिलने से अगर काश्तकार का खेत सूख जाता है या पानी नहीं दे पाता तो उसका नुकसान उसको मिलना चाहिये और वहां के अधिकारियों को दण्डित करना चाहिये। पर ऐसा हो नहीं रहा है। आये दिन शिकायतें हो रही हैं। रावतसर कस्बे में सैंकड़ों आदमी कनेक्शन मांग रहे हैं पर उनको नहीं दिया जा रहा है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

मेरे से पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य ने सरकार की बड़ी प्रशंसा की कि जिस वक्त राजस्थान बना उस समय यहां बिजली नहीं थी, अब बहुत हो गई है। मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान का निर्माण हुआ तो यह प्रदेश छोटी-मोटी रियासतों में बंटा हुआ था। यहां कोई प्रजातन्त्र नहीं था। प्रजातन्त्र के युग मे आज आप नहीं होते तब भी इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक काम होता। आपने तो आवश्यकता से और जो साधन आपको मिले उससे बहुत कम निर्माण किया है। इतना होना तो स्वाभाविक ही था। इतना भी नहीं करते तो आप क्या करते। जो आपने यह थोड़ा सा किया यह भी किसी पर अहसान नहीं किया है और वह भी आपने पूरा पक्षपातपूर्ण रवैये से किया है।

आपसे सुखाड़ियाजी हम मांग करेंगे कि जब आपके कारनामों की जांच होगी तो यह विद्युत् मण्डल का घोटाला और पक्षपात पूर्ण रवैया भी इसके साथ जुड़ेगा, आप इसके भी मिनिस्टर हैं। ये सब बातें स्पष्ट हैं। छिपाने वाली बातें इसमें नहीं हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह ठंडे दिमाग से सोचकर काम करे। आप इस भ्रष्टाचार को दूर करें। पर यह आपसे होगा नहीं। इसे कौन करेगा ? जो ईमानदारी से जनता की सेवा करने वाला होगा और प्रजातन्त्र के उसूलों को मानने वाला होगा वही कर सकेगा। यह तो प्रजातन्त्र की हत्यारी सरकार है।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि महरबानी करके कम से कम इस विद्युत् मण्डल को गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। बिजली के द्वारा आज हिन्दुस्तान में काफी तरक्की हुई है। राजस्थान में भी आप तरक्की होने दें। पर यह जानबूझकर भेदभाव और पक्षपातपूर्ण नीति से दुरुपयोग किया जाता है इसे रोकें। बिजली काश्तकारों को काफी मात्रा में दें ताकि खाद्यान्न की कमी दूर हो सके। गंगानगर सबसे बड़ा जिला है। उपजाऊ इलाका है। इसका विद्युतिकरण होना जरूरी है। औद्योगिक धन्धे भी वहां काफी हो सकते हैं। बिजली के बिना उद्योग-धन्धे नहीं चल सकते।

आपने एक रट लगा रखी है कि बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है राजस्थान कैनाल में। यह तो भौगोलिक दृष्टि से गंगानगर जिले से हो होकर नहर जा सकती थी इसलिये यह तो आपको करना ही था। अगर यह उठाकर ले जाई जा सकती होती तो उठाकर आप इसे भी उदयपुर ले गये होते। पर यह आपके बूते का रोग नहीं था। इसके निकालने से गंगानगर के लोगों का ही लाभ नहीं हुआ है। सारे प्रान्त को लाभ मिला है। फिर भी इस शासन के कारण जितना लाभ मिलना चाहिये वह नहीं मिल सका है।

इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन चार-पांच मुद्दों की जांच की जावे। रावतसर के अस्पताल में बिजली दी जावे। पिछले साल जो आश्वासन दिया था उसको पूरा किया जावे। रोजाना मन्त्री बदलते हैं विभाग बदलते हैं। एक मन्त्री आश्वासन देकर चला जाता है तो दूसरा जो आता है वह कहता है मुझे मालूम नहीं है।

श्री सभापति : सदन की कार्यवाही कल ११ बजे प्रातः तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं ५ बजे मंगलवार, दिनांक १०-९-६८ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(तारांकित प्रश्न संख्या १४१ की सूची)

सूची (क)

भूमिहीन किसानों से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की सख्या

तहसील	सन् १९५०	सन् १९५१	सन् १९५२	सन् १९५३	सन् १९५४	सन् १९५५	सन् १९५६	सन् १९५७	सन् १९५८
बीकानेर	३,१३१	२,९८३	४८२	३९९	३०३	१,२५८	१,१०६	८४३	६३७
लूणकरणसर	१,४९१	३,६४३	१,५६०	६७०	४७१	१,८७३	४,०५२	५,२१७	७,१२६
नोखा	१,२२५ कुल	—	—	—	—	—	—	—	—
कोलायत	१८,३७९	३४५	२००	६०२	३३	१,१७४	४१२	८४७	६३२

सूची (ख)

नाम तहसील	फौजियों की संख्या जिन्हें भूमि दी गई
लूणकरणसर	७
नोखा	७
कोलायत	५५
बीकानेर	[illegible]

सूची (ग)

नाम तहसील	पिछड़ी जाति के किसानों द्वारा जो प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये गये उनकी संख्या	अलॉट किये गये व्यक्तियों की संख्या	रकबा जो अलॉट किया गया
बीकानेर	२३१	१७	८१८ बीघा ६ बिस्वा
लूणकरणसर	४०८	३८२	६०५२ एकड़
नोखा	२६१	२६१	४८४६ एकड़
कोलायत	१६७	१६७	४७७६ बीघा

सूची (घ)

नाम तहसील	भूमि काबिल अलॉटमेन्ट
बीकानेर	१२,१०,२३१ एकड़
लूणकरणसर	६,६७,८१६ ,,
नोखा	५,०६७ ,,
कोलायत	४,९८,२३८ ,,
	योग ... २३,८१,३५२ एकड़ कुल

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण समय में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

पाली जिले में पटवारियों के तबादले

२८०. श्री दौलतराम ग्रागरी (देसूरी– सु.): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पाली जिले में उप-खंड ग्रधिकारी श्री नरपतसिंह भंडारी को पाली में कब लगाया गया, उनके पद पर ग्राने के पश्चात् किन-किन पटवारियों का स्थानान्तरण कब-कब ग्रौर कहां-कहां किन-किन स्थानों पर किया गया ? किन-किन कारणों से पटवारियों के स्थानान्तरण किये गये हैं ? पटवारियों के नाम व संबंधित हल्कों की सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि २ साल के पूर्व पटवारियों के तबादले करने हेतु स्वीकृति लेनी पड़ती है ? यदि हां, तो किस ग्रधिकारी से कब-कब स्वीकृति ली गई ? यदि स्वीकृति नहीं ली गई तो क्यों ?

(३) क्या राज्य सरकार इस प्रकार ग्रनियमित किये गये तबादलों के कारण उप-खंड ग्रधिकारी पाली, के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ग्रौर नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(१) श्री नरपतसिंह भंडारी, उप-खण्ड ग्रधिकारी, पाली ने दिनांक ४–८–६७ को कार्यभार सम्हाला। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां। निकटतम उच्च प्राधिकारी से स्थानान्तरण से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। किन्तु जिलाधीश इन स्थानान्तरणों से सहमत हैं। ऐसे केवल तीन स्थानान्तरण हैं।

(३) जिन प्रशासनिक कारणों से उप-खण्ड ग्रधिकारी ने ये स्थानान्तरण किये थे, उनको दृष्टिगत रखते हुए, उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार विचार नहीं रखती।

सूची

क्र० सं०	नाम पटवारी	स्थानान्तरण करने के पूर्व तैनाती	पश्चात् तैनाती	स्थानान्तरण आदेश जारी करने की ता.	स्थानान्तरण किये जाने के कारण
१	२	३	४	५	६
१.	श्री भैरूसिंह	भीतड़ा	चांचाडी	२१-११-६७	प्रशासनिक कारणों से
२.	श्री उगमसिंह	भोंवरी	वाडाई	२१-१२-६७	,,
३	श्री मंगलसिंह	डैंडा	अवकाश रक्षित तहसील कार्यालय, पाली	२०-२-६८	,,
४.	श्री बख्तावरसिंह	बोमादडा	स. ओ. का., ते. कार्यालय, पाली	२०-२-६८	,,
५.	श्री किशनलाल	प्रशिक्षण से लौटने पर आदेश की प्रतीक्षा में	डैंडा	२०-२-६८	,,
६.	श्री जोधसिंह	मांडल	डिगाई	९-८-६८	स्वयं के प्रार्थना-पत्र पर
७.	श्री ऊंकारसिंह	डिगाई	मंडली खुर्द	९-८-६८	प्रशासनिक कारणों से
८.	श्री हरिसिंह	मंडली खुर्द	कार्यालय में रिपोर्ट करने के आदेश दिये	९-८-६८	,,
९.	श्री मंगलपुरी	खेरवा	मांडल	९-८-६८	,,
१०.	श्री भूरसिंह	खांडी	खेरवा	९-८-६८	,,

पंचायत समिति, कुशलगढ़ के कर्मचारियों एवं अध्यापकों के तबादले

२८१. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जिला बांसवाड़ा की पंचायत समिति, कुशलगढ़ के कर्मचारियों एवं अध्यापकों का स्थानान्तरण, १९६८ में जिला कर्मचारी वर्ग समिति व कलेक्टर द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारियों तथा अध्यापकों के ?

(श्री हीराभाई)

(२) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों का दूसरी पंचायत समिति में स्थानान्तरण करने के पूर्व नियमानुसार पंचायत समिति की या प्रधान की राय लेना अनिवार्य था, किन्तु जिला कर्मचारी वर्ग समिति तथा कलेक्टर ने अपने मनमाने ढंग से उपरोक्त तबादले किये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि राय ली थी तो कब ?

(३) क्या राज्य सरकार उपरोक्त अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) दो वरिष्ठ लिपिकों एवं दस अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये।

(२) जी हां। नियमानुसार पंचायत समिति, कुशलगढ़ की सिफारिश की आवश्यकता थी किन्तु प्रशासनिक कारणों से अविलम्ब स्थानान्तरण करना अत्यन्त आवश्यक होने से जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा अन्यथा स्थानान्तरण किया गया।

(३) स्थानान्तरण जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा किया गया, इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

कस्बा नोहर के अस्पताल का रोगी रजिस्टर

२८२. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा नोहर के अस्पताल का रोगी रजिस्टर तहसील फतेहाबाद, जिला हिस्सार हरियाना पुलिस के कब्जे में है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या राज्य सरकार इस मामले की गंभीरता पर विचार कर जांच करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, डॉ० ए० आर० दास, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, नोहर ने ए० एम० एच० ओ०, रतिया, जिला हिस्सार द्वारा मांगे जाने पर रिकार्ड उनको १६-९-६७ को सौंपा गया है।

(२) जी हां।

ककोड़ की शराब की दुकान

२८३. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि वर्ष ६२-६३ में, ककोड़ की शराब की दुकान तहसील अलीगढ़, जिला टोंक का ठेका श्री गंगाविशन के नाम हुआ था ? यदि हां, तो कितने में ?

(श्री दिग्विजयसिंह)

(२) क्या यह सत्य है कि इस ठेके की गारन्टी की बकाया रकम के रु. १२७८.०७ न. पै. उस ठेकेदार से अभी तक वसूल नहीं हुए हैं ?

(३) क्या यह सत्य है कि दिनांक २-१२-६३ को पी. डी आर. एक्ट के तहत तहसील से कार्यवाही की गई और दिनांक २२-१०-६४ को नोटिस कुर्की दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि ११-११-६५ को माल कुर्क किया गया ? यदि हां, तो क्या-क्या माल था ?

(५) क्या यह सत्य है कि ६-१२-६६ को माल नीलामी के नोटिस निकाले गए और दिनांक २२-१२-६६ को नीलामी के आदेश रोक दिए गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या यह सही है कि आज दिन तक यह राशि वसूल नहीं की गई है ? और अभी भी स्टे आॅर्डर कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(७) क्या यह सही है कि इस धनराशि को अब वसूल करने का कोई इरादा नही है ? यदि नहीं, तो अब यह रकम कब वसूल होगी ?

उत्तर

(१) जी हां। यह ठेका १८,७७२ रुपये की गारंटी पर दिया गया था।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

(४) जी हां। सूची संलग्न है।

(५) मामला राज्य सरकार के विचाराधीन होने से वसूली रोकी गई।

(६) जी हां। अब राज्य सरकार निर्णय के अनुसार इस दुकान की गारंटी कमी की रकम वसूल होने योग्य नहीं है। अतः अपलेखन की कार्यवाही की जा रही है।

(७) प्रश्न ही नहीं उठता।

———

राजस्थान सरकार

वित्त (आबकारी) विभाग

तारांकित प्रश्न संख्या १२ वि० मं० द्वारा श्री दिग्विजयसिंह (४८)

कुर्क शुदा माल की सूची

१. भैंस एक कीमती रुपया २२५)

२. भैंस एक कीमती रुपया १५०)

३. डोरडी एक (गाय) कीमती रुपया २०)

४. गाड़ी लकड़ी एक कीमती रुपया ४००)

५. सगड़ एक कीमती रुपया १००)

६. बैल एक कीमती रुपया १५०)

७. बैल एक कीमती रुपया १००)

ग्रामों में कोटवालों की नियुक्ति

२८४. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राजस्थान भू-राजस्व कानून के प्रावधानों के अन्तर्गत गांव में ग्राम-सेवक (कोटवाल) की नियुक्ति आवश्यक है ? और उसे उसकी सेवा के बदले सरकार की ओर से भूमि या नकद दिये जाने की व्यवस्था है ?

(२) चूरू जिले की डूंगरगढ़ और सरदारशहर तहसीलों में ग्रामवार कोटवाल (ग्राम-सेवक) हैं या नहीं ? यदि हैं, तो ग्रामवार उनके नाम, उन्हें दी जाने वाली सुविधा और उनकी स्वीकृति दिनांक व क्रमांक सहित सूची सदन की मेज पर रखी जाय ।

(३) जिन ग्रामों में कोटवाल नियुक्त नहीं हैं क्या यह सही है कि वहां बिना किसी सुविधा, वेतन या पारिश्रमिक दिये हरिजनों से कोटवाल का काम राजस्व अधिकारी ले रहे हैं ।

(४) जिन ग्रामों में कोटवाल नियुक्त नहीं हैं क्या वहां राज्य सरकार आवश्यक सुविधा देते हुए कोटवाल नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों नहीं ? अब तक नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

(५) उनको दी जाने वाली सुविधा क्या होगी ?

उत्तर

(१) राजस्थान भू-राजस्व कानून के अन्तर्गत गांव में ग्राम-सेवक की नियुक्ति का प्रावधान है। अभी समस्त जगह यह व्यवस्था नहीं होने से जिन-जिन ग्रामों में कोटवाल की व्यवस्था है उनसे भूमि का लगान नहीं लिया जाता ।

(राजस्व मंत्री)

(२) चूरू जिले की डूंगरगढ़ व सरदारशहर तहसीलों के कुछ ग्रामों में कोटवाल जो पहले से नियुक्त हैं, की सूची संलग्न है।

(३) जी नहीं।

(४) नहीं, आवश्यकता नहीं है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

किशनगढ़ ग्राम का मास्टर प्लान

२८५. श्री गोकुलचन्द (खेरथल–सु०) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अलवर जिले में तहसील एवं सब-डिवीजनल हैडक्वार्टर, किशनगढ़ ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के लिये कृषि भूमि को एक्वायर किये जाने की योजना सरकार को भेजी थी ?

(२) क्या यह सत्य है कि सरकार ने किशनगढ़ के लिये कोई मास्टर प्लान की योजना स्वीकार की थी ? यदि हां, तो अब इसे कार्यान्वित करने में क्या रुकावटें आ रही हैं ?

(३) क्या सरकार के ध्यान में है कि उपरोक्त कस्बा किशनगढ़ में एस. डी. एम., मुन्सिफ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एवं तहसीलदार के कार्यालय हैं और लगभग ४० वकील वहां पर रहते हैं ?

(४) यदि हां, तो सरकार वहां पर मास्टर प्लान की योजना को कब तक लागू कर सकेगी ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) जी हां। रुकावट अर्थाभाव व आबादी भूमि की कमी के कारण हो रही है।

(३) जी हां।

(४) योजना लागू है किन्तु प्रगति नहीं हुई है।

सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनूं

२८६. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कस्बा लाडनूं, जिला नागौर में एक सुखदेव जनाना अस्पताल है जिसको सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो रही है ? यदि हां, तो कब से सहायता मिल रही है तथा सालाना कितनी तथा किस-किस कार्य पर खर्च करने के लिये ?

(२) इस अस्पताल में कब तक डॉक्टर रहा और कितने वर्षों से डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर के अभाव में इस अस्पताल का कार्य किसने किया ? कार्य संभालने वाले व्यक्ति की योग्यता क्या थी ?

(३) क्या यह सही है कि डॉक्टर के अभाव में भी इस अस्पताल में ऐसी दवाइयें खरीदी गई जिनको केवल डॉक्टर ही उपयोग में ला सकता है ? यदि हां, तो ऐसी दवाइयां कब-कब और किस-किस मरीज को किनके द्वारा दी गई ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) इस अस्पताल का ऑडिट कब-कब हुआ ? आज तक के हुए ऑडिटों की रिपोर्टों की प्रतियें सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) अस्पताल में डॉक्टर न होने की शिकायतें जनता ने सरकार को कब-कब की और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(१) जी हां। श्री सुखदेव जनाना अस्पताल, लाडनूं को सन् १९४२ से प्रति वर्ष १०००) रु० की सहायता अनुदान के रूप में सरकार देती है। कुल वार्षिक बजट के अनुपात से अनुदान दिया जाता है।

(२) इस अस्पताल में दिनांक २१-९-६३ तक डॉक्टर रहा। गत करीब ५ वर्षों से इसमें डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर के अभाव में कम्पाउन्डर कार्य करता रहा वह एक रजिस्टर्ड फार्मेसिस्ट है।

(३) जी हां। ट्रस्ट द्वारा ही समय पर दवाइयां खरीदी गई हैं जो भाग २ में वर्णित कम्पाउन्डर ने ही बीमारों को दी हैं। लेकिन किस मरीज को कितनी दवाई कब दी गई इसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(४) इस अस्पताल का अन्तिम ऑडिट वर्ष १९६६–६७ का ऑडिट स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा दिनांक ३१-५-६८ को की गई। अब तक की गई ऑडिट का प्रतिलिपि संलग्न है।

(चिकित्सा मंत्री)

(५) एक प्रति दिनांक २७-७-६७, द्वारा श्री हरजीराम बुरडक, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को प्राप्त हुई थी जिसकी जांच जिला चिकित्सा अधिकारी, नागौर ने दिनांक १४-१ -६७ व उप-निदेशक, चिकित्सा एवं स्वा० सेवाएं, राजस्थान, जयपुर ने दिनांक ३-२-६८ को की थी। इस पर उक्त अस्पताल की सहायता अनुदान के रूप में १९६७-६८ को बंद कर दी गई।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति, लाड़पुरा के सदस्यों पर कर्जा

२८७. श्री बृजवल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) पंचायत समिति लाड़पुरा के किन-किन सदस्यों के जिम्मे कितना-कितना कर्जा है ?

(२) क्या जिन-जिन सदस्यों के द्वारा कर्जा लिया गया है उसका उपयोग सही तरीके से हो गया है ?

(३) जिन-जिन सदस्यों के द्वारा कर्जा लिया गया, उसके उपयोग की जांच किस अधिकारी द्वारा की गई है ?

(४) जिन लोगों द्वारा कर्जा जमा नहीं कराया गया उनके लिये क्या कार्यवाही की गई ?

(५) सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखी गई है।

(२) सूची में विवरण दे दिया गया है।

(३) जांच सम्बन्धित प्रसार अधिकारी के द्वारा की गई है।

(४) सम्बन्धित सदस्यों के नाम नोटिस जारी किये जा चुके हैं।

(५) सूची सदन की मेज पर रख दी है।

पंचायत समिति, लाड़पुरा के सदस्यों में बकाया ऋण की सूची

क्र. सं.	नाम ऋणी सदस्य	ग्राम पंचायत	किस्म ऋण	वर्ष	जमा करने के बाद बकाया मूल रकम	विशेष विवरण
१.	श्री पन्नालाल, सरपंच	बनियानी	मकान	५९-६०	२००	उपयोग हो गया है।
२.	,, रामप्रताप, सरपंच	भंवरिया	कुआ	५९-६०	१३०	,,
३.	,, लक्ष्मीनारायण, सरपंच	मांदलिया	मकान	६०-६१	२७०	,,
४.	,, रामगोपाल, सरपंच	कालियाखेड़ी	मकान	६०-६१	२५०	,,
५.	,, हरिवल्लभ, सरपंच	जालोडा	कुआ	६०-६१	१०५०	,,
६.	,, जगदीपसिंह, प्रधान	,,	पशु-पालन	६०-६१	२४००	,,
७.	,, हरिवल्लभ, सरपंच	जालोडा	चौक	६१-६२	६५	उपयोग नहीं हुआ।
८.	,, जमनालाल, सरपंच	पांगरिया	पशु पा० केन्द्र	६२-६३	२७००	एकमुश्त वसूली की कार्यवाही की।
९.	,, सुखदेव, सरपंच	किशनपुरा तकिया	बैल	६३-६४	५००	उपयोग हो गया है।
१०.	,, हरिवल्लभ, सरपंच	जालोडा	पम्प-सेट	६३-६४	५६०	,,
११.	,, हरिवल्लभ, सरपंच	,,	पम्प-सेट	६४-६५	१८००	,,
१२.	,, हरिवल्लभ, सरपंच	,,	धंसा ने की मशीन	६४-६५	६२५	उपयोग नहीं हुआ। एकमुश्त वसूली की कार्यवाही की।
१३.	,, हरिवल्लभ, सरपंच	,,	भूमि संरक्षण	६५-६६	६९६८	उपयोग हो गया है

पंचायत समिति के सदस्यों में खाद व बीज का ऋण बकाया की सूची

क्र. सं.	ऋण देने का वर्ष	नाम सदस्य	ग्राम	किस्म ऋण	मूल	विवरण
१	२	३	४	५	६	७
१.	६१-६५	श्री किशनसिंह, सरपंच	रामपुर	खाद	२,५९२.३९	इनका हिसाब प्राप्त हो गया है।
२.	६३-६५	,,	,,	बीज	६,३०३.४८	एडजस्ट करने पर ही बकाया निकलेगी।

१	२	३	४	५	६	७
३.	६४-६५	श्री सुखदेव, सरपंच	किशनपुरा तकिया	खाद	३,४५१.३०	
४.	६४-६५	,,	,,	बीज	८,८८०.७७	
५.	६१-६५	श्री जमनालाल, सरपंच	डोगरिया	खाद	१५,१६५.३०	इनका हिसाब प्राप्त हो गया है।
६.	६१-६५	,,	,,	बीज	३६,५१०.४६	एडजस्ट करने पर कम बकाया निकलेगा।
७.	६२-६४	श्री माधोलाल, सरपंच	धाकड़खेडी	बीज	११,६६१.७६	
८.	६२-६५	,, नन्दकिशोर, ,,	नयानोखरा	बीज	२२.६५	
९.	६५-६६	, हरिवल्लभ, सरपंच	जालोडा	बीज	१,८१६.७५	
१०.	६४-६५	,, ,,	,,	खाद	३०२.६०	
११.	६५-६६	,, गिरराजसिह, सरपंच	बरंडखेड़ा	बीज	१,०६८.६३	
१२.	६४-६५	,, पन्नालाल, सरपंच	बनियावी	खाद	७१५.७०	
१३.	६१-६५	,, ,,	,,	बीज	१,६६५.६७	
१४.	६८-६६	,, जगदीपसिह, प्रधान	मवासा	खाद	१४,२३५.००	यह खाद इसी वर्ष दिया गया है, नियमानुसार ६ माह में वसूल होगा।

———

हरिजनों के लिये सुरक्षित भूमि

२८८. **राजवी श्री रूपसिह** (सरदारशहर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान नहर क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा हरिजनों के लिये सुरक्षित की गई एक लाख एकड़ भूमि के आवंटन के लिये कितनी आवंटन समितियां गठित की गई हैं और इनके गठन का क्या तरीका रखा गया है ?

(२) इन कमेटियों में क्या कोई सरकारी मुलाजिम भी होंगे ?

Page No. 137

(राजवी श्री रूपसिंह)

(३) इन कमेटियों के जमीन के आवंटन के हुक्म के खिलाफ क्या अपील का हक रखा गया है ? यदि हां, तो किस ऑफिसर के पास ?

उत्तर

(१) राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में अनुसूचित जाति व जन-जाति के लिये सुरक्षित एक लाख एकड़ भूमि के लिये राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवम् विक्रय) नियम, १९६७ की धारा १२ (ए) के अन्तर्गत गंगानगर जिले की चार पंचायत समिति क्षेत्रों के लिये चार सलाहकार समितियों का गठन किया गया है।

समितियों का गठन उपरोक्त नियमों के आधार पर किया गया है इसलिये कोई अन्य तरीका रखने का प्रश्न नहीं उठता ।

(२) वर्तमान में गठित समितियों में कोई सरकारी मुलाजिम सिवाय आवंटन अधिकारी के नहीं है ।

(३) राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) नियम, १९६७ की धारा २७ के अन्तर्गत आवंटन अधिकारी की आज्ञा के विरुद्ध ३० दिवस के अन्दर अपील का प्रावधान है। यह अपील उपनिवेशन आयुक्त, बीकानेर के सामने हो सकेगी ।

अस्पतालों की स्थिति के सुधार के लिए समिति

२८६. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने भारत सरकार द्वारा दिल्ली अस्पतालों की स्थिति में सुधार हेतु नियुक्त समिति द्वारा जुलाई, ६८ के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत रिपोर्ट का अध्ययन किया है ?

(२) अगर हां, तो क्या सरकार भी राजस्थान राज्य में अस्पतालों की स्थिति में सुधार लाने हेतु उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

(३) क्या राज्य के 'अ' व 'ब' श्रेणी के अस्पतालों में incinerator disposal की व्यवस्था है ? अगर हां, तो किन-किन अस्पतालों में यह व्यवस्था है ?

(४) जिन अस्पतालों में incinerator disposal की व्यवस्था नहीं है वहां पर सरकार क्या व्यवस्था अविलम्ब करने का विचार रखती है ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

(३) जी हां। सूची संलग्न है।

(४) फिलहाल ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान के (ए) व (बी) श्रेणी के अस्पतालों में इनसीनेरेटर डिस्पोजल की व्यवस्था

क्र० सं०	स्थान का नाम	'ए' श्रेणी के अस्पतालों में इनसीनेरेटर की व्यवस्था
१.	जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, अजमेर	१
२.	पी० बी० एम० मेन्स अस्पताल, बीकानेर	१
३.	पी० बी० एम० विमेन्स अस्पताल, बीकानेर	
४.	सवाई मानसिंह अस्पताल, जयपुर	१
५.	एम० जी० अस्पताल, जोधपुर	१
६.	जनरल अस्पताल, उदयपुर	१

क्र० सं०	स्थान का नाम	'बी' श्रेणी के अस्पतालों में इनसीनेरेटर डिस्पोजल की व्यवस्था
१.	टी० बी० अस्पताल, जयपुर	१

झुंझुनूं जिले में आयातित गेहूं

२९०. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं जिले में वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में कुल कितना आयातित गेहूं व अन्य अनाज भेजा गया व किन-किन स्थानों पर स्टोर (गोदाम) किया गया ?

(२) नवलगढ़ में कुल कितना अनाज गोदामों में रखा गया और कुल कितना गेहूं शोर्टेज मे बताया गया है ?

(३) क्या यह सही है कि जितने गेहूं का शोर्टेज का प्रमाण-पत्र एस० डी० ओ०, नवलगढ़ ने दिया उससे कहीं अधिक शोर्टेज है ? यदि हां, तो इस शोर्टेज के लिये कौन जिम्मेवार है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

(खाद्य मंत्री)

उत्तर

(१) झुंझुनूं जिले में वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में आयातित गेहूं व अन्य अनाज निम्न मात्रा में भेजा गया :—

आयातित गेहूं	९७,९८,३०४.९५०	क्विंटल
माइलो	३१,५७,८३५.८००	,,
ज्वार	४,७४,३९७.०००	,,

यह अनाज चिड़ावा, झुंझुनूं, नवलगढ़ तथा मुकुन्दगढ़ स्थित गोदामों में रखा गया।

(२) नवलगढ़ स्थित गोदामों में आयातित गेहूं १३,६५,३९९.५०० क्विंटल्स, माइलो ३,८८,५२८.३०० क्विंटल्स, ज्वार २,२४,६९७.७०० क्विंटल्स रखा गया। गेहूं में लगभग ९३० क्विंटल्स की शोर्टेज बताई गई।

(३) यह सही नहीं है। एस० डी० ओ०, नवलगढ़ द्वारा गेहूं की शोर्टेज का कोई प्रमाण-पत्र नहीं दिया गया।

चाकसू तहसील में अलॉट की गई भूमि

२९१. श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जयपुर जिले की चाकसू तहसील में अप्रेल, १९६५ से अब तक कितनी भूमि किस-किस व्यक्ति को कहां-कहां अलॉट की गई ? अलॉट की गई भूमि प्राप्त करने वालों के नाम, पिता का नाम, निवासस्थान, जाति, खसरा नम्बर, ग्राम का नाम तथा अलॉटशुदा भूमि का रकबा मय अलॉटमेन्ट की तिथियों के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि इस संबंध में राज्य सरकार से कोई परिपत्र प्रसारित हुआ है ? यदि हां, तो उस परिपत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या इस संबंध में जनता द्वारा कोई शिकायत मंत्री महोदय के पास व संबंधित अधिकारियों के पास भिजवाई गई थी ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं की गई तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) तहसील चाकसू में अप्रेल, १९६५ से अगस्त सन् ६८ तक आवंटन की गई भूमि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(राजस्व मंत्री)

(२) चाकसू तहसील में उक्त अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई परिपत्र प्रसारित नहीं किया गया ।

(३) जी हाँ । इन शिकायतों की जांच कराई जाने के फलस्वरूप ५ व्यक्तियों के आवंटन रद्द किये गये हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

ग्राम लालमदेसर छोटा में कुओं का निर्माण

२९२. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु.) : क्या विकास एवं पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की नोखा तहसील के ग्राम लालमदेसर छोटा में जनता द्वारा दो नये कुओं का निर्माण किया गया है ?

(२) क्या इन कुओं के निर्माण कार्य में सरकारी अनुदान दिया गया है ? अगर हाँ, तो कुल कितने रुपये ?

(३) अगर इन कुओं के निर्माण में सरकार द्वारा अनुदान नहीं दिया गया है तो क्यों नही ?

(४) क्या राज्य सरकार इन अधूरे कुओं का निर्माण करना चाहती है ? यदि हाँ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(१) जी हाँ ।

(२) १०००) रु० स्वीकृत हुये जिसमें से प्रथम किश्त के ५००) रु० का भुगतान किया गया है ।

(३) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(४) ग्रामीण पेय जल योजना के अन्तर्गत अथवा समाज कल्याण विभाग संबंधी धनराशि उपलब्ध होने पर पंचायत समिति द्वारा आवश्यक अनुदान दिया जा सकेगा ।

स्थगित प्रश्न

(२-९-६८)

चित्तौड़गढ़ जिले में आवंटित भूमि का कब्जा

१४३. श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सन् १९६५-६६ के साल में भूमिहीनों को आवंटित की गई भूमि अभी तक भूमिहीनों के सुपुर्द नहीं की गई है ? यदि हां,

(श्री रामकुमार नन्दवाना)
तो इसके क्या कारण हैं ? और ऐसे भूमिहीन कितने हैं जो भूमि पर कब्जा नहीं प्राप्त कर सके हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या चित्तौड़गढ़ जिले में सन् १९६८-६९ के वर्ष में जो भूमि अलॉटमेन्ट कमेटी द्वारा भूमिहीनों को आवंटित की गई क्या उस भूमि को भूमिहीनों के सुपुर्द किया जा चुका है ? यदि हां, तो तहसीलवाइज आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) भूमि आवंटन सम्बन्धी अपीलें तथा अलॉटमेन्ट सम्बन्धी शिकायती-पत्र कलेक्टरी कार्यालय में कितने पेन्डिग हैं और कब से हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१)–यह सही नहीं है कि चित्तौड़गढ़ जिले में सन् ६५-६६ के साल में जिन भूमिहीनों को तहसीलों से भूमि आवंटन की गई थी उनको अब तक कब्जा नहीं दिया गया है ।
(तहसीलवाइज सूची नं० १ संलग्न है)

(२) सन् १९६८-६९ में तहसील द्वारा भूमिहीनों को जो भूमि आवंटन की गई, उसका कब्जा दे दिया गया ।
(तहसीलवाइज सूची नं० २ संलग्न है ।)

(३) अतिरिक्त जिलाधीश के कार्यालय में ११९ अपीलें पेन्डिग, हैं । सूची नं० ३ संलग्न है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या २६६ की सूची)

पंचायत समिति बकानी द्वारा पंचायत समिति के अधीनस्थ ठेका तेंदू पत्ता, वर्ष १९६८ नीलाम किये जाने की सूची

नाम पंचायत	नीलाम रकम
१	२
पंचायत मोड़ी	३,५००) रु०
पंचायत चोवड़िया	१,१५१) रु०
पंचायत करलगांव	१,६००) रु०
पंचायत देवनगर	१०५) रु०
पंचायत पडाय	७५१) रु०
पंचायत नानौर	१,२०१) रु०
पंचायत बकानी	२,४००) रु०
पंचायत रांछवा	३,५००) रु०
पंचायत गरवाड़ा	२,५००) रु०
पंचायत रटलाई	३,३००) रु०
पंचायत पाटल्या कुमली	१,८०१) रु०
पंचायत देवरी	३,३७५) रु०
पंचायत माल्ता	४,६२५) रु०
पंचायत कुशलपुरा	७५१) रु०
पंचायत उर्मारया	२,५००) रु०
पंचायत वेरागढ़	३,५००) रु०
पंचायत आगरिया	१,००१) रु०
पंचायत रीछोन	२,३००) रु०
पंचायत गुराड़खेड़ा	४,०५१) रु०
पंचायत गेहूंखेड़ी	३,६००) रु०
पंचायत बांसखेड़ी लोडान	३,२००) रु०
पंचायत पचोला	२,७५०) रु०

१	२
पंचायत विन्दाखेड़ा	१,२०१) रु०
पंचायत सरड़ा	१,५००) रु०
पंचायत गुलाखेड़ी	१,७२१) रु०
पंचायत गोपालपुरा	१,१०१) रु०
पंचायत कोदडीभा	१,१२६) रु०
पंचायत बोखन्द	५१) रु०
पंचायत भ्रासपुर	३,३०५) रु०
पंचायत बोराखेड़ी गूजरान	१,८२५) रु०

नोटः—शेष सबानद, बड़बड़ पंचायतों का नीलाम पत्ते तेंदू फसल नहीं होने से समाप्त यहीं हो गया। पंचायत घाटोली ने स्वयं पत्ते तुड़वाये हैं।

पंचायत समिति झालरापाटन द्वारा पंचायत समिति के अधीनस्थ ठेका पत्ता वर्ष १९६८ नीलाम किये जाने की सूची

क्रमांक	नाम पंचायत	रकम ठेका पत्ता तेन्दू वर्ष १९६८
१.	गोरधनपुरा	६११)
२.	मंडावर	३५२)
३.	गोविन्दपुरा	१०१)
४.	रूपरैल	१०१)
५.	दुर्गपुरा	१,६००)
६.	कलमंडी कलां	११०)
७.	खानपुरिया	७५)
८.	लावासल	७,१५१)
९.	भ्रसनावर	२,३००)
१०.	जूनाखेड़ा	१,६०१)
११.	इकतासा	१,६५१)
१२.	डूंगरगांव	३,५१५)

नोटः—ग्राम पंचायत बडोदिया का ठेका भ्रभी अंतिम रूप से स्वीकृत होकर सूचना नहीं भ्राई है।

परिशिष्ट ४

(तारांकित प्रश्न सं० ६ की सूची)

सूची जो खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद जिला भरतपुर में की गई

क्रम संख्या	नाम मण्डी	मात्रा जो खरीद की गई, टनों में
१.	भरतपुर	६,२४०
२.	नदबई	१,२२०
३.	डीग	१,८१८
४.	धौलपुर	१,८१२
५.	बयाना	१,०२१
६.	रूपवास	४२१
७.	नगर	८१
८.	सीकरी	१४५
९.	बाड़ी	१९५
१०.	कामां	१७४
	योगः—	१६,३०१

Page No. 145

परिशिष्ट ५

(अतारांकित प्रश्न संख्या २८८ की सूची)

सूची कोटा जिले के अस्पतालों, डिस्पेन्सरीज, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जहां पर तैनात नहीं हैं

क्रमांक	नाम		कब से डॉक्टर नहीं है
१.	एम. सी. डब्ल्यू. रामगंज मण्डी (फिमेल)	एक	१–२–५९ कम्पाउण्डर कार्य कर रहे हैं।
२.	भवरगढ़ डिस्पेन्सरी	एक	१–१–६३
३.	घट्टा घट्टी ,,	एक	४–११–६१
४.	खातौली ,,	एक	१–१–६१
५.	प० एच० सी० अमोरी कलां	एक	२२–९–६०
६.	,, केलवाड़ा	एक	१–१–६१
७.	,, मन्डावरा	एक	३–११–६३
८.	,, पीपल्दा	एक	२४–३–६१
९.	,, मावां	एक	१०–४–६५
१०.	,, जेपला	एक	१–६–६५
११.	,, मोड़क	एक	२२–८–६८
१२.	,, सारथल	एक	२३–५–६६
१३.	डिस्पेन्सरी माटोम	एक	२८–५–६०

——— ———

परिशिष्ट ६

(अतारांकित प्रश्न संख्या २९० की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या १०९/पं० म० द्वारा श्री वृद्धिचन्द जैन, विधान सभा सदस्य

अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण जिनका उल्लेख ऑडिट रिपोर्ट में किया गया है

आक्षेप विवरण :

१. जिला परिषद् भवन हेतु २०००) रु० का अनियमित चुकारा।
२. पंचायत समिति कार्यालय में आवश्यकता से अधिक ट्रांजिस्टर की खरीद।
३. जोधपुर में खरीदे गये पेट्रोल को लॉग-बुक में कम जमा करना।
४. विकास अधिकारी द्वारा अनियमित यात्रा भत्ता उठाया जाना तथा जीप का गलत उपयोग, सामान ऊंची दर पर क्रय करना।
५. ठेकेदार के भुगतान में तथा निर्माण कार्य में बताए गए बैलेन्स में फर्क।
६. ऋण वितरण में अनियमितताएं, ऋण के लेखे नियमानुसार नहीं रखा जाना।
७. अनुदान वितरण में, अनियमितताएं।
८. अनुदान देने में नियमों का पालन न करना।
९. ऋणियों द्वारा प्राप्त राशि के सदुपयोग के प्रमाण-पत्र ऑडिट के समक्ष प्रस्तुत न करना।
१०. दिनांक २९-६-६३ के भुगतानों को रद्द कर राशि को देर से जमा करना।
११. भेड़पालन की सबसिडी के भुगतान में अनियमितताएं।
१२. जीप गाड़ी आर० जे० एस० २१४ का दुरुपयोग, पेट्रोल कम जमा करना तथा जीप के साधारण व्यय मे अनियमितताएं।
१३. फोटुओं की रंगीन प्रिन्ट करवाने एवं केमरा मरम्मत करने हेतु १९८.५० का अनियमित भुगतान।
१४. सूचना केन्द्र का कार्य करने हेतु भत्तों का अनियमित भुगतान।
१५. लेखा-लिपिक को यात्रा भत्ते का अनियमित चुकारा।
१६. ऊंट सवार को यात्रा भत्ते का अनियमित भुगतान।
१७. अनियमित नियुक्तियां।
१८. ६१ रुपये के स्टेशनरी सामान की व्यर्थ खरीद।
१९. अग्रिम राशि का समायोजन देरी से करना।

Page No. 147

२०. श्री अमरलाल, लिपिक ने निम्न प्रकार से अग्रिम धनराशि आपके पास रखी-तारीख जमा रकम व तारीख अग्रिम जिसको ऑडिट से अस्थाई गबन बताया गया है ।

२१. सामान क्रय के लिये अनियमित रूप से अग्रिम राशि देना ।

२२. त्यौहार भत्तों के रूप में कर्मचारियों को अग्रिम राशि दी गई उसकी वसूली नहीं करना व रजिस्टर नहीं रखना ।

२३. समिति के सदस्यों को यात्रा भत्ता बिलों में अधिक चुकारा किया जाना ।

२४. स्टोर के सामान की भौतिक गणना नहीं किया जाना ।

२५. सामान प्राप्ति की रसीदों में काटछांट कर अधिक खर्च लिखा जाना ।

२६. स्टोर से १८ चद्दरें (जी० सी० शीट्स) सरपंचों को उधार देना व वापस नहीं लौटाना ।

२७. स्टोर के सामान को अनियमित तौर पर खारिज करना ।

२८. बीज वितरण के लेखे ठीक प्रकार नहीं रखना ।

२९. ११ मामलों में खर्च की पुष्टि में वाउचर तथा राशि प्राप्तकर्ताओं की रसीदें ऑडिट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना ।

३०. क्वार्टर्स के किरायों की कटौतियों का हिसाब नहीं रखना ।

३१. रोकड़िये की जमानत नहीं ली गई वह ली जाना ।

३२. आय-व्यय के वार्षिक गोशवारे तैयार नहीं किये गये ।

———

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या २९१ की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या १५२/पं० म० के संबंधित

वर्ष	पंचायत का नाम	अपीलें पेश हुईं	स्वीकृत हुईं	अस्वीकृत	शेष
१	२	३	४	५	६
१९६६-६७	धाकड़खेड़ी	४	१	३	—
,,	कान्याखेड़ी	३	२	१	—
,,	मुन्डाना	४	१	३	—
,,	कैथून	२०	३	१७	—
,,	बनियानी	२	—	२	—
,,	खेड़ा रसूलपुर	३	३	—	—
,,	रामपुर	२	१	१	—
,,	किशनपुर तकियां	१	—	१	—
,,	मान्दल्या	१	—	१	—
	योगः —	४०	११	२९	—
१९६७-६८	कैथून	२६	४	१२	१०
,,	काल्याखेड़ी	२	—	२	—
,,	मन्डाना	४	१	३	—
,,	बनियानी	१	१	—	—
,,	धाकड़खेड़ी	१	१	—	—
,,	खेड़ा रसूलपुर	५	३	१	१
	योगः —	३९	१०	१८	११

नोटः—१९६६-६७ में ४० अपीलें पेश हुईं, जिनमें ३६ अपीलें वर्ष भर में फैसल हुईं और ४ अपीलें साल भर बाद फैसल हुईं।

१९६७-६८ में ३९ अपीलें पेश हुईं, जिनमें से २८ मिसलें साल भर में फैसल हुईं और ११ अपीलें अभी विचाराधीन हैं, जिन्हें अभी १ वर्ष नहीं हुआ है।

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ की सूची)

अलवर जिले की पंचायत समितियों द्वारा वितरित खाद, बीज व अन्य तकावी वसूली की सूची

क्रम संख्या	नाम पंचायत समिति	शेष राशि भुगतान						योग कॉलम		वसूली योग्य रकम				रकम १९६६–६७		वसूली १९६७–६८		कुल वसूली		कुल बकाया	
		अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण	अल्पकालीन	अन्य ऋण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
१.	किशनगढ़वास	१.७४	६.२०	१.७०	१.७१	१.४८	०.०७	४.९२	७.९८	३.१७	०.६०	४.८६	०.१६	०.०६	—	०.१२	०.७९	०.१८	०.७९	४.७४	७.१९
२.	तिजारा	१.५७	७.२९	२.१२	१.७९	२.४०	०.०७	६.२९	९.१५	२.२२	०.०६	४.६२	०.२०	१.६७	०.४२	१.२७	०.८१	२.९४	१.२३	३.३५	७.९२
३.	कोटकासीम	०.८८	५.४५	०.६२	१.४०	१.६३	०.१४	३.०५	६.९९	०.८३	०.८१	२.३८	०.३५	०.६७	०.९८	०.०५	०.१८	०.७२	१.१६	२.३३	५.८३
४.	गोविन्दगढ़	१.२६	४.८४	२.११	१.५१	३.७१	०.८३	७.१०	७.१८	२.१२	०.७६	५.८७	१.११	१.२४	—	०.५५	०.४५	१.७९	०.४५	५.३१	६.७३
५.	कठूमर	१.४१	४.५२	०.४०	१.४८	३.७६	०.८०	५.५७	६.८०	२.०४	०.१९	५.४६	०.४१	०.११	०.१४	१.७५	०.५६	१.८६	०.७०	३.७१	६.१०
६.	मण्डावर	०.७४	६.८३	१.००	१.२५	१.०४	०.०५	२.७८	५.१३	१.४९	०.८८	२.३८	०.७८	०.४०	०.६८	०.४४	१.४४	०.८४	२.१२	१.९४	६.०१
७.	रामगढ़	२.२६	४.७३	१.०२	२.४५	३.३३	१.०७	६.६१	८.२५	२.७२	०.०५	६.००	०.१५	०.६०	०.२८	०.२०	०.३३	०.८०	०.६१	५.८१	७.६४
८.	उमरेन	१.१७	८.९९	२.१७	३.१५	१.५९	०.९३	४.९३	१२.९७	३.५२	०.१२	४.५६	०.०९	०.३०	०.७३	१.०९	०.४९	१.४६	१.२२	३.४७	११.७५
९.	राजगढ़	०.५५	७.२०	०.८१	१.२६	०.७८	०.२३	२.१४	८.६९	०.९८	०.५६	१.९५	२.०२	०.१९	—	१.७१	०.१७	१.९०	०.१७	०.२४	८.५२
१०.	रैनी	१.४२	३.११	०.५७	१.०९	०.३२	०.०२	२.३१	४.२२	१.८४	०.५४	२.२४	०.८०	०.०८	—	१.२२	०.३५	१.३०	०.३५	१.०१	३.८७
११.	बहरोर	०.४७	४.३०	०.७६	१.१७	०.२८	०.३२	१.५१	५.७९	१.०४	०.१८	१.३२	०.०७	०.१८	०.६४	०.९८	१.१३	१.१६	१.८१	०.३५	३.९८
१२.	निमराना	१.९३	६.४२	०.८१	०.५३	०.६९	०.१७	३.१३	७.१२	२.४१	०.६२	३.०४	१.०२	०.०९	—	१.०२	—	१.११	—	२.०२	७.१२
१३.	बानसूर	०.८३	५.८५	१.१७	२.०९	०.७२	०.१९	२.७२	८.१२	२.०४	०.६५	२.६२	०.७३	०.१०	०.५१	१.०५	०.३८	१.१५	०.८९	१.५७	७.२४
१४.	थानागाजी	१.१७	६.२७	०.७८	१.७६	०.७७	०.२८	२.७२	८.३१	१.५७	०.९८	२.३२	०.९९	०.३९	०.४३	०.२५	०.२८	०.६४	०.७१	२.०८	७.६०
	योग —	१७.०२	८१.९०	१६.२४	२२.६४	२२.५२	५.१७	५५.७८	१०९.७१	२८.१९	५.८०	४९.६२	८.५६	६.१५	४.८५	११.७०	७.३६	१७.८५	१२.२१	३७.९३	९७.५०

परिशिष्ट ९

(अतारांकित प्रश्न संख्या २९५ की सूची)

थाना लाडनूं में भूतपूर्व जागीरदार ने तालाब अंगौर की भूमि के रिहायशी पट्टे दिये उनकी सूची

क्रम सं०	नाम व्यक्ति जिसके पक्ष में इमारती पट्टा जारी हुआ	कीमत जरिये रजिस्ट्री बेचा	रकबा जो ठिकाना द्वारा विक्रय हुआ	भूमि का खसरा नम्बर	किस्म भूमि	तारीख जारी होने इमारती पट्टा	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८
			प्लॉट के गज				
१.	जसूराम आसाराम पुत्र माधूराम गूजर	—	६२५ गज	११५८	गै. मु. अंगौर	सं० २०१० मिति आषाढ़ वदी १४	
२.	सीताराम पुत्र पुर्या रेगर	—	१००० गज	११२८	तालाब	सं० १००८ मिति माह सुदी ६	
३.	खूमाराम मोड़ाराम रेगर	—	५०० गज	११२८	,,	सं० २००८ मिति फागुन वदी २	
४.	छगन शंकरलाल रेगर	—	८०० गज	११२८	,,	सं० २००८ मिति माह वदी ६	
५.	रमजान, इब्राहीम, रसूल लंखेरा	—	१६० गज	११५८	अंगौर	सं० २००८ का मिति आषाढ़ वदी १४	
६.	गोट्टराम गगरावा रेगर	—	४०० गज	११२८	तालाब	सं० २००८ का मिति माह वदी ६	
७.	भंवर पुत्र गनेश धोबी	—	२५०० गज	११५८	अंगौर	सं० २००६ का मिति सावन वदी १३	
८.	लादूराम नन्दराम सोकरण	—	६२५ गज	११५८	,,	सं० २००७ का मिति पौष वदी १४	
९	शिवदेवसिंह, विजेन्द्रसिंह,	—	१७५० गज	११२८	अंगौर	सं० २००६ का मिति फागुन वदी १२	
	जगदीशसिंह, सुखवीरसिंह	—	१८० गज	११३३	,,	सं० २००८ का मिति आषाढ़ सुदी १५	

१	२	३	४	५	६	७	८
१०.	मोहनकुंवर पत्नी शैतानसिंह	मेघराम पुत्र गंगाराम, रिछकरण, पूरणमल पुत्र गंगाराम कोली	२५० गज	११५८	अंगौर	सं० २०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५	
११.	भूराराम पुत्र कुल्छा दरोगा	—	५२५ गज	११५८	अंगौर	सं० २००८ का मिति आषाढ़ सुदी १४	
१२.	भूरा पुत्र नवलू लखेरा	—	४८० गज	११५८	,,	सं० २०१० का मिति आषाढ़ वदी १४	
१३.	प्रभूलाल पुत्र नराणराम	—	६०० गज	११५८	,,	सं० १०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५	
१४.	पोकर नद मांगीलाल वगैरह रेगर	अध्यक्ष, मण्डी गोपी चर्म उत्पादक सहकारी समिति, लाडनूं	३६५० गज	११२८	तालाब	सं० २००८ का मिति आषाढ़ सुदी १५	
१५.	कालूराम पुत्र सुरजाराम, रामकुमार पुत्र बालूराम दरोगा	—	४०० गज	११५८	,,	सं० २०११ का मिति आषाढ़ वदी ३	
१६.	मांगीलाल पुत्र मिलापचन्द कढ़ोरी	अब्दुल शफीक सर्किल भटमेडा	३६०० गज	११५८	अंगौर	सं० १०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५	
१७.	पीरू पुत्र पूरणराम गूजर	—	१२४८ गज	११५८	,,	सं० २०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५	
१८.	शिवलाल, मूलचन्द, बाबूलाल वगैरा	—	६६०० गज	११२८	तालाब	सं० २००८ का मिति फागुन वदी १२	
१९.	दानाराम, भंवरलाल, रावता गूजर	—	५०० गज	११५८	अंगौर	सं० २०१० का मिति वैशाख सुदी १५	
२०.	रामाराम, बालूराम अहीर	—	६२५ गज	११५८	,,	सं० २०१० का मिति आषाढ़ वदी ३	
२१.	बालू, रामकुंवर दरोगा	(१) बद्रीसिंह पुत्र गनपतसिंह	२५०० गज	११५८	,,	सं० २०११ का मिति श्रावण वदी ३	

२२.	मोहनकुंवर पत्नी शैतानसिंह	(२) मदन पुत्र मुकना ढोली	२५०० गज	११५८	अंगोर	सं० २०११ का मिति श्रावण वदी ३
२३.	किशनराम, रंगलाल, टिकमचन्द वगैरा	—	४२० गज	११५८	"	सं० २०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५
२४.	मेवालाल पुत्र विलापचन्द पटोरी	गुलाममुहम्मद पुत्र अहमदनबी, मांगीलाल पुत्र गुलाम-अहमद	३६० गज	११५८	"	"
२५.	चोखा पुत्र बालू रेगर	—	३२५ गज	११२८	तालाब	सं० २००६ का मिति आषाढ़ सुदी १
२६.	पोकर पुत्र मांगीलाल वगैरह रेगर	पुरवा, सीताराम, उदा पुत्र गंगाराम सांसी	३६५० गज	११२८	"	सं० २००६ का मिति आषाढ़ सुदी १
२७.	पीथुड़ा पुत्र मोहन, हरिराम	—	५०० गज	११२८	"	सं० २०१० का मिति फागुन वदी १२
२८.	इब्राहीम पुत्र करीमवक्श घोया	पूनमचन्द पुत्र हरजीराम माली	३०० गज	११५८	अंगोर	सं० २०१० का मिति आषाढ़ वदी १४
२९.	रामधन, मोहनहडमान रेगर	—	७५० गज	११२८	तालाब	सं० २००७ का मिति आषाढ़ वदी २
३०.	चेतनमल, धनराज, बहादुरसिंह वगैरह मुसेदिया	—	७२२५ गज	११५८	अंगोर	सं० २००५ का मिति चेत सुदी १५
३१.	सोहन पुत्र हुकमसिंह सरिया	—	६२५ गज	११५८	"	सं० २००६ का मिति आषाढ़ सुदी १५
३२.	दीपलाल, भंवरराम, गंगाराम माली	—	६०० गज	११५८	"	सं० २०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५
३३.	नारायण, रामकुंवर पुत्र हेमराम	बाबूसिंह पुत्र किशनसिंह, ठि० राजरायपुरा	६२५ गज	११५८	"	सं० २००७ का मिति पौष वदी १४

१	२	३	४	५	६	७	८
३४.	श्रोहून कंवर पत्नी शैतानसिंह गोधा	मोहनरामजी पुत्र राजनराम चौधरी	२५०० गज	११५८८	अंगौरे	सं० २०१० का मिति आषाढ़ सुदी १५	
३५.	टीकू पुत्र किशन रेगर	—	३७५ गज	११५८	तालाब	सं० २००६ का मिति आषाढ़ सुदी १	
३६.	रामकिशन पुत्र पन्नालाल	—	२००० गज	११५८	अंगौर	सं० २००८ का मिति पौष वदी ११	
३७.	नाना, मोमा पुत्र चिमना सांसी	—	३०० गज	११६८	तालाब	सं० २००८ का मिति पौष सुदी ४	
३८.	पोकराम, नाथूराम वगैरह	मनसा पुत्र डूंगरा सांसी	३६५० गज	११२८	,,	सं० २००८ का मिति आषाढ़ वदी १४	
३९.	चांदमोहम्मद पुत्र गुलमोहम्मद	मुराद पुत्र जमाल मोरारा	२०० गज	११६८	अंगौर	सं० २०१० का मिति आषाढ़ वदी १४	
४०.	गफूर पुत्र करीमबक्स छीपा	—	१२५० गज	११५८	,,	सं० २००९ का मिति श्रावण सुदी ७	
४१.	मांगीलाल पुत्र मिलापचन्द	मूला पुत्र काना जाट	३००० गज	११५८	,,	सं० २०११ का मिति श्रावण वदी ११	
४२.	भूराराम राधाकिशन	—	१६०० गज	१६३५	गै.मु.कंकरोड़	सं० २००८ का मिति फागुन वदी ११	
४३.	श्रीकिशन, चम्पालाल वगैरह	—	३५०० गज	१६३५	,,	सं० २०१२ का मिति मिगसर वदी ११	
४४.	मदनलाल, मानकचन्द पहाड़िया	—	६७२६० गज	१६८८	गै. मुकाम	सं० २००८ का मिति फागण वदी २ (बीज)	

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न संख्या २६६ की सूची)

फहरिस्त इमससलात मन्जूरी वा मनसूखी क्षेत्र भाखड़ा वाके तहसील नोहर, जिला गंगानगर

नं० शु०	नाम आसामी मय सुकुनत	तफसील मिसल		कैफियत
		मंजूरशुदा	खारिजशुदा	
१	२	३	४	५
१.	नोपा वल्द फरसा नायक, सा० बसाना	मंजूर	—	
२.	टिकू वल्द रामा नायक, सा० जसाना	—	खारिज	
३.	उमा वल्द राम नायक ,,	—	,,	
४.	करनीया वल्द फरसा नायक ,,	—	,,	
५.	चुन्नी वल्द फरसा नायक ,,	—	,,	
६.	भैराराम वल्द रामू कुम्हार ,,	—	खारिज	
७.	चुन्नी वल्द चिमना नायक ,,	—	,,	
८.	मेघा वल्द चिमना नायक ,,	—	,,	
९.	डूंगर वल्द गमाना नायक ,,	मंजूर	—	
१०.	कुरड़ा वल्द सुखा चुहड़ा ,,	,,	—	
११.	जमना वल्द सुखन चुहड़ा ,,	—	खारिज	
१२.	मु० धन्नी बेवा गनेशा ढोली ,,	—	,,	
१३.	रावता वल्द दूदा धानका ,,	—	,,	
१४.	नानू वगैरह कुम्हार ,,	मंजूर	—	
१५.	चौथू वल्द मघा लुहार, सा० नोहर	—	खारिज	
१६.	मेहरदीन वल्द रहमता कुम्हार ,,	मंजूर	—	
१७.	लालू वल्द कान्हा जाट, सा० रतनपुरा	—	खारिज	
१८.	वुद्धा, रावता पिता अर्जुन जाट ,,	—	,,	
१९.	दाना वल्द नरसा ब्राह्मण, सा० भूकरका	—	,,	
२०.	हरीशचन्द्र वल्द नानक ब्राह्मण ,,	—	,,	
२१.	तुलछा वल्द मुकना नाई, सा० जसाना	मंजूर	—	
२२.	ताजू वल्द गोमद माली, सा० नोहर	—	खारिज	
२३.	यासीन वल्द लादू कायमखानी, सा० टोपलाना	मंजूर	—	
२४.	कुरड़ा वल्द गिधा छींपा, सा० बड़बिराना	,,	—	
२५.	भीमा वल्द बुजा छींपा, सा० ,,	,,	—	
२६.	जगनराम वल्द बीजा ब्राह्मण, सा० फेफाना	—	खारिज	

१	२	३	४	५
२७.	धना वल्द डालू जाट, सा० फेफाना	—	खारिज	
२८.	नौरंग वल्द भगतराम सुनार, फेफाना	—	,,	
२९.	तिलोक हरिराम पिता ईसरराम गुरड़ा, सा० जसाना	—	,,	
३०.	अर्जुन वल्द खुमाना जाट, सा० जसाना	—	,,	
३१.	घड़सी कुम्भा पिता मुकना नाई, जसाना	मंजूर	—	
३२.	मु० भूरी बेवा लीलाधर महाजन, सा० जसाना	—	खारिज	
३३.	मोटा वल्द भोजा नायक सा०, जसाना	—	,,	
३४.	मेहरदीन वल्द मस्तु कुम्हार, सा० जसाना	—	,,	
३५.	उमरदीन वल्द मानेखां दमानी ,,	—	,,	
३६.	खमाना वल्द आना नायक ,,	—	,,	
३७.	गनपत वल्द दूदा जाट ,,	—	,,	
३८.	पेमा वल्द मेघा माली, सा० नोहर	मंजूर	—	
३९.	सत्यनारायण वल्द नत्थूराम सेवग, सा० नोहर	,,	—	

मंजूरशुदा १३ आसामी, खारिजशुदा २६ आसामी।

फहरिस्त तहसील भादरा आसामियान जिनका रकबा किस्त न भरने से खारिज हुआ

क्र० सं०	नाम चक	नाम आसामी	जिनका रकबा पुनः बहाल किया
१	२	३	४
१.	१ पी. एच. डी. ४ ,,	गफूर, जूमला, अतु वघु निजामदी पिता फकीरशाह सा०, भादरा	मन्जूर
२.	१ बी. एच. पी.	गोपाल वल्द मालचन्द चमार, बिहारीपुरा	
३.	१ ,,	जोतराम वल्द मानचन्द चमार, बिहारीपुरा	
४.	१ ,, १ के. आर. पी. १ बी. एच. डी.	विशना वल्द मामचन्द चमार, बिहारीपुरा	
५.	१ बी. एच. डी.	मूला वल्द मनीराम ब्राह्मण, भोजासर	
६.	७ एम. आर. एन. ६ ,,	रामजीलाल वल्द ईसरमल महराना	मन्जूर
७.	७ एम. आर. एन. ३ एम. एस. आर.	जुगा वल्द मलरू धोबी महराना	मन्जूर
८.	१० एम. एस. आर.	मामचन्द वल्द भेराराम खाती, मंसूरी	

१	२	३	४
६.	७ एम. एस. आर.	ओखा वल्द विश्नोई, करनपुरा	मन्जूर
१०.	२० एन. एम. आई.	रामरख वल्द मामराज जाट, सा० चिड़ियागांधी	
	७ एस० डी० आर०		
११.	१ सी. एच. एम.	तुलछा वल्द श्योकरण हरिजन, छानी	
१२.	६ एन. टी. आर.	मूला, चूनी पि० लेखू बैरागी, नेठराना	
१३.	६ बी. एच. डी.	सुमेरसिंह वल्द रामसिंह राजपूत, सकरोडी	
	२ के. आर. पी.		
१४.	६ बी. एच. डी.	मेहरचन्द वल्द बिशनाराम जाट, सकरोडी	
१५.	२ के. आर. पी.	बुजलालसिंह वल्द श्योपालसिंह राजपूत	
	६ बी. एच. डी.	सिकरोडी	मन्जूर
	७ ,,		
१६.	८ बी. एच. डी.	रामदेव वल्द भामरा व धानक, मोतीपुरा	
१७.	७ ,,	नोरंग वल्द धन्ना धानक, सिकरोडी	
१८.	७ ,,	अर्जुन वल्द आशाराम, सिकरोडी	
१६.	१० बारानी	चिरागदीन वल्द अलीलो, भादरा	

———

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ३०० की सूची)

जिला–पाली

कोर्ट ऑफ वार्ड्स समाप्त किया गया उस वक्त जो ठिकाने कोर्ट ऑफ वार्ड्स में थे उनके नाम व कब मुक्त किये गये तारीख			कोर्ट ऑफ वार्ड्स में कितना रुपया जमा था जो कि वार्ड्स को देना था		कोर्ट ऑफ वार्ड्स को मुक्त-शुदा ठिकाने से कितनी रकम लेनी थी		आज क्या स्थिति है: कितना जमा है यानि कोर्ट ऑफ वार्ड्स को देना है		आज क्या स्थिति है: कितना रुपया किस ठिकाने से कोर्ट ऑफ वार्ड्स को लेना है	
क्र. सं.	नाम ठिकाना	कब मुक्त किये गये तारीख	नाम ठिकाना	रुपया	नाम ठिकाना	रुपया	नाम ठिकाना	रुपया	नाम ठिकाना	रुपया
१	२	३	४	५	६	७	८	९	०	११
१.	डूंगरपुर	६-१-५५	डूंगरपुर	६,३७३.०४	सावलता कलां	९५७.५४	बिसलपुर	६००.००	सावलता कलां	९५७.३४
२.	सावलता कलां	४-५-५६	बिसलपुर	५,९४४.९२	खौड़	४,७५६.२१	बोरामाताजी	११,४९५.५३	निम्बोल	३,९२९.०७
३.	खौड	३१-१२-५७	बोरामाताजी	१९,४९५.५३	निम्बोल	३,९२९.०७	जाडन	१,६१५.८४	सेवरिया	५,८६०.७८
४.	बिसलपुर	२२-६-५४	जाडन	१,६१५.८४	सेवरिया	२६,३०९.३८	बोरनडी	१८०.९९	वर १/२	१,२१२.४४
५.	बोरा माताजी	१३-११-५४	बोरनडी	१८०.३९	वर	१,२१२.४४	देवतड़ा	५००.००	मंडली	००.६८
६.	निम्बोल	२८-३-५४	सवूराड	५,७५७.२७	मंडली	००.६८	रायरा	४५१.६६		

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
७.	सेवरिया	१०-१-५६								
८.	बर १/२	—	देवतडा	५००.००						
९.	जाडन१/२	३-५-५५	रायरा	४५१.६६						
१०.	बोरनडी	८-६-५५								
११.	सवराड	१७-३-५६								
१२.	देवतड़ा	२७-५-५४								
१३.	मंडली	२०-६-५५								
१४.	रायरा	२४-६-५५								
			योग ...	३७,३१६.२५		१६,८६५.१२		१४,८४४.३२		११,६६०.३१

विशेष विवरण:– जोधपुर स्टेट से कोर्ट ऑफ वार्ड्स का महकमा इस कार्यालय को हस्तांतरित किया गया उस वक्त ठिकाना बलाना को ८,६५५.८१ देना था, वहीं से बुक एन्ट्री होकर आया है हांलाकि यह ठिकाना कोर्ट ऑफ वार्ड्स के इन्तजाम में नहीं था। याने कुल रकम १४,८४४.३२, ८१५५.६१ = २३,०००.११ पैसा देना है, जिसके लिये रुपये ११,६६०.३१ तो ठिकाने से वसूल करना है व ११,३३९.७८ केस बेलेन्सेज में मौजूद है जो कि सेवरिया ठिकाना से अभी हाल में प्राप्त हुये हैं।

परिशिष्ट १२

(अतारांकित प्रश्न सं० ३०२ की सूची)

टौंक शहर में सस्ते गल्ले की दूकानों की सूची

नाम संस्था	दूकान संख्या जो दी गई
टौंक सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि०, टौंक	३
टौंक नगर सहकारी उपभोक्ता भण्डार, टौंक	१
टौंक को-ऑपरेटिव मार्केटिंग सोसायटी, टौंक	१
रिटेल मर्चेन्ट एसोसियेशन, टौंक	७
रिटेल शूगर एसोसियेशन, टौंक	७
होलसेल शूगर एसोसियेशन, टौंक	२
राम बाबू सैलसमैन (व्यक्तिगत)	१

परिशिष्ट १३

(अतारांकित प्रश्न सं० १२७ की सूची)

क्रम संख्या	नाम वन-मण्डल	नाम रेन्ज	नाम ब्लॉक
१	२	३	४
१.	कोटा	लाड़पुरा	आंवली रोझड़ी
२.	,,	,,	अंकेलगढ़
३.	,,	,,	लोहडूंगरी
४.	,,	,,	राडो ढंड
५.	,,	,,	बोरावास
६.	,,	,,	फूटा
७.	,,	,,	मडकिया
८.	,,	,,	डाढदेवी
९.	,,	,,	सकतपुर
१०.	,,	,,	केसरा फूटा
११.	,,	,,	चान्द बावड़ी
१२.	,,	मन्डाना	बडोल्या
१३.	,,	,,	कसार बी.
१४.	,,	,,	बर्ड कालाजी
१५.	,,	कनवास	मशालपुरा बी.
१६.	,,	,,	किशोरसागर
१७.	,,	,,	दरा
१८.	,,	मोडक	मशालपुरा ए.
१९.	,,	,,	खीचम ए.
२०.	,,	,,	खीमच बी.
२१.	,,	,,	मोहनपुरा
२२.	झालावाड़	झालावाड़	कोकन्दा धनवास
२३.	,,	,,	रायपुर बालगढ़
२४.	,,	,,	फील्ड ट्राईल
२५.	,,	,,	लोटिया मिर
२६.	,,	,,	भंवरना बगदार
२७.	,,	बकानी	सूरजपुरा
२८.	,,	,,	भालटा
२९.	,,	,,	तीज बरडी

Page No. 161

१	२	३	४
३०.	कोटा	अकलेरा	घाटोली
३१.	”	”	अमेठा
३२.	”	”	भवनपुरिया
३३.	”	मनोहरथाना	कोटरा के जालिया
३४.	”	”	कोटरा, चमारगढ़ कालापठा
३५.	”	असनावर	मानकुण्ड
३६.	”	”	माला टोंटा
३७.	”	”	गोदिया रिछोवा
३८.	”	खानपुर	महुस खेड़ा
३९.	”	”	बोरबान
४०.	”	”	मलानवासा तरज
४१.	”	”	बागर
४२.	”	”	धनोदा
४३.	”	”	बनिया
४४.	”	पीरवा	सेमलीखान
४५.	”	”	गैलानी
४६.	”	”	खरगपुरा
४७.	बारां	किशनगंज	बांभ आमली, कुंजोरबांस गोपालपुरा, प्रेमनगर, भंवरगढ़, हीरापुर, गाडी-घट्टा
४८.	”	शाहबाद	सीताबाड़ी राजपुर
४९.	”	नाहरगढ़	जेतपुर, मोयदा, दुर्जनपुरा अहमद नयागांव, सिगरो
५०.	”	छीपाबड़ोद	बिलेन्डी, हरनावदा नाहरिया, बजाजपुर।
५१.	”	कंवा	बड़ा डूंगर, बारां पार्ट ए. एवं बी.

सूची व केटिल कन्सेन्ट्रेटेड एरियाज वसूली चराई

क्र.	नाम रेंज	नाम स्थान	भैंस भैंसा झोटी	दर रु०	रकम रु०	पाड़ा पाड़ी	दर	रकम	गाय	दर	रकम	नारिया बैल	दर	रकम	विशेष विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
कोटा वन-मंडल १९६७-६८															
१.	लाड़पुरा	समस्त क्षेत्रों से (स्पेशल क्षेत्रों के अलावा)	६६१	२.००	१९२२.००	१८७	०.७५	१४०.२५	—	—	—	३७६	२.००	७५२.००	राजस्व-पत्र के अनुसार काश्तकारों से वसूल हुई।
२.	,,	उम्मेदगंज जगपुरा	५५	३.००	१६५.००	३०	१.१२	३३.७४	—	—	—	११	३.००	३३.००	,,
३.	,,	अमरनिवास किशोरपुरा रातवाचौक	५१	४.००	२०४.००	९	१.५०	१३.५०	—	—	—	—	—	—	राजस्व-पत्र के अनुसार वोसियान से वसूल हुई।
४.	,,	अमरनिवास बोरनिवास जगपुरा केवलनगर बन्दा धर्मपुरा	६७१	६.००	४०२६.००	१४२	२.०० व २.२५	३१५.२५	३३१८	०.७५	२४८८.५०	३	४.००	१२.००	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. ७ (३३७) रेवे/ए/६१ दिनांक १९-३-६१ से वसूल हुई है।
५.	मन्डाना	समस्त क्षेत्र,	४२४	२.००	८४८.००	१३५	०.७५	१०१.२५	—	—	—	७७ ५६ ३	०.७५ २.०० ४.००	५७.२५ ११२.०० १२.००	राजस्व-पत्र के अनुसार काश्तकारों से वसूल हुई।

१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
६.	मन्डाना	ब्लॉक डोल्या	१७६	६.००	१०७४.००	३२	१.५०	४८.००	२११०	०.७५	८३२.५०	—	—	—	राजस्थान सरकार के आदेश संख्या एफ. ७ (३३७) रेवे/ए/६१ दिनांक १६-९-६१ से वसूल हुई।
७.	मोडक	बारां	११	२.००	६२.००	७	०.७५	५.२५	२	२.००	४.००	—	—	—	राजस्व-पत्र के अनुसार काश्तकारों से वसूल हुई।
८.	कनवास	मशालपुरा किशोरपुरा	८६२	२.००	१७८४.००	२३७	०.७५	२१२.७५	—	—	—	—	—	—	,,
९.	,,	,,	६०	६.००	३६०.००	—	—	—	२१६	०.७५	१६२.००	२७६	२.००	५५२.००	राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ. ७ (३३७) रेवे/ए/६१ दिनांक १६-९-६१ से वसूल की।
बारां वन-मंडल १९६७-६८ समस्त क्षेत्र			८१७७	२.००	१६३५४.००	१६०८	०.७५	१४११.०	—	—	—	११५०	२.००	२३००.००	
झालावाड़ वन-मंडल १९६६-६७ समस्त क्षेत्र से			६७१	२.००	१६४२.००	३२५	०.७५	२४३.७५	२२	०.७५	१६.५०	६५०	२.००	१३००.००	